


पृष्ठ

७

१. जीवनकी तीन प्रधान बातें
२. ऋषि-तर्पण
३. निवृत्त-शिक्षण
४. चार पुरुषार्थ
५. परशुराम
६. चिर-तारुण्यकी सौधना
७. गृहसमद
८. ग्रामलक्ष्मीकी उपासना
९. आत्माकी भाषा
१०. सरकारकी चुनीतीका जवाब
११. हमारी तर्कशुद्ध भूमिका
१२. तीन मुख्य वादोंकी समीक्षा
१३. गो-सेवाका रहस्य
१४. जीवित-मृत्यु
१५. खादीका समग्र-दर्शन
१६. उद्योगमें ज्ञान-दृष्टि
१७. ग्राम-सेवाका तन्त्र
१८. कृपया तशरीफ ले जाइए
१९. हमारी जीवन-दृष्टि



१८

६२

७६

८३

९३

१०८

१२६

१४०

१४३

१५२

१५८

१६२

१७३

सामूहिक प्रार्थना; संतोंका वाता; निष्ठाकी कमी; सेवकका पाथेय; तकलीकी उपासना; तिल-गुड़ लो, मीठा वोलो; हमारी मूर्ति-पूजा; मृत्युरूपी वरदान; नैष्ठिक ब्रह्मचर्य; सूत्र-मनन और पुराण-श्रवण; ग्राम-सेवा शास्त्रकी एक कलम; गांवका आरोग्य; गंभीर अध्ययन; निसर्ग-सेवनकी दृष्टि; अतिथिको देव क्यों मानें ? भगवान् दीन-वन्धु हैं ।

V2: 25 x m 95. x  
15257.2

486

# विनोबाके विचार

## दूसरा भाग

: १ :

### जीवन की तीन प्रधान बातें

अपने जीवनमें तीन बातोंको प्रधान पद देता हूँ । उनमें पहली है उद्योग । अपने देशमें आलस्यका भारी वातावरण है । यह आलस्य बेकारीके कारण आया है । शिक्षितोंका तो उद्योगसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहता । और जहां उद्योग नहीं वहां सुख कहां ? मेरे मतसे जिस देशमें उद्योग गया उस देशको भारी धुन लगा समझना चाहिए । जो खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए, फिर वह उद्योग चाहे जिस तरह का हो । पर बिना उद्योगके बैठना कामकी बात नहीं । घरोंमें उद्योगका वातावरण होना चाहिए । जिस घरमें उद्योगकी तालीम नहीं है उस घरके लड़के जल्दी ही घरका नाश कर देंगे । संसार पहले ही दुःखमय है । जिसने संसार में सुख माना है उसके समान भ्रममें पड़ा और कौन होगा ? रामदास जी ने कहा है—“मूर्खामांजी परम मूर्ख । जो संसारों मानी सुख ॥” अर्थात् वह मूर्खोंमें भारी मूर्ख है जो मानता है कि इस संसारमें सुख है । मुझे जो मिला दुःखकी कहानी सुनाता ही मिला । मैंने तो कभीसे यह समझ लिया है और बहुत विचार और अनुभवके बाद मुझे इसका निश्चय हो गया है । पर ऐसे इस संसारको जरा-सा सुखमय बनाना ही तो उद्योगके सिवाय दूसरा इलाज नहीं है, और आज सबके करने लायक और उपयोगी उद्योग सूत-कताईका है । कपड़ा हरेकको जरूरी है और प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष

सूत कातकर अपना कपड़ा तैयार कर सकता है। चर्खा हमारा मित्र बन जायगा, शांतिदाता हो जायगा—वशर्ते कि हम उसे संभालें। दुःख होने या मन उदास होने पर चर्खेको हाथमें ले लें तो फौरन मनको आराम मिलता है। इसकी वजह यह है कि मन उद्योगमें लग जाता है और दुःख विसर जाता है। गेटे नामक कविका एक काव्य है, उसमें उसने एक स्त्रीका चित्र खींचा है। वह स्त्री बहुत शोक-पीड़ित और दुःखित थी। अंतमें उसने तकली संभाली। कविने दिखाया है कि उसे उस तकलीसे सांत्वना मिली। मैं इसे मानता हूँ। स्त्रियोंके लिए तो यह बहुतही उपयोगी साधन है। उद्योगके विना मनुष्यको कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आलस्यके समान शत्रु नहीं है। किसीको नींद आती हो तो सो जाय, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जाग उठने पर समय आलस्यमें नहीं बिताना चाहिए। इस आलस्यकी वजहसे ही हम दरिद्री हो गये हैं, परतन्त्र हो गये हैं। इसीलिए हमें उद्योगकी ओर झुकना चाहिए।

दूसरी बात जिसकी मुझे धुन है, वह भक्तिमार्ग है। वचनसे ही मेरे मनपर यदि कोई संस्कार पड़ा है तो वह भक्तिमार्गका है। उस समय मुझे मातासे शिक्षा मिली। आगे चलकर आश्रममें दोनों वक्तकी प्रार्थना करनेकी आदत पड़ गई। इसलिए मेरे अन्दर वह खूब हो गई। पर भक्तिके माने ढोंग नहीं है। हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी है। दिनभर उद्योग करके अन्तमें शामको और सुबह भगवानका स्मरण करना चाहिए। दिन भर पाप करके, झूठ बोलकर, लवारी-लपफाजी करके प्रार्थना नहीं होती। वरन् सत्कर्म करके दिन सेवामें बिता करके वह सेवा शामको भगवान्को अर्पण करनी चाहिए। हमारे हाथों अनजाने हुए पापों को भगवान क्षमा करता है। पाप बन आवे तो उसके लिए तीव्र पश्चात्ताप होना चाहिए। ऐसोंके पाप ही भगवान् माफ करता है। रोज १५ मिनट ही क्यों न हो, सबको—लड़कोंको, स्त्रियोंको—इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिस दिन प्रार्थना न हो वह दिन व्यर्थ गया समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सौभाग्यसे मुझे अपने आस-

पास भी ऐसी ही मंडली मिल गई है। इससे मैं अपनेको भाग्यमान मानता हूँ। अभी मेरे भाईका पत्र आया है। बाबाजी उसके वारेमें लिख रहे हैं कि आजकल वह रायचंदभाईके ग्रन्थ पढ़ रहे हैं। उन्हें उस साधुके सिवाय और कुछ नहीं सूझ रहा है। इधर उसे रोगने घेर रक्खा है, पर उसे उसकी परवा नहीं है। मुझे भाई भी ऐसा मिला है। ऐसे ही मित्र और गुरु मिले। मां भी ऐसी ही थी। ज्ञानदेवने लिखा है कि भगवान कहते हैं—मैं योगियोंके हृदयमें न मिलूँ, सूर्यमें न मिलूँ और कहीं भी न मिलूँ, तो जहां कीर्तन-नाम-घोष चल रहा है वहां तो जरूर ही मिलूंगा। लेकिन यह कीर्तन कर्म करने, उद्योग करनेके बाद ही करनेकी चीज है। नहीं तो वह ढोंग हो जायगा। मुझे इस प्रकारके भक्तिमार्गकी धुन है।

तीसरी एक और बातकी मुझे धुन है, पर सबके कावूकी वह चीज नहीं हो सकती। वह चीज है खूब सीखना और खूब सिखाना। जिसे जो आता है वह उसे दूसरेको सिखाये और जो सीख सके उसे वह सीखे। कोई बूढ़ा मिल जाय तो उसे सिखाये। भजन सिखाये, गीता पाठ करावे, कुछ-न-कुछ जरूर सिखाये। पाठशालाकी तालीम पर मुझे विश्वास नहीं है। पांच-छः घंटे बच्चोंको बिठा रखनेसे उनकी तालीम कभी नहीं होती। अनेक प्रकारके उद्योग चलने चाहिए और उसमें एक-आध घंटा सिखाना काफी है। काममेंसे ही गणित इत्यादि सिखाना चाहिए। क्लास इस तरहके होने चाहिए कि एक पैसा मजदूरी मिली तो उसे पहला दर्जा और उससे ज्यादा मिली तो दूसरा दर्जा। इसी प्रकारसे उन्हें उद्योग सिखाके उसीमें शिक्षा देनी चाहिए। मेरी मां 'भक्ति-मार्ग-प्रदीप' पढ़ रही थीं। उसे पढ़ना कम आता था, पर एक-एक अक्षर टो-टोकर पढ़ रही थी। एक दिन एक भजनके पढ़नेमें उसने १५ मिनट खर्च किये। मैं ऊपर बैठा था। नीचे आया और उसे वह भजन सिखा दिया। और पढ़ाकर देखा, पंद्रह-बीस मिनटमें ही वह भजन उसे ठीक आ गया उसके बाद रोज मैं उसे कुछ देर तक बतता रहा था। उसकी वह पुस्तक पूरी करा दी। इस प्रकार जो-जो सिखाने लायक हो वह सिखाते रहना चाहिए और सीखते भी रहना चाहिए।

पर सबसे वन आनेकी बात नहीं है। पर उद्योग और भक्ति तो सबसे वन आ सकती है। उन्हें करना चाहिए और इस उद्योग के सिवाय मुझे तो दूसरा सुखका उपाय नहीं दिखाई देता है।<sup>१</sup>

: २ :

### ऋषि-तर्पण

मनुष्य देव और पशुके बीचों-बीच खड़ा है। एक तरहसे वह उनके बीचकी संधि है या उन्हें जोड़नेवाली कड़ी है। यह अनुभव पग-पगपर होता है कि अगर वह चाहे तो पशुसे भी पशु बन सकता है। लेकिन, थोड़ा ही क्यों न हो, संसारको यह भी अनुभव है कि वह अगर इच्छा करे तो उसके अन्दर देव बननेकी शक्ति भी मौजूद है। 'नरका नारायण' होना असंभव नहीं है। यह बात आजतक अनेक महापुरुष अपनी कृतिसे दुनियाको दिखा चुके हैं।

आधुनिक समयका इसी तरहका एक उदाहरण लोकमान्य तिलक का है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालनकर देव-कोटिमें प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हें वेदोंने 'कर्मदेव' की पदवी दी है। यह पदवी तिलकने हम सबके देखते-देखते प्राप्त की है। उस प्रसंग का स्मरण तो अब भी ताजा है। पर सिर्फ स्मरण काफी नहीं है। स्मरणके साथ अनुकरण भी होना चाहिए।

आकाशके अवकाशमें अगणित तारे भरे पड़े हैं। दूरवीनके बिना खाली आंखोंसे उन सबके दर्शन नहीं हो सकते। दूरवीनसे भी सबके दर्शन तो होते ही नहीं। लेकिन खाली आंखोंसे ओभल रहनेवाले कुछ सूक्ष्म तारे उसके द्वारा दर्शन दे देते हैं। जीवन भी आकाश के समान पोला प्रतीत होता है। लेकिन यह पोला-सा प्रतीत होनेवाला जीवन अनंत ठोस सिद्धांतोंसे भरा हुआ है। केवल बुद्धिके द्वारा उनमेंसे बहुत ही थोड़े सिद्धांत ग्रहण किये

---

१. पवनारमें (२० दिसंबर १९३५ को) सायं-प्रार्थनाके बाद दिये गए एक प्रवचनकी रिपोर्ट।

जा सकते हैं। परन्तु तपस्याकी दूरबीन लगानेसे कुछ सूक्ष्म सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। इस तरहका कोई नया तत्व जो देख पाया हो उसे मन्त्र दर्शन हुआ ऐसा कह सकते हैं। उसीको ऋषि कहते हैं। ऋषि शब्दका मूल अर्थ है 'मंत्रद्रष्टा'—मंत्र देखनेवाला। यह कथा प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ऋषिने कठिन तपस्याके द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त किया। तिलक महाराज भी वर्तमान युगके इसी तरहके एक ऋषि थे। कारण, उन्होंने भी तपस्या की; उन्होंने भी मन्त्र प्राप्त किया। यह कौन-सा मन्त्र है? वह है, "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है; और मैं उसे लेकर रहूंगा।" इस मन्त्रका उच्चार तो हमने खूब किया है। लेकिन केवल उच्चार काफी नहीं है। उच्चारके साथ-साथ आचार भी चाहिए।

तिलकने यह भी बतला दिया है कि इस आचारकी नीति क्या हो? उनके लिए यह अनिवार्य भी था। कारण, उनका यह मत था कि केवल सिद्धांतका निरूपण कर देना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ-साथ उसका उपयोग कहां और कैसे किया जाना चाहिए, आदि बातें भी व्यौरेवार बताना आवश्यक है। इसलिए केवल उक्त मन्त्र बताने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। उस मन्त्रका भाष्य भी उन्होंने स्वयं ही लिखा है। शंकराचार्यने कहा है कि भगवान्ने गीताके द्वारा अर्जुनके बहाने सारे जगत्को उपदेश दिया। उसी प्रकार तिलकने अपने 'गीता-रहस्य'में गीताके निमित्तसे उक्त मंत्रकी व्याख्या की है। लेकिन यह बात हमारे ध्यानमें नहीं आई। इसलिए गीता-रहस्यका गीताके श्लोकोसे सामंजस्य करनेका व्यर्थका भंभट हमने खड़ा किया और नाहक उलझनमें पड़ गये। गीता-रहस्य पूर्वोक्त-स्वराज्य मन्त्रका रहस्य है, इस बातको ध्यानमें रखनेसे हम गीता-रहस्यका अर्थ समझ सकेंगे। किंतु केवल समझना ही यथेष्ट नहीं है। समझनेके साथ-साथ हमारा कर्तव्य क्या है, यह भी दिखाई देना चाहिए।

२

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक है" यह हुआ अधिकार वाला अंश। इसीमें 'और मैं उसे प्राप्त करूंगा' यह कर्तव्यात्मक अंश जोड़ दिया गया है।



आसुरी संपत्ति कहती है, “हककी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।” दैवी संपत्ति कहती है, “कर्तव्य करते रहना मेरा अधिकार है।” पश्चिमकी संस्कृतिको आसुरी संपत्तिकी हविस है। पूर्वकी संस्कृतिको दैवी संपत्तिसे प्रेम है। संस्कृत भाषामें तो ‘हक’ के अर्थका अलग कोई शब्द ही नहीं पाया जाता। उस अर्थको व्यक्त करनेके लिए हम ‘अधिकार’ शब्दका प्रयोग करते हैं। पर अधिकार शब्दका मूल अर्थ ‘अपने हिस्सेका काम’ या कर्तव्य ही है। “तेरा कर्म करनेका अधिकार है, फल प्राप्ति नहीं”, इस गीता-वचनमें ‘अधिकार’ शब्दके अर्थके साथ ही दैवी संपत्तिके स्वरूपका भी अच्छा स्पष्टीकरण हो गया है।

उक्त स्वराज्य-मन्त्रकी वनावट—विशेषतः उसके पूर्वार्द्धकी—वेशक ठेठ पश्चिमके ढंगकी है। लेकिन एक तरहसे यहा स्वभाविक ही था। क्योंकि साधारण रूपसे इस मन्त्रका अवतार पश्चिमकी संस्कृतिसे मंत्र-मुग्ध लागोंके लिए ही है। और जो बात मन्त्रपर घटित होती है वही भाष्य के लिए भी है, यह तो स्पष्ट ही है। इसलिए गीता रहस्यपर पश्चिमके ढंगकी गहरी छाप दिखाई देती है। परन्तु शिष्य कितना भी विद्वान् क्यों न हो, गुरुजनोंकी अधीनता में रहनेसे उसकी विद्वत्ता कुछ दब ही जाती है। या यों कहिए कि भड़कीले रंगकी चीज भी चांदके राजमें फीकी पड़े विना नहीं रहती। उसी प्रकार गीता-रहस्यमें श्रीकृष्णके योग-शास्त्रकी रक्षा करते हुए प्रवचन किया गया है। इसलिए मूलभूत रजोगुणी वृत्ति बहुत ढीली पड़ गई है। इसलिए मंत्रमें पूर्वार्द्धपर जोर दिखाई देते हुए भी भाष्यमें उत्तरार्द्धपर जोर दिया गया है। माना कि “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है”, लेकिन आलसी हकको कौन पूछता है? इसलिए पूर्वार्द्धमें प्रतिपादन इस सिद्धांतकी अपेक्षा उत्तरार्द्धमें निरूपित “मैं उसे लेकर रहूंगा”, यह संकल्प अधिक महत्व रखता है। महत्वके प्रश्न ये हैं, “स्वराज्य आज क्यों नहीं है? और कल कैसे लेना है?” और तिलक ने गीता रहस्यमें इनके जो जवाब दिये हैं उनका एक-एक अक्षर सत्य है।

तिलकका कथन संक्षेपमें इस प्रकार है, “यदि स्वराज्य लेना है,

तो ज्ञान और कर्मकी जोड़ी हरगिज नहीं टूटनी चाहिए।" आजतक समझदारी और कारगुजारीकी एक-दूसरेसे जान-पहचान भी नहीं थी। एकका मुंह पूरवको था तो दूसरीका पश्चिम को। इसलिए स्वराज्यके दर्शन नहीं हुए। समझदारी कारगुजारीका स्पर्श गवारा नहीं कर सकती थी। "इस अस्पृश्यताके दूर होते ही स्वराज्य आपके पास ही है"—यह कथन कितना यथार्थ है ! आज बूढ़ोंका अनुभव और जवानोंका उत्साह अलग-अलग हो गये हैं। स्त्रियोंकी समझदारी और पुरुषोंकी कारगुजारी विछुड़ गई है। ब्राह्मणोंका शास्त्र और अब्राह्मणोंकी कलाके बीच दरार पड़ गई है। हिंदुओंकी नीति-निपुणता और मुसलमानों के जोशमें मेल नहीं रहा। अंग्रेजोंकी सभ्यता और अंग्रेजोंकी सेवाका आपसमें लगाव नहीं है। भिक्षुकके धर्म और गृहस्थके कर्मका मेल नहीं रहा। कहना न होगा कि अगर हम यह अवस्था सुधार सकें—ज्ञान और कर्मका समुच्चय साध सकें—तो स्वराज्य हमारे हाथमें है।

पुराने इतिहासमें महाराष्ट्रने स्वराज्यका बड़ा भारी आंदोलन किया था। उस आंदोलनके नेताओंने भी उसी बातपर जोर दिया था, जिसका प्रतिपादन लोकमान्यने गीतारहस्यमें किया है। 'चित्तो नाम हाती काम' (मनमें राम, हाथमें काम)—यह था उस आंदोलनका सिद्धांत वाक्य। गोरोवा (कुम्हार जातिके एक श्रेष्ठ संत) नेताओंके गुरु माने जाते थे। इतनी उनके ज्ञानकी ख्याति थी। लेकिन कच्चे घड़े पका-पकाकर पक्के बनानेका उनका कारखाना कभी बन्द नहीं हुआ। सेना नाई भी आंदोलनके एक महान् सेनापति थे। तो भी सिरपरका मैल उतारकर दर्पण दिखानेका उनका काम बराबर जारी था। नामदेव (दर्जी) को तो आंदोलन का प्राण ही कहना चाहिए। भगवान नामदेवका नाम जितना जपते, उतना भगवान का नाम नामदेव शायद न जपते रहे होंगे। लेकिन फिर भी फटे हुए (वस्त्र) सीनेका उनका कुलव्रत अवाधित रूपसे चलता रहा। और ऐसा था, इसीलिए उस वक्त महाराष्ट्रको, कुछ दिनके लिए, स्वराज्यके दर्शन हुए।

जब 'ज्ञानी' कहलानेवाले लोग कर्मसे ऊबने लगते हैं, या कर्म करनेमें शरमाने लगते हैं, तब राष्ट्रके पतनका आरंभ होता है। यह नियम गिवनने रोमके इतिहासमें लिखकर रखा है, और हमारे यहांके सारे संतों, कवियों और आचार्योंने यही बात एक स्वरसे कही है। "जो कर्मको छोटा समझ चलते हैं, वे गंवार हैं, ज्ञानी नहीं।" यह वाक्य तो ज्ञानियोंके राजा खुद ज्ञानेश्वर कह गये हैं। और "मैं पहलेके संतोंसे राह पूछता हुआ बोल रहा हूँ", यह गवाही उन्होंने दी है। तिलक भी वही बात कहना चाहते थे। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मालूम हुआ कि इस सिद्धांतके प्रतिपादनमें वह अकेले पड़ गये हैं, उनका कोई सहायक नहीं है। इसी धारणाके कारण उन्होंने खीभ-खीभकर बड़े आवेशसे अपने मतका प्रतिपादन किया है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है ?—गुलाम लोगोंका बाबला संसार और दुर्बल परमार्थ।

३

सच तो यह है कि ज्ञान न तो कर्म से डरता है, न उसे अपनी शान के खिलाफ समझता है। यह नियम सामान्य ज्ञान पर ही नहीं, ब्रह्मज्ञानपर भी घटित होता है। मनुष्य जितना ज्ञानमें घुल गया हो, उतना ही वह कर्मके रंगमें रंग जाता है। यह सच है कि ज्ञान उदय होते ही कर्मका भंग अस्त हो जाता है। लेकिन कर्मके भंगके अस्त होनेके माने कर्मका ही अस्त होना नहीं है। उसका अर्थ है कि कर्म सहज हो जाता है। आइए, हम कुछ ज्ञानियों की ही गवाही लें।

पहली गवाही श्रीकृष्णकी लें। वह कहते हैं, "मनुष्यके चित्तमें ज्ञानका उदय होते ही 'मैं' तत्क्षण अस्त हो जाता है। इसीलिए लोगों के लिए सहा-नुभूति पैदा हो जाती है और साहस तथा उत्साहकी किरणोंके फूट पड़नेके कारण भय और लज्जाका प्रश्न ही नहीं रह जाता। ऐसी अवस्थामें ज्ञानी दुगुने जोरसे कर्म करने लगता है। भूतदयाके कारण उसका शरीर लोक-संग्रहमें अभ्यस्त हो जाता है।" इस सिलसिले में उन्होंने महाराजा जनकका

पुराना उदाहरण दिया है और अपने अनुभवसे उनकी पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त यह टिप्पणी और जोड़ दी है कि यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म नहीं करेंगे तो साधारण लोगोंको पदार्थ-पाठ नहीं मिलेगा।

दूसरी गवाही आचार्य (शंकराचार्य) की। वह कहते हैं, “संसारके कर्मोंके विषयमें यह कहा गया है कि ज्ञानकी अग्निके सुलगते ही कर्म भस्म हो जाते हैं। परमार्थके कर्मपर वह लागू नहीं होता। पारमार्थिक कर्मोंके आचरणसे ही तो मनुष्यको ज्ञान प्राप्त होता है। यानी परोक्ष रूपसे इस कर्मकी कोखसे ही ज्ञानका जन्म होता है। अतः वह कर्म ज्ञानके लिए माताके समान है। ऐसी दशामें अगर इस कर्मपर भी ज्ञान हथियार उठाये तो उसे मातृ हत्याका पातक लगेगा। इसलिए साधकावस्थामें शुरू किया किया गया ‘प्रारब्ध’ कर्म ज्ञान हो जानेके पश्चात् भी शेष रह जाता है।” इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यह व्यावहारिक दृष्टांत दिया है कि मटका तैयार हो जानेपर भी कुम्हारका चाक कुछ देरतक घूमता रहता है।

तीसरी गवाही समर्थकी। वह कहते हैं, “साधकको ज्ञानका ‘रहस्य’ प्राप्त हो जाता तो भी वह पूर्ववत् ही यत्न करता रहता है क्योंकि इसका क्या ठिकाना है कि इस रहस्यको भी जंग न खा जाये? ऐसा सोचकर वह अपने ज्ञानको सत्कर्मसे मांजता रहता है। इसलिए उसको जंग लगनेका डर नहीं रहता। खूंटको हिला-हिलाकर खूब मजबूत कर देनेके लिए ज्ञानी सावधान वृत्तिसे अपनी उपासना जारी रखता है और आखीरतक सत्कर्म करता रहता है।”

चौथी गवाही तुकोवाकी। वह कहते हैं, “कोई आदमी पहिले गांवका ज्योतिषी था। हाथीने उसके गलेमें माला पहिना दी। इससे वैचारा राजा हो गया। फिर भी उसका पत्रा (पंचांग) नहीं छूटता था।” ज्ञानी मनुष्यकी हालत भी इस राजाके जैसी होती है। उसकी भी साधकावस्थामें पड़ी हुई आदत कभी भी कैसे छूटे? अपनी कथनकी पुष्टिके लिए उन्होंने अपना ही अनुभव पेश किया है। “मैं केवल ‘तुका’ था। बादमें संतोंकी संगतिसे भजनका चस्का लग गया। आज मैं ‘राम’ हो गया हूँ, लेकिन मेरा भजन

वन्द नहीं होता। मूल स्वभाव नष्ट नहीं होता, तो इसे मैं क्या करूँ ?”

४

खैर। वड़े-वड़े आदमियोंके फेर में पड़कर हमने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं। ये बातें हमारे अधिकारके बाहरकी हैं। बहुतोंकी तो समझमें भी नहीं आयेंगी। लेकिन कोई हर्ज नहीं। जो आज समझमें नहीं आतीं, कल आने लगेंगी। संतोंकी कृपासे हमारा अधिकार भी धीरे-धीरे बढ़ेगा। और फिर, ऐसी बातें जब-तब कानोंमें पड़ा करें-तो कोई नुकसान नहीं है। हैसियत न होनेपर भी लोग साहूकारसे कर्ज लेकर त्यौहार तो मनाते ही हैं। उसी प्रकार लोकमान्यकी पुण्यतिथिके दिन हमने भी संतोंके चरणोंमें भीख मांगकर चार टुकड़े जुटा लिये तो इसमें कोई गलती नहीं की। ऐसा न करें तो गरीबोंको पकवानके दो कौर भी खानेको कब मिलेंगे ? इसके सिवा, हमने ऋण साहूकारसे नहीं लिया है, संतोंसे लिया है। इसलिए हम सुरक्षित हैं। संत हमें तवाह कर देंगे, इसका डर तो है ही नहीं। अगर सवाल है तो इतना ही कि क्या हम यह पकवान पचा सकेंगे ?

‘महाराष्ट्र-धर्म’ : १६ जुलाई १९२४

: ३ :

## निवृत्त-शिक्षण

फ्रांसकी राज्यक्रांतिके इतिहासमें रूसो और वाल्टेर नामक ग्रन्थकारों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थकारोंकी भाषा, विचारशैली तथा लेखन-पद्धति तेजस्वी, जीवंत और क्रांतिकारक है। लोगोंमें जितनी धाक इनकी लेखनीकी थी, उतनी वड़े-वड़े बलवान राजाओंके शस्त्रबलकी भी नहीं थी। फ्रांसकी राज्यक्रांति इनके लेखकोंका मूर्ध, परिणाम थी। इन दोनों लेखकोंमेंसे रूसो विशेष भावनाप्रधान था। लेख लिखने के लिए उसने कभी भाषा-

शास्त्रका अध्ययन नहीं किया था। उसके विचार उसके हृदयमें समाते नहीं थे, बाहर निकलनेके लिए छटपटाते और धक्के देते थे। ज्वालामुखी पर्वत के जलते हुए रसकी भांति, बल्कि उससे भी बढ़कर, दाहक होते थे और उसकी इच्छाके विरुद्ध—‘अनिच्छन्नपि’—बाहर निकलते थे। उसके लेखों द्वारा उसका हृदय बोलता था। और इसीलिए उसके लेख चाहे वौद्धिक या तार्किक कसौटी पर खरे भले हो न उतरें, तो भी परिणामतः वे धक्कती आगके समान होते थे, यह इतिहासको भी मानना पड़ा है। ‘मृतजीवनकी अपेक्षा जीवित मृत्यु श्रेयस्कर है’—उसके लेखोंका यही एक सूत्र था। ऐसे प्रभावशाली, प्रतिभावान लेखकके शिक्षण-विषयक मतों का मननपूर्वक विचार करना हमारा कर्तव्य है।

रूसोके मतानुसार शिक्षणके तीन विभाग करने चाहिए—(१) निसर्ग-शिक्षण, (२) व्यक्ति-शिक्षण और (३) व्यवहार-शिक्षण।

शरीरके प्रत्येक अवयवका संपूर्ण और व्यवस्थित विकास होना, इंद्रियों का चपल, फुर्तीली, कार्यपटु बनना विभिन्न मनोवृत्तियोंका सर्वांगीण विकास होना; स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, धृति, तर्क इत्यादि वौद्धिक शक्तियोंका प्रगल्भ और प्रखर बनना—इन सबका समावेश उसके मतसे निसर्ग-शिक्षणम होता है। दूसरे शब्दोंमें, मनुष्यकी भीतरी शारीरिक, मानसिक और वौद्धिक वृद्धि आत्मविकास—निसर्ग-शिक्षण है। मनुष्यको बाह्य परिस्थितिमें से जो ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहारमें जो अनुभव होता है, उस सब पदार्थ विज्ञानको या भौतिक जानकारीको उसने व्यवहार-शिक्षण नाम दिया है। और निसर्ग शिक्षणसे होनेवाले आत्मविकासका ज्ञानकी दृष्टिसे बाह्य जगत्में कैसे उपयोग किया जाय, इस संबंधमें दूसरे मनुष्योंके प्रयत्नसे जो वाचिक, सांप्रदायिक अथवा शालीन (पाठशालामें मिलनेवाला) शिक्षण मिलता है, उसे उसने व्यक्ति शिक्षण संज्ञा दी है। अर्थात् व्यक्ति-शिक्षण उसकी दृष्टिसे व्यवहार-शिक्षण और निसर्ग-शिक्षणको जोड़नेवाली संधि है। वस्तुतः यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती कि रूसोने शिक्षणके कितने विभाग किये हैं। अमुक विषयके अमुक विभाग करने चाहिए,

ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सब सुविधाका सवाल है। इसलिए दृष्टि-भेदके कारण वर्गीकरणमें अंतर होना स्वाभाविक है। रूसोके किये हुए तीन विभाग तो आवश्यक ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्यको क्या व्यक्ति-शिक्षण और क्या व्यवहार-शिक्षण बाहरसे मिलता है। केवल निसर्ग-शिक्षण ही भीतरसे मिलता है। इस दृष्टिसे, अगर हम अंतःशिक्षण और बाह्य शिक्षण ये दो ही विभाग करें तो क्या हर्ज है ?

परंतु इससे भी आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि बाह्य शिक्षण केवल अभावात्मक क्रिया है और अंतः-शिक्षण ही भावरूप है। इसलिए शिक्षणका वही एकमात्र यथार्थ अथवा तात्त्विक विभाग है। हमने जिसे 'बाह्य-शिक्षण' कहा है, वह केवल मनुष्योंसे अथवा पाठशालामें ही नहीं मिलता। वह शिक्षण इस अनंत विश्वके प्रत्येक पदार्थसे निरंतर मिलता ही रहता है। उसमें कभी विराम नहीं होता। जैसा कि शेक्सपीयरने कहा है, "वहते हुए झरनोंमें प्रासादिक ग्रंथ संचित हैं, पत्थरोंमें दर्शन छिपे हुए हैं और यच्चयावत् पदार्थोंमें शिक्षाके सारे तत्त्व सन्निहित हैं।" वृक्ष, वनस्पति, फूल, नदियाँ, पर्वत, आकाश, तारे—सभी मनुष्यको अपने-अपने ढंगसे शिक्षा देते हैं। नैयायिकोंके अणुसे लेकर सांख्योंके महत्तत्त्वतक, भूमिति (रेखागणित) के बिंदुसे लेकर भूगोलके सिधुतक, या छुटपनकी भाषामें कहें, तो 'रामजीकी चोटीसे लेकर तुलसीके मूल' तक सारे छोटे-बड़े पदार्थ मनुष्यके गुरु हैं। विचक्षण विज्ञान-वेत्ताओंके दूर-चक्षु (दूरवीन) से, व्यवहार-विशारदोंके चर्मचक्षुसे कल्पना-कुशल कवियोंके दिव्य-चक्षुसे या तार्किक तत्त्व-वेत्ताओंके ज्ञान-चक्षुसे जो-जो पदार्थ दृष्टिगोचर होते होंगे—अथवा न भी होते होंगे—उन सब पदार्थोंसे हमें नित्यपाठ मिल रहे हैं। सृष्टि-परमेश्वर द्वारा हमारे अध्ययनके लिए हमारे सामने खोलकर रक्खा हुआ एक शाश्वत, दिव्य, आश्चर्यमय, परम पवित्र ग्रंथ है। उसके सामने वेद व्यर्थ है, कुरान बेकार है, बाइबिल निर्बल है। लेकिन यह ग्रंथ-नांगा चाहे कितनी ही गंभीर क्यों न हो मनुष्य तो अपने लोटेसे ही उसका पानी लेगा।

इसलिए इस विश्व में से 'वाह्यतः' हमें वही और उतनी ही शिक्षण मिलेगा, जिसके या जितनेके बीज हमारे 'अंदर' होंगे। इसका अनुभव हर एकको है। हम इतने विषय सीखते हैं, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, इतने विचार सुनते हैं, इतनी चीजें देखते हैं, उनमेंसे कितनी हमें याद रहती हैं? सारांश, वाह्य जगत्से हम जो कुछ सीखते हैं, वह सब भुला देते हैं। उसकी जगह केवल संस्कार बाकी रह जाते हैं। बल्कि शिक्षणका अर्थ जानकारी नष्ट होनेपर बचे हुए संस्कार ही हैं। इसका कारण ऊपर दर्शाया गया है। जो हमारे 'अंदर' नहीं है, वह बाहरसे आना असंभव है। वाह्य शिक्षण कोई स्वतंत्र या तात्त्विक पदार्थ नहीं है। वह केवल एक अभावात्मक क्रिया है।

अब ऐसे प्रसंगमें हमेशा एक दुहरी समस्या पेश होती है। यदि वाह्य शिक्षणको मिथ्या मानें, तो संस्कार बननेके लिए किसी-न-किसी वाह्य-निमित्त या आलंबन अथवा आधारकी आवश्यकता होती ही है। इसके विपरीत अगर वाह्य शिक्षणको सत्य या भाव-रूपमें मानें, तो ऊपर कहे अनुसार उसका अंतर-विकासके अनुकूल अंश ही, और वह भी संस्कार-रूपमें, शेष रहता है। अर्थात् उभय पक्षमें विप्रतिपत्ति (डाईलेमा) उपस्थित होती है। ऐसी अवस्थामें इन दोनों शिक्षणोंका परस्पर संबन्ध क्या माना जाय? परंतु यह विवाद नया नहीं है। इसलिये उसका निर्णय भी नया नहीं है। सभी शास्त्रोंमें इस प्रकारके विवाद उपस्थित होते हैं और सर्वत्र उनका एक ही निर्णय होता है। उदाहरणके लिए, यह वेदांती विवाद कि 'सुखका वाह्य पदार्थोंसे क्या संबन्ध है, लीजिये। वहां भी वही गुत्थी है। अगर आप कहें कि वाह्य पदार्थोंमें सुख है, तो उनसे सर्वदा सुख ही मिलना चाहिये; लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि मनस्थिति बिगड़ी हुई हो, तो दूसरे अवसरों पर सुखकारक प्रतीत होनेवाले पदार्थ भी सुख नहीं दे सकते। इसके विपरीत यदि कहें कि वाह्य पदार्थोंमें सुख नहीं है, सुख एक मानसिक भावना है, तो ऐसा भी अनुभव सदा नहीं होता। जैसा कि शेक्सपीयरने कहा है, 'दि इच्छा ही घोड़ा बन सकती, तो प्रत्येक मनुष्य घुड़सवार हो जाता।'



लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, यह निष्पूर सत्य है। तब इस समस्याका समाधान कैसे हो ?

इसी तरहका दूसरा दृष्टान्त न्याय-शास्त्रसे लीजिए। प्रश्न यह है कि 'मिट्टीका मटकेसे क्या संबंध है' ? अगर आप कहें कि मिट्टी ही मटका है, तो मिट्टीसे पानी भरकर दिखाइए। मिट्टी अलग और मटका अलग कहें, तो हमारी मिट्टी हमें दे दीजिये, अपना घड़ा लेते जाइए। ऐसी हालतमें इन दोनोंका क्या सम्बन्ध माना जाय ? यदि हम शुद्ध हिंदीमें कहें कि हम बतला नहीं सकते कि इस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है, तो हमारा अज्ञान दीखता है। इसलिए इस संबंध को 'अनिर्वचनीय संबंध' यह भव्य और प्रशस्त संस्कृत नाम दिया गया है।

परंतु इस संबंधके अनिर्वचनीय होते हुए भी एक पक्षमें जिस प्रकार 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' 'मिट्टी तात्त्विक और मटका मिथ्या'—ऐसा तारतम्यसे निश्चय किया जा सकता है उसी प्रकार दूसरे पक्षमें अंतः-शिक्षण भावरूप और वाह्यशिक्षण अभावरूप कार्य है, ऐसा कहा जा सकता है।

किंतु ऐसा कहते ही एक दूसरा ही मूलोत्पाटी प्रश्न उपस्थित होता है। हमने शिक्षाके दो विभाग किए हैं। उनमेंसे अंतः-शिक्षण अथवा आत्म-विकास भावरूप होते हुए भी वह हर एक व्यक्तिके अंदर-ही-अंदर होता रहता है। उसके लिए हम कुछ भी कर नहीं सकते। उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। और यदि बनाया भी जाय, तो उसपर अमल नहीं किया जा सकता। वाह्यशिक्षण सामान्यतः और व्यक्ति-शिक्षण विशेषतः अभावरूप करार दिया गया है। "ऐसी अवस्थामें 'न हि शशक-विषाणां कोऽपि कस्मै ददाति' इस न्यायके अनुसार शिक्षण-विषयक आंदोलन हमारी मूर्खताके प्रदर्शन ही हैं क्या?" यह कह देना आवश्यक है कि यह आक्षेप आपाततः जैसा लाजवाब या मुंहतोड़ मालूम होता है, वस्तुतः वैसा नहीं है। कारण, जब हम यह कहते हैं कि (वाह्य) शिक्षण अभावात्मक कार्य (निगेटिव फंक्शन) है, तब हम यह तो नहीं कहते कि वह 'कार्य' ही नहीं है। वह कार्य

है, वह उपयोगी कार्य है, परन्तु वह अभावात्मक कार्य है, इतना ही हमें कहना होता है। निवेदन इतना ही है कि शिक्षणका कार्य कोई स्वतंत्र तत्त्व उत्पन्न करना नहीं है। सुप्त तत्त्वको जाग्रत करना है। इसलिए शिक्षणका उपयोग लोग जिस अर्थमें समझते हैं, उस अर्थमें नहीं है। लेकिन इतनेसे शिक्षण निरूपयोगी नहीं हो जाता। उग्र सुवारकोंके 'विधवा-विवाहोत्तेजन' को समाज-शिक्षक कर्वेका 'विधवा-विवाह-प्रतिबंधनिवारण' भले ही निरूपयोगी मालूम होता हो, परन्तु वास्तवमें वह निरूपयोगी नहीं है। बल्कि वही उपयोगी है, यह मानना पड़ेगा। सारांश, शिक्षण उत्तेजक दवा नहीं है, वह प्रतिबंध-निवारक उपाय है। रस्किनने शिल्पकलाकी भी ऐसी ही व्याख्या की है। शिल्पज्ञ पत्थर या मिट्टीमेंसे मूर्ति उत्पन्न नहीं करता। वह तो उसमें है ही। सिर्फ छिपी हुई है। उसे प्रकट करना शिल्पीका काम है। इसपरसे स्पष्ट है कि शिक्षण अभावात्मक होते हुए भी उपयोगी है। और चाहे प्रतिबंध-निवारणके अर्थमें ही क्यों न हो, उसमें थोड़ी-सी भावात्मकता है ही। इसी अर्थको ध्यानमें रखकर ऊपर 'तारतम्यसे (अपेक्षाकृत) अभावात्मक ऐसी सावधानीकी भाषाका प्रयोग किया है। शिक्षण आत्मविकासकी तुलनामें अभावात्मक है। अर्थात् उसका 'भाव' बहुत थोड़ा है।

लेकिन हमने शिक्षा का भाव बेहद बढ़ा दिया है। इसलिए हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली अत्यंत अस्वाभाविक, विपरीत और दुराग्रही हो गई है। जहाँ किसी लड़केकी स्मरण-शक्ति जरा तीव्र दिखाई दी कि उसे और ज्यादा कंठ करनेको उत्साहित किया जाता है। लड़केका पिता अवीर हो उठता है। लड़केके दिमागमें कितना ठूसूं और कितना नहीं, इसका उसे कोई विवेक नहीं रहता। पाठशालाकी शिक्षण-पद्धतिमें भी यही नीति निर्धारित की जाती है। इसके विपरीत यदि विद्यार्थी मंद हो, तो उसकी अवश्य उपेक्षा की जायगी। होशियार माने जानेवाले लड़के जैसे-तैसे कॉलेजतक पहुँचते हैं और फिर पिछड़ जाते हैं। और यदि कॉलेजमें न पिछड़े, तो आगे चलकरव्यवहार में निकम्मे साबित होते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी कोमल बुद्धिपर बेहिसाव बोझ लादा जाता है। यदि थोड़ा

तेज है और व्यवस्थितरूपसे चलता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बदले 'घोड़ा तेज है न? लगाओ चावुक', ऐसी नीतिसे क्या होगा? घोड़ा भड़क जायगा। खुद तो गड्ढेमें गिरेगा ही अपने मालिकको भी गिरायेगा। यह वेवकूफीकी और जंगली नीति कम-से-कम राष्ट्रीय शालाओंमें तो हरगिज नहीं बरतनी चाहिए।

सच बात तो यह है कि जहाँ विद्यार्थीको यह भान हुआ कि वह शिक्षण ले रहा है, वहाँ शिक्षणका सारा आनंद ही लुप्त हो जाता है। छोटे लड़कोंसे जो यह कहा जाता है कि खेल ही उत्तम व्यायाम है, उसका भी रहस्य-यही है। खेल में व्यायाम होता है, लेकिन 'मैं व्यायाम करता हूँ', यह बोध नहीं होता। खेलते समय आसपासका जगत नष्ट हो जाता है। लड़के तद्रूप होकर अद्वैतका अनुभव करते हैं। देह-भान लुप्त हो जाता है। प्यास, भूख, थकान, चोट, किसी वेदनाकी भी प्रतीति नहीं होती। सारांश, खेल आनंद होता है। वह व्यायाम-रूप कर्तव्य नहीं होता। यही नियम शिक्षणपर भी लागू करना चाहिए। 'शिक्षण एक कर्तव्य है', इस कृत्रिम भावनाके बदले 'शिक्षण आनंद है', यह नैसर्गिक और तेजस्वी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे लड़कोंमें ऐसी भावना पाई जाती है? 'शिक्षण आनंद है' इस भावनाकी बात तो छोड़ दीजिए; किंतु 'शिक्षण कर्तव्य है', यह भावना भी बहुत कम पाई जाती है। 'शिक्षण दंड है'; यह गुलामीकी भावना ही आज विद्यार्थियोंमें प्रचलित है। बालकने जरा सजीवताकी चमक या स्वतंत्र-वृत्तिके लक्षण दिखाये नहीं कि तुरंत घरवाले कहने लगे कि अब इसे स्कूलमें वेड़ना चाहिए। तो पाठशालाका अर्थ क्या हुआ?—वेड़नेकी जगह! इसलिए इस पवित्र कार्यमें हाथ बटानेवाले शिक्षक इस जेलखानेके छोटे-बड़े कर्मचारी हैं!

लेकिन इसमें दोष किसका है? शिक्षाके विषयमें हमारे जो विचार हैं और उनके अनुसार हमने जिस पद्धतिका—अथवा पद्धतिके अभाव का—अवलंबन लिया है, उसका यह दोष है। विद्यार्थियोंका शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें उसका बोध ही न हो, यानी स्वाभाविकरूपसे होना चाहिए। बाल्यावस्थामें बालक जिस सहजभावसे मातृभापा सीखता है,

उसी सहजभावसे उसका अगला शिक्षण भी होना चाहिए। लड़का व्याकरण क्या चीज है, यह भले ही न जानता हो; लेकिन वह 'मां आया' नहीं कहता। कारण, वह व्याकरण समझता है। वह 'व्याकरण' शब्द भले न जानता हो या उसे व्याकरणकी परिभाषा भले ही न मालूम हो; परंतु व्याकरणका मुख्य कार्य तो हो चुका है। साध्य और साधनको उलट-पुलट नहीं करना चाहिए। साध्यके लिए साधन होते हैं, साधनके लिए साध्य नहीं। यही बात तर्कशास्त्रपर भी लागू होती है। गीतमके न्यायसूत्र अथ वा एरिस्टाटलका तर्कशास्त्र पढ़नेका क्या अभिप्राय है? यही कि हम व्यवस्थित विचार कर सकें; अचूक अनुमान कर सकें। दीया जब मंद होने लगता है, तब छोटा लड़का भी अंदाज करता है कि शायद उसमें तेल नहीं है। उसके दिमागमें सारा तर्क होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि वह 'पंचावयवी वाक्य' या 'सिलाजिज्म' नहीं बना सकता। विद्यार्थी के भीतर तर्क-शक्ति स्वभावतः होती है। शिक्षण का कार्य केवल ऐसे अवसर उपस्थित करना है, जिससे उस तर्क-शक्तिको समय-समयपर खाद्य मिलता रहे। सारे शास्त्र, सब कलाएं, तमाम सद्गुण, मनुष्यमें बीजतः स्वयंभू हैं। हम उस बीजको देख नहीं सकते। लेकिन वह दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका अभाव तो नहीं है?

परंतु कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि रूसोको यह मत पसंद नहीं है। "मनुष्य स्वभावतः दुर्बल है, अनीतिमान है; शिक्षणसे उसे बलवान या नीतिमान बनाना है। स्वभावसे वह पशु है; उसे मनुष्य बनाना है। 'पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः' यह उसका पूर्व-रूप है। उसका उत्तर-रूप शिक्षणसे संपन्न होनेवाला है"—इस आशयकी भाषाका प्रयोग वह कभी-कभी करता है। इसके विरुद्ध आशयके वाक्य भी उसके ग्रंथोंमें पाये जाते हैं। इसलिए उसका अमुक ही मत है, यह कहना कठिन है। तथापि उसका ऊपर लिखे अनुसार मत हो, तो भी उसमें उसका विशेष दोष नहीं है; बल्कि उसके जमाने की परिस्थिति का दोष है, ऐसा कहा जा सकता है। स्वतंत्र बुद्धि के लोग भी एक हदतक, यदि परिस्थितिके गुलाम नहीं होते,

तो कम-से-कम परिस्थिति द्वारा गढ़े जाते हैं। और फिर रूसो के जमानेके फ्रांसकी स्थिति कैसी भीषण थी ! भारतमें आज जिस प्रकार इकतीस करोड़ जंतुओंका भय नक दृश्य नजर आ रहा है, उसी तरह की हालत उस वक्तके फ्रांस की थी। इसलिए यदि रूसो-जैसे ज्वालामुखी, ज्वलंत और अतिशय उत्कट मनुष्य का भावनामय एवं विकारी हृदय मनुष्य-जातिके प्रति घृणासे परिपूर्ण हो गया हो, तो वह क्षम्य है। गुलामी देखते ही वह खीझ जाता था। उसका खून खौलने लगता था। वह आपसे बाहर हो जाता था। ऐसी स्थितिमें मनुष्य-जातिके प्रति घृणाके कारण यदि उसका यह मत हो गया हो कि मनुष्य एक जानवर है और उसमें शिक्षणसे थोड़ी-बहुत इत्सानियत आती है, तो हम उसका तात्पर्य समझ सकते हैं। लेकिन रूसोके साथ हमें कितनी ही सहानुभूति क्यों न हो, तो भी इस प्रकार का—चाहे किसी ने किसी भी परिस्थितिमें प्रतिपादन किया हो—अनुचित है, इसमें संदेह नहीं। मनुष्य स्वभावतः दुष्ट है, ऐसा माननेमें निखिल मनुष्य-जातिका अपमान है और निराशावादकी परमावधि है। अगर मनुष्य स्वभावसे ही दुष्ट हो, तो शिक्षणकी कोई आशा नहीं हो सकती। वस्तुसे उसका स्वभाव सदाके लिए पृथक करना तर्क-दृष्टिसे असंभव है। इसलिए यदि मनुष्य-स्वभाव अपने असली रूपमें दुष्ट ही हो, तो उसे सुधारनेके सारे प्रयत्न अकारथ जायेंगे और निराशावादका तथा उसके साथ-साथ पशुवृत्तिका साम्राज्य शुरू हो जायगा। क्योंकि आशा नष्ट होते ही दंडका राज्य स्थापित हो जाता है। कुछ लोग जोशमें आकर कहा करते हैं कि ब्रिटिश सरकारपरसे हमारा विश्वास सदाके लिए उठ गया। सुदैवसे यह सिर्फ जोशकी भाषा होती है। परंतु, यदि यह सच होता, तो किसी भी शांतिमय आंदोलनका अर्थ निराशाका कर्म-योग ही होता। स्वालंबनकी दृष्टिसे यह कहना ठीक है कि हमें सरकारके भरोसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन यदि इसका यह अर्थ हो कि हमें यह निश्चय हो गया है कि अंग्रेजोंके हृदय नहीं है, उनकी कभी उन्नति ही नहीं हो सकती, तब तो निःशस्त्र आंदोलन केवल एक लाचारीका चारा हो जाता है। क्या सत्याग्रहका और क्या शिक्षणका मुख्य

आधार ही यह मूलभूत कल्पना है कि प्रत्येक मनुष्यके आत्मा है। जिस प्रकार शत्रुके आत्मा नहीं है, यह सिद्ध होते ही सत्याग्रह बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य स्वभावतः दुष्ट है, यह सावित होते ही शिक्षणकी प्रायः सारी आशा ही नष्ट हो जाती है। फिर तो 'छड़ीपड़े छम-छम, विद्या आवे भ्रम-भ्रम' शिक्षाका एकमात्र सूत्र होगा। इसलिए विद्वान् तत्त्वज्ञों और शिक्षण-वेत्ताओंने भी यह शास्त्रीय सिद्धांत मान लिया है कि मनुष्यके मनमें पूर्णताके सारे तत्त्व बीज-रूपमें स्वतः-सिद्ध हैं।

यह शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार करनेपर जिस प्रकार आजकी जिद्दी शिक्षा-पद्धति गलत सावित होती है, उसी प्रकार शिक्षाका कार्य नागरिक बनाना है; इस चालके आत्म-संभावित तत्त्व भी निराधार सिद्ध होते हैं। हम कुछ-न-कुछ शिक्षण देते हैं, लड़कोंके दिलोंपर किसी-न-किसी बातका असर होता है और उस परिणामका तथा हमारे शिक्षणका समीकरण करके 'अस्माकमेवायं विजयः, अस्माकमेवायं महिमा' ऐसा कहकर हम नाचने लगते हैं। यह मानवीय मूर्खताकी महिमा है। ऊपर कहा जा चुका है कि शिक्षणकी रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थीको यह मालूम भी न पड़े कि वह शिक्षण ले रहा है। लेकिन इसके लिए साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षकके दिलमें ऐसी धुंधली और मंद भावना भी न हो कि वह विद्यार्थियोंको शिक्षण दे रहा है। जबतक गुरु अनन्य और सहज-शिक्षक नहीं होगा, तबतक विद्यार्थियोंको सहज-शिक्षण मिलना असंभव है। जब कहा जाता है कि 'हम तो फ़ोवेल, पैस्टलॉजी या मॉटेसरीकी पद्धतिसे शिक्षण देते हैं', तब साफ समझ लेना चाहिए कि यह केवल वाचिक श्रम है, यह शब्द-शिक्षण है, यह किसी पद्धतिकी अर्थ-शून्य नकल है, यह शव है; इसमें जान नहीं है। शिक्षण कोई बीजगणितका सूत्र (फॉर्मूला) थोड़े ही हैं कि सूत्र लगाते ही फौरन उत्तर आ जाय। जो दिया जाता है, वह शिक्षण ही नहीं है और न शिक्षणदेनेकी पद्धति, पद्धति है। जो अन्दर है वह सहज भावसे प्रकट होता है—इस तरहसे जो प्रकट होता है, वही शिक्षण है। यही सहज-शिक्षण—'सदोपमपि'—सदोष भले ही हो, तो भी, अच्छा है।

परंतु किसी विशिष्ट पद्धतिके गुलामोंके द्वारा प्राप्त होने वाला व्यवस्थित अज्ञान हमें नहीं चाहिए।

आखिर शास्त्र क्या चीज है ? 'शास्त्र' बराबर है 'व्यवस्थित अज्ञानके'। इसके सिवा इन शास्त्रोंका कोई अर्थ भी है। शिक्षण-शास्त्रवेत्ता स्पेंसर शिक्षण-शास्त्रपर लिखते हुए कहता है कि शिक्षण अलौकिक व्यक्ति बनते नहीं हैं। ऐसे शास्त्रोंकी शास्त्र-दृष्टिसे क्या कीमत हो सकती है ! 'एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत' जैसी शास्त्रकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जो शास्त्र ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, वह शास्त्र लोगोंकी आँखोंमें धूल भोंकनेका व्यवस्थित प्रयास मात्र है। शेक्सपीयरने कौन-से नाट्य-शास्त्रका अध्ययन किया था ? अलंकार-शास्त्रके नियम रटकर क्या कभी कोई प्रतिभावान कवि—या काव्य-रसिक भी—बना है ? शास्त्र-पद्धति, इन शब्दोंका शब्द-सृष्टिसे बाहर कुछ अर्थ ही नहीं होता। यह महज भ्रम है। 'यास्तेषां स्वैर कथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि'—'महापुरुषोंकी स्वैर-कथाएं ही शास्त्र हैं'—भर्तृहरिका यह एक मार्मिक वचन है। यहाँपर भी वही लागू होता है। 'जो किसी भी पद्धतिके विना सुव्यवस्थित होता है, जिसे कोई भी गुरु दे नहीं सकता, परंतु जो दिया जाता है'—ऐसा है शिक्षणका अनिर्वचनीय स्वरूप। इसलिए दिव्यदृष्टिवाले महात्माओंने कहा कि शिक्षण कैसे दिया जाता है, हम नहीं जानते। 'न विजानीमः' (केनोपनिपत्)। शिक्षण-पद्धति, पाठ्यक्रम, समय-पत्रक, ये सब अर्थ-शून्य हैं। इनमें सिवा आत्म-वंचनाके और कुछ नहीं धरा है। जीनेकी क्रियामेंसे ही शिक्षण मिलना चाहिए। शिक्षण जब जीनेकी क्रियासे भिन्न एक स्वतंत्र क्रिया बनती है, उस वक्त शरीरमें विजातीय द्रव्य घुसनेसे जैसा परिणाम होता है, वैसा ही जहरीला और रोगोत्पादक परिणाम हमारे मनपर होता है। कर्मकी कसरतके विना ज्ञानकी भूख नहीं लगती। और वैसी हालतमें जो ज्ञान विजातीय द्रव्यके रूपमें अंदर घुसता है, उसे हजम करने की ताकत पचने-द्रियोंमें नहीं होती। सिर्फ भेजेमें किताबें ठूस देनेसे अगर मनुष्य ज्ञानी बन जाता, तो पुस्तकालयकी आलमारियाँ ज्ञानी मानी जातीं। लालचसे

खाये हुए ज्ञानका अपचन होता है और वौद्धिक पेचिश हो जाती है। और अंतमें मनुष्यकी नैतिक मृत्यु होती है।

जो नियम विद्यार्थियोंके शिक्षणपर लागू है, वही लोक-शिक्षण या लोक-संग्रहपर भी घटित होता है। महापुरुषोंकी दृष्टिसे सारा समाज एक बहुत बड़ा शिशु है। “भीष्माचार्य आमरण ब्रह्मचारी रहे। किंतु विना पुत्रके तो सद्गति नहीं होती, ऐसा सुनते हैं। तब भीष्माचार्यको सद्गति कैसे मिली होगी ?” ऐसी वेदूदी शंका पेश होनेपर उसका समाधान इस प्रकार किया गया कि भीष्माचार्य सारे समाजके लिए पिताके समान होनेके कारण हम सब उनके पुत्र ही हैं। इसलिए लोक-संग्रहका प्रश्न महापुरुषोंकी दृष्टिसे बालकोंके शिक्षणका ही प्रश्न है। परंतु शिक्षणके प्रश्नकी तरह लोक-संग्रहका भी नाहक हौवा बनाकर ज्ञानी पुरुषकी यह एक भारी जिम्मेवारी है, ऐसा कहनेका रिवाज चल पड़ा है। लोक-संग्रह किसी व्यक्तिके लिए रुका नहीं है। लोक-संग्रह मुझपर निर्भर है, ऐसा मानना गोया टिटहरीका यह मानकर कि मेरे आधारपर आकाश स्थित है, खदको उलटा टांग लेनेके बराबर है। ‘कर्ताहम्’ ‘मैं कर्ता हूँ’, यह अज्ञानका लक्षण है, ज्ञानका नहीं। यहाँतक कि जहाँ ‘कर्ताहम्’ यह भावना जाग्रत है, वहाँ यथार्थ कर्तृत्व ही नहीं रह सकेगा। शिक्षण जिस प्रकार अभावात्मक या प्रतिबंध—निवारणात्मक कार्य है, उसी प्रकार लोक-संग्रह भी है। इसीलिए श्रीमच्छंकराचार्यने ‘लोकस्य उन्माग-प्रवृत्ति-निवारणं लोक-संग्रहः’ ऐसा लोक-संग्रहका निवर्तक स्वरूप दिखलाया है।

जिस प्रकार सच्चा शिक्षक शिक्षा नहीं देता, उससे शिक्षण मिलता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक-संग्रह करेगा नहीं, उसके द्वारा लोक-संग्रह होगा। सूर्य प्रकाश देता नहीं है, उससे स्वाभाविकरूपसे प्रकाश मिलता है। इसी अभावात्मक कर्मयोगको गीताने सहजकर्म कहा है और मनुने इसी सहजकर्मको ‘निवृत्तकर्म’ यह सुंदर संज्ञा दी है। ‘निवृत्त-शिक्षण’ यह संज्ञा भी उसी ढंगपर गढ़ी गई है। जो ऐसा निवृत्त-शिक्षण देते हैं, वे आचार्य ही समाज के गुरु हैं। वे ही समाजके पिता हैं। दूसरे ‘भाड़ेके गुरु’



गुरु नहीं और 'जन्म-हेतु-पिता' पिता नहीं है। ऐसे गुरुओंके चरणोंके निकट बैठकर जिन्होंने शिक्षा पाई है, वे ही मातृमान, पितृमान, आचार्यवान कहलानेके गौरवके पात्र हैं। अन्य सब अनाथ बालक हैं। सब अशिक्षित हैं। ऐसा उदार शिक्षण कितनोंके भाग्यमें लिखा होता है?

'महाराष्ट्र धर्म' जनवरी, १९२३

: ४ :

### चार पुरुषार्थ

मनुष्यके अंतःकरणकी सूक्ष्म भावनाओंकी दृष्टिसे समाज-रचनाका गहरा अध्ययन करके हमारे ऋषियोंने अनेक सुंदर कल्पनाओंका आविष्कार किया है। 'अनंतं वै मनः। अनंता विश्वदेवाः'—मनकी अनंत वृत्तियाँ होनेके कारण विश्वमें भी अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इन अनंत मानसिक वृत्तियों और सामाजिक शक्तियोंका संपूर्ण साक्षात्कार करके ऋषियोंने धर्मकी रचना की है। स्वयं ऋषि ही कहते हैं—'ऋषिः पश्यन् अवोधत्'। योग-शास्त्रमें योगीकी 'अर्धोन्मीलित' दृष्टिका वर्णन किया गया है। इसका रहस्य है—विश्वमें ओतप्रोत शक्तियोंके अवलोकन तथा निरीक्षणके लिए आधी दृष्टि खुली रहे और अपने हृदयमें सन्निहित वृत्तियोंके परीक्षणके लिए आधी दृष्टि भीतरकी तरफ मुड़ी रहे। कालके कराल जवड़ेमें पिसनेवाले दीन जनोंके प्रति करुणासे आधी दृष्टि खुली हुई और अंतर्दामी परमेश्वरके प्रेम-रसके पानसे मतवाली होनेके कारण आधी दृष्टि मुंदी हुई। योगी ऋषियोंकी इस अर्धोन्मीलित दृष्टिने अंतर्वाह्य सारी सृष्टिके दर्शन कर लिए थे। इसीसे हिंदू-धर्म अनेक आश्चर्यकारक कल्पनाओं का भंडार बन गया है। अर्जुनके अक्षय तरकसमें वाणोंकी कमी होती ही न थी। उसी तरह हिंदूधर्म-रूपी महासागरमें छिपे हुए रत्न कभी खतम ही नहीं हो सकते। ऋषियोंकी इन मनोहर कल्पनाओंमें चतुर्विध पुरुषार्थकी कल्पना भी एक ऐसा ही रमणीक रत्न है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ बतलाये गए हैं। इनमेंसे मोक्ष और काम दो परस्पर-विरोधी सिरीं पर स्थित हैं प्रकृति और पुरुष या शरीर और आत्मामें अनादि कालसे संघर्ष चला आ रहा है। वेदोंमें जो वृत्र और इंद्रके युद्धका वर्णन है वह इसी सनातन युद्धका वर्णन है। 'वृत्र' का अर्थ है ज्ञानको ढक देनेवाली शक्ति। 'इंद्र' संज्ञा परोक्ष संकेतकी द्योतक है और उस अर्थको सूचित करनेके ही लिए खासकर गढ़ी गई है। 'इदम्'—'द्र' या 'विश्वद्रष्टा' 'इंद्र' शब्दका प्रत्यक्ष अर्थ है। यह है उसका स्पष्टीकरण। ज्ञानको ढांकनेकी कोशिश करनेवाली और ज्ञानका दर्शन करनेकी चेष्टा करनेवाली, इन दो शक्तियोंका अर्थ क्रमशः जड़, शरीरात्मक, भौतिक शक्ति और चेतन, ज्ञानमय, आत्मिक शक्ति है। इन दोनोंमें सदा संघर्ष होता रहता है और मनुष्यका जीवन इस संघर्षमें फंसा हुआ है। ये दोनों परस्पर-विरोधी तत्त्व एक ही व्यक्तिमें काम करते हैं, इसलिए मनुष्यका हृदय इनके युद्धका 'धर्मक्षेत्र कुक्षेत्र' हो गया है। आत्माको मोक्ष-पुरुषार्थकी अभिलाषा होती है, शरीरको काम-पुरुषार्थ प्रिय है। दोनों एक-दूसरेका नाश करनेकी ताकमें हैं।

मोक्ष कहता है, "काम आत्माकी जान लेनेपर तुला हुआ उसका कट्टर वैरी है। उसे मार डालो—निष्काम बनो। यह बड़ा मायावी और स्नेही मालूम होता है। लेकिन इसके प्रेमके स्वांगपर मोहित होकर धोखा न खाना। यह जितना कोमल दीखता है उतना ही क्रूर है। इसके दिखानेके दांत प्रेममय हैं, पर खानेके दांत क्रोधसे भरे हुए। ऊपर-ऊपरसे यह चैतन्यरससे परिपूर्ण बालकोंको जन्म देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह वास्तविक नहीं है। "यह बूढ़ी महतारी अवतक भरती क्यों नहीं" इसीकी इसे हमेशा फिक्र रहती है। याद रहे कि लड़केको जन्म देनेका अर्थ है पिताकी मृत्युकी तैयारी करना। अगर आपकी यह इच्छा होती कि आपके बाप-दादा, आपके पुरखा, जीवित रहें, तो क्या आप लड़के और नाती-पोते पैदा करते? क्या आपको पता नहीं कि इतने आदमियोंका प्रचंड 'लोकसंग्रह' या मनुष्यों का ढेर पृथ्वी संभाल नहीं सकती? आप इतना भी नहीं जानते? "मां तो

मरने ही वाली है, वह हमारे बशकी बात नहीं,” यह कह देनेसे काम नहीं चलेगा। हम यह नहीं भुला सकते कि माताकी मृत्युकी अवश्यभाविता स्वीकार करके ही पुत्रका उत्पादन किया जाता है। इसीलिए तो जन्मका भी 'सूतक' (जननाशौच) रखना पड़ता है। चैतन्यरससे भरे बालकको उत्पन्न करनेका श्रेय अगर आपको देना हो, तो उसी रससे ओतप्रोत माताको मार डालनेका पातक भी उसीके मत्ये होगा। उत्पत्ति और संहार, काम और क्रोध, एक ही छड़ीके दो सिरे हैं। 'काम' कहते ही उसमें 'क्रोध' का अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए अहिंसक वृत्तिवाले सत्पुरुष संहार-क्रियाकी तरह उत्पत्तिकी क्रियामें भी हाथ नहीं बटाते। सच तो यह है कि बालकका चैतन्यरस कामका पैदा किया हुआ होता ही नहीं। जिस गंदे अंगरेजसे मलिन होनेमें मां-बाप अपने-आपको धन्य मानते हैं वह रजोरस इसका पैदा किया हुआ होता है। कारण, इसका अपना जन्म ही रजोगुणकी धूल (रज) से हुआ है। आप अगर इसके मनोरथ दूरे करनेके फेरमें पड़ेंगे तो यह कभी अघायेगा ही नहीं, इतना बड़ा पेटू है। जिस-जिसने इसे तृप्त करनेका प्रयोग किया वे सभी असफल हुए। उन सबको यही अनुभव हुआ कि कामकी तृप्ति कामोपभोग द्वारा करनेका यत्न स्वयं क्षत्रिय बनकर पृथ्वीको निःक्षत्र करनेके प्रयासकी तरह व्याघातात्मक या असंगत है। इसे चाहे जितना भोग लगाइए, सब आगमें घी डालने-जैसा ही होता है। इसकी भूख बढ़ती ही जाती है। अन्नदाता ही इसका सबसे प्यारा खाद्य है और उसे खानेमें इसे निःसंदेह भस्मासुरसे भी बढ़कर सफलता मिलती है। इसलिए इस कामासुर को वरदान देनेकी गलती न कीजिए।

इसकी ठीक उलटी बात काम कहता है। वह भी उतनी ही गंभीरतासे कहता है—“मोक्षके चक्रमें आओगे तो नाहक अपना काल-मोक्ष (कपाल-क्रिया) करा लोगे। याद रखो, वेदांतकी ही वदीलत हिंदुस्तान चौपट हुआ है। यह तुम्हें स्वर्गसुख और आत्म-साक्षात्कारकी मीठी-मीठी बातें सुनाकर भुलावेमें डालेगा। लेकिन यह इसकी खालिस दगावाजी है। ऐसे काल्पनिक कल्याणके पीछे पड़कर ऐहिक सुखको जलांजलि देना बुद्धिमानीकी बात नहीं

है। 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंकी चर्चा यदि कोई घड़ीभर मनोविनोदके लिए भोजनके अनंतर नींद आनेसे पहले या नींद आनेके लिए करे तो उसकी वह क्रीड़ा क्षम्य मानी जा सकती है। परंतु, यदि कोई खालीपेट यह चर्चा करनेका हाँसला करेगा, तो वह याद रखे कि उसे व्यावहारिक तत्त्वमसि (पैसे) की ही शरण लेनी होगी। चांदनी विलकुल आटे-जैसी सफेद भले ही हो, परन्तु उसकी रोटियां नहीं बनती। और तो कुछ नहीं; मोक्षकी चिंताकी वदौलत जीवनका आनंद खो बैठोगे। इस विश्वके विविध विषयों का आस्वाद लेनेके लिए तुम्हें इन्द्रियां दी गई हैं। लेकिन यदि तुम 'जगन्मिथ्या' मानकर इन्द्रियोंको मारनेका उद्योग करते रहोगे तो आत्मवंचना करोगे और आखिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। पहले तो जो आंखोंको साफ-साफ नजर आता है उस संसारको मिथ्या मानो और फिर जिसके अस्तित्व के विषयमें बड़े-बड़े दार्शनिकभी संशक हैं, वैसी 'आत्मा' नामक किसी वस्तुकी कल्पना करो, इसका क्या अर्थ है? वेदोंने भी कहा है, 'कामसुदग्रे समवर्तत'—सृष्टिकी उत्पत्ति काम से हुई। और इसका अनुभव तो सभीको है। यदि दर-सल ईश्वर जैसी कोई वस्तु हो तो भी कल यदि सभी लोग निष्काम होकर ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे, तो जिस सृष्टिको उत्सन्न होनेसे वचानेके लिए यही परमेश्वर समय-समयपर अवतार धारण करता है उसका पूरा-पूरा विध्वंस हुए विना न रहेगा। 'मोक्ष' के माने अगर आत्यंतिक सुख हो तो सरल भाषामें उसका अर्थ चिरंतन कामोपभोग ही हो सकता है।"

यह है कामकी दलील।

संपूर्ण त्याग और संपूर्ण भोग, ये परस्पर-विरोधी दो ध्रुव हैं। एक कहता है शरीर मिथ्या है, दूसरा कहता है आत्मा भूठी है। दोनोंको एक-दूसरेकी परवाह नहीं, दोनों पूरे स्वार्थी हैं। लेकिन आत्मा और शरीर दोनोंका मिलन मनुष्यमें हुआ है। इसलिए इस तरह दोनों पक्षमें अपने ही सगे-संबंधी देखकर अर्जुनके लिए आत्मनिर्णय करना असंभव हो गया। उसी तरह कर्म-योगके धर्मक्षेत्रमें अपने स्नेही-संबंधियोंको दोनों विपक्षों से संलग्न देखकर

मनुष्यके लिए किसी भी एक पक्षके अनुकूल स्थायी और निश्चित निर्णय देना कठिन हो जाता है। मनकी द्विधा स्थिति हो जाती है और एक मन शरीरका पक्ष लेता है, दूसरा आत्माकी हिमायत करता है। मनुष्यका जीवन अ-शरीर आत्मा और आत्महीनशरीरकी संधिपर आश्रित है, इसलिए उसे शुद्ध आत्मवाद या मोक्ष-पूजा पचती नहीं, और शुद्ध जड़वाद या कामोपासना रुचती नहीं। इन दोनों मंत्रोंमें अद्वैत कायम करना, या उनका सामंजस्य करना बड़े कौशलका काम है। यह कर्म करनेकी चतुराई या 'कौशल' ही जीवनका रहस्य है।

यदि देहासक्त या नीचेवाले मनको 'मन' और आत्म-प्रवण या ऊपर वाले मनको 'बुद्धि' नाम दिया जाय, तो 'मन' और 'बुद्धि' में एकता करके व्यवहार करना चाहिए। 'त्वयाऽधर्म—मायाऽधर्म' यह गणितकी समता यहाँ किसी कामकी नहीं। "घरमें चार रोटियां हैं और दो लड़के हैं, तो हरेकको कितनी रोटियां दी जाय?" ऐसी त्रैशिक की समता अगर माताएं सीखने लगे तो बड़ा अंधेर हो जाय। एक लड़का दो सालका है और दूसरा पच्चीस वर्षका। पहला अतिसारसे मरेगा और दूसरा भूखसे ऐसे हिंसावी न्यायका अवलंबन करके आधा शरीरका संतोष आधा आत्माका संतोष करनेकी कोशिशसे यह मसला हल नहीं होगा। समताका अर्थ है योग्यताके अनुसार कीमत आंकना। गणित शास्त्र में अनंतके आगे चाहे जितनी बड़ी सान्त संख्या ली जाय तो भी उसकी कीमत अनंतके मुकाबिलेमें शून्य समझी जाती है उसी तरह शरीरकी योग्यता कितनी ही बढ़ाई जाय, तो भी आत्माकी अनंत महिमाके मुकाबिलेमें वह शून्यवत् हो जाती है। इसलिए निष्पक्ष समताको आत्माके ही पक्षका समर्थन करना चाहिए।

यह हुआ एक पक्ष। इस पक्षकी दृष्टिमें शुद्ध आत्मपक्ष या आत्मवाद इष्ट है, परन्तु जबतक देह का बंधन है तबतक वह शक्य नहीं प्रतीत होता। पर 'संसार छोड़कर परामार्थ कलने से खाने को अन्न भी नहीं मिलता', यही कथन बहुतेरे लोगोंके दिमागमें—या यों कह लीजिए कि पेटमें—तुरत घुस जाता है। 'उदरनिमित्तम' सारा ढकोसला होनेसे सभी चाहते

हैं कि गुड़-खोपड़ेके नैवेद्यसे ही भगवान् संतुष्ट हो जाय। नामदेवका दिया हुआ नैवेद्य भगवान् खाने नहीं थे, इसलिये वह वहीं धरना देकर बैठ गये। लेकिन इनका दिया हुआ गुड़-खोपड़ा यदि भगवान् सचमुच खाने लगे, तो भगवान् को एकादशी व्रत रखानेके लिए यह नई मंडली सत्याग्रह किये बिना न रहेगी ! ये आत्माको थोड़े-से संतुष्ट करना चाहते हैं। कारण कि अगर आत्माको विलकुल ही संतोष न दिया जाय और केवल देहपूजाके धर्मका ही अनुसरण किया जाय तो उस देहपूजाके समर्थनके लिए नास्तिक तत्त्वज्ञानका पारायण करनेपर भी अंतरात्माका दंश वंद नहीं होता। इसलिए दोनों पक्षोंकी दृष्टिमें समझीता वांछनीय है। यह समझीता कराने का भार धर्म और अर्थने लिया है।

जब दो आदमी मार-पीट करके एक-दूसरेका सिर फोड़नेपर आमादा हो जाते हैं तब उनका टंटा मिटानेके लिए दोनों पक्षके लोग बीच-बचाव करने लगते हैं। उसी प्रकार आत्मवादी मोक्ष और देहवादी कामका झगड़ा मिटाने के लिये मोक्षकी तरफसे धर्म और कामकी तरफसे अर्थ ये दो पुरुषार्थ उपस्थित हुए हैं। अब, ये—कम-से-कम दिखानेको तो—समझीता करानेके लिए बीच-बचाव करते हैं, इसलिए निष्पक्ष वृत्ति या समझदारी के समझीते का स्वांग करना उनके लिए लाजिमी हो जाता है। अतः उनकी भाषा दोनों पक्षोंको थोड़ी-बहुत खुश करनेवाली होनी चाहिये, और होती भी है। परंतु यद्यपि इन लोगोंको तकरार मिटानेकी बात करनी पड़ती है तथापि उनके दिलमें यह उत्कट इच्छा नहीं होती कि दोनों पक्षोंमेंसे किसी पर भी मार न पड़े। वे लहू-लुहान सिर देखना नहीं चाहते, मगर सिर्फ अपने पक्षका। यदि केवल शत्रु-पक्षके ही सिर फूटते हों तो उन्हें कोई परवाह न होती। लेकिन दुःखका विषय तो यह है कि शत्रु-पक्षके साथ-साथ अपने पक्षके सिरपर भी डंडे पड़ते ही हैं। इसीलिए झगड़ा तै करानेकी इतनी उत्सुकता होती है। सारांश, धर्म और काम यद्यपि टंटा मिटानेके लिए शांति-मंत्र जपते हुए बीच-बचाव करने आये हैं, तथापि वास्तवमें धर्मके मनमें यही इच्छा होती है कि कामका सिर अच्छी तरह कुचल दिया जाय, और अर्थ

भी सोचता है कि मोक्ष मर जाय तो अच्छा हो ! किसी भी एक पक्षका नाश होनेसे भगड़ा तो खतम होगा ही ! कई वार जो काम लड़ाईसे नहीं होता, वह सुलहसे हो जाता है। योद्धाओंकी तलवारकी अपेक्षा राजनीतिज्ञोंकी कलमको कभी-कभी सफलताका अधिक हिस्सा मिलता है। 'मोक्ष' और 'काम' को अगर योद्धा मानें तो 'धर्म' और 'अर्थ' को राजनीतिज्ञ कहना चाहिए। दोनों समझौता चाहते हैं; लेकिन धर्मकी यह कोशिश होती है कि संधिकी शर्तें मोक्षानुकूल हों, और अर्थकी यह चेष्टा होती है कि वे कामानुकूल हों। प्रत्येक चाहता है कि समझौता तो हो, लेकिन अपने पक्षकी कोई हानि न हो। यहां इस समझौतेका थोड़ा-सा नमूना ही दिखाया जा सकता है। उदाहरणके लिए—

मोक्ष ब्रह्मचारी और काम व्यभिचारी है। इस प्रकार ये दो सिरे हैं। धर्म कहेगा—“हमारा आदर्श ब्रह्मचर्य ही होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। उस आदर्शके पालनका जोरसे यत्न करना चाहिए। जब काम बहुत ही भूंकने लगे तब धार्मिक विधिके अनुसार गृहस्थ-वृत्ति स्वीकार कर, उसके आगे एकाघ टुकड़ा डाल देना चाहिए। परंतु वहां भी उद्देश्य तो संयमके पालनका ही होना चाहिए और फिर तैयारी होते ही श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करके उससे छुटकारा पाना चाहिए। ब्रह्मचर्यसे संसार उत्पन्न होगा, यह पापके समर्थनमें दी जानेवाली लचर दलील है। संसारके उत्पन्न होनेकी फिर आप न करें। उसके लिए भगवान पर्याप्त हैं। ब्रह्मचर्यसे सृष्टि नष्ट नहीं होगी, बल्कि मुक्ति होगी। फिर भी संयमका पालन करनेके अभिप्रायसे गृहस्थ-वृत्ति स्वीकार करनेमें आपत्ति नहीं है। इसमें कामका भी थोड़ा-बहुत काम निकल जायगा। लेकिन इससे कब छुटकारा पाऊंगा, इसकी चिंता और चिंतन लगातार करते रहना चाहिए। इससे मोक्षकी भी पूर्व-तैयारी हो जायगी।

अर्थ कहेगा—“अगर व्यभिचारको स्वीकृति दी जाय तो संसारकी व्यवस्थाका अंत हो जायगा। इसलिए वह न इष्ट है न संभव। परंतु, ब्रह्मचर्य का नियम तो एकदम निसर्ग-विरोधी है। वह अशक्य ही नहीं, अनिष्ट भी

है। तब, वीचका गृहस्थ-वृत्तिका ही राजमार्ग श्रेय रहता है। इसमें थोड़ा-सा संयमका कष्ट जरूर है, लेकिन वह अपरिहार्य है। बुढ़ापेमें इंद्रियां जर्जरित हो जानेपर अनायास ही त्याग हो जाता है। इसलिए यह त्यागकी शर्त अपरिहार्य होनेके कारण उसे मंजूर कर लेना चाहिए। इससे मोक्षको भी जरा तसल्ली होगी। लेकिन विवाहका बंधन अभेद्य माननेका कोई कारण नहीं है। विवाह हमारे सुखके लिए होते हैं; हम विवाहके लिए नहीं हैं। इसलिए हम विवाहके धर्मका स्वीकार नहीं करते, लेकिन विवाहकी नीति का स्वीकार कर सकते हैं।”

मोक्षकी दृष्टिमें अहिंसा परम धर्म है। पतंजलिने कहा है कि यह ‘जाति-देश-काल-समय’ आदि सारे बंधनोंसे परे ‘सार्वभौम महाव्रत’ है। इसके विपरीत कामका सिद्धांत-वाक्य ‘ईश्वरोऽहमहं भोगी’ है। इसलिए उसका तो बिना हिंसाके निर्वाह ही नहीं हो सकता, क्योंकि साम्राज्यवादकी वृकोदर-वृत्तिकी इमारत हिंसाके ही पायेपर रची जा सकती है।

ऐसी स्थितिमें धर्म कहेगा—“कम-से-कम मानसिक हिंसा तो किसी हालतमें नहीं होने देनी चाहिए। शरीर-धर्मके रूप में कुछ-न-कुछ हिंसा अनजाने भी हो ही जाती है। उसे भी कम करनेकी कोशिश करनी चाहिए। परंतु प्रयत्न करनेपर भी कमजोरीके कारण जो हिंसा वाकी रह जायगी उतनी क्षम्य समझी जाय। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उतनी हिंसा करनेका हमें अधिकार है। किंतु उतनी के लिए हम परमेश्वरसे नम्रतापूर्वक क्षमा मांगें और अपनी बुद्धि शुद्ध रखें। अगर क्षमा-वृत्ति असंभव ही हो, तो ‘सी अपराध माफ करूँगा’, जैसा कोई व्रत लेकर हिंसाको आगे टाल देना चाहिए। इतना करनेपर भी हम अपनी वृत्तिको काबूमें न रख सकें, हमारे अंतःकरणमें छिपा हुआ पशु अगर जाग हूँ उठे तो हम अपनेसे अधिक बलवान् व्यक्तिसे लोहा लें, कम-से-कम अपनेसे कम बलवान् को तो क्षमा करें। यह भी नामुमकिन हो तो अपने वचावके लिए हिंसा करें, हमला करनेके लिए नहीं। उसमें भी फिर हिंसाके साधन जहाँतक हो सके सीधे-सादे और सुधरे हों। केवल शरीरसे ही द्वंद्व-युद्ध करें, हथियार काममें न लावें।



सारांश, चाहे धर्ममें हिंसाका स्थान भले ही न हो, लेकिन हिंसामें धर्मका स्थान अवश्य होना चाहिए।”

अर्थ कहेगा—“हिंसाके विना संसारका चलना ही असंभव है। ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ सृष्टिका न्याय है। हमें उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन हिंसाकरना भी एक कला है। उस कलामें निपुणता प्राप्त किए बिना किसीको भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मुसलमानोंके राजमें जितनी गायोंकी हत्या होती थी उससे कई गुनी गायें अंग्रेजोंके राजमें कत्ल की जाती हैं, यह बात सरकारी आंकड़ोंसे साफ जाहिर है। लेकिन मुसलमान हिंसाकी कलाके पंडित नहीं थे इसलिए उनके खिलाफ इतना हो-हल्ला मचा, अंग्रेजोंसे किसीको खास चिढ़ नहीं होती। इसका कारण है हिंसाकी कला। इन्फ्लुएंजाके तीस करोड़ आदमियोंमेंसे थोड़े ही समयमें साठ लाख आदमियोंको खाकर अपने-आपको बदनाम कर लिया। वस्तुतः मलेरिया उससे अधिक आदमियोंका कलेवा कर लेता है। लेकिन धीरे-धीरे चवा-चवाकर खानेका आहार-शास्त्रका नियम उसे मालूम है, इसलिए वह बड़ा साह ठहरा। नये चिकित्सा-विज्ञानका एक नियम है कि शीतोपचार और उष्णोपचार एकके बाद एक बारी-बारीसे करते रहना चाहिए। वही नियम हिंसापर भी लागू होता है। जबतक युद्धके पश्चात् शांति-परिषद् और शांति-परिषद्के बाद फिर युद्ध, यह क्रम भलीभाँति जारी न किया जा सके तबतक हिंसा नहीं करनी चाहिए। चूनेपर ईंटे और ईंटोंपर चूना रख-रखकर दीवार बनाई जाती है, और फिर उसपर चूना पोता जाता है। उसी प्रकार शांतिके बाद युद्ध और युद्धके बाद शांतिके क्रमसे साम्राज्य कायम करके उस साम्राज्यपर फिर शांतिका चूना पोतना चाहिए। इसके बदले अगर केवल ईंटोंपर ईंटें ही जमाई जायं तो सारी ईंटें लुढ़ककर गिर जाती हैं। इसलिए दो हिंसाओंके बीच एक अहिंसाको स्थान अवश्य देना चाहिए। इतना समझौता कर लेनेमें कोई हर्ज नहीं।”

‘अर्थमनर्थम् भावय नित्यम्’ यह भोक्षका सूत्र-वाक्य है। इसके विपरीत जहाँ कामोपभोग ही महामंत्र है वहाँ अर्थ-संचयका अनुष्ठान स्वाभाविक ही

है। धर्मके मतसे 'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः'—मनुष्यकी तृप्ति अर्थसंचयसे कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अर्थसंग्रह करना ही हो तो उसकी मर्यादा बना लेनी चाहिए। सृष्टिका स्वरूप 'अश्वत्थ' है। अर्थात् कलके लिए संचय उसके पास नहीं है। इसलिए मनुष्यको भी 'अश्वत्थ-संग्रह' रखना चाहिए। 'स एवाद्य स उश्वः'—“वह आज भी है और कल भी है”, यह वर्णन ज्ञान संग्रहपर घटित होता है। इसलिए एक आदमी चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न कमाये, उसके कारण दूसरेका ज्ञान नहीं घट सकता। परंतु द्रव्य-संग्रह की यह बात नहीं है। मैं अगर पच्चीस दिनोंके लिए आजही संग्रह करके रखता हूँ तो मेरा व्यवहार चौबीस मनुष्योंका आजका संग्रह चुराने के बराबर है और इतने मनुष्योंको कम या अधिक मात्रामें भूखों मारनेका पाप मेरे सिर है। इसके अलावा, सृष्टिमें अधिक संग्रह ही न होनेके कारण इतना संग्रह करनेके लिए मुझे कुटिल मार्गका अलवम्बन करना पड़ता है। एक वारगो संग्रह करनेमें मेरी शक्तिपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है इसलिए मेरी वीर्य-हानि होती ही रहती है। इसके अतिरिक्त, इनना परिग्रह सुरक्षित रखनेकी चिन्ताके कारण मेरा चित्त भी प्रसन्न नहीं रह सकता। अर्थसंग्रहकी एक ही क्रियामें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँचों व्रतोंका सामुदायिक भंग होता है।

इसलिए कम-से-कम, यानी केवल शरीर-निर्वाहके लिए ही, संग्रह करना चाहिए। वह भी— 'अंगानां मर्दनं कृत्वा श्रमसंजातवारिणा'—“शरीर-श्रम द्वारा शरीरमेंसे पानो निकालकर”—करना चाहिए। केवल शरीर-कर्मसे शरीर-यात्रा चलानेसे पाप लगनेका डर नहीं होता— 'नाप्नोति कित्विषम्' यह भगवान् श्रीकृष्णका आश्वासन है। परंतु, जैसा कि कालिदासने रघुवंशके राजाओंका वर्णन करते हुए कहा है, उसमें भी त्यागकी वृत्ति होनी चाहिए। कारण, केवल तुम्हारा धन ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा निजका नहीं है; किंतु सार्वजनिक है, ईश्वरका है। सारांश, संग्रहका परिणाम अश्वत्थ या तात्कालिक, साधन शारीरिक श्रम,

हेतु केवल शरीर-यात्रा और वृत्ति त्यागकी हो, तो इतना भोग धर्मको मंजूर है। 'तेन त्यक्तेन भुंजीथाः'।

अर्थ की राय में—

“संसारमें जीवन-कलह चिरस्थायी है। जो योग्य होगा वह टिकेगा; जो अयोग्य होगा उसका नाश होगा। इसलिए सबका सुभीता देखनेका प्रयास व्यर्थ है। इसके अलावा, विश्वका विस्तार अनंत है। उसका एक जरा-सा ही हिस्सा हमारे काबूमें आ पाया है। भौतिक शास्त्रों (विज्ञान) की ज्यों-ज्यों उन्नति होगी त्यों-त्यों हमारा प्रभुत्व भी अधिक विस्तृत होनेकी संभावना है। इसलिए अगर हम सबकी सुविधा देखनेकी अनावश्यक जिम्मेदारी स्वीकार कर भी लें, तो भी उसे पूरी करनेका एकमात्र उपाय हमारा अपना संग्रह कम करना नहीं है। सबके सामुदायिक संग्रहकी वृद्धि करनेका एक दूसरा रास्ताभी हमारे लिए अभी खुला है। और वही पौरुष का रास्ता है। सृष्टिमें अक्षय भण्डार भरा हुआ है। पर हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक आविष्कारोंकी दिशामें प्रयत्न जारी रखकर भविष्यके लिए संग्रह करनेमें कोई हर्ज नहीं है—बल्कि, संग्रह करना कर्तव्य है। मनुष्यकी जरूरतें जितनी बढ़ेंगी उतना ही व्यापारको उत्तेजन मिलेगा और संपत्ति बढ़ेगी। इसलिए संग्रह अवश्य करना चाहिए।

“लेकिन विलकुल ही एकांतिक स्वार्थ ठीक नहीं होगा। कारण कि मनुष्य समाजवद्ध है इसलिए उसे दूसरोंके स्वार्थका भी विचार करना ही पड़ता है। संसारकी रोटीको स्वादिष्ट बनानेके लिए स्वार्थके आटेमें थोड़ा-सा परार्थका नमक भी मिलाना जरूरी हो जाता है। लेकिन याद रहे कि आटेमें नमक मिलाना है, न कि नमकमें 'आटा'। स्वार्थके गालपर परार्थका तिल वना देनेसे शोभा बढ़ जाती है। लेकिन तिलके बराबर विंदी लगाना एक बात है और सारे गालमें काजल पोत लेना दूसरी बात है। परार्थके सिद्धांतको अगर अनावश्यक महत्त्व दिया जायगा तो परावलंबनको प्रोत्साहन मिलेगा। स्वार्थ स्वावलंबनका तत्त्व है। स्वार्थमय जीवन-संग्राममें जो दुर्बल ठहरेंगे

उन्हें मरना ही चाहिए। और दुर्बलोंको मारनेमें अगर हम कारणीभूत हों, तो वह दूषण नहीं है किंतु भूषण ही है।

“एक दृष्टिसे तो दान करना दूसरोंका अपमान करना है। प्याऊ खोलनेमें पुण्य माना जाता है, लेकिन स्वयं धर्म-शास्त्रोंने ही कहा है कि प्याऊपर पानी पीनेवाला पापका भागी होता है। इसका क्या मतलब है? क्या प्याऊ इसलिए होती है कि लोग उसका पानी ही न पियें? दूसरोंको पानी पिलानेसे उन्हें हमारे पापका अंश मिलेगा और हमारा पाप कुछ अंशमें घटेगा, इस विचारमें कहां तक उदारता है? और फिर यह देखिए कि मैं लोगोंकी चिंता करूँ और लोग मेरी चिंता करें, इस तरहका द्राविड़ी प्राणायाम करनेके बदले क्या यही श्रेयस्कर नहीं है कि हर एक अपनी-अपनी फिक्र करे? शहरोंमें फूहड़ स्त्रियां अपने बच्चोंको रास्तेपर शीच कराती हैं। लेकिन मजा यह कि अपने घरकी अगल-बगलमें गंदगी न हो, इसलिए अपने बच्चोंको दूसरोंके घरोंके सामने बैठाती हैं। और दूसरे भी प्रतियोगी-सहयोगके सिद्धांतके अनुसार उसके घरके सामने बैठाते हैं! इसके बदले सीधे अपने बच्चेको अपने घरके सामने बैठाये तो क्या हर्ज है? यह परार्थका तत्त्व भी इसी कोटिका है। इसलिए मनुष्यताका अपमान करनेवाली यह परार्थ-वृत्ति त्यागकर हर एक को स्वार्थ-साधना करते रहना चाहिए। दूसरेकी बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। सहानुभूतिके सुखके लिए या दूरदर्शी स्वार्थकी दृष्टिसे, तात्कालिक सुखका त्याग बचिचत् करना पड़ता है। उतना समझौता जरूर कर लेना चाहिए।”

काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकके दरवाजे माने हैं। इसलिए मोक्षका मुख्य आक्रमण इन्हींपर होना स्वाभाविक है। इसलिए इन तीनोंके विषयमें, समझौतेकी दृष्टिसे, धर्म और अर्थका क्या रुख हो सकता है, इसका विचार अवतक किया गया। आखिर काम भी एक पुरुषार्थ ही है। इसलिए उसका जो चित्र यहाँ खींचा गया है, वह शायद कुछ लोगोंको अतिरंजित मालूम होगा। लेकिन है वह विलकुल वस्तु-स्थितिका निदर्शक। “स्वर्गकी गुलामीकी अपेक्षा तो नरकका अधिराज्य श्रेयस्कर है”, मिल्टनके शैतानका

यह वाक्य भी इसी अर्थका द्योतक है। 'पुरुषार्थ' का अर्थ है पुरुषको प्रवृत्त करनेवाला हेतु। यह आवश्यक नहीं कि यह हेतु 'सद्धेतु' ही हो। हिंदू-धर्मने कामको भी पुरुषार्थ माना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने कामपर मान्यता (स्वीकृति) की मुहर लगा दी हो। यहाँ तो इतना ही अर्थ है कि काम भी मनुष्यके मनमें रहनेवाली एक प्रेरक शक्ति है। आत्मवान् पुरुष शायद उसे स्वीकार भी न करे। इसके विपरीत 'मोक्ष' की गिनती भी 'पुरुषार्थों' में करके हिंदू-धर्मने उसपर शक्यताकी मुहर नहीं लगाई है। वहाँ भी इतना ही अभिप्राय है कि मोक्ष भी मानवीय मनकी एक प्रेरक शक्ति है। देहधारी पुरुषके लिए उसकी आज्ञा मानना शायद असंभव भी हो।

शास्त्रकारोंने तो केवल मनुष्यकी अत्युच्च और अतिनीच प्रेरणाओंकी तरफ संकेत मात्र किया है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, इसलिए इच्छा यह है कि मनुष्य उसकी तरफ अग्रसर हो। और काम अधम पुरुषार्थ है, इसलिए इरादा यह है कि जहाँतक हो सके, उसकी शकल ही न देखी जाय। लेकिन इन दोनोंका मिलाप करनेकी प्रेरणा होना मनुष्यके लिए स्वाभाविक है। इसलिए धर्म और अर्थ-नित्यकी दो प्रेरणाएं कही गई हैं। मनुष्यको संतोष देनेकी चेष्टा करनेवाले ये दो मध्यस्थ हैं। संस्कार-भेदसे किसीको धर्म प्रिय होगा, किसीको अर्थ प्यारा लगेगा।

वल्लभाचार्यकी व्यवस्थाके अनुसार सृष्टिके तीन विभाग होते हैं— (१) पुष्टि, (२) मर्यादा और (३) प्रवाह। जो आत्म-साक्षात्कारका अमृत पीकर पुष्ट हो गए हैं, मोक्ष-शास्त्रके ऐसे उपासक पुष्टिकी भूमिकापर विहार किया करते हैं। माया नदीके प्रवाहमें बहे जानेवाले काम-शास्त्रके अनुयायी प्रवाह-पतित वासनाओंके गुलाम होते हैं। ये दोनों तरह के व्यक्ति समाज-शास्त्रको मर्यादासे परे हैं। काम-कामी पुरुष समाजके सुखका विचार ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो अपना सुख देखना है। मोक्षार्थी पुरुष भी समाज-सुखकी फिक्र नहीं कर सकता; क्योंकि उसे किसीके भी सुखकी चिन्ता नहीं। कामशास्त्र स्व-सुखार्थी है और मोक्ष-शास्त्र स्व-हितार्थी है। इस तरह दोनों स्व-अर्थी ही हैं। "प्रायेण देव-मुनयः स्व-मुक्तिकामाः"—

“देव या ऋषि भी प्रायः स्वार्थी ही होते हैं”, यह भगवद्भक्त प्रह्लादकी प्रेमभरी शिकायत है। इन दो एकांतिक वर्गोंके सिवा सामाजिक कानूनों या नियमोंकी मंयादाओंमें रहनेवाले जो लोग होते हैं उनके लिए धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्रकी प्रवृत्ति है।

अब मोक्ष-शास्त्रके साथ न्याय करनेकी दृष्टिसे इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जैसे काम-शास्त्रको समाजकी परवा नहीं है वैसे समाजको मोक्ष-शास्त्रकी कदर नहीं है। अर्थात् समाज और काम-शास्त्रके अनवनकी जिम्मेदारी अगर काम-शास्त्रपर है तो समाज और मोक्ष-शास्त्रके अनवनका दायित्व समाजपर ही है। मोक्ष-शास्त्र स्वहित-परायण तो है, परंतु जैसा स्व-सुख और पर-सुखका विरोध है वैसा स्वहित और पर-हितका विरोध नहीं है। इसलिए जो ‘स्व-हित’-रत होता है वह अपने आप ही ‘सर्व भूत-हितेरतः’ होजाता है।

लेकिन मनुष्य ‘सर्वभूत-हितेरतः’ होते हुए भी समाज को प्रिय नहीं होता। कारण यह कि समाज सुख-लोलुप होता है, उसे हितकी कोई खास परवा नहीं है। सात्त्विकता का जुल्म भी वह ज्यादा सह नहीं सकता। यह सच है कि संत जगतके कल्याणके लिए होते हैं। लेकिन यदि वे जगतके सुखके लिए हों तो समाजको प्रिय होंगे। ईसा, सुकरात, तुकाराम आदि संत समाजको प्रिय हैं, परन्तु अपने-अपने समयमें तो वे समाजको कांटेकी तरह चुभते थे। आज भी वे इसलिए प्रिय नहीं हैं कि समाज उतना आगे बढ़ गया है, बल्कि इसलिए कि वे आज जीवित नहीं हैं।

अब, कामशास्त्र चूंकि विलकुल ही तामस और समाजकी अंधहेलना करनेवाला है, इसलिए वह समाजको दुखदायी होता है। काम-शास्त्र समाजको ‘दुःख’ देता है, मोक्ष-शास्त्र ‘हित’ देता है, इसलिए दोनों समाज-वाह्य हैं। कामशास्त्रका तामस ‘प्रवाह’ और मोक्ष-शास्त्रकी सात्त्विक, ‘पुष्टि’ दोनों समाजको एक-सी अपथ्यकर मालूम होती हैं। किसी-न-किसी मरीजकी ऐसी नाजुक हालत हो जाती है कि उसे अन्न दीजिए तो हजम नहीं होता और उपवास सहन नहीं होता। समाज भी एक ऐसा ही नाजुक

रोगी है। वेचारा चिकित्सकोंके प्रयोगका विषय हो रहा है! उसके लिए तामस प्रवाह और सात्त्विक पुष्टि दोनों वर्ज्य ठहरे हैं, इसलिए उसपर राजस मर्यादाके प्रयोग हो रहे हैं। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों समाजके लिए मर्यादाएँ कायम करनेवाले शास्त्र हैं। दोनोंको राजस कहा जाय तो भी धर्मशास्त्रको सत्त्व-प्रचुर और अर्थशास्त्रको धर्म-प्रचुर कहना होगा। हमारे यहाँ मुख्यतः धर्मशास्त्रका विकास हुआ, पश्चिममें अर्थशास्त्रका हुआ।

थोड़ासा समुद्र-मंथन करते ही विष निकल आया, परन्तु अमृत हाथ आनेके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। उसी न्यायसे समाज-शास्त्रके जरा-से अध्ययनसे अर्थशास्त्रका जन्म होता है, लेकिन धर्मशास्त्रके उदयके लिए गंभीर अध्ययनकी आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ भी अर्थशास्त्र था। वह विलकुल रहा ही नहीं ऐसी बात नहीं है, परन्तु उसकी जहरीली तासीर जानकर समाज-शास्त्रका अधिक मंथन किया गया और धर्मशास्त्र निकाला गया। आर्य-संस्कृतिमें अर्थशास्त्रका विकास नहीं हुआ, इसका यही कारण है। या फिर यह कहना ही गलत है कि विकास नहीं हुआ। पूर्ण विकास हुआ इसीलिए धर्मशास्त्रका उदय हुआ। पाश्चात्य अर्थशास्त्रके इतिहाससे भी इसी बातका प्रमाण मिल रहा है। “अर्थशास्त्रात्तु बलवद् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः”—“अर्थशास्त्रसे धर्मशास्त्र अधिक प्रमाणभूत है” इस सिद्धान्तका जन्म हुए बिना अर्थशास्त्रका छुटकारा ही नहीं हो सकता। इस सिद्धान्तके जन्मके अरमान पाश्चात्य संस्कृतिको गत शताब्दीके उत्तरार्द्धसे होने लगे हैं।

अर्थशास्त्रके श्रम-विभागके तत्त्वसे अब सभी ऊबने लगे हैं। गरीब राष्ट्र आमरण ‘अहमन्नम्, अहमन्नम्, अहमन्नम्’—“मैं खाद्य हूँ, मैं खाद्य हूँ, मैं खाद्य हूँ”—ऐसी उपासना करें और बलवान् राष्ट्र ‘अहमन्नादः, अहमन्नादः, अहमन्नादः’—“मैं खानेवाला हूँ, मैं खानेवाला हूँ, मैं खानेवाला हूँ”—यह मंत्र जपते रहें, ऐसे नीच श्रम-विभागसे अब दुनिया विलकुल उकता गई और चिढ़ गई है। रस्किन-जैसे दार्शनिकोंने अर्थशास्त्रके विरुद्ध

जो मोर्चा शुरू किया उसे आगे चलानेवाले वीरोंकी परंपरा अव्याहृत चल रही है और उस मोर्चेका अंत विजयमें ही होनेके स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे हैं। 'अर्थशास्त्र' को शंकराचार्यने 'अनर्थशास्त्र' नाम कभीका दे रक्खा है। उसी नामका, 'डिस्मल साइंस' (काली विद्या) कहकर, जीर्णोद्धार पाश्चात्य लोग कर रहे हैं। इसीलिए अर्थशास्त्रके नये संशोधित संस्करण निकलने लगे हैं। इन सब लक्षणोंसे आशाकी जा सकती है कि पाश्चात्य संस्कृतिकी कोखसे धर्मका अवतार होगा। पिछले महायुद्धसे तो प्रसव-वेदना भी शुरू हो गई है, इससे कुछ लोगों का यह खयाल है कि अब यह अवतार जल्दी ही होनेवाला है।

यह अवतार कितनी देरमें होनेवाला है। यह कहना कठिन है। लेकिन इस अवतारके आने की प्रारंभिक तैयारी करनेवाले नीति-शास्त्रका जन्म हो चुका है और वह दिन-पर-दिन बड़ा भी हो रहा है, धर्म-प्रधान पौरस्त्य संस्कृति और अर्थ-प्रधान पाश्चात्य संस्कृतिकी एक-वाक्यताकी आशा नीतिशास्त्रसे बहुत-कुछ की जा सकती है। लेकिन आकाश और पृथ्वीको स्पर्श करनेवाले क्षितिजकी रेखा जिस प्रकार काल्पनिक है उसी प्रकारकी स्थिति इस उभयान्वयी शास्त्रकी भी है। कोपका काम केवल भले-बुरे सभी तरहके शब्दोंका संग्रह करना है। इसलिए उसका अपना कोई भी विशेष संदेश नहीं होता। "तुम व्यवहार करते समय मेरा उपयोग कर सकते हो", इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह नीतिशास्त्रका कोई विशेष प्रमेय नहीं है। आशा लगाये 'मुझे बरतो, मुझे बरतो' कहते रहना ही उसके भाग में लिखा है। उसकी गिनती पुरुषार्थों में करने की किसी को नहीं सूझती।

नीतिशास्त्रका सिद्धांत ही यह है कि किसी भी सिद्धांतका अत्यधिक आग्रह नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस विन्दुपर सारी दुनियाको एक किया जा सकता है। लेकिन 'संतोषसे रहो', 'हिलमिलकर रहो' या 'जैसे चाहो वैसे रहो'—इस तरहकी संदिग्ध सिफारिश करनेसे अधिक नीति-शास्त्र आज कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके भंडेके नीचे



सारा विश्व एकत्र होनेकी संभावना होते हुए भी इस भव्य दिग्बस्त्रकी अपेक्षा लोगोंको लंगोटीसे भी अधिक संतोष होता है। 'मरनेतक जीओगे', इस आशीर्वादमें सत्य है, परन्तु स्फूर्ति नहीं है। इसलिए इस आशीर्वादमें उतना संतोष देनेकी भी सामर्थ्य नहीं है, जितना संतोष कि परीक्षितको 'सात दिनमें मरोगे' इस शापसे हुआ होगा। मनुष्यको मनुष्यतासे व्यवहार करना चाहिए, यह नीति-शास्त्रका रहस्य है। और मनुष्यताके क्या मानी हैं? मनुष्यका स्वभाव ! संज्ञाके मानो (प्रत्येक पदार्थका) नाम ! ऐसे व्यापक शास्त्रसे मनुष्यको संतोष कैसे हो सकता है ? संस्कृत न्यायशास्त्रमें ऐसे ही प्रचंड प्रमेय होते हैं। "जिसमें घटत्व है वह घट है", "जिसमें पटत्व है वह पट है"; "जिसमें पत्थरपन है वह पत्थर है ! और जिसमें यह सब हो वह है न्यायशास्त्र !" ऐसी ही दशा नीतिशास्त्रकी हो रही है। इसलिए धर्ममोक्षकी बात तो जाने दीजिये, अर्थ-कामके वरावरकी स्फूर्ति भी उसमें नहीं है।

परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि धर्म और अर्थ चाहे कितना ही समझौतेका स्वांग क्यों न भरें, फिर भी वे पक्षपाती ही हैं और नीतिशास्त्र निष्पक्षपात है। निष्पक्षपात वृत्तिके कारण आकर्षण शक्ति कुछ कम भले ही हो, तो भी वह उसका गुण ही माना जाना चाहिए। नित्यके भोजनमें आकर्षण नहीं होता। रोजकी खूराक होनेसे नीतिशास्त्रमें चाहे आकर्षकताका अभाव भले ही हो, परन्तु सारे समाजको देने योग्य उससे बढ़कर पौष्टिक दूसरी खूराक नहीं है। धर्म-मोक्ष पौष्टिक होते हुए भी मंहगे हैं। अर्थ-काम सस्ते तो हैं, मगर उनकी गिनती कुपथ्यमें होती है। इसलिए संसारको आज नीतिशास्त्रके विना गत्यंतर नहीं है।

ऊपर कहा गया है कि हमारी संस्कृति धर्म-प्रधान है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम धर्म-प्रधान हैं। हम तो अर्थ-कामके ही दास हैं। इसलिए यद्यपि हमारी संस्कृतिकी नीतिकी परवाह नहीं, तथापि हमारे लिए नीतिकी उपासना करना नितांत आवश्यक है। सारांश, क्या हमारी और क्या इतरोंकी—सारे संसार ही की—सामान्य भाषा नीतिशास्त्र ही

है, ऐसा कहा जा सकता है। सभी पुरुषार्थोंकी शिक्षा इसी भाषामें दी जानी चाहिए। नीति पुरुषार्थ भले ही न हो, किन्तु पुरुषार्थके शिक्षणका द्वार है। अगर पुरुषार्थोंका भाषांतर नीतिकी भाषामें किया जाय तो सभी पुरुषार्थोंका स्वरूप सौम्य तथा परम्परानुकूल प्रतीत होगा।

वसिष्ठ ऋषिके आश्रममें गाय और वाघ एक ही झरनेपर पानी पीते थे, ऐसा वर्णन है। इसका केवल इकहरा ही अर्थ नहीं है, प्रत्युत दोहरा अर्थ है—अर्थात् न केवल वाघकी क्रूरता ही नष्ट होती थी, बल्कि गायकी भीरुता भी नष्ट हो जाती थी। मतलब गाय ऋण भय = शेर ऋण कार्य। इस तरह मेल बैठता है। नहीं तो शेर को गाय बनानेकी सामर्थ्य तो सर्कसवालोंमें भी है। उसके लिए ऋषिके आश्रमकी जरूरत नहीं है।

नीतिके आश्रममें भी सभी पुरुषोंका आग्रही या एकांगी स्वरूप बदलकर उनका समन्वय हो सकेगा। नीतिके शीशेमेंसे चारों पुरुषार्थोंके रंग विलकुल बदले हुए नजर आयेंगे। कामकी सुन्दरता, अर्थकी उपयोगिता, धर्मकी पवित्रता और मोक्षकी स्वतन्त्रताका एकत्र दर्शन होगा और संपूर्ण जीवनकी यथार्थ कल्पना होगी। सौंदर्य, उपयोगिता, पावित्र्य और स्वातन्त्र्य, इन चारों दिशाओंको नीतिका आकाश स्पर्श करता है, इसलिए अगर चारों पुरुषार्थ ये नई पोशाकें पहना मंजूर करें तो उनका द्वैत कम होकर मनुष्यको संतोष होनेकी संभावना है।

परन्तु आधुनिक नीतिशास्त्रका अपना कोई निश्चित सिद्धांत न होनेके कारण वह विलकुल खोखला हो गया है। इसलिए उससे ठोस संतोषकी आशा करना व्यर्थ है। दूसरी भाषामें, वर्तमान नीतिशास्त्रके आत्मा ही नहीं है, इसलिए उसका स्वरूप बहुत-कुछ शाब्दिक हो गया है। चार पुरुषार्थोंके मिलापकी संभावना दिखाई जानेपर भी उनमें समझौता करनेका कतृत्व इस शास्त्रमें नहीं है, इसलिए इस कमीकी पूर्ति करनेके उद्देश्यसे ऋषियोंने कर्तृत्वान योगशास्त्रका निर्माण किया। समझौतेकी पूर्व

तैयारीके लिए नीतिशास्त्रको धन्यवाद देकर अगले कार्यके लिए इस योग-शास्त्रकी शरण लेनी पड़ेगी । 'अथ योगानुशासनम्' ।

'महाराष्ट्र धर्म' : जनवरी १९२३

: ५ :

## परशुराम

यह एक अद्भुत प्रयोगी लगभग पच्चीस हजार बरस पहले हो गया है । यह कोकणस्थोंका मूल पुरुष है । मां की ओरसे क्षत्रिय और बापकी तरफसे ब्राह्मण । पिताकी आज्ञासे इसने मांका सिर ही काट डाला था । कोई पूछ सकते हैं, 'यह कहां तक उपयुक्त था ?' लेकिन उसकी श्रद्धाको संशंका छूतक नहीं गई थी । 'निष्ठासे प्रयोग करना और अनुभवसे ज्ञान प्राप्त करना', यही उसका सूत्र था ।

परशुराम उस जमानेका सर्वोत्तम पुरुषार्थी व्यक्ति था । उसे दुखियोंके प्रति दया थी और अन्यायोंसे तीव्र तम चिढ़ । उस समयके क्षत्रिय बहुत ही उन्मत्त हो गये थे । वे अपनेको जनताका 'रक्षक' कहते थे; लेकिन व्यवहारमें तो उन्होंने कभीका 'र' को 'भ' में बदल दिया था । परशुरामने उन अन्यायी क्षत्रियोंका घोर प्रतिकार शुरू किया । जितने क्षत्रिय उसके हाथ आए, उन सबको उसने मार ही डाला । 'पृथ्वीको निःक्षत्रिय बनाकर छोड़ूंगा', यह उसने अपना विरद बना लिया था ।

इसके लिए वह अपने पास हमेशा एक कुल्हाड़ी रखने लगा । और कुल्हाड़ीसे रोज कम-से-कम एक क्षत्रियका सिर तो उड़ाना ही चाहिए ऐसी उपासना उसने अपने ब्राह्मण अनुयायियोंमें जारी की । पृथ्वी निःक्षत्रिय करनेका यह प्रयोग उसने इक्कीस बार किया । लेकिन पुराने क्षत्रियोंको जानबूझकर खोज-खोजकर मारने और उनकी जगह अनजाने नये-नये क्षत्रियोंका निर्माण करनेकी प्रक्रियाका फलित भला क्या हो सकता था ? आखिर रामचन्द्रजीने उसकी आंखोंमें अंजन डाला । तबसे उसकी दृष्टि कुछ सुधरी ।

तब उसने उस समयके कोंकणके घने जंगल तोड़-तोड़कर वस्तियां बसानेके रचनात्मक कार्यका उपक्रम किया। लेकिन उनके अनुयायियोंको कुल्हाड़ीके हिंसक प्रयोगका चस्का पड़ गया था। इसलिए उन्हें कुल्हाड़ीका अपेक्षाकृत अहिंसक प्रयोग फीका-सा लगने लगा। निर्धनको जिस प्रकार उसके सगे-संबंधी त्याग देते हैं, उसी प्रकार उसके अनुयायियों ने भी उसे छोड़ दिया।

लेकिन यह शिष्टावान् महापुरुष अकेला ही वह काम करता रहा। ऐच्छिक दरिद्रताका कारण बननेवाले, आरण्यक प्रजाके आदि सेवक भगवान् शंकरके ध्यानसे वह प्रतिदिन नई स्फूर्ति प्राप्त करने लगा और जंगल काटना, भोंपड़ियां बनाना, वन्य पशुओंकी तरह एकाकी जीवन व्यतीत करनेवाले अपने मानव बन्धुओंको सामुदायिक साधना सिखाना—इन उद्योगोंमें उस स्फूर्तिसे काम लेने लगा। निष्ठावन्त और निष्काम सेवा ज्यादा दिन एकाकी नहीं रहने पाती। परशुरामकी अदम्य सेवावृत्ति देख कोंकणके जंगलोंके वे वन्य निवासी पिघल गये और आखिर उन्होंने उनका अच्छा साथ दिया। अपने आपको ब्राह्मण कहलाने वाले उसके पुराने अनुयायियोंने तो उसका साथ छोड़कर शहरोंकी पनाह ली थी; मगर उनके बदले ये नये अवर्ण अनुयायी उसे मिले। उसने उन्हें स्वच्छ आचार, स्वच्छ विचार और स्वच्छ उच्चारका शिक्षा दी। एक दिन परशुरामने उनसे कहा, “भाइयो, आजसे तुम लोग ब्राह्मण हो गये।”

राम और परशुरामकी पहली भेंट धनुर्भंग-प्रसंग के बाद एक बार हुई थी। उसी वक्त उसे रामचन्द्रजीसे जीवन-दृष्टि मिली थी। उसके बाद इतने दिनोंमें उन दोनोंकी भेंट कभी नहीं हुई थी। लेकिन अपने वनवासके दिनोंमें रामचन्द्र पंचवटीमें आकर रहा था। उसके वहाँके निवासके आखिरी वर्षमें वागलाणकी तरफसे परशुराम उससे मिलने आया था। जब वह पंचवटीके आश्रम को पहुँचा, उस समय रामचन्द्र पौवोंकी पानी दे रहे थे। परशुरामसे मिलकर रामचन्द्रको बड़ा ही आनंद हुआ। उसने उस तपस्वी

और वृद्ध पुरुषका साष्टांग प्रणाम-पूर्वक स्वागत किया और कुशल-प्रश्नादिके बाद उसके कार्यक्रम के बारेमें पूछा । परशुरामने कुल्हाड़ीके अपने नये प्रयोगका सारा हाल रामचन्द्र को सुनाया । वह सुन रामचन्द्रने उसका बड़ा गौरव किया । दूसरे दिन परशुराम वहांसे लौटा ।

अपने मुकामपर वापस आते ही उसने उन नये ब्राह्मणोंको रामका सारा हाल सुनाया और बोला,

“रामचन्द्र मेरा गुरु है । अपनी पहली ही भेंटमें उसने मुझे जो उपदेश दिया, उससे मेरी वृत्ति पलट गई और मैं तुम्हारी सेवा करने लगा । अबकी मुलाकातमें उसने मुझे शब्दों द्वारा कोई भी उपदेश नहीं दिया । लेकिन उसकी कृतिमेंसे मुझे उपदेश मिला है । वही मैं अब तुम लोगोंको सुनाता हूँ ।

“हम लोग जंगल काट-काटकर बस्ती बसानेका यह जो कार्य कर रहे हैं, वह वेशक उपयोगी कार्य है । लेकिन इसकी भी मर्यादा है । उस मर्यादाको न जानकर हम अगर पेड़ काटते ही रहेंगे, तो वह एक बड़ी भारी हिंसा होगी । और कोई भी हिंसा अपने कर्तापर उलटे बिना नहीं रहती, यह तो मेरा अनुभव है । इसलिए अब हम पेड़ काटनेका काम खत्म करें । आजतक जितना कुछ किया, सो ठीक ही किया; क्योंकि उसीकी बदौलत पहले जो ‘अ-सह्याद्रि’ था, वह अब ‘सह्याद्रि’ बन गया है । लेकिन अब हमें जीवनो-पयोगी वृक्षोंके रक्षणका काम भी अपने हाथमें लेना चाहिए ।”

यह कहकर उसने उन्हें आम, केले, नारियल, काजू, बटहल, अनन्नास, आदि छोटे-बड़े फलके वृक्षोंके संगोपनकी विधि सिखाई । उसे इसके लिए स्वयं वनस्पति-संवर्धन-शास्त्रका अध्ययन करना पड़ा और उसने अपने हमेशाके उत्साहसे उस शास्त्रका अध्ययन किया भी । उसने उस शास्त्रमें कई महत्वपूर्ण शोध भी किये । पेड़ोंको मनोज्ञ आकार देनेके लिए उन्हें व्यवस्थित काटने-छांटनेकी जरूरत महसूसकर उसने उसके लिए छोटेसे औजारका आविष्कार किया । इस औजारको ‘नव-परशु’ का नाम देकर उसने अपनी परशु-उपासना अखंड जारी रखी ।

एक वार उसने अपनी समुद्रतटपर नारियलके पेड़ लगानेका एक सामुदायिक समारोह संपन्न किया। उस अवसरसे लाभ उठाकर उसने वहाँ आये हुए लोगोंके सामने अपने जीवनके सारे प्रयोगों और अनुभवोंका सार उपस्थित किया। सामने पूरे ज्वारमें समुद्र गरज रहा था। उसकी तरफ इशारा करके समुद्रवत् गंभीर ध्वनिमें उसने बोलना आरंभ किया—

“भाइयो, यह समुद्र हमें क्या सिखा रहा है, इसपर ध्यान दीजिए। इतना प्रचंड शक्तिशाली है यह; परन्तु अपने परम उत्कर्षके समय भी वह अपनी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता। इसलिए उसकी शक्ति हमेशा ज्यों-की-त्यों रही है। मैंने अपने सारे उद्योगों और प्रयोगोंमेंसे यही निष्कर्ष निकाला है। छुटपनमें मैंने पिताकी आज्ञासे अपनी माताकी हत्या की। लोग कहने लगे, ‘कैसा मातृ-हत्यारा है!’ मैं उस आक्षेपको स्वीकार करनेको तैयार नहीं था। मैं कहा करता, ‘आत्मा अमर है और शरीर मिथ्या है। कौन किसे मारता है? मैं मातृ-हत्यारा नहीं हूँ; प्रत्युत पितृभक्त हूँ।’

“लेकिन आज मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ। मातृवधका आरोप मुझे उस वक्त स्वीकार नहीं था, और आज भी नहीं है। लेकिन मेरे ध्यानमें यह बात नहीं आई थी कि पितृभक्तकी भी मर्यादा होती है। यही मेरा वास्तविक दोष था। लोग अगर अचूक उतना ही दोष बताते तो उससे मेरी विचार-शुद्धि हुई होती। लेकिन उन्होंने भी मर्यादाका अतिक्रमण करके मुझपर आक्षेप किया और उससे मेरी विचार-शुद्धिमें कोई सहायता नहीं पहुँची।”

“वादमें बड़ा होनेपर अन्यायके प्रतिकारका व्रत लेकर मैं जुल्मी सत्तासे इक्कीस वार लड़ा। हर वार मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं सफल हो गया हूँ; लेकिन प्रत्येक मर्तवा मुझे निश्चित असफलता ही नसीब हुई। रामचन्द्रने मेरी गलती मुझे समझा दी।

“अन्याय-प्रतीकार मनुष्यका धर्म तो है; लेकिन उसकी भी एक शास्त्रीय मर्यादा है, यह ज्ञान मुझे गुरु-कृपाकी वदीलत प्राप्त हुआ।

“इसके उपरांत मैं जंगल काटकर मानव-उपनिवेश वसानेके, मानव सेवाके कार्यमें जुट गया; लेकिन आप जानते ही हैं कि जंगल काटनेकी भी-एक हद होती है, इस बातका ज्ञान मुझे ठीक समयपर कैसे हुआ ।

“अवतक मैं निरंतर प्रवृत्तिका ही आचरण करता रहा । पर आखिर प्रवृत्तिकी भी मर्यादा तो है ही न ? इसलिए अब मैं निवृत्त होनेकी सोच रहा हूँ । इसके मानी यह नहीं है कि मैं कर्म ही त्याग दूंगा । स्वतन्त्र नई प्रवृत्तिका आरंभ अब नहीं करूंगा । प्रवाह-पतित करता रहूंगा । प्रसंगवश आप पूछेंगे तब, सलाह भी देता रहूंगा ।

“इसीलिए मैंने आज जानबूझकर इस समारोहका आयोजन किया और अपना यह ‘समुद्रोपनिषत्’ या ‘जोवनोपनिषत्’, चाहे जो कह लीजिए, आपसे निवेदन किया है । फिर-से थोड़ेमें कहता हूँ; पितृ-भक्तिकी मर्यादा, प्रतीकारका मर्यादा, मानव सेवाकी मर्यादा—सारांश सभी प्रवृत्तियोंकी मर्यादा—यही मेरा जीवनसार है । आओ, एक वार सब मिलकर कहें, ॐ नमो भगवत्वे मर्यादायै ।”

इतना कहकर परशुराम शांत हो गया । उसके उपदेशकी यह गंभीर प्रतिध्वनि सह्याद्रिकी खोह-कंदराओंमें आज भी गूँजती हुई सुनाई देती है ।

ग्रामसेवा वृत्तसे : नागपुर जेल, १९४१

: ६ :

## चिर-तारुण्यकी साधना

तुम्हारे खेल देखकर आनन्द हुआ । देशका भविष्य तुम वाल-गोपालोंके हाथमें है । तुमने जो खेल दिखाए वे किसलिए हैं ? शक्ति प्राप्त करने के लिए हैं, शक्ति किसलिए ? गरीब लोगोंकी रक्षाके लिए, इसलिए कि गरीबोंके लिए हम उपयोगी हो सकें । शरीर घिसाने के लिए तगड़ा बनाना है । चाकूमें धार किसलिए लगाई जाती है ? इस-

लिए नहीं कि वह पड़ा-पड़ा जंग खा जाय; बल्कि इसलिए कि वह काम आ सके। शरीरमें धार लगानी है, उसे फुर्तीला, चपल और मजबूत बनाना है। उद्देश्य यह है कि आगे चलकर उसे हम चंदनके समान घिस सकें। बल सेवाके लिए है।

गीतामें श्रीभगवान्ने कहा है, 'बलं बलवतामस्मि कामराग-विवर्जितम्।' (बलवानोंमें मैं वैराग्य-युक्त निष्काम बल हूँ।) शब्दोंपर खूब ध्यान दो। सिर्फ 'बल' नहीं कहा। 'वैराग्य-युक्त निष्काम बल'। इस वैराग्य-युक्त निष्काम बलकी ही मूर्ति हम व्यायामशालाओंमें रखा करते हैं। वह कौन-सी मूर्ति है? हनुमानजीकी पवित्र और सामर्थ्यवान मूर्ति। हनुमानजी वैराग्य-युक्त निष्काम बलके पुतले थे। इसलिए वाल्मीकिने उनके स्तुति-स्तोत्र गाये। रावण भी महा बलवान था। लेकिन रावणमें वैराग्य नहीं था। रावणका बल भोगके लिए था, दूसरोंको सतानेके लिए था। रावण पहाड़ उठाता था, वज्र तोड़ डालता था, दस आदमियोंका बल मानो उस अकेलेमें था। इसलिए उसके दस मुंह और बीस हाथ दिखाये गये। इतना बलवान होते हुए भी उसका सारा बल धूलमें मिल गया। हनुमानका बल अजरामर हो गया। वाल्मीकिने बलकी ये दो मूर्तियां, ये दो चित्र, उपस्थित किये हैं। रावणके बलमें भोग वासना थी। रावण बलके द्वारा भोग प्राप्त करना चाहता था। हनुमान बलके द्वारा सेवा करना चाहता था। सेवाको अर्पण किया हुआ बल टिकेगा, अमर होगा। भोगको अर्पण किया हुआ बल अपने और संसारके नाशका कारण होगा।

समुद्रके तीरपर सारे वानर बैठे थे। लंकामें कौन जायगा, इसकी चर्चा हो रही थी। हनुमान एक तरफ राम-राम जपते बैठे थे। जामवंत हनुमानके पास जाकर बोला, "हनुमान तुम जाओगे?" हनुमान बोला, "आपका आशीर्वाद हो, तो जाऊंगा।"

वह अकेला वानर किस शक्तिके बूते उन बलवान राक्षसोंमें निर्भय होकर चला गया? हनुमाननें जब यह सवाल पूछा तब उसने क्या जवाब दिया यह कि मैं अपने बाहुबलके जोरपर आया हूँ। हनुमान बोला, "मैं



राम के भरोसे यहां आया हूँ। मेरे वाजुओंमें जोर है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। परन्तु रामका बल अवश्य मेरे पास है।”

और जरा गहराईसे सोचो, तो बाहुबलका भी क्या अर्थ है? बाहुबलके मानी हैं शारीरिक श्रम करनेकी शक्ति। इसीके लिए यह हाथ हैं। सेवाके लिए ही हम हस्तवान् हैं। पशुके हाथ नहीं हैं। भुजाओंके बलके प्रयोगसे हम अन्नका निर्माण करें, सेवा करें। हमारी कलाइयोंमें यह जो सेवा करनेकी शक्ति है, वह किसकी शक्ति है? हनूमान जानता था कि वह आत्माकी शक्ति है, रामकी शक्ति है।

जिस बलकी आत्मामें श्रद्धा न हो, राममें श्रद्धा न हो, वह बल निकम्मा होता है। अमृतसरमें कल्ले-आम हुआ। उसके बाद लोगोंने तेजोभंग करनेके इरादेसे, उन्हें शर्मिदा करनेकी मंशासे, रास्तेमें पेटके बल चलाया गया। पहाड़ जैसे पंजाबी लोग, ऊंचे-पूरे, तगड़े डील-डौलवाले ! लेकिन वे भी पेटके बल रेंगने लगे ! क्योंकि राममें उनकी श्रद्धा नहीं थी। आत्माकी निर्भयता वे जानते नहीं थे। आज बंगालमें यही हाल है। लोगोंपर मनमानी प्राबन्धियां लगाई जा रही हैं। रास्तेसे फौज गुजर रही हो तो सलाम करने आना पड़ रहा है। क्या कारण है? आत्माकी निर्भयता गले नहीं उतरती। जिसने रामका बल पहचान लिया, वह कलिकालसे भी नहीं डरा करता। शरीरबल रामके लिए है। वह सेवाके लिए है भोगके लिए नहीं है।

दूसरी बात यह है : भुजाओंमें जो बल है, वह तुच्छ वस्तु है। वह केवल बल निराधार है। वह बल आत्मश्रद्धापर सुप्रतिष्ठित होना चाहिए। निर्वलोंमें भी आत्मश्रद्धासे बल पैदा हो जाता है। उपनिषद् कह रहे हैं कि जिसमें श्रद्धाका बल है, वह दूसरे सौ आदमियोंको कंपा देगा। इसलिए आध्यात्मिक बलकी उपासना चाहिए।

हनूमानमें पशुबल नहीं था। हनूमानका जो स्तुतिश्लोक है, उसमें दूसरे सारे बलोंका वर्णन है; परन्तु शरीर बलका उल्लेख कहीं नहीं है।

यथा—

मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगम्,  
जितेन्द्रियं बुद्धिमतांवरिष्ठम् ।  
वातात्मजं वानरयूथ-मुख्यम्,  
श्रीराम-दूतं शरणं प्रपद्ये ॥

(मनके समान वेगवान, वायुके समान वेगवान, जितेन्द्रिय, वृद्धिमानोंमें वरिष्ठ, पवनसुत, वानरोंके सेनापति, रामदूतकी मैं शरण जाता हूँ ।)

हनूमान मन और पवनके समान वेगवान थे । वह जितेन्द्रिय थे, वह अत्यंत बुद्धिमान थे, वह नायक थे, वह रामदूत थे—इन सारी बातोंका वर्णन है । हनूमान बलका देवता है । लेकिन इस स्तुतिमें बलका जिक्र तक नहीं । क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है ? परन्तु ये गुण ही वास्तविक बल हैं । ये गुण ही यथार्थ कार्य-शक्ति हैं ।

मनुष्यमें वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, मनके समान वेग चाहिए, सामने काम देखते ही उसे चटसे आनन्दसे छलांग मारनी चाहिए । सिंहगढ़ फतह करनेका संदेश आते ही तानाजी चल पड़ा । नहीं तो, मनमें सेवाकी मुराद है, लेकिन शरीर टस-से-मस नहीं होता; वह आलसमें लोट-पोट हो रहा है । ऐसा शरीर किस काम का ? ज्ञानेश्वरने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । सेवक कैसा चाहिए ? ज्ञानेश्वर कहते हैं—‘आंग मनापुडें घे दौड़ा’—शरीर मनके आगे-आगे दौड़ता है । कोई बात मनमें आनेसे पहले ही शरीर दौड़ने लग जाता है ।

शरीरमें इस तरहका वेग होनेके लिए ब्रह्मचर्य चाहिए । जितेंद्रियत्व चाहिए, इन्द्रियोंपर काबू चाहिए । संयमके बिना यह बल नहीं मिल सकता । वेग और संयमके साथ-साथ बुद्धि भी चाहिए, कर्म-कुशलता भी चाहिए, कल्पना-शक्ति चाहिए और चाहिए प्रतिभा । सिर्फ फरमांवरदारी ही काफी नहीं है । इसके अलावा रामकी सेवाकी भावना चाहिए । जहां राम कहें, वहां जानेके लिए दिन-रात तैयार रहना चाहिए ।

हिन्दुस्तानके करोड़ों देवता तुम्हारी सेवाके इच्छुक हैं। उन्हें तुम्हारी सेवाकी जरूरत है। उस सेवाके लिए तैयार रहो। वेगवान, बुद्धिमान, संयमी, सेवाके शौकीन तरुण बनो। शारीरिक बल कमाओ, प्रेम कमाओ। अभी मैंने इस व्यायामशालाके अखाड़ेमें कुश्तियां देखीं। एक कुश्ती एक हरिजन और ब्राह्मणमें हुई। मैंने उसमें समभाव पाया। अगर हम इसी समभावसे आइंदा व्यवहार करेंगे तो समाज बलवान होगा। अगर तुम इस समभावका पोषण करोगे तो तुम जो खेल खेले, जो कुश्तियां लड़े, उनमेंसे कल्याण ही होगा।

खेलमें हम समभाव सीखते हैं। शिस्त, (अनुशासन) व्यवस्थाका महत्व सीखते हैं। इन खेलोंके अलावा दूसरे भी अच्छे खेल खेले जा सकते हैं। खेतकी जमीन खोदना भी एक खेल ही है। एक साथ कुदालियां ऊपर उठती हैं, एक साथ जमीनमें घुस रही हैं,—कैसा सुन्दर दृश्य दिखेगा। इस खेलमें आदर्श व्यायाम होगा। उसमें बुद्धिके प्रयोगकी भी गुंजाइश है। व्यायाममें बुद्धिको भी गति मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे मतसे व्यायाम भी, कुछ-न-कुछ उत्पादन करने वाला होना चाहिए।

यहांके खेलोंसे तुम्हारे अंदर शक्ति और प्रेम दोनों पैदा हों। सब तरहके सब जातियोंके, लड़के एकत्र होते हैं, एक साथ खेलते हैं। इससे प्रेमका विकास होता है। ये संस्मरण अगले जीवनमें उपयोगी होते हैं। हम साथ-साथ खेले, कुश्ती लड़े, साथ-साथ शक्ति कमाई, ज्ञान कमाया, हाथ मिलाया, आदि संस्मरणोंसे आगे चलकर तुम एकत्र होगे। संघशक्ति और सहकार्य बढ़ेगा।

तुम गणवेप (बर्दियां) पहने हो। इनका उद्देश्य भी आत्मीयता बढ़ाना ही है। परन्तु तुम्हारी पोशाक खादीकी ही हो। जो कमर-पट्टे तुम बरतोगे, वे भी मुर्दार चमड़ेके हों। हमको सर्वत्र सचेत रहना चाहिए। बूंद-बूंदसे ही घड़ा भरता है। राष्ट्रमें सब तरफ सूराख-ही-सूराख हो गये हैं। संपत्ति लगातार बाहर जा रही है। इसकी तरफ ध्यान दो।

तुमने कसरत की। लेकिन दूध और रोटी न मिली, तो कैसे काम चलेगा ? अगर तुम्हें दूध चाहिए, तो गोरक्षण भी होना चाहिए। गोरक्षणके लिए गायके—मरी हुई गायके—चमड़ेसे बनी हुई चीजें ही बरतनी चाहिए। रोटीकेलिए किसानको जिलाना चाहिए। खादी खरीदकर हम उनकी थोड़ी सी मदद करेंगे, तो वे जीयेंगे और हमें रोटी मिलेगी। तुम्हें अगर घरपर रोटी नहीं मिलती, तो यहां आकर कितनी उछल-कूद करते ? तुम जानते हो कि घरपर रोटी तैयार है, इसलिए यहां कूदे-फांदे। अन्न कूदने-फांदनेकी शक्ति देता है। इसलिए उपनिषद् कहता है—अन्नं वाव बलाद् भूयः (अन्न, बल से श्रेष्ठ है) राष्ट्रमें अगर अन्न न होगा, तो बल कहां से आयेगा ? पहले अन्नका इंतजाम करोगे, तब कहीं अखाड़े चलेंगे। पहले अन्नका प्रबन्ध होगा तब ज्ञानदान का प्रबंध हो सकेगा।

एक वार भगवान् बुद्धका एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्मका उपदेश देने लगा। उस भिखारीने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ। बुद्धके पास जाकर बोला, “वहां एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे-अच्छे सिखावन दे रहा था, तो भी वह सुनता ही नहीं।” बुद्ध ने कहा, “उसे मेरे पास लाओ।” वह प्रचारक उसे बुद्धके पास ले गया। भगवान् बुद्धने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि वह भिखारी तीन-चार दिनोंसे भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट खिलाया और कहा, “अब जाओ।” प्रचारकने कहा, “आपने उसे खिला तो दिया, लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया।” भगवान् बुद्धने कहा, “आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्नकी ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जीयेगा तो कल सुनेगा।”

हमारे राष्ट्रकी आज यही दशा है। आज राष्ट्रमें अन्न ही नहीं है। रामदासके जमानेमें अन्न भरपूर था। आजकी तरह उस समय हिन्दुस्तानकी संपत्तिका स्रोत सूखा नहीं था। इसलिए उन्होंने प्राणका, बलका, उपासनाका, उपदेश दिया। आज देहातोंमें सिर्फ अखाड़े खोल देनेसे काम नहीं चलेगा।

जब राष्ट्रमें अन्नकी उपज और गोसेवा होगी, तभी राष्ट्रका संवर्धन होगा। बलवान तरुणोंको राष्ट्रमें अन्न और दूधकी अभिवृद्धि करनी चाहिए। हिंदुस्तानको फिरसे 'गोकुल' बनाना है। यह जब बनाओगे तब बनाओगे। परन्तु आज तो खादीकी पतलून पहनकर और मरे हुए—मारे हुए नहीं—जानवरके चमड़ेका पट्टा पहनकर अन्नदान और गोपालनमें हाथ बंटाओ।

खाकी पोशाक करो। लेकिन वह पोशाक करके गरीबोंके पेट मत मारो। तुम गरीबोंके संरक्षणके लिए कवायद करोगे। लेकिन गरीब जब जीयेंगे तभी तो उनका रक्षण करोगे न? तुम खाकी परिधान करके देशके बाहर पैसे भेजोगे और इधर गरीब मरेंगे। फिर संरक्षण किसका करोगे? तुम पैसे तो विदेश भेजोगे और दूध-रोटी माँगोगे देहातियोंसे? वे तुम्हें कहांसे देंगे, भैया? इसलिए खाकी ही पहननी हो, तो खाकी खादी पहनो।

तुम्हारे गणवेश (वर्दियां) खादीके हैं, तुम्हारी संस्थामें हरिजन भी आते हैं, ये बातें बड़ी अच्छी हैं। लेकिन मुसलमानोंको मुमानियत क्यों? हिन्दू-मुसलमानोंको एकत्र होने दो। कम-से-कम मुमानियत तो न करो। उन्हें यहां लानेकी कोशिश करो। तुम हिन्दू-मुसलमान एक ही देशके हो। एक ही देशके हवा-पानी, अन्न प्रकाशपर पल रहे हो। अगर हिन्दू यहांके हैं तो मुसलमान बाहरके कैसे? और अगर मुसलमान बाहरके हैं, तो हिन्दू भी बाहरके हैं। लोकमान्य कहते हैं कि हिन्दू लोग उत्तर ध्रुवकी तरफसे आये। हिन्दू अगर पांच-दस हजार साल पहले आये, तो मुसलमान हजार साल पहले आये। परन्तु आजकी भाषामें तो यहींके कहे जायेंगे। दोनों भारतमाताके ही लाल हैं।

सब धर्मोंके विषयमें उदार भावना रखो। जो सच्चा मातृ-भक्त है, वह सभी माताओंको पूज्य मानेगा। वह अपनी माताकी सेवा करेगा; लेकिन दूसरेकी माताका अपमान नहीं करेगा। हर एक अपनी माँके दूध-पर पलता है। धर्म-माताके समान हैं। मुझे मेरी धर्म-माता प्रिय है। मैं मातृपूजक हूँ; इसलिए मैं दूसरेकी माताकी निंदा तो हरगिज नहीं करूँगा। उलटे, उस माताका भी वंदन करूँगा।

दिलमें यह भाव पैदा होनेके लिए यथार्थ हरिभक्तिकी जरूरत है । चित्तमें यथार्थ भक्ति जाग्रत होनेपर यह सब होगा । बाहर उपासना और अंदर उपासना—दोनों चाहिए । बाहर खेल चाहिए, भीतर प्रेम चाहिए । खेलोंके द्वारा शरीर फुर्तीला और सुभग बनाकर आत्माको सौंपना है । शरीर आत्माका हथियार है । हथियार भली-भांति उपयोगी होनेके लिए स्वच्छ चाहिए । शरीर ब्रह्मचर्यके द्वारा स्वच्छ करके आत्माके हवाले करो ।

शरीर स्वच्छ रखो, उसी प्रकार मनको भी प्रसन्न, प्रेमल, निर्मल और सम रखो । खेलनेकी बाह्य क्रियासे शरीर स्वच्छ रहेगा । उपासनासे भीतरी शरीर याने मन, निर्मल रहेगा । अंतर बाह्य शुचि बनो, जैसा यह हनूमान है—बलवान् और भक्तवान, सेवाके लिए निरंतर तत्पर । तुम उम्रसे तरुण होते हुए भी अगर चपल न होगे, सेवाके लिए शरीर चटसे उठता न होगा, तो तुम बूढ़े ही हो । जिसके शरीरमें वेग है, वह तरुण है; चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो । हनूमान कभी बूढ़े नहीं हो सकते । वह चिर-तरुण हैं । चिरंजीव हैं ।

ऐसे चिरतरुण तुम बनो । तुम दीर्घायु होकर उम्रसे वृद्ध होगे, उस वक्त भी तरुण रहो । वेग बनाये रखो । वृद्धि सावित रखो । मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तरुण इस प्रकार तन्मय वृद्धिसे जनताकी ओर उसके द्वारा परमेश्वरकी सेवा करनेमें जुट जायें ।<sup>१</sup>

सर्वोदय : नवंबर १९४१

---

१. 'धूलिया (खानदेश) की 'विजय व्यायामशाला' में दिए गये प्रवचनका मुख्य अंश ।

: ७ :

## गृत्समद

: १ :

यह एक मन्त्रद्रष्टा वैदिक ऋषि था। वर्तमान यवतमाल जिले के कलंब गाँवका रहनेवाला था। गणपतिका महान् भक्त था। 'गणांनांत्वा गणपतिं हवामहे' (हम आपका जो कि समूहोंके अधिपति हैं, आवाहन करते हैं) यह सुप्रसिद्ध मन्त्र इसीका देखा हुआ है। ऋग्वेदके दस मंडलोंमेंसे द्वितीय मंडल समूचा इसीका है। इस मंडलमें तैंतालीस सूक्त हैं और मन्त्र संख्या चार सौ के ऊपर है। ऋग्वेद जगतका अतिप्राचीन और पहला ग्रन्थ माना जाता है। ऋग्वेदके भी कुछ अंश प्राचीनतर हैं। इस प्राचीनतर अंशमें द्वितीय मंडलकी गणना होती है। इसपरसे इतिहासज्ञ इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि गृत्समद करीब बीस हजार वर्ष पहले हुआ। गृत्समदका यह मंडल सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या के लिहाजसे ऋग्वेदके करीब पच्चीसवें हिस्सेके बराबर होगा।

गृत्समद हरहुनरी आदमी था। ज्ञानी, भक्त और कवि तो वह था ही। लेकिन इसके अलावा गणितज्ञ, विज्ञान-वेत्ता, कृषि-संशोधक और मंजा हुआ वुनकर भी था। जीवनके छोटे-बड़े किसी भी अंगकी उपेक्षा वह सहन नहीं कर सकता था। वह हमेशा कहा करता था, "प्राये प्राये जिगीवांसः स्याम"—"हमें हरएक व्यवहारमें विजयी होना चाहिए।" और उसके ज्वलन्त उदाहरणके कारण आसपास रहनेवाले लोगोंमें उत्साहका जाग्रत वातावरण बना रहता था।

गृत्समदके जमानेमें नर्मदासे गोदावरीतकका सारा भूप्रदेश जंगलोंसे भरा हुआ था। पांच-पच्चीस मीलोंने अंतरपर एकाध छोटी-सी वस्ती हुआ करती थी। शेष सारा प्रदेश निर्जन। आसपासके निर्जन वनमें वसी हुई गृत्समदकी एकमात्र बड़ी वस्ती थी। इस वस्तीने संसारका, कपासकी खेतीका, सबसे पहला सफल प्रयोग देखा। आज तो बरार कपासका भंडार

चन गया है। गृत्समदके कालमें वरारमें आजकी अपेक्षा वारिशका परिमाण ज्यादा था। उतना पानी सोख लेनेवाला कपासका पीधा गृत्समदने तैयार किया और उसे एक छोटे-से प्रयोगक्षेत्रमें लगाकर उससे दस सेर कपास प्राप्त किया। गृत्समदकी इस नई पैदावारको लोगोंने 'गार्त्समदम्' नाम दिया। क्या इसीका ही लैटिन रूप 'गीतिपियम्' हो सकता है ?

उसकी वस्तीके लोग उन कातना वुनना अच्छी तरह जानते थे। यह कार्य मुख्यतः स्त्रियोंके सिपुर्द था। आज वुननेका काम पुरुष करते हैं और स्त्रियां कुकड़ी भरने, मांडी लगाने आदिमें उनकी मदद करती हैं। किन्तु वैदिक काल में वुनकरोंका एक स्वतन्त्र वर्ग नहीं बना था। खेतीकी तरह वुनना भी सभीका काम था। उस युगकी ऐसी व्यवस्था थी कि सारे पुरुष खेती करते थे और सारी स्त्रियां घरका काम काज सम्हालकर वुनती थीं। 'सांभको सूर्य जब अपनी किरणे समेट लेता है, तब वुननेवाली भी अपना अधूरा वुना हुआ तागा समेट लेती हैं'—'पुनः समव्यत् विततं वयंती'—इन शब्दोंमें गृत्समदने वुननेवालीके जीवन-काव्यका वर्णन किया है।

गृत्समदके प्रयोगके फलस्वरूप कपास तो मिल गया, लेकिन, 'कपड़ा कैसे बनाया जाय' ? यह महान प्रश्न खड़ा हुआ ? उन कातनेकी जो लकड़ी की तकली होती थी, उसीपर सबने मिलकर कपासका सूत कात लिया। यद्यपि वुनाई स्त्रियोंके ही सिपुर्द थी, तो भी कातनेका काम तो स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी किया करते थे। सूत तो निकला; लेकिन विलकुल रहीं। अब उसे कोई वुने भी कैसे ?

गृत्समद हिम्मत हारनेवाला व्यक्ति नहीं था। उसने खुद वुनना शुरू किया। वुननेकी कलाकी सारी प्रक्रियाओंका सांगोपांग अभ्यास किया। सारा सूत दोप संपन्न पाया। लेकिन उसमेंसे जो थोड़ा पक्का था, उससे उसने 'तंतु' बनाया। 'तंतु' के माने वैदिक भाषामें धागा है। बाकी वचे हुए कच्चे मूतको 'ओतु' कहकर रख लिया। लेकिन मांडी लगानेमें कटाकट-कटाकट तार टूटने लगे। गृत्समद गणितज्ञ होनेके कारण टूटे हुए कितने तारोंको जोड़ना पड़ा इसका हिसाब भी करता था। पहली बारके मांडी



लगानेमें टूटे हुए तारोंकी संख्या चार अंकोंकी (हजारकी) थी। बादमें तागा करघेपर चढ़ाया गया। हत्येकी पहली चोटके साथ चार-पांच तार टूटे। उन्हें जोड़कर फिरसे ठोंका, फिरसे टूटा। इसी तरह कितने ही हफ्तोंके बाद पहला थान बुना गया। उसके बाद सूत धीरे-धीरे सुघरता चला। लेकिन फिर भी शुरूके बारह वर्षोंमें बुनाईका काम बड़ा ही कष्टकर हो गया था। गुत्समदकी आयुके ये बारह वर्ष यथार्थ तपश्चर्याके वर्ष थे। वह इतना उत्साही और तंतु-ब्रह्म ओतु-ब्रह्म ठोंक-ब्रह्म और टूट-ब्रह्मकी ब्रह्ममय वृत्तिसे बुनाईका काम करनेवाला होता हुआ भी, जब सूत लगातार टूटने लगते थे तो वह भी कभी-कभी पस्त-हिम्मत हो जाता था। ऐसे ही एक अवसरपर उसने ईश्वरसे प्रार्थना की थी, 'देवाः, मा संतुश्छेदि वयतः'—बुनते वक्त तंतु टूटने न दे। लेकिन ऐसी गलत प्रार्थना करनेके लिए वह तुरन्त ही पछताया था। इसलिए उस प्रार्थनामें 'धियं मे' याने 'मेरा ध्यान' ये दो शब्द मिलाकर उसे संवार लिया। "जब मैं अपना ध्यान बुनता होऊँ, तो उसका तंतु टूटने न दे"—ऐसा उस संशोधित और परिवर्द्धित प्रार्थनामेंसे सुशोभित अर्थ निकला। उसका भावार्थ इस प्रकार है। —"मैं जो खादी बुना करता हूँ, यह मेरी दृष्टिसे केवल एक वाह्य क्रिया नहीं है। यह तो मेरी उपासना है। वह ध्यानयोग है। बीच-बीचमें धागोंके टूटते रहनेसे मेरा ध्यान-योग भंग होने लगता है, इसका मुझे दुःख है। इसलिए यह इच्छा होती है कि धागे न टूटने चाहिए। लेकिन यह इच्छा उचित होते हुए भी, प्रार्थनाका विषय नहीं हो सकती। उसके लिए सूतमें उन्नति करना चाहिए। और वह कर लूँगा। लेकिन जबतक सूत कच्चा रहेगा, तबतक वह टूटता तो रहेगा ही। इसलिए अब यही प्रार्थना है कि सूतके साथ-साथ मेरी अन्तर्वृत्तिका, मेरे ध्यानका, धागा न टूटे।

गुत्समद अखण्ड अन्तर्मुख वृत्ति रखनेका प्रयत्न करता हुआ भी प्रतिदिन कोई-न-कोई शरीर-परिश्रमात्मक और उत्पादक कार्य करता ही रहता था। 'माहं अन्यकृतेव भोजम्'—मैं दूसरोंके परिश्रमोंसे भोग कदापि प्राप्त न करूँ।—यही उसका जीवन-सूत्र था। वह लोक-सेवा-परायण

था। इसलिए उसके योग धेमकी चिन्ता लोग किया करते थे। लेकिन वह अपने मनमें सदा यही चिंतन किया करता था कि 'लोगोंसे मैं जितना पाता हूँ, क्या उसे शतगुणित करके उन्हें लौटाता हूँ?' और उसमें भी क्या नवीन उत्पादनका कोई अंश होता है?'

इसी चिंतनके फलस्वरूप ही मानो एक दिन उसे अचानक गुणाकारकी कल्पना स्फुरित हुई। गणितशास्त्रको लोक-व्यवहार-सुलभ बनानेकी दृष्टिसे वह फुरसतके समय उसमें आविष्कार करता रहता था। उसके समयमें पङ्क्तिधर्मोंसे लोग सिर्फ जोड़ना और घटाना ही जानते थे। जिस दिन गृत्समदने गुणन-विधिका आविष्कार किया, उस दिन उसके आनन्दका पारावार ही नहीं रहा। उसने दोसे लेकर नौ तकके नौ पहाड़े बनाये और फिर तो वह वांसीं उछलने लगा। पहाड़े रटनेवाले लड़कोंको कहीं इस बातका पता लग जाय तो वे गृत्समदको बिना पत्थर मारे नहीं रहेंगे। लेकिन गृत्समदने आनन्दके आवेशमें आकर इन्द्रदेवका आवाहन पहाड़ोंसे ही करना शुरू किया—“हे इन्द्र ! तू दो घोड़ोंके, और आठ घोड़ोंके और दस घोड़ोंके रथमें बैठकर आ। जल्दी-से-जल्दी आ। इसके लिए तेरी मर्जी हो, तो दो के पहाड़े के बदले दसके पहाड़ोंसे काम ले। दस घोड़ोंके, बीस घोड़ोंके, और तीस घोड़ोंके और चालीस घोड़ोंके . . . . और सौ घोड़ोंके रथमें बैठकर आ।”

गृत्समद चौमुखा आविष्कारक था। पौराणिकोंने उसके इस महान् आविष्कार का लेखा किया है कि चन्द्रमाका गर्भकी वृद्धिपर विशेष परिणाम होता है। वैदिक मंत्रोंमें भी इसकी ध्वनि पाई जाती है। चंद्रमामें मातृवृत्ति रम गई है। और कलावान् तो वह है ही। इसलिए सूर्यकी ज्ञानमय प्रखर किरणोंको पचाकर और उन्हें भावनामय सौम्य रूप देकर माताके हृदयमें रहनेवाले कोमल गर्भतक उस जीवनामृतको पहुँचानेका प्रेमपूर्ण और कुशल कार्य चन्द्र कर सकता है और वह उसे निरन्तर करता रहता है—यह गृत्समदका आविष्कार है। आधुनिक विज्ञानने अवतक इस विषयपर विशेष प्रकाश नहीं डाला है। परावृत्त-किरण-विज्ञान, प्राण-विज्ञान और मनोविज्ञान,

इन तीनोंका यहाँ मिलाप होनेके कारण प्रश्न कुछ पेचीदा और सूक्ष्म इसमें शक नहीं। लेकिन गृत्समदका सिद्धांत साधारण अविज्ञ मनको भाने लायक तो है। बालकका सौम्य रूप यदि 'सोमकृत्' हो, तो क्या आता है ? जब हम सूर्यवंशी राम को भी 'रामचन्द्र' कहते हैं, तब चन्द्रकी उल्लेख सूचित करते हैं न ? कवियोंने चन्द्रामृत पीनेवाले एक चकोरपक्षीकी कविता लिख कर ली है। वह चकोरपक्षी अगर माताके उदरमें रहनेवाला गर्भ सा बनता हो, तो भी कवि तो हरगिज नाराज नहीं होंगे। अपने-अपने अल्प प्रकृतिमिष्टिमानेवाले तारे भी अपनी जगह छोड़कर चन्द्रसे मिलने कभी जायंगे। परन्तु चन्द्र विनम्र होकर प्रत्येक नक्षत्रसे भेंट करने उसके जाता है। इतना बड़ा प्रेम-मूर्ति अगर गर्भस्थ बालककी चिन्ता नहीं करता तो और कौन करेगा ? चन्द्रकी कलाओंकी पूर्णता पूर्णिमाको ही होती। पूर्णिमाको उद्देश्य करके गृत्समद कहता है, 'हे पूर्णिमे, गर्भके टांके तू मजबूत सुईसे लगा और शतगुणित प्रदान करने वाला पराक्रमशः प्रशंसनीय सेवक उत्पन्न कर—'दहातु वीरं खलदार्थं उथ्यम्' ग्रामसेवा-वृत्तसे : सर्वोदय, सितम्बर, १९४१

: ८ :

## ग्रामलक्ष्मीकी उपासना

हमारा यह देश बहुत बड़ा है। इसमें सात लाख देहात हैं। हमारे देश के शहर बहुत थोड़े हैं। अगर औसत निकाला जाय, तो दसमेंसे एक आदमी शहर में रहता है और नौ देहातमें रहते हैं। पैंतीस करोड़ लोगोंमेंसे, ज्यादासे-ज्यादा, चार करोड़ शहरोंमें रहते हैं। इकतीस करोड़ देहातोंमें रहते हैं। लेकिन इन इकतीस करोड़का ध्यान शहरोंकी तरफ देहातोंमें रहता है। पहले ऐसा नहीं था। देहात मुहताज होकर शहरोंका मुंह बंद कर ताकते थे। लेकिन आज सारी स्थिति बदल गई है।

आज किसानके दो ईश्वर हो गये हैं। आजतक एक ही ईश्वर था

किसान आकाश की तरफ देखता था। पानी बरसानेवाले ईश्वरकी तरफ देखता था। लेकिन आज चीजोंके भाव ठहरानेवाले देवताकी तरफ देखना पड़ता है। इसीको आस्मानी-सुल्तानी कहते हैं। आस्मान भी रक्षा करे और सुल्तान भी हिफाजत करे। परमात्मा खूब फसल दे और शहर भरपूर भाव दे। इस तरह इन देवताओंको—एक आकाशका और दूसरा अमेरिकाका—किसानको पूजना पड़ता है। लेकिन ऐसे दो-दो भगवान काम नहीं आयेंगे। गाँधी कहते हैं ऊपरवाले ईश्वरको बनाये रखो और इस दूसरे देवताको छोड़ो। एक ईश्वर बस है।

अब इस दूसरे देवताकी, याने शहरिये भगवानकी, भक्तिसे छुटकारा पानेका उपाय मैं तुम लोगोंको बतलाता हूँ। हमारे गाँवोंकी सारी लक्ष्मी यहाँसे उठकर शहरोंमें चली जाती है। अपने पीहरसे चल बसती है। इस ग्रामलक्ष्मीके पैर गाँवमें नहीं ठहरते। वह शहरकी तरफ दौड़ती है। पहाड़पर पानी भरपूर बरसता है; लेकिन वह वहाँ कब ठहरता है; वह चारों तरफ भाग निकलता है। पहाड़ बेचारा कोरा-का-कोरा, नंग-धड़ंग, गंजा-बूचा, खड़ा-का खड़ा, रह जाता है। देहातकी लक्ष्मी इसी तरह चारों दिशाओंमें भाग खड़ी होती है। शहरोंकी तरफ बेतहाशा दौड़ती है। अगर हम उसे रोक सकें तो हमारे गाँव सुखी होंगे।

यह देहाती लक्ष्मी कौन-कौन-से रास्तोंसे भागती है, सो देखो। उन रास्तोंको बन्द कर दो; तब वह रुकी रहेगी। उसके भागनेका पहला रास्ता बाजार है, दूसरा शादी-व्याह, तीसरा साहूकार, चौथा सरकार और पाँचवाँ व्यसन। इन पाँचों रास्तोंको बन्द करना शुरू करें।

सबसे पहले व्याह-शादीकी बात लीजिए। तुम लोग व्याह-शादीमें कोई कम पैसा खर्च नहीं करते। उसके लिए कर्ज भी करते हो। लड़की बड़ी हो जाती है, अपने ससुरालमें जाकर गिरस्ती करने लगती है। लेकिन शादीके ऋणसे उसके माँ-बाप मुक्त नहीं होते। यह रास्ता कैसे मूँदा जाय, सो बताता हूँ। तुम कहोगे, 'खर्चमें कतरव्योत करो। भोज न दो, समारोह की क्या जरूरत है?'—बगैरा बगैरा। यह ठीक नहीं। समारोह खूब करो।

ठाठवाठमें कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी पद्धतिसे कम खर्चमें पहलेसे भी ज्यादा ठाठ-वाट तुम्हें देता हूँ।

लड़के-लड़कीकी शादी माँ-बाप ठीक करें। लेकिन वहाँ उनका काम खत्म हो जाना चाहिए—शादी करना, समारोह करना, यह सारा काम गाँव का होगा। माँ-बाप शादीमें एक पाई भी खर्च नहीं करेंगे। जो करेंगे उनको जुमाना होगा ऐसा कायदा गाँववालोंको बना लेना चाहिए।

मान लीजिए मेरे यहाँ शादी है। गाँवके हरेक आदमीको दो-दो, चार-चार आने—जो कुछ तय हुआ हो—मेरे पास लाकर देने चाहिए। मानो सबने मिलकर मुझे वह भेंट दी। उसमेंसे मैं सारे गाँव का नेवता कर सकूंगा। वगैर पैसा इकट्ठा किए और वगैर कर्ज किये शादी हो जायगी। गाँवमें हरसाल वीस पच्चीस या पचास शादियाँ होती होंगी। तो मुझे दो आनेके हिसाबसे, पचास दूने सौ आने, याने मोटे तौरपर छः रुपये देने पड़ेंगे। हरएक जातिकी शादियाँ की जायँ, तो इससे भी कम खर्च लगेगा। मेरे यहाँ दस सालमें शादीका मौका आया। मुझे हरसाल दो-तीन रुपयेके हिसाबसे दस वर्षोंमें तीस रुपये देने पड़े, अब मेरे यहाँ शादीका मौका आया। मुझे कोई खर्च नहीं आयगा। मुझे लोग भेंट देंगे। सब गाँववाले जमा होंगे। बड़ा भारी समारोह होगा। और खर्च कितना आयगा? दस वर्षोंमें तीस रुपये मैंने दिये हैं, वही। याने मेरे यहाँ की शादी तीस रुपयेमें हो गई और उसमें सारा गाँव, सारी जाति शामिल हुई। सभी भोजमें सम्मिलित हुए। लड़के-लड़कीको कितनी खुशी होगी? दुलहे-दुलहिनको सबके आशीर्वाद मिलेंगे। सबके आशीर्वाद पानेसे और बड़ी खुश किस्मती कौन-सी हो सकती है? शादीमें लोगोंको क्यों बुलाया जाता है? इसीलिए कि सबकी सदिच्छा, सबके आशीर्वाद मिलें। इन लड़के-लड़कीकी गिरस्तीके लिए सब अपनी शुभ-कामनाएँ और आशा व्यक्त करें। लड़के सिर्फ माँ-बापके ही नहीं होते। वे सारे समाजके होते हैं। लड़के कोई अच्छा काम करेंगे, तो सारे गाँवका भला होगा, बुरा काम करेंगे तो सारे गाँवकी बुराई होगी।

अगर कोई अपने पैसेसे शादी करे, तो वह पाप मानो। गाँववाले उसे

अपना अपमान समझें। लड़के जितने अपने माँ-बापके हैं, उतने ही समाजके भी हैं। माँ-बापके मर जानेपर क्या वे धूरपर फेंक दिये जाते हैं? गाँव उन्हें सम्हालता है, मदद करता है। शादी भी करेगा। आप इस रास्तेसे जाकर देखिए। प्रयोग कीजिए। साहूकारका ऋण कम होता है या नहीं, देखिए। आपका कर्ज घटेगा। ऋण कम होंगे। सहयोग और आत्मीयता बढ़ेगी।

दूसरा रास्ता बाजारका है। तुम देहाती लोग कपास बोते हो। लेकिन सारा-का सारा बेच देते हो। फिर बुवाईके वक्त विनाले शहरसे मोल लाते हो कपास यहाँ पैदा करते हो। उसे बाहर बेचकर बाहरसे कपड़ा खरीद लाते हो। गन्ना यहाँ पैदा करते हो। उसे बेचकर शहरसे लाते हो। गाँवमें मूंगफली, तिल्ली और अलसी होती है। लेकिन तेल शहरकी तेल-मिलसे लाते हो। अब इतना ही बाकी रह गया है कि यहाँसे अनाज भेजकर रोटियाँ बँवईसे मगाओ। तुम्हें तो बैल भी बाहरसे लाने पड़ते हैं। इस तरह सारी चीजें बाहरसे लाओगे तो कैसे पार पाओगे?

बाजारमें क्यों जाना पड़ता है? जिन चीजोंकी जरूरत होती है, उन्हें भरसक गाँवमें ही बनानेका निश्चय करो। स्वराज्य माने स्वदेशका राज्य, अपने गाँवका राज्य। घर जानेपर तुम लोग सोचो कि अपने गाँवमें क्या-क्या बना सकते हो। देखो, तुम्हें कौन-कौन-सी चीजें चाहिए। तुम्हारी खेतीके लिए बढ़िया बैल चाहिए। उन्हें मोल कहाँतक लोगे? तुम्हें बढ़िया बैल यहीं गाँवमें पैदा करने चाहिए। गायोंका अच्छी तरह पालन करो। एक दो बढ़िया साँड़ उनमें रखो। बाकीके सबको बढ़िया करो। इससे गायोंकी नस्ल सुधरेगी। अच्छे बैल मिलेंगे। बैलोंके लिए बागडोर, नयनी वगैरा चाहिए। गाँवमें सन, पटुआ वगैरा से यहीं बना लो। तुम्हें कपड़ेकी जरूरत है, उसे भी यहीं बनाना चाहिए। गाँवमें बुनकर न हो तो दो लड़कोंको सिखा लाओ। हरएकको अपने घरमें कातना चाहिए। उतना समय जरूर मिल जायगा। मूंगफली गाँवमें ही होती है। यहीं धानी शुरू करो, तो यहीं ताजा तेल मिलेगा। गन्ना गाँवमें होता है। उसका गुड़ बनाओ। शक्करकी विल्कुल जरूरत नहीं है। गुड़ गरम होता है, लेकिन पानीमें मिलानेसे ठंडा

हो जाता है। गुड़में स्वास्थ्यके लिए पोषक द्रव्य हैं। गुड़ बनाओ। खोई जलानेके काम आयगी। गाँवके चमारसे ही जूते बनवाओ। इस तरह गाँवमें ही सारी चीजें बननी चाहिए। पुराने जमानेमें हमारे गाँव ऐसे स्वावलम्बी थे। उन्हें सच्चा स्वराज्य प्राप्त था।

गाँवका ही अनाज, गाँवका ही कपड़ा, गाँवका ही गुड़, गाँवका ही तेल, गाँवके ही जूते, गाँवके ही डोर, गाँवके ही वैल, गाँवका ही घरका पिसा आटा—इस रवैयेको अपनाओ। फिर देखो तुम्हारे गाँव कैसे लहलहाते हैं? तुम कहोगे यह महंगा पड़ेगा। यह केवल कल्पना है। मैं एक उदाहरणसे समझाता हूँ। मान लो, तुम्हारे गाँवमें एक रंगरेज है, एक वुनकर है, एक तेली है, एक चमार है। आज चमार क्या करता है। वह कहता है 'मैं तेलीसे तेल नहीं लूंगा; वह महंगा पड़ता है। तेली क्या कहता है? 'गाँवके चमारका बनाया हुआ जूता महंगा है। मैं शहरमें जूता खरीदूंगा'। वुनकर कहता है—'मैं गाँवका सूत नहीं लूंगा। पुतलीघरका अच्छा होता है'। किसान कहता है—'मैं वुनकर का कपड़ा नहीं लूंगा। मिलका लूंगा। वह सस्ता होता है'। इस तरह आज हमने एक-दूसरेको मारनेका धंधा शुरू किया है। एक-दूसरेको निवाह लेना धर्म है। उसे छोड़कर हम एक-दूसरेको मटियामेट कर रहे हैं।

लेकिन जरा मजा देखिए। तेली चार आने ज्यादा देकर चमारसे महंगा जूता खरीदता है। उसके जेबसे आज चार आने गये। आगे चलकर वह चमार तेलीसे चार आने ज्यादा देकर महंगा तेल खरीदता है। याने उसके चार आने लौट आते हैं। अर्थात् वह महंगा नहीं पड़ता। जहाँ पार-स्परिक व्यवहार होता है वहाँ 'महंगा' जैसा कोई शब्द ही नहीं है। गये हुए पैसे दूसरे रास्तेसे लौट आते हैं। मैं उसकी महंगी चीज खरीदता हूँ, वह मेरी महंगी चीज खरीदता है। हिसाब बराबर। इसमें क्या विगड़ता है? जुलाहेने खादी बनाई और तेली ने वह खरीद ली। तेलीके लिए खादी महंगी है, जुलाहेके लिए तेल महंगा है। बात एक ही है। तेलमें जो पैसे गये वे खादीमें वापस मिले और खादीमें गये सो तेलमें मिल गए। 'इस हाथ देना

उस हाथ लेना' इस तरहका भाईचारेका, सहयोगका व्यवहार पहले होता था। लेकिन वह आज लोप हो गया है।

देहातमें प्रेम होता है, भाईचारा होता है। देहातके लोग अगर एक-दूसरेकी जरूरतोंका ख्याल नहीं करेंगे तो वह देहात ही नहीं है। वह तो शहर के जैसा हो जायगा। शहरमें कोई किसीको नहीं पूछता। सभी अपने-अपने मतलबके लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं, जैसे गोवरका ढेर देखकर सैकड़ों कीड़े जमा होते हैं। उस सड़नेवाले गोवरमें सैकड़ों कीड़े कुलबुलाते हैं। वे कीड़े वहाँ क्यों इकट्ठे हुए? किसी कीड़ेसे पूछो, 'यहाँ क्यों आया? तेरे कोई भाई-बहन यहाँ हैं?' वह कीड़ा कहेगा, 'मैं गोवर खानेके लिए यहाँ आया हूँ और गोवर खानेमें चूर हूँ। मुझे ज्यादा बोलनेकी फुरसत नहीं है।' कलाकन्द, गुड़ आदिपर मक्खियाँ बैठती हैं, सो क्या प्रेमके कारण? उसी तरह शहरोंमें मक्खियोंके समान जो आदमी भिनभिनाते रहते हैं, चींटियोंकी नाईं जिनका ताँता लगा रहता है, वह क्या प्रेमके लिए? शहरमें स्वार्थ और लोभ है। गाँव प्रेमसे बनता है। गाँवमें आग लग जाय, तो सब लोग अपना-अपना काम छोड़कर दौड़ आयेंगे। घरमें कोई बैठा थोड़े ही रहेगा? लेकिन बम्बईमें क्या दशा होगी? सब कोई कहेंगे 'पानीका बम्बा जायगा, मुझे अपना काम है।' इसीलिए एक कवि ने कहा है—'गाँवोंको ईश्वर बनाता है और शहरोंको मनुष्य।'

हमारे बाप-दादा गाँवोंमें रहते थे। आज तो हर कोई शहरमें जाता है। वहाँ क्या घरा है? पीले पत्थर हैं और धूल है। यथार्थ लक्ष्मी देहातमें है। पेड़ोंमें फल लगते हैं। खेतोंमें गेहूँ होता है, गन्ना होता है। यही सच्ची लक्ष्मी है। यह सच्ची लक्ष्मी बेचकर सफेद या पीले पत्थर मत लो। तुम शहर जाकर वहाँसे सस्ती चीजें लाते हो। लेकिन सभी ऐसा करने लगे, तो देहात वीरान दिखाई देंगे। अगर देहातोंको सुखी देखना है, तो शहरके बाजारको छोड़ो। गाँवकी चीजें खरीदो। जो चीज गाँवमें बन ही न सकती हो वह अलवत्ते बाहरसे लाओ। बाहरसे लानेमें भी, अगर वह दूसरे गाँवमें होती हो, तो वहाँसे लाओ। मान लो यहाँ चूड़ियाँ नहीं होतीं, तो सोनगीरसे



लाओ। यहाँ अच्छे लोटे नहीं बनते, तो सोनगीरसे लो। यहाँ रंगरेज न हो, तो मालपुरसे रंगाकर मंगाओ। मालपुरका रंगरेज तुम्हारे यहाँसे गुड़ लेकर जायगा; तुम उसके यहाँसे कपड़े रंगवाओ। तुम्हारे गावमें जो चीजें न बनती हों, उनके लिए दूसरे गांव खोजो। शहरमें कोई चीज खरीदने जाओ तो पहले यह सवाल पूछो कि क्या यह चीज देहातमें बनी है?—हाथकी बनी हुई है? पहले उन चीजोंको पसंद करो। जहाँतक हो सके, यन्त्रोंसे बना हुआ शहरका माल निषिद्ध मानो।

तुम्हारी ग्राम-पंचायतोंको यह काम अपने जिम्मे लेने चाहिए। गांवके भगड़े-टंटे करनेका काम तो पंचायतोंका है ही। लेकिन गांवसे कौन-कौन सी चीजें बाहर जाती हैं, कौन-कौन-सी बाहरसे आती हैं, इसका ध्यान भी पंचायतको रखना चाहिए। नाका बनाकर फेहरिस्त बनानी चाहिए। बादमें, वे चीजें बाहरसे क्यों आती हैं, इसकी जांच-पड़ताल करके उन्हें गांवमें ही बनवानेकी कोशिश करनी चाहिए। बूनकर नहीं है? दूसरे गांवको दो लड़के सीखनेके लिए भेज देंगे। हरएकको यह संकल्प कर लेना चाहिए कि गांवकी ही चीज खरीदूंगा। जो चीज मेरे गांवमें न बनती हो, उसे वहाँ बनवानेकी कोशिश करूंगा। गांवके नेताओंको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 'कैसे होगा? क्या होगा?'—न कहो। उठो; काम शुरू कर दो; चट-से सब हो जायगा। फिर तुम ही चीजों के दाम ठहराओगे। तेली तेल किस भाव बेचे, चमार जूता कितनेमें बना दे, बूनकरकी बुनाई क्या हो?—सब-कुछ तुम तय करोगे। जब सभी एक दूसरेकी चीजें खरीदने लगेंगे तो सब सस्ता-ही-सस्ता होगा। 'सस्ता' और 'महंगा' ये शब्द ही नहीं रहेंगे।

वतलाओ, तुम्हारे यहाँ क्या-क्या नहीं हो सकता? एक नमक नहीं हो सकता। ठीक, नमक लाओ बाजारसे। दो, मिट्टीका तेल। दरअसल तो मिट्टीके तेलकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। परन्तु उसके बिना काम ही न चलता हो तो खरीदो। तीसरी चीज, मसाले। मिर्च तो यहाँ होती ही है। दरअसल तो मिर्च भी बन्द कर देनी चाहिए। मिर्चकी शरीरको जरूरत नहीं है। दियासलाई खरीदनी पड़ेगी। कुछ औजार खरीदने पड़ेंगे। दूसरा कोई

चारा नहीं है। ये चीजें खरीदो। मिट्टीका तेल धीरे-धीरे कम करो। उसके बदले अंडीका तेल काममें लाओ।

परन्तु इनके सिवा वाकी सारी चीजें गांवमें ही बनाओ। खादी गांवमें बननी चाहिए। खादीके कपड़ेके लिए सूतके बटन भी यहीं बन सकते हैं। उन दूसरे बटनोंकी क्या जरूरत है? अगर छातीपर वे बटन न हों तो क्या प्राण छटपटायेंगे? ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर उन्हें फेंक दो। इस कंठीकी क्या जरूरत है? उसके बिना चल नहीं सकता? ऐसी अनावश्यक चीजें गांवमें लाओगे तो ये कंठियां पैरोंकी जंजीरकी तरह जकड़ेंगी या फ्रांसीकी रस्सीकी तरह गला घोट देंगी। बाहरसे ऐसी कंठियां लाकर अपने शरीरको मत सजाओ। भगवान् श्रीकृष्ण कैसे सजता था? वह क्या बाहरसे कंठियां लाता था? वृन्दावनमें मोरोंके जो पंख गिर जाते थे, उन्हींसे वह अपना शरीर सजाता था। पंख उखाड़कर नहीं लाता था। वह मोरके पंखसे सजता था। सो क्या सिड़ी हो गया था? क्या पागल हो गया था? 'मेरे गांवके मोर हैं, उनके पंखोंसे मैं अपने शरीरको सजाऊं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें उन मोरोंकी भी पूजा है'—ऐसी भावनासे वह मोरमुकुट लगाता था। और गलेमें क्या पहनता था? वनमाला। मेरी यमुनाके तीरके फूल—वे सबको मिलते हैं। गरीबोंको मिलते हैं, अमीरोंको मिलते हैं। वह स्वदेशी वनमाला, देहातकी वनमाला, गलेमें पहनता था। और वजाता क्या था? मुरली। देहातके वांसकी वांसुरी—वह अलगोजा। यही उसका वाद्य था।

हमारे एक मित्र जर्मनी गये थे। वह वहां का एक प्रसंग सुनाते थे। "हम सब विद्यार्थी इकट्ठे हुए थे। फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज, जापानी, रूसी, सब एक साथ बैठे थे। सबने अपने-अपने देशके राष्ट्रीय वाद्य बजाकर दिखाये। फ्रांसीसियोंने वायोलिन बजाया, अंग्रेजोंने अपना वाद्य बजाया। मुझे कहा गया, 'तुम हिन्दुस्तानी वाद्य सुनाओ'। मैं चुपचाप बैठा रहा। वे मुझे पूछने लगे, 'तुम्हारा भारतीय वाद्य कौनसा है?' मैं उन्हें बता नहीं सका। "

मैंने तुरन्त अपने उस मित्रसे कहा, “अजी, हमारा राष्ट्रीय वाद्य वांसुरी है। लाखों गावोंमें वह पाई जाती है। सीधी-सादी और मीठी। कृष्ण-भगवानने उसे पुनीत किया है। एक वांसकी नली ले ली, उसमें छेद बना लिये, वस वाद्य तैयार हो गया।”

ऐसा वाद्य श्रीकृष्ण वजाता था। वह गोकुलका स्वदेशी देहाती वाद्य था। अच्छा, श्रीकृष्ण खाता क्या था? बाहरकी चीनी लाकर खाता था? वह अपने गोकुलकी मक्खन, मलाई खाता था। दूसरोंको खाना सिखाता था। ग्वालिनने गोकुलकी यह लक्ष्मी मथुराको ले जाती थीं। परन्तु गांवकी इस अन्नपूर्णाको कन्हैया बाहर नहीं जाने देता था। वह उसे लूटकर सबको बांट देता था। सारे गोकुलके बालक उसने हूष्ट पुष्ट किये। जिन्होंने गोकुलपर चढ़ाई की, उनके दांत उसने अपने मित्रोंकी मददसे खट्टे किये। गोकुलमें रहकर भी वह क्या करता था? गायें चराता था। उसने दावानल निगल लिया, याने क्या किया? देहातोंको जलानेवाले लड़ाई-भगड़ोंका खातमा किया। सब लड़कोंको इकट्ठा किया। प्रेम बढ़ाया। इस तरह यह श्रीकृष्ण गोपालकृष्ण है। वह तुम्हारे गांवका आदर्श है। गोपालकृष्णने गावोंका वैभव बढ़ाया, गावोंकी सेवा की, गावोंपर प्रेम किया, गावोंके पशु-पक्षी, गांवकी नदी, गांवका गोवर्धन पर्वत—इन सबपर उसने प्रेम किया। गांव ही उसका देवता रहा। आगे चलकर वह द्वारिकाधीश बने। लेकिन फिर भी गोकुलमें आते थे, फिर गाय चराते थे, गोवरमें हाथ डालते थे, गोशाला ब्रुहारते थे, वनमाला पहनते थे, वंसी बजाते थे, लड़कोंके साथ, गोपवालोंके साथ, खेलते थे। ‘ब्रजकिशोर’ उनका प्यारा नाम था। ‘गोपाल’ उनका प्यारा नाम था। उन्होंने गोकुलमें असीम आनन्द और सुख पैदा किया।

गोकुलका सुख असीम था। ऐसे गोकुल के अन्नके चार कणोंके लिए देवता तरसते थे। प्रेममस्त गोपालवाल जब भोजन करके दही और ‘गोपाल’-कलेवा खाकर यमुनाके जलमें हाथ धोने जाते थे, तब देवता मछली बनकर वे जूठे अन्नकण खाते थे। उनके स्वर्गमें वह प्रेम था क्या? उन देवताओंको

पैसेकी कमी नहीं थी। लेकिन उनके पास प्रेम नहीं था। हमारे शहर आपके स्वर्ग हैं न ? अरे भाई, वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ भोग हैं, पैसे हैं परन्तु आनन्द नहीं है। अपने गावोंको गोकुलके समान बनाओ। तब वे शहरके नगरसेठ तुम्हारे गांवकी नमक रोटीके लिए लालायित होकर दौड़ते आयेगें। हमें देहातोंको हराभरा गोकुल बनाना है—स्वाश्रयी, स्वावलंबी, आरोग्य-संपन्न, उद्योगशील, प्रेमल। ईसका कोलू चल रहा है, चरखा चल रहा है, धुनिया धुन रहा है, तेलका कोलू चू-चर्र बोल रहा है, कुंएपर मोट चल रही है, चमार जूता बना रहा है, गोपाल गायें चरा रहा है, और वंशी बजा रहा है—ऐसा गांव बनने दो। अपनी गलतीसे हमने गावोंको भरघट बनाया। आइए अब फिर उसको गोकुल बनायें।

कागज एरंडोलका खरीदो। दंतमंजन राखका बनाओ। ब्रश दतीनके बनाओ। विदेशी कागजकी झंडियां और पताकाएं हमें नहीं चाहिए। अपने गांवके पेड़ोंके पल्लव—ग्राम-पल्लव लो। उनके तोरण और वंदनवार बनाओ। गांवके पेड़ोंका अपमान क्यों करते हो ? बाहरसे चीजें लाकर वंदनवार लगाओगे तो गांवके दरख्त रुठेंगे। वे समारोहमें हाथ बंटाना चाहते हैं। उनके कोंपल लाओ। हमारे धार्मिक मंगल उत्सवोंके लिए क्या कागजके तोरण विहित हैं। आमके शुभ पल्लव चाहिए और घड़ा चाहिए। कलश चाहिए। सो क्या टिनपाँटका होगा ? वह पवित्र कलश मिट्टीका ही चाहिए। तुम्हारे गांवके कुम्हार का बनाया हुआ चाहिए। देखो हमारे पूर्वजोंने गांवके चीजोंकी कैसी महिमा बढ़ाई है। उस दृष्टिको अपनाओ। सारा नूर पलट जायगा। जिधर-उधर दूसरी ही दुनिया दिखाई देने लगेगी। समृद्धि और आनंद दिखाई देने लगेंगे।

हमने व्याह-शादीकी बातका विचार किया। बाजारके सवालका विचार किया। अब, पहले व्यसनोंकी बात लेता हूँ। अपने बशकी बातें पहले ले लें। वादमें सरकार और साहूकारकी बात सोच लेंगे।

कोई दिन भर फू-फू धीड़ी फूंकते रहते हैं। कहते हैं, 'बीड़ियां तो घरकी ही हैं। वे बाहरसे नहीं आतीं।' अरे भाई, जहर अगर घरका हो तो क्या

खा लोगे ? घरका जहर खाकर पूरी सोलह आने स्वदेशी मृत्युको स्वीकार करोगे ? जहर चाहे घरका हो या बाहर का, त्याज्य ही है । उसी तरह सभी व्यसन बुरे हैं । उन सबको छोड़ना चाहिए । वे प्राणघातक हैं । शराबके बारेमें कहोगे तो पहले महाराष्ट्रमें शराब नहीं थी । महाराष्ट्रका पहला गवर्नर एर्लफिस्टन साहब था । उसने महाराष्ट्रका इतिहास लिखा है । उसमें वह कहता है--“पेशवोंके राजमें शराबसे आमदनी नहीं थी । लेकिन आज तो गांव-गांव में पियक्कड़ हैं सरकार उलटे उन्हें सुभीता कर देती है । लेकिन सरकार सुविधा कर देती है, इसलिए क्या हम शराब पीयें ? हिंदुस्तानमें दो मुख्य धर्म हैं--हिंदू-धर्म और इस्लाम । इन दोनों धर्मोंमें शराब पीना महान पाप माना गया है । इस्लाममें शराब हराम है । हिंदू-धर्ममें शराबकी गिनती पंच महापातकोंमें होती है । शराब पीकर आखिर हम क्या साधते हैं ? प्राणोंका, कुटुम्बका, धनका और इन सबसे प्रिय धर्मका—सभी चीजोंका नाश होता है ।

वीड़ी और शराबके वाद तीसरा व्यसन है बात-बातमें तकरार करना । कृष्णने भगड़ोंके दावानल निगल लिये । तकरार मत करो; और अगर भगड़ा हो ही जाय तो गांवके चार भले आदमी बैठकर उसका तस्फिया करो । अदालतकी शरण न लो । अदालतें तुम्हारे गावोंमें ही चाहिए । जिस प्रकार और चीजें गांवकी ही हों, उसी प्रकार न्याय भी गांवका ही हो । तुम्हारे खेतोंमें सब कुछ पैदा होता है । लेकिन न्याय तुम्हारे गांवमें न पैदा होता हो तो कैसे काम चलेगा ? गांवका धान्य, गांवका वस्त्र और गांव का ही न्याय हो । बाहरकी कचहरी, अदालतें किस काम की ? चीजोंके लिए जिस तरह हम परावलम्बी न होंगे, उसी तरह न्याय के लिए भी नहीं होंगे । प्रेमसे रहो । दूसरेको थोड़ा-बहुत अधिक मिल जाय, तो भी वह गांवमें ही रहेगा, लेकिन दूर चला जानेपर, न हमें मिलेगा, न तुम्हें मिलेगा, सारा भाड़में जायगा । गांवमें ही पंचोंमें परमेश्वर है । उसकी शरण लो ।

भोजन वगैरा दीगर बातोंकी ऊहापोह यहां नहीं करता । जीवन

निर्मल और विचारमय बनाओ । हरएक काम विवेक-विचारसे करो ।

चौथी बात साहूकारकी है । तुम ही अपने घर कपास लोड़कर बीजके लायक विनीले संभालकर रख लोगे, घरमें ही कपड़ा बना लोगे, मूंगफली, अलसी घरमें रखकर गांवके कोल्हूसे तेल निकलवा लोगे, अदालत-इजलासमें जाना बन्द कर दोगे, गांवहीमें सारे भगड़े तय कर लोगे और मेरे बतलाये ढंगसे व्याह-शादियां करोगे तो साहूकारकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी । लेकिन तिसपर भी सभी लोग साहूकारके पाशसे छुटकारा नहीं पायेंगे । कर्जदार फिर भी रहेंगे । लेकिन कर्जकी तादाद कम हो जायगी ।

तुम्हारी कर्जदारीका सवाल स्वराज्यके बिना पूरी तरह हल नहीं होगा । स्वराज्यमें सबके हिसाब जांचे जायेंगे । जिस साहूकारको मूलधनके बराबर व्याज मिल चुका होगा, उसका कर्ज अदा हो चुका ऐसा घोषित किया जायगा । जिस साहूकारका मूलधन भी न मिला होगा, सूदके रूपमें भी न मिला हो, उससे समझीता करेंगे । इसी तरहके उपायसे वह सवाल हल करना होगा । तटस्थ पंच मुकर्रर करके तहकीकतके वाद जो उचित होगा, किया जायगा । तबतक आजके बतलाये उपायोंसे काम लेना चाहिए और धीरे-धीरे साहूकारसे दूर रहनेकी कोशिश करनी चाहिए । परन्तु कर्ज चुकानेके फेरमें बाल-बच्चोंको उपेक्षा न करो । बच्चोंको दूध-धी दो । भरपूर भोजन दो । लड़के सारे समाजके हैं । मैं अपने साहूकारसे कहूँगा, “मैं अपने बच्चोंको थोड़ा दूध दूँ ? उन्हें दूधकी जरूरत है ।” बच्चे जितने मेरे हैं, उतने ही साहूकारके भी हैं । वे सारे देशके हैं । लड़कोंको देनेमें तुम साहूकारको ही देते हो । इसलिए पहले भरपेट खाओ, बालबच्चोंको खिलाओ, । घरकी हाजतें पूरी होनेपर कुछ बकाया रहे, तो जाकर दे दो । कर्ज तो देना ही है । खा-पीकर देना है । भोग-विलासके वाद नहीं । ‘कुछ बचा तो ला दूंगा’—साहूकारसे कह दो ।

इस तरह चार बातें बतलाई । गांवकी लक्ष्मीके बाहर जानेके चार दरवाजे बताये और उन्हें बन्द करनेके उपायोंकी दिशा भी बताई । अब

पांचवीं बात सरकार है । यह सरकार कैसे बन्द की जाय ? तुम अपनी चीजें बनाने लगे, अपने गांवमें बनाने लगे, तो सरकार अपने आप सीधी हो जायगी । सरकार यहां क्यों रहती है ? विलायतका माल आसानीसे तुम बेवकूफोंके हाथ विक सकता है, इसलिए । कल बुद्धिमान बनकर अगर अपने गांव स्वावलंबी बनाओगे, तो सरकार अपने आप नरम हो जायगी । जिस चीजकी जरूरत हो उसे गांवमें ही बनाओ । जो इस गांवमें न बन सके उसे दूसरे गांवसे लाओ । शहरके कारखानोंका बहिष्कार करो । विदेशी चीजोंकी तो बात ही कौन पूछता है ? विदेशी और स्वदेशी कारखानोंको तुम अपने गांवसे जो खाद्य पहुँचाते हो, उसे बंद करो । आपसमें एकता करो । लड़ना-भगड़ना छोड़ दो । अगर लड़ो भी तो गांवमें ही फैसला कर लो । कचहरी-अदालतका मुंह न देखनेका संकल्प करो । गांवकी ही चीजें, गांवका ही न्याय । अगर ऐसा करोगे तो एक पंथ दो काज होंगे । दरिद्रताका कष्ट दूर होगा और सरकार अन्तर्धान हो जायगी । तुम इस तरह स्वावलंबी, निर्व्यसनी, उद्यमी और हिलमिलकर रहनेवाले बनो; तब सरकार तुम्हारे हक दिये बिना रह ही नहीं सकती । तुम्हारी इतनी ताकत बढ़ने पर भी अगर सरकार तुम्हारे हक न देगी, तो फिर सत्याग्रह तो है ही । उस हालतमें जो सत्याग्रह होगा, वह ऐसा पचास-साठ हजारका टुटपूँजिया सत्याग्रह न होगा । उसमें तो पचास-साठ लाख लोग शरीक होंगे ।

तुम लगानके रूपमें दस हजार रुपया देते हो । लेकिन कपड़ोंके लिए पच्चीस हजार देने हो । अब, मानलो कि यह सरकार यहांसे जल्दी नहीं टलती । उसका लगान कम नहीं होता । स्वराज्य मिलनेपर कम करेंगे । लेकिन वह पराक्रम जब होगा तब होगा । फिर भी अगर कपड़ा गांवमें ही बनानेका संकल्प कर लें, तो क्या होगा ? हरएकको तीन सेर रुईकी जरूरत होगी । हर कुटुंबमें अगर पांच आदमी हों, तो पन्द्रह सेर रुई हुई । दोनेके लिए जितने विनीलोंकी जरूरत हो, उतनी बढ़िया कपास खेतसे बीनकर घरपर ही लोड़ो । बढ़िया विनीले मिलेंगे । जो रुई होगी उसमेंसे

अपने परिवारके कपड़ोंके लिए आवश्यकतानुसार रख लो और बाकीकी बेच दो। फी आदमी पक्की तीन सेर रुईके दाम सवा रुपया होंगे। बत्तीससौ आदमियोंको चार-पांचहजार की रुई रखनी होगी। कपड़ा पच्चीस हजारका होगा। उसमेंसे पांच हजार घटा दीजिए, तो बीस हजार गांवमें रहेंगे। सरकार लगानके दस हजार ले जायगी। लेकिन तुम बीस हजार बचाओगे। इसलिए गांधी कहते हैं कि खादी ही स्वराज्य है। अकेले खादीकी वदीलत बीस हजार रुपये गांवमें रह गए। कल स्वराज्य मिल जाय तो क्या होगा? लगान आधा याने दस हजारका पांच हजार, हो जायगा। याने तुम्हारे पांच हजार रुपये बचेंगे। लेकिन खादी बरतनेसे बीस हजार बचेंगे। इसलिए वास्तविक स्वराज्य किस वस्तुमें है यह जानो।

पहले दूसरे कई राज्य हुए तो भी देहातका यह वास्तविक स्वराज्य कभी नष्ट नहीं हुआ था। सीलिए हमें रोटियोंके लाले नहीं पड़े। परन्तु इस राज्यमें यह खादीका स्वराज्य, देहाती उद्योग-धंधोंका स्वराज्य, नष्ट हो गया है। इसीलिए देहात वीरान और डरावने दिखाई देने लगे। इंग्लैण्डका मुख्य आधार कर या किसान नहीं हैं, बल्कि करोड़ों रुपयेका व्यापार है। लगानके रूपमें उसे दस हजार ही मिलेंगे। लेकिन तुम्हें कपड़ा बेचकर वह बीस हजार ले जायगा। शक्कर, घासलेट वगैरा सैकड़ों ऐसी ही चीजें हैं। इसलिए वास्तविक स्वराज्यको पहचानो। हम सरकारको अपने पराक्रममे कब निकाल सकेंगे, सो देखा जायगा। परन्तु तबतक मेरे बतलाये उपायोंसे अपने गांव स्वावलंबी, उद्यमी, प्रेममय बनाओ। इसीमें सब कुछ है।

महाराष्ट्र धर्मसे : सर्वोदय, दिसंबर, १९४१

---

१. कसारा (खानदेश) में दिया गया एक भाषण।



: ९ :

## आत्माकी भाषा

मैं पहले-पहल मद्रास आया हूँ । मुझे इस वक्त यहां आने का ख्याल भी नहीं था । आप लोग जानते हैं कि मैं जेल-यात्री हूँ । तीसरी बार मैं जेल हो आया हूँ और सरकारके हिसाबसे मैं पक्का कैदी बन गया हूँ । फिर भी ये क्रिसमसके दिन हैं और क्रिसमसके दिनोंमें सत्याग्रह स्थगित रखनेकी हमारी नीति है । लड़नेवाले सबके सब यूरोपियन राष्ट्र ईसाई हैं । जापान अभी लड़ाईमें उतरा है । उसे छोड़कर बाकीके सब राष्ट्र ईसाई होनेपर भी क्रिसमसके दिनोंमें लड़ाई बन्द नहीं रखते । अहिंसा धर्मको माननेवाले इसका खयालकर कम-से-कम क्रिसमसके दिनोंमें सत्याग्रह स्थगित करते हैं । फिलहाल वर्किंग कमेटी विचार कर रही है, इस बीच मुझे आपके सामने आनेका मौका मिल गया है अन्यथा, मैं शांतिसे नागपुर-जेलमें होता ।

प्यारे भाइयो, आपको देखकर मुझे अत्यंत आनन्द हुआ है; खासकर विद्यार्थियोंके सामने होनेपर मेरा हृदय समुद्रकी तरह उमड़ता है । इसका कारण यह है कि मैं अभीतक विद्यार्थी रहा हूँ, आगे भी ऐसा ही बना रहनेकी उम्मीद है ।

आपसे एक बातके लिए मुझे क्षमा माँगनी चाहिए । पदवी-दान समारंभके अवसरपर पहले लिखकर लाने और अवसरपर उसे दुहरा देनेका एक रिवाज-सा हो गया है । मैं ऐसा नहीं कर सका । मैं निर्गुण भक्तिसे सगुण भक्तिकी ओर कुछ विशेष ध्यान रखता हूँ । उसकी ओर मेरा विशेष आकर्षण है । मैंने सत्यनारायणजीसे कहा कि विद्यार्थियोंके चेहरे देखने अर्थात् सगुण और साकार दर्शनके बाद ही मुझे कुछ बोलना सूझेगा, पहले नहीं । इसलिए वह रिवाज तोड़कर बोल रहा हूँ । जिस काममें हम पड़े हैं वह महान् कार्य है । उसकी महत्ता क्या है, उस विषयमें हमें क्या करना है, इसकी कुछ रूप-रेखा मैं आप लोगोंके सामने रखने वाला हूँ । मैं दक्षिण

भारतमें एक विशेष भक्तिभाव लेकर आया हूँ, यानी दक्षिणवासियोंके प्रति मेरे मनमें पूज्य भाव है। मैंने भागवतमें पढ़ा है कि जब पृथ्वीके अन्य स्थानोंसे मानवता और भक्तिका लोप हो जायगा, तब भी द्राविड़में वह मानवता और भक्ति कायम रहेगी। मुझे भविष्यवाणी करना नहीं आता। अगर मैं भविष्यवाणी करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि दुनियामें दिन-ब-दिन भक्ति बढ़ेगी। यद्यपि फिलहाल चलनेवाले युद्धसे वात उल्टी दिखाई दे रही है।

हम जानते हैं कि दुनियाका पहला ग्रन्थ ऋग्वेद है। इसके पहलेका कोई लिखित ग्रन्थ हमको अबतक नहीं मिला। इसलिए ऋग्वेद ही हमारे लिए एक बहुत प्राचीन प्रामाणिक वस्तुके रूपमें है। मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तानकी एकता का खयाल ऋग्वेदमें भी मौजूद है। ऋग्वेदका एक मन्त्र कहता है कि इस देशमें दो तरफसे—दो वाजुओंसे दो हवाएं वह रही हैं। एक समुद्रकी तरफसे आती है दूसरी पर्वतकी तरफसे। जिस समुद्रकी तरफसे हवा आती है उसको हम हिंद महासागर कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हिमालयकी गहन गुफाओंसे एक हवा आती है और दूसरी सिंधुसे बहती है। इस खयालसे हिंदुस्तान समुद्रसे लेकर हिमालयतक एक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम जो स्वासोच्छ्वास लेते हैं उसकी उपमा वे ऋषि दे रहे हैं। वे कहते हैं कि प्राणायाम करने वाले योगी अन्दर एक हवा लेते हैं और बाहर दूसरी हवा छोड़ते हैं। जैसे योगीके अन्दरकी गुफा और बाहरका अंतरिक्ष दो भाग हैं वैसे ही भारतका हिमालय और समुद्र है। भारत भूमि भी इसी तरह प्राणायाम कर रही है। हिमालयसे वायु छोड़ती है और समुद्रसे लेती है। अब जो अर्थ निकला उससे यह साफ है कि हिंदुस्तानकी एकता अभीकी नहीं है बल्कि हजारों वर्ष पहलेकी है। रामायणमें एक स्थानपर वाल्मीकिने श्री रामचन्द्रजीको समुद्रके समान गंभीर और पर्वतके समान स्थिर कहा है। उन्होंने रामचन्द्रजीको एक राष्ट्र-पुरुषके रूपमें चित्रित किया है। हजारों वरस पहले ही जब पारस्परिक संबंध के कुछ साधन नहीं थे तभी हमारे पूर्वजोंने इस भूमिको एक विशाल राष्ट्र मान लिया था। इतने विशाल देशको एक राष्ट्र मानना इस जमानेके लिए कोई नई बात नहीं है।

आजके यूरोपके युद्ध जैसे अनेक युद्धोंका प्रयोग यहां हो चुका है और हिंदुस्तानके लोगोंने उससे सीखा भी है। मैं उम्मीद करता हूँ, यूरोपवाले भी इस युद्धके बाद देखेंगे कि यूरोपको एक राष्ट्र मानना अच्छा है। हमारी पुरानी एकताका साधन क्या था ? हमारी संस्कृत भाषा। उस समय हमारी भाषा संस्कृत थी। अब संस्कृतके अनेक अंग वन गए और अलग-अलग भाषाएं वन गईं। अलग-अलग सूवोंमें अलग-अलग भाषाका प्रयोग होने लगा। इतना होते हुए भी जो लोग राष्ट्रीयताका खयाल करते थे वह संस्कृतमें बोलते और लिखते थे। आप देखेंगे कि केरलमें पैदा हुए शंकराचार्यजीने दक्षिणसे हिमालयतक अपने अद्वैतका प्रचार संस्कृत द्वारा किया, जब मालावारकी भाषा दूसरी थी। कारण, वह उस वक्त भी राष्ट्रीयताका खयाल रखते थे। सवाल उठता है कि अपने अद्वैतका प्रचार करनेके लिए उन्हें हिन्दुस्तान भरमें घूमनेकी क्या जरूरत थी। अद्वैतकी दृष्टिसे ही देखा जाय तो उनका अद्वैत जहां उनका जन्म हुआ था वहीं पर पूर्णतया प्रकट हो सकता था। उनको घूमनेकी जरूरत क्या पड़ी ? एक और बात यह है कि वह हिन्दुस्तान के बाहर नहीं गये। इस तरह आप समझेंगे कि उन्होंने एक राष्ट्रीयताका खयाल करके अपने अद्वैत का प्रचार सिंधुसे लेकर परावर्ततक किया। लेकिन उनमें भी एक मर्यादा थी। उन्होंने आम लोगोंकी भाषा छोड़कर सिर्फ संस्कृतमें ग्रन्थ लिखे। उनके वादके संतोको लाचार होकर आम लोगोंकी भाषामें लिखना पड़ा। और संस्कृतको छोड़ना पड़ा। अलग-अलग भाषामें अलग-अलग ग्रन्थ लिखे जाने लगे। अलग-अलग भाषा हो जानेके कारण प्रांतीयताका भाव पैदा होने लगा। इसका नतीजा हुआ कि अंग्रेजोंने लश्करके दो विभाग किये — दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा। उन्होंने देखा कि उत्तरवाले दक्षिणकी भाषा नहीं समझते और दक्षिणवाले उत्तरकी भाषा नहीं समझते। अगर दक्षिणमें बलवा हुआ तो उत्तरी सेना यहां पर काम देगी। यह आपको कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ। १८५७ के बलवेको मैं भारतीय स्वातन्त्र्यका संग्राम मानता हूँ। उसको दवानेके लिए मद्राससे सेना भेजी गई

थी। यद्यपि भारत हजारों सालसे एकत्र रहा फिर भी वादको भाषाका संबंध टूट गया और अंग्रेजोंने इसका फायदा उठाया। गांधीजीने देखा कि अगर हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपने प्राचीनतम राष्ट्रोंको (जो हिमालयसे सिन्धुतक फैला है) ताकतवर बनाना चाहते हैं तो एक राष्ट्रभाषाकी सख्त जरूरत है। अब संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसलिए अभी हिन्दुस्तानमें जो प्रचलित भाषा है उसका अभ्यास सबको करना होगा। इसलिए गांधीजीने हिन्दी भाषाको सबके सामने रखा कि सब उसका अभ्यास करें। अब वस्तु-स्थिति यह है कि जब हिन्दुस्तानमें कांग्रेसका जन्म हुआ तब शुरू-शुरूमें आपसके व्यवहारके लिए अंग्रेजी काममें लाई गई। इस तरह हमारे पढ़े-लिखे आदमी अंग्रेजी भाषाका उपकार मानते थे और शुरू-शुरू में अंग्रेजीसे काम चलाते थे। लेकिन किसीको यह न सूझाकि सबके लिए अंग्रेजी सीखना मुश्किल है। वह हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। यह बात सिर्फ गांधीजीको सूझी।

जैसे हिन्दीमें तुलसी रामायण लिखी गई है, वैसे ही तामिलमें या बंगलामें क्या सौ बरसके अंदर ऐसा कोई उत्तम ग्रन्थ लिखा गया है जो गांव-गांवमें फैला हो? प्राचीन जमानेमें ऐसा कोई साधन नहीं था जैसा हमारे यहां अब है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जैसे महान् प्रचारकके होते हुए भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तामिल नहीं जानता। लेकिन मेरे भाइयोंने बताया है कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसका प्रचार देहाततक हुआ हो। बहुतसे प्रकाशक मुझे मिल चुके हैं। और मैं उनसे पूछ आया हूँ कि आप प्रकाशक हैं या अप्रकाशक? पुराने जमानेमें जब कोई पुस्तक लिखता था तो उसको लेकर घूम-घूमकर उसका प्रचार भी करता था। मगर आज हम मान बैठे हैं कि प्रिंटिंग-प्रेससे हमारा काम बन गया। तुलसी-रामायणने जनताकी सच्ची सेवा की है। नागपुरमें मुझे जब तुलसी-रामायण कहनेका मौका मिला तो एक बातपर मेरा ध्यान गया। आजकल छोटे बच्चोंको (जो प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं) अक्षर सिखानेके लिए ऐसा पाठ लिखा जाता है जिसमें संयु-ताक्षर नहीं होते। नागरी और बंगलामें संयुक्ताक्षरका प्रचार है।

इसलिए वहां जो विना संयुक्ताक्षरके लिखा जाता है, वह कुछ कृत्रिमसा बन जाता है। लेकिन तुलसी-रामायणमें ५० सैकड़े शब्द ऐसे मिलेंगे जिनमें एक भी संयुक्ताक्षर नहीं है। यह तुलसीदासकी विशेषता है। उत्तर भारतमें श, प, स का उच्चारण एक ही तरह किया जाता है। लिखेंगे अलग-अलग पर, उच्चारण करेंगे एक ही ढंगसे। तुलसीदास संस्कृतके प्रकांड विद्वान् थे, परन्तु वह लोगोंको उठानेके लिए स्वयं भुके, जैसे माता भुकेकर अपने बच्चेको उठा लेती है। पर आजकलके हमारे पब्लिशर लोग क्या करते हैं ?

हम लोग गुलाम बन गये और गुलामीको प्यार भी करने लगे। अब अभिमान भी करते हैं। आप देखेंगे कि हमारी भाषा और देहाती भाषामें अंतर पड़ रहा है। हमारे ग्रन्थ आम जनतातक नहीं पहुँच सकते। संतोंने देखा कि हमको देहाती भाषामें बोलना और लिखना चाहिए। गांधीजीने देखा कि जबतक अंग्रेजी भाषामें सोचते रहेंगे, तबतक हम गुलाम ही रहेंगे। मैं मानता हूँ कि अंग्रेजीसे हमारा कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा और हमारी भाषामें बड़ा फर्क है। हम लोग कहते हैं 'आत्म-रक्षा'। आत्माके मानी शरीर नहीं है। पर अंग्रेजीमें आत्मरक्षा है 'सेल्फ-डिफेंस'। हरेक भाषामें उसका अपना-अपना स्वतन्त्र-भाव रहता है। जबतक हम अंग्रेजीद्वारा ही सोचते रहेंगे, तबतक हममें स्वतन्त्रभाव पैदा नहीं होगा; यह गांधीजीने देखा। लोग समझते हैं कि अंग्रेजीसे ही हमें ज्ञान मिलता है। अगर किसी देशके बारेमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो अंग्रेजी पुस्तक पढ़ना पर्याप्त समझते हैं। अंग्रेजी-नेत्र द्वारा ही सभी बातोंको देखते हैं और खुद अंधे बनते हैं। अबतक हमने प्रत्यक्ष परिचय नहीं पाया है। अंग्रेजी किताबों द्वारा ही ज्ञान-संपादन करते आये हैं। अंग्रेजी भाषाके कारण हम पुरुषार्थ-हीन हो गये हैं। यहां ऐसा मैंने सुना कि दो श्रेणी पढ़नेके बाद बच्चोंको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। वर्धाकी शिक्षा-योजनाके अनुसार हमने सात बरसकी पढ़ाईमें अंग्रेजीको बिलकुल स्थान नहीं दिया है। क्योंकि हम मातृभाषाको पहले स्थान देना चाहते हैं और उसी माध्यम द्वारा सभी विषय पढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा-

द्वारा जब हम कोई बात समझते हैं तो वह अस्पष्ट होती है। मैंने देखा कि एक अनपढ़ किसानका दिमाग साफ रहता है, पर एक एम० ए० का दिमाग साफ नहीं होता। इसका कारण यह है कि एम० ए० जितना विषय सीखता है सब-का-सब पराई भाषाके द्वारा सीखता है। बच्चा पहले मातृभाषामें सीखता है। यह सब गांधीजीने देखा और यह सोचकर कि राष्ट्रभाषा बननेसे कम-से-कम दस करोड़ लोग तो अपनी भाषा को अच्छी तरह सीख पायेंगे, हिन्दीको राष्ट्र भाषाका रूप दिया। २३ सालोंमें, मैंने सुना है कि दक्षिणमें करीब १२ लाख लोग हिन्दी सीख चुके हैं।

आजकल हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू का भगड़ा है। मुझसे जब कोई पूछता है कि आप हिन्दीको चाहते हैं, हिन्दुस्तानीको या उर्दूको ? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप 'माता' को चाहते हैं या 'मां' को ? मुझे हिन्दुस्तानी और उर्दूमें फर्क नहीं मालूम होता। दाढ़ी बनानेमें और उसकी हजामत करनेमें जितना फर्क है उतना ही हिंदी और उर्दूमें है — बड़ी दाढ़ी उर्दू है, सफाचट हिंदी। क्योंकि हम देखते हैं कि दाढ़ी १५ मिनटमें बढ़ती है। अंग्रेजीमें मिलटन और वर्डस्वर्थकी भाषामें जितना फर्क है उतना ही फर्क हिन्दी और उर्दूमें है। दो-चार उर्दू शब्दों या संस्कृत शब्दोंसे भाषा कभी नहीं बदलती। मैं मद्रासमें अब जो भाषा बोल रहा हूँ उसमें संस्कृत शब्दोंका प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं पंजाब गया तो उर्दू शब्दोंका, जो मैं जानता हूँ इस्तेमाल करूंगा। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दूमें कुछ भी फर्क न करें। उनमें फर्क नहीं है। हिंदी और उर्दूमें जो वैलेंस लाया गया है वह है हिन्दुस्तानी। आपको मालूम है, गांधीजी 'वैलेंस डायट' के हिमायती हैं और उन्होंने इसको हिन्दुस्तानी नाम दिया है। आप इन भगड़ोंमें मत पड़िये। जिस भगड़ेमें कोई अर्थ नहीं उस भगड़ेमें पड़नेसे फायदा ही क्या ?

और एक बात मुझे कहनी है। आप जिस कार्यमें लगे हैं वह युद्ध-विरोधी कार्य है। आज जो युद्ध चल रहा है वह दुनियामें केवल द्वेष बढ़ाने वाला है। हिंदीका प्रचार प्रेमका प्रचार है। इसलिए मैं इसको युद्ध-विरोधी प्रचार

मानता हूँ। अगर कोई हिन्दुस्तानी वच्चेसे पूछे कि तुम्हारे कितने भाई हैं तो उसको कहना चाहिए—“हम चालीस करोड़ हैं।” आजकल हममें प्रांतीय भगड़ा भी है। एक प्रांतकी सीमापर दो तरहके लोग रहते हैं और वे भगड़ते हैं कि अमुक स्थान हमारा है। अगर कोई मुझसे यहां पूछे कि डेनजिग कहां है तो मैं कहूंगा कि डेनजिग वहीं पर है जहां वह खड़ा है। हिन्दुस्तानमें अनेक भाषाओंको और अनेक धर्मोंको रहना है। इसलिए अगर यहां ऐसे छोटे-मोटे भगड़े हुए तो हिन्दुस्तान जैसा कोई वदनसीव देश नहीं होगा। हम सब एक हैं, यह भाव पैदा करनेके लिए हमारे पास कोई साधन होना चाहिए। वह साधन है राष्ट्रभाषा।

राष्ट्रभाषा प्रांतीय भाषाकी जगह नहीं लेगी। मातृभाषाके लिए भी प्रेम की जरूरत है। पाश्चात्य लोगोंसे हमने ‘अभिमान’ शब्द सीखा है। पर इसमें देशप्रेम नहीं है। पेट्रियाटिज्म क्या चीज है? वह देश-प्रेमका अपभ्रंश है। राष्ट्रभाषाका अपभ्रंश है पेट्रियाटिज्म। इसलिए आप लोगोंको मातृभाषाका अभिमान नहीं, प्रेम रखना चाहिए। राष्ट्रका अभिमान नहीं, राष्ट्र-प्रेम रखना चाहिए। हम राष्ट्रभाषाका प्रेम चाहते हैं। राष्ट्रभाषाका प्रचार युद्ध-विरोधी संदेशका प्रचार है। अगर हम मानव-समाजमें प्रेम बढ़ाना चाहते हैं और मानव-समाजको प्रेमकी नींवपर स्थापित करना चाहते हैं तो एक-दूसरेका संबंध कायम रखनेके लिए रेलवे काम नहीं देगी; रेडियो काम नहीं देगा। आपके अंतरात्माका प्रेम काम देगा। इसी प्रेमके प्रचारके लिए हिन्दी-प्रचार-सभा स्थापित है।

सर्वत्र आत्मा एक है। आत्माकी भाषा सर्वत्र समान होती है। जैसे दुनिया भरका कौवा एक ही भाषा बोलता है वैसे ही दुनियामें मानव-भाषा एक है। यह हृदयके अंतरतमकी भाषा है। मानव-मात्रकी एक भाषा है। जो आत्मभाव उपनिषद्में है वह ईसप्स फेब्रल्समें है। लड़कोंको ईसप्स फेब्रल्स पढ़नेमें बड़ा आनंद आता है। क्योंकि वे आत्माको पहचानते हैं। आत्माकी भाषाके प्रचारमें राष्ट्रभाषाका प्रचार पहला कदम है। आत्माकी भाषा जब समझ लेंगे तब सबकी आत्माको समझेंगे। स्त्री-पुरुषकी आत्मा

## सरकार की चुनौती का जवाब

एक है, हिंदू-मुसलमानकी आत्मा एक है। उत्तर और दक्षिणकी आत्मा एक है, इसको पहचाननेके लिए ही यह राष्ट्रभाषाका प्रचार है। मैंने अपने हृदयकी बातें आपके सामने रखीं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं है।  
हिंदी प्रचार समाचार : मद्राससे—जनवरी, १९४२

: १० :

## सरकार की चुनौतीका जवाब

जब-जब मैं जन-समूहके सामने बोलने खड़ा होता हूँ, तब-तब हमेशा मेरे हृदयमें अत्यंत उत्साह भरा होता है। क्योंकि आप भाई-बहनोंके दर्शनमें एक प्रकारकी पावनता अनुभव होती है। मगर मुझे कबूल करना चाहिए कि आज आपके सामने बोलनेमें मुझे हमेशाका-सा उत्साह अनुभूत नहीं होता। इसका कारण यह है कि जिस तरह हम लोगोंकी रिहाई हुई है और आपके सामने बोलनेका प्रसंग आया है, उसमें उत्साहका कारण नहीं है; उल्टे उदासीनताका कारण है। आपमेंसे बहुतोंको आनन्द होता होगा कि जेलमेंसे हमारे भाई छूटकर हमारे बीचमें आ गये हैं और हमसे मिलेंगे। परन्तु मिलनेका आनन्द भी, पररिस्थिति विपरीत हो, तो विलीन हो जाता है। जरा-सा विचार करके देखनेसे ध्यानमें आ जायगा कि आजका मिलना आनन्दका विषय नहीं है।

सरकारने सत्याग्रही कैदियोंको छोड़नेका निश्चय किया है, इसकी जड़में सद्भावना प्रतीत होती, तो वह अलग चीज होती। परन्तु आजतक एमरी साहबके जो व्याख्यान-प्रवचन, आधे दिन सुननेको मिले, उनपर ध्यान देनेसे दूसरा ही दृश्य दिखाई देता है। हम जेलमें अपने आप गये थे। हमारे सामने भाषण-स्वातन्त्र्यका बड़ा भारी सवाल था। वह जबतक हल न हो जाय,

१. द० भा० हिंदी प्राचर सभा, मद्रासके ग्यारहवें पदवीदान समारंभपर दिए गए दीक्षांत भाषणकी रिपोर्ट—।



तबतक जेलसे बाहर रहना हमारे लिए जहर जैसा है । परन्तु सरकारने एक जाल विछाया है । हमें छोड़नेमें उसकी ऐसी कल्पना और इच्छा मालूम होती है कि हम लोग जो वाक्-स्वतन्त्रताके संग्राममें सत्याग्रह करके जेलमें गये, वे बाहर आनेपर लोप हो जायेंगे और सरकारका काम अपने आप हो जायगा । यह सरकारने बड़ी चतुराईका काम किया है । हमें चाहिए कि हम इस जालमें फंसकर अपनी लड़ाई बन्द न करें, बल्कि और भी तीव्र बनावें । अहिंसाके उपासकके नाते संसारमें चलनेवाली हिंसाका विरोध करनेका हमारा यह मूलभूत अधिकार और कर्तव्य जबतक सिद्ध नहीं होता, अर्थात् जनताके सामने हमें अपने विचार अहिंसक रूपसे आजादीके साथ रखनेका अधिकार नहीं मिल जाता, तबतक हमारा यह धर्म है कि हम अपना अहिंसक युद्ध जारी रखें । जारी रखनेका यह अर्थ है कि हम उसे और भी जोरके साथ चलायें ।

अधिक जोरके साथका क्या अर्थ है ? हिंसक और अहिंसक युद्धकी परिभाषामें अंतर है । हिंसक युद्धमें साधनोंकी हिंसकता बढ़ाई जाती है और अहिंसक युद्धमें उनकी शुद्धता । हिंसक युद्धमें हम क्या करते हैं ? विरोधीके हथियारोंके सामने जब हमारे हथियार असमर्थ साबित होते हैं तो उनसे भी ज्यादा भयानक हथियार हम खोजते हैं और उसका प्रयोग करते हैं । यह प्रक्रिया आज यूरोपकी लड़ाईमें प्रत्यक्ष हो रही है । चर्चिल साहब कहते हैं कि अगले साल हम जर्मनीसे भी ज्यादा हिंसक और भयानक शस्त्रास्त्र तैयार करेंगे । हिटलरकी रणगाड़ियों (टैंकों) से अधिक तादाद में और अधिक भयानक रणगाड़ियां बनायेंगे; तब हमारी जीत होगी । इस प्रकार एक-दूसरेकी अपेक्षा ज्यादा हिंसक शस्त्रोंका निर्माण दोनों दल करते हैं ।

अहिंसक युद्धकी रीति इससे जुदा है । अंग्रेज सरकारने हमें छोड़कर यह चुनौती दी है कि, “अरे, हिंदुस्तानके छूटे हुए गुलामो ! अगर तुम्हें स्वतन्त्रता चाहिए, तो तुम और जोशसे लड़ो ।” मगर इसका जवाब हम अहिंसक रीतिसे कैसे देंगे ? हिंसक लड़ाईमें ऐसी चुनौतीका जवाब साधनोंकी

## सरकार की चुनौती का जवाब

हिसकता बढ़ाकर दिया जाता है। अहिंसक लड़ाई ज्यादा जोशके साथ चलानेका तरीका दूसरी तरहका है। अहिंसक युद्ध अधिक जोरसे चलाना का मतलब साधनोंकी शुद्धता बढ़ाना और अधिक आत्मशुद्धि करना है। हमारे इस छुटकारेकी वुराईमेंसे यह भलाई निकली है। ईश्वरकी कृपासे अंग्रेज सरकारको हमें जेलमें डालनेकी प्रेरणा हुई। इसलिए हमें आत्म-परीक्षणका और जिन साधनोंकी हमने शुद्ध समझकर अपनाया था, उनकी शुद्धता परखनेका सुयोग मिल गया। हमारे साधनोंमें जो कुछ अशुद्धि रह गई हो, उसे दूर करके अब हमें अधिक तीव्रतासे लड़ना चाहिए। अहिंसक प्रक्रियामें ज्यादा जोरके साथ लड़नेका अर्थ यही है।

अपने साधनोंमें छिपी हुई अशुद्धिका निरीक्षण करनेका अवसर हमें जेलमें मिलता है। लेकिन मुझे खेदके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि जेलमें जितनी संयमशीलता और मर्यादा रखनी चाहिए थी उतनी हममेंसे बहुत से न रख सके। शायद इसीलिए परमेश्वरने हमें फिर विचार करनेका यह अवसर दिया है कि हम अपने औजारोंको कैसे शुद्ध करें। जेलमें हमें छूट मिले या हमारे साथ ढीलका वर्ताव हो तो भी हमारे संयम, विवेक और तपश्चर्याका सरकार, अधिकारीवर्ग और दूसरे लोगोंपर अनुकूल परिणाम होना चाहिए। लेकिन हमने तो यह किया कि जितने भाग प्राप्त हो सके, प्राप्त किये। ऐसी हालतमें अगर हमें लड़ाई जोरसे चलानी है तो ज्यादा शुद्ध कसीटीपर उतरकर सत्याग्रह करना चाहिए। तभी हमारे अगले सत्याग्रहमें अधिक बल आवेगा। अगर हम अपनी लड़ाई अधिक शुद्ध मनसे अधिक शुद्ध जनसे और अधिक शुद्ध योजना से चलायेंगे तो वह निःसंशय सफल होगी।

एक सवाल यह उठाया गया है कि इस छुटकारेको सरकारकी सद्भावना समझकर हमें अपना कार्यक्रम क्यों न बदलना चाहिए? इसपर मुझे रवि-वावूकी एक उक्ति याद आती है। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष एक महा-मानव-सागर है। यह यूरोपके एक-एक करोड़के नन्हें-नन्हें देशोंके समान टूटपूंजिया नहीं है। जिनके अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएं, अलग-

अलग रहन-सहन, भिन्न-भिन्न प्रान्त, जुदे-जुदे रीति-रिवाज हैं, ऐसे चालीस करोड़ भाई-बहनोंका यह देश एक महान् संयुक्त कुटुम्बके समान है। यह हमारा सद्भाग्य है। इस विविधताके कारण इतने बड़े सागरमें तरह-तरहकी लहरें उठती हैं, भिन्न-भिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। इसी तरहका एक खयाल यह भी है कि कार्यक्रम बदला जाय। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बदला जाय ? क्या जिस मुद्देपर हमारी लड़ाई शुरू हुई थी वह मान लिया गया ? उसकी खातिर हम बाहर से जेलके भीतर गये थे। अब वह मांग स्वीकार किये बिना हमें फिर बाहर भेज दिया गया। तो भी अगर कार्यक्रममें परिवर्तन करना है, तो हम जेल गये ही क्यों थे ? जेल जानेसे पहले तो हम आजाद थे ही। हमारी मांग स्वीकार न होनेपर भी अगर हम कार्यक्रम बदल देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि वह मांग ही छोड़ देने योग्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस मुद्देपर हमने यह अहिंसक लड़ाई छोड़ी है वह छोड़नेके लायक नहीं है। बहुतसे अधिकार ऐसे होते हैं कि उनका व्यवहारमें लाना सदा आवश्यक नहीं होता। लेकिन भाषण स्वातन्त्र्यके अधिकारपर अमल न करनेसे काम नहीं चलेगा।

भाषण-स्वातन्त्र्य तो हमारा अधिकार ही नहीं है, धर्म है। धर्मका तो पालन सदा करना ही पड़ता है। हमें आज जो भी बल मिला है, वह पिछले बीस वर्षकी अहिंसाकी साधनासे मिला है। आप लोगोंमेंसे जो मुझसे बड़े या मेरी उम्रके हैं, वे जानते हैं कि तीस वर्ष पहले हिन्दुस्तानकी क्या हालत थी। उस वक्त हम 'वंदेमातरम्' बोलनेसे घबड़ाते थे और 'स्वराज्य चाहिए', कहना भयानक था। शरीरको सुगठित करनेके लिए अखाड़े खोलते, तो वे भी भयानक माने जाते। बीस-पच्चीस वर्ष पहले हमारी ऐसी हीन-दीन दशा थी। होती भी क्यों न ? जब कि दो सौ वर्षसे हम निःशस्त्र और परतंत्र थे। हम अपनी बुद्धि, लक्ष्मी और शक्ति सब कुछ गंवा चुके थे। ऐसी हालतमें हम कैसे समर्थ हुए ? इतनी बलवान सरकारका विरोध—और सो भी पचास वर्षतक—लगातार करनेकी शक्ति क्योंकर कांग्रेसमें आई ? यह किस जादूकी लकड़ीका प्रताप है ?

परसों एक जर्मन वक्ताने बड़े गर्वसे कहा था कि अब यूरोप निःशस्त्र हो गया और हमारी रणगाड़ियां शांति कायम रख लेंगी। यह विश्वास रिचमंड्र को इसी आधार पर हुआ कि टैंकोंके सामने निहत्थी प्रजा क्या कर सकती है? वह जरा भी चीं-चपड़ करेगी तो दब्रा दी जायगी। यही श्रद्धा अंग्रेजोंकी थी कि जिस हिन्दुस्तानके हथियार छीन लिये हैं, उसपर हमारा पंजा आरामसे रहेगा। वे समझते थे कि हम अपने शस्त्रास्त्रोंके जोरपर निःशस्त्र हिन्दुस्तानमें बड़ी आसानीसे शांतिका प्रचार करेंगे। किंतु इस तरहकी दुर्दशामें पड़े हुए देशने इतने जबरदस्त साम्राज्यसे टक्कर लेनेवाली कांग्रेस-जैसी महान् संस्था कैसे खड़ी कर ली? यह अहिंसाका ही चमत्कार है। अहिंसाके तत्वमें संगठन करनेकी बड़ी शक्ति है।

यह युग संघ-बलका युग है। पहले तो इक्के-दुक्के आदमियोंके बलसे भी काम चल जाता था, परंतु इस जमानेमें बलवान संघटनके बिना सत्ता नहीं मिल सकती। यूरोपमें वह संगठन हिंसाके आधारपर होता है। तो भी वहां के देशोंको हिंसाको राष्ट्रव्यापी बनाना पड़ता है; तभी वे मुकाबिला कर सकते हैं। देखिए, रूसने एक करोड़ सेना खड़ी की है। यह कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। बात यह है कि हिंसामें शत्रुसे भी प्रचंड होना चाहिए। फुटकर हिंसक वेकार होता है। या तो अत्यन्त व्यापक और तीव्र स्वरूपका संघटन होना चाहिए; या विल्कुल नहीं। और कोई चारा नहीं है। गुप्तरूपसे पड़्यंत्र करके दो-चार खून करनेसे विजय नहीं मिलती। राष्ट्रके तमाम लोगोंको उसी काममें जुट जाना पड़ता है। इंग्लैंडको देखो। वहां स्त्रियोंतककी भरती हो रही है। साढ़े अठारह वर्षसे ऊपरके तो सभी स्त्री-पुरुष जबरन भरती किये जा रहे हैं। सोलहसे साढ़े अठारह वर्षके तरुण-तरुणियों को भी भरती होनेके लिए प्रेरणा, उत्तेजन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इतना भयानक संगठन करने पर कहीं आशा हो सकती है। नहीं तो चुपचाप गुलाम बनकर टैंकके आगे सिर झुकाओ। यूरोपमें ये ही दो मार्ग पाये जाते हैं।

लेकिन महात्माजीने हमारी संस्कृति और स्थिति देखकर हमें एक नया

हथियार दिया है। वह है अहिंसा। इसमें जागृति और संगठनकी कितनी विलक्षण शक्ति है। यह हमारे जैसे निःशस्त्र, विशाल और पराधीन देश की आजकी निर्भयतासे सावित है। चोरी-चुपकेकी हत्यामें यह शक्ति नहीं है। क्या हम इतनी बड़ी शक्तिको खो बैठें? फिर तो अंग्रेजोंकी शरण जानेके सिवा हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं रह जायगा। हम ऐसे शस्त्रको हरगिज न छोड़ेंगे। उसे हम और भी तेजस्वी बनायेंगे। चुपचाप नहीं बैठेंगे। जब इतना भयंकर हिंसा-कांड हो रहा है, दुनिया तवाह की जा रही है और हमारे देश को भी उसमें घसीट लिया गया है, तो हम उसके विरोधमें प्रचार किये बिना कैसे रह सकते हैं?—लोगोंसे यह कहे बिना हम कैसे रह सकते हैं कि लड़ाईमें शामिल मत होओ। इस वक्त अगर हम चुप रहेंगे तो सारा राष्ट्र खस्ती हो जायगा। हम गुलाम बने रहेंगे। यह भाषण-स्वातंत्र्य कोई मामूली अधिकार नहीं है; वह हमारा महान् कर्तव्य है। जबतक उसे पूरा करनेका अधिकार न मिले, तबतक खाली छुटकारेके जालमें फंसकर हम अपनी लड़ाई बंद कैसे कर सकते हैं? यह हुआ शुद्ध, अर्थात् आत्यंतिक अहिंसाके पहलू विचार।

एक दूसरी भी दृष्टि है। वह यह कि 'हमारे लिए हिंसा-अहिंसाका मुद्दा प्रधान नहीं है। हम तो साम्राज्यवादी युद्धमें मदद नहीं करना चाहते। और जबतक सिर्फ अंग्रेजोंका ही सवाल था, तबतक उनका साथ न देना ठीक था। लेकिन रूसके शामिल होनेसे लड़ाईका स्वरूप ही बदल गया है। वह साम्राज्यवादी राष्ट्र नहीं; समाजवादी मुल्क है। अब तो जो लोग इस युद्धको साम्राज्यवादी और साम्राज्यवादको बढ़ानेवाला समझकर उसका विरोध करते थे, उन सबको चुप रहना चाहिए। लेकिन इस वारेमें एक सवाल उठता है—'अंग्रेज और रूसकी दोस्तीका क्या मतलब है?' या तो इंग्लैंडने साम्राज्यवाद छोड़ा होगा या रूस अपने आदर्शसे कुछ नीचे उतर आया होगा। अबतक जो घटनाएं घटी हैं, उनसे साफ है कि रूस ही अपने आदर्शसे गिर रहा है। यों तो रूस अपने आदर्शसे पहिले भी कुछ कुछ गिर चुका था। इस पतनके बीज रूसी क्रांतिमें ही थे। और उसकी योजनामें भी हिंसाको स्थान है।

मतलब यह कि रूसमें पहले हीसे हिंसक शक्ति थी। अब वह बढ़ गई है।

हिंसक शक्तिका विरोध कांग्रेसके तत्त्वज्ञानमें है। लेकिन साम्राज्यवाद की विनापर जो विरोध किया जाता था वह भी कायम ही रहता है। क्योंकि इंग्लैंडकी साम्राज्यवादी मनोवृत्तिमें कोई फर्क नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो उसका प्रकाश हिन्दुस्तानमें जरूर पड़ता। इंग्लैंडके रूखमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे साम्राज्यवादी राष्ट्रसे रूसने हाथ मिलाया है। ऐसी हालतमें यह नहीं कहा जा सकता कि युद्धका स्वरूप बदल गया है। उल्टे रूस और इंग्लैंडके मिल जानेसे तो युद्धकी हिंसकता और भी बढ़ेगी और इंग्लैंडके साम्राज्यवादकी छूट रूसको भी लगेगी। इसलिए साम्राज्यवादके विरोधके कारण भी हमें सत्याग्रह जारी रखना चाहिए।

एक तीसरी बात यह कही जाती है कि पार्लमेंटरी कार्यक्रम क्यों न शुरू किया जाय ? यह कौंसिलोंका मोह उसी हालत में अच्छा हो सकता है, जब राष्ट्रके हाथमें सच्ची सत्ता होती है। आज वह सत्ता कहां है ? आज तो पार्लमेंटरी कार्यक्रम फिरसे शुरू करनेका मतलब सरकारके जालमें फंसना होगा। एसेंबलीमें जाकर कमांडर-इन-चीफकी हां-में-हां मिलानी होगी। ठीक वही हाल होगा जैसा कि हमारे यज्ञयागादि धार्मिक समारंभोंमें होता है। पति संकल्प करता है, पत्नी उसके हाथमें हाथ लगाकर अनुमोदन देती है। इसके माने यह है कि हिन्दुस्तान खुशीसे युद्ध में धन-जनकी सहायता दे। इसका यही अर्थ हुआ कि हम सरकारके दरवारमें जायं और वहां भारतके सेनापति बेवैल साहबके प्रवचन सुनकर हिंसक कार्यमें उनकी मदद करें। फिर तो कांग्रेसको अहिंसा-द्वारा स्वराज्य लेनेका अपना उद्देश्य बदल देना होगा। लेकिन गांधीजीको और मुझ-जैसे असंख्य व्यक्तियोंको यह बात नहीं जंचती कि हिंसाके मार्गसे स्वराज्य मिलेगा। इसीलिए हमें पार्लमेंटरी प्रोग्राम (दरवारी राजनीति) नहीं जंचती।

इसलिए हमें इस युद्धका यथाशक्ति विरोध करना ही चाहिए। हां हमको अपने साधन पहले की अपेक्षा अधिक शुद्ध रखने होंगे। जो लोग जेल

जायं, उन्हें अधिक संयमशीलता, अधिक कर्तव्यनिष्ठा और अधिक भक्ति रखनी होगी। इसका वातावरणपर शुभ परिणाम होगा। इतनी दक्षता और सावधानीसे हमें आगे बढ़ना चाहिए।

मगर जेल जानेवालोंमें युद्धके प्रतिकारकी शक्ति कहाँसे आयेगी? वह तो तब आयेगी, जब आप सबका सहयोग और अनुमोदन होगा, हम आप सबके प्रतिनिधि होकर जायेंगे और आपमें और हममें एकसूत्रता रहेगी। तभी युद्ध-विरोधी प्रचारमें शक्ति पैदा होगी। जब हमारे विचारके पीछे आपका समर्थन होगा, तभी सत्याग्रहमें प्रचण्ड शक्ति आयेगी। खाली हाथ उठाकर समर्थन करनेसे काम नहीं चलेगा। देखिए, यूरोपवाले अपनी आजादीके लिए कितना वलिदान कर रहे हैं? लाखों आदमी और विपुल धन कुर्बान किया जा रहा है। इसी तरह आपको प्रत्यक्ष सहयोग देना होगा। वह सहयोग इसी तरह हो सकता है कि लाखों लोग रचनात्मक-कार्यक्रममें भाग लें। केवल हाथ उठानेके त्यागसे काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगोंका सहयोग सजीव और व्यापक हो तो जेलमें भले मुट्ठीभर ही आदमी चले जायं, तो भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनूमान का उदाहरण आपको मालूम है। वह अकेला लंकामें पहुँचा था। महावली राक्षसोंके बीच इस तरह पहुँचकर पराक्रम करनेकी शक्ति उसमें कैसे आई? यह पराक्रम उसने किसी अखाड़ेमें कसरत करके प्राप्त नहीं किया था। जब इस निर्भयताका कारण उससे पूछा गया, तो उसने कहा, 'मेरा असली बल शरीरबल नहीं है। श्रीरामचन्द्रका पृष्ठ-पोषण ही मेरे इस पराक्रमका आधार है। मैं रामका दास हूँ।'।

कहावत है कि 'पंचोंमें परमेश्वर' होता है। जनता ही जनार्दन है। उस देवताका समर्थन हमारा सच्चा बल है। वह समर्थन रचनात्मक आचारके रूपमें ही हो सकता है।

हिंसात्मक युद्धकी तैयारीमें भी अखंड विधायक कार्यक्रमकी आवश्यकता होती है। हिंसक युद्धमें सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती। समूचे राष्ट्रको विधायक कार्यमें जुटजाना पड़ता है। जब प्रचंड विधायक संगठन होता है, तभी

## सरकार की चुनौती का जवाब

हिंसक युद्धकी तैयारी होती है। युद्धकी सामग्री बनाने के लिए बड़े-बड़े कारखाने खोलने और चलाने पड़ते हैं, रास्ते और पुल बनवाने पड़ते हैं, बरदियां बनवानी पड़ती हैं, खेती और दूसरे उद्योगों-द्वारा खुराक और रसद का प्रबंध करना पड़ता है, लड़के-लड़कियोंको पाठशालाएं छोड़कर इस काममें लग जाना पड़ता है, स्त्रियोंको घरका काम सम्हालकर युद्धकी विधायक तैयारीमें हाथ बंटाना पड़ता है। जरा हिटलरसे पूछिये तो वह कहेगा कि मुझे चौदह आने विधायक कार्य करना पड़ता है और सिर्फ दो आने प्रत्यक्ष लड़ाईका काम। सेना लड़ती है, परंतु सारा राष्ट्र उसके पीछे काम करता है। स्त्रियां सीने-पिरोनेका, मरहम-पट्टीका और सेवा शुश्रूपाका कार्य करती हैं। छोटे-छोटे वालक भी कारखानोंमें अपने बूतेका काम करते हैं। बूढ़े अपने लायक काम करते हैं। हां, इस सारे विधायक कार्यका उपयोग तो हिंसक लड़ाईके ही लिए होता है। लेकिन वह कार्य अपनेमें विधायक ही होता है। जब हिंसात्मक युद्धमें जनताके इतने विधायक-सहयोगकी आवश्यकता है, तब अहिंसक लड़ाईकी तो बात ही क्या? उसमें तो सोलह आने शक्ति रचनात्मक कार्यकी ही है।

खाली युद्ध-विरोध सफल कैसे हो सकता है? युद्ध-विरोधी सत्याग्रह तो ऐसा है जैसे चिरागको दियासलाई लगाकर सुलगाते हैं। लेकिन चिराग किस शक्तके आधारपर प्रकाश देता है?—वत्ती और तेलके आधारपर। वह न हो तो दिया प्रकाश नहीं दे सकता। सारी वत्तीको तेलसे पोषण मिलता है। दियासलाई तो निमित्तमात्र होती है। वत्तीका एक सिरा दियासलाईसे जला देनेपर चिराग अखंड जलता रहता है। उसी तरह सिर्फ युद्धविरोधकी दियासलाईसे काम नहीं चलेगा। जबतक रचनात्मक-कार्य-क्रमका तेल और वत्ती नहीं होगी, तबतक प्रकाश नहीं पड़ेगा, दिया नहीं जलेगा। अगर तेल और वत्ती होगी और वत्तीको तेलकी खुराक बराबर मिलती रहेगी, तो युद्ध-विरोध सफल होगा, तेजस्वी होगा। लाखों नर-नारी जब रचनात्मक कार्य-द्वारा सत्याग्रह-रूपी दीपकको तेल-वत्ती पहुंचाते



रहेंगे, तभी उसकी ज्योति अखंड और प्रचंड रहेगी।

इस तेलके भंडारको भरपूर रखनेके लिए हिंदू-मुस्लिम एकता होनी चाहिए। लेकिन वह कैसे हो? हमें एक-दूसरेका विश्वास करना सीखना चाहिए। हजार-हजार और बारह-बारह सौ वर्षसे हम एकत्र रह रहे हैं। फिर भी आपसमें अविश्वास और डर है। उसे विलकुल नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी महान् विधायक प्रवृत्ति हरिजन-सेवा है। हमें अपने हरिजन भाइयोंको नजदीक लेकर उनके साथ कुटुंबियोंका-सा वर्ताव करना चाहिए। घर-घरमें चर्खा भी चलना जरूरी है। हमारा राष्ट्र गरीब है। वह तो जब दोनों हाथोंसे काम करेगा, तभी भूख मिटेगी।

एक गृहस्थने मुझसे कहा, “मेरे यहां तो खानेवाले छः-सात मुंह हैं।” जवाबमें मानो ईश्वरकी वाणी ही मेरे मुंहसे निकली। मैंने कहा, “घवड़ांनेकी क्या बात है? सात मुंह हैं तो चौदह हाथ भी तो हैं? यह तो ईश्वरकी दया और प्रेममय योजना है कि उसने एक मुंहके पीछे दो हाथ दिये हैं; दो हाथोंके पीछे एक मुंह नहीं।” हम चालीस करोड़ हैं। हमारे अस्सी करोड़ हाथोंमें कितनी शक्ति भरी है! यह हमारा दुर्भाग्य या मुसीबत नहीं है; महान् सद्भाग्य और लक्ष्मी है। दोनों हाथ काममें लगाइए। सूत कातनेका काम विलकुल आसान है। लड़ाईकी वजहसे आज मिलका कपड़ा बहुत महंगा हो गया है। लड़ाईका कोई ठिकाना नहीं कबतक चले। मुझे तो वह लंबी जाती दीखती है। ऐसी हालतमें महंगाईके कारण कदाचित् कपड़ेके अभावमें हम सभीको जाड़ेके दिनोंमें ठिठुरना पड़े। परावलंबीका यही हाल होता है। लेकिन सूत कातनेका काम तो बच्चे, बूढ़े, कमजोर सभी कर सकते हैं।

स्वावलंबनके अलावा एक दूसरी दृष्टि भी है। देशके लिए हररोज कुछ-न-कुछ करना चाहिए। इस तरहकी प्रत्यक्ष क्रिया कौन-सी हो सकती है? हमें अपने बच्चोंको कातनेके संस्कारमें भी वैसीही भावना देनी चाहिए जैसी तुलसीकी पूजामें। छुटपनमें हमारी मां हमें तुलसीमें पानी डालनेके लिए कहा करती थीं। हर एक घरमें इस तरह प्रत्यक्ष क्रियाके द्वारा बच्चोंके दिलमें

## हमारी तर्कशुद्ध भूमिका

धर्म-प्रीतिका संस्कार पैदा किया जाता था। प्रत्यक्ष उपासना सिखाई जाती थी। हम भी छोटे बच्चोंसे प्रतिदिन देशप्रीतिके प्रतीकके रूपमें प्रत्यक्ष कार्य करावें। राष्ट्र-प्रेमकी द्योतक इस क्रियामें हमें अभिमान मालूम होना चाहिए।

इसी तरह सब तरहके व्यसन छोड़ने चाहिए।

याद रखो अगर सब लोग रचनात्मक काम करोगे, तो हमारी सत्याग्रहकी लड़ाईमें वह जोर पैदा होगा जिसको कोई शक्ति दवान सकेगी। फिर आपके लिए 'पराजय' जैसा कोई शब्द ही नहीं रहेगा। मुझे हमारी अंतिम विजयके बारे में तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे मित्रो, सिर्फ आपका सक्रिय समर्थन चाहिए।<sup>१</sup>

सर्वोदय : जनवरी, १९४२

: ११ :

## हमारी तर्कशुद्ध भूमिका

मुझे पता नहीं था कि मैं यहां अपने अधिकारकी कक्षामें आनेवाला काम करने आ रहा हूं। परंतु प्रारंभमें इस कॉलेज के आचार्यका जो भाषण सुना उससे मालूम हुआ कि मैं अपने अधिकारके ही कामके लिए यहां आया हूं। अभी कहा गया कि यह कॉलेज अगले सत्रमें नागपुर जानेवाला है और इसलिए यह अंतिम प्रसंग है। अक्सर अंतिम अवसरोंपर ही मेरी बूलाहट होती है। मालूम होता है वही मेरा अधिकार है। योग्य स्थानपर योग्य व्यक्तिकी नियुक्ति अपने-आप कैसे हो जाती है यह देखकर आश्चर्य होता है। मैंने जब इस निमंत्रणको स्वीकार किया तो मेरे आसपास रहनेवालोंको जरा आश्चर्य ही हुआ। वे सोचने लगे, 'यह कहांका प्राणी कहां पहुंचेगा?' जानदेवने लिखा है, "एक जंगली जानवर पकड़कर राजमहलमें—कोलाहलसे भरे राजमहलमें—लाया गया। बेचारा हैरान हुआ कि कैसे शून्य

१. रिहाईके बाद (७ दिसंबर, १९४१ को) वर्धामें दिया गया भाषण।

स्थानमें आ पहुंचा हूं। उसे दसों दिशाएं सुन-सान प्रतीत होने लगीं।" साथियोंने सोचा कि यहां मेरा भी वही हाल होगा। क्योंकि कॉलेज जैसे स्थानोंका वातावरण और होता है और हमारा वातावरण कुछ और तरहका। इसलिए उनकी शंकाके लिए गुंजाइश जरूर थी।

परंतु मेरे दिलमें इस तरहकी कोई शंका जरा भी नहीं थी। क्योंकि विद्यार्थी चाहे कहींका हो, चाहे कौन-सा भी हो,—वह दूसरे प्रकारका हो सकता है—लेकिन उसकी वृत्ति मेरी वृत्तिसे मेल खाती है। वह मुझे मेरी आत्मा ही प्रतीत होता है। यह अनुभव मुझे कई बार, याने जब-जब मैं विद्यार्थियोंके सामने बोला हूं तब-तब, हुआ है। जब मैं विद्यार्थियोंसे बोलता हूं तो मुझे ऐसा मालूम ही नहीं होता कि मैं किसी दूसरेसे बोल रहा हूं। ऐसा मालूम होता है मानो मेरी आत्मा ही साकार होकर सामने खड़ी है, मैं अपने-आपसे ही बोल रहा हूं। कारण मैं एक विद्यार्थी हूं। अगर मैं विद्यार्थी न होऊं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यह स्थिति है। आजतक विद्यार्थी रहा हूं और, अगर इस जन्मकी ही बात करूं, तो अंततक भी रहूंगा, ऐसी आशा करनेमें हर्ज नहीं। इसलिए वातावरण चाहे कितना भी भिन्न क्यों न हो, मेरे सामने जब विद्यार्थी होते हैं तो उनमें और मुझमें भेद नहीं रहता। इस विषयमें मुझे कोई संदेह नहीं था। इसीलिए यह निमंत्रण मैंने स्वीकार किया।

लेकिन यहां आनेपर मैं किस विषयपर बोलूं? मैं समझता हूं कि मैं कौन-से काममें लगा हूं, यह जानते हुए, या यों कहिए, यह जाननेके कारण ही मुझे यहां बुलाया है। इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए इसके विषयमें आपकी अपेक्षा स्पष्ट ही है। मैं उस अपेक्षित विषयपर ही बोलनेवाला हूं।

परंतु एक बात मुझे कह देने दीजिए। कारण, प्रस्तावित भाषणमें मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं विद्यार्थियोंको कुछ उपदेश दूं। लेकिन मैं उपदेश हरगिज नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने यह सूत्र ही बना लिया है कि जो विद्यार्थियोंको उपदेश देता है वह एक 'पढ़ंत-मूर्ख' (पठित-मूर्ख) है और जो ऐसे उपदेश सुनता है वह दूसरा पढ़ंत-मूर्ख है। रामदासने पठितमूर्खके लक्षण

वतलाये हैं। आप उन्हें जानते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वे लक्षण बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वह पुरानी तालिका कामकी नहीं है।

विद्यार्थियोंको उपदेश देना मूर्खता का लक्षण है, यह कहनेसे मेरा यह अभिप्राय है कि संसारमें यदि कोई संपूर्ण स्वतंत्रताका हकदार हो सकता है तो विद्यार्थी ही। क्योंकि दूसरे सब लोगोंके पीछे कोई-न-कोई दंड, कठिनाई, दबाव, अंकुश मर्यादा लगी ही रहती है और लगी रहना उचित भी है। लेकिन विद्यार्थी किसी बंधनसे बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं अपने अनुभवसे यह कह रहा हूँ। मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। एक विद्यार्थीकी हैसियतसे मैं कोई भी बंधन स्वीकारनेको तैयार नहीं हूँ। एक नागरिकके नाते मुझपर कुछ बंधन है। मैं अपने माता-पिता का बेटा हूँ इसलिए भी कुछ बंधन हैं। मैं अपने मित्रोंका सहयोगी हूँ इस कारण भी कुछ बंधन प्राप्त होते हैं। उन्हें मैं स्वीकार करूंगा, यह बात और है। परंतु विद्यार्थीके नाते मैं किसी बंधनको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं हूँ। विद्यार्थीसे यही अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि वह तटस्थ वृत्तिसे हरएक बातकी जांच-पड़ताल करे। उसके सामने कोई विषय या ज्ञान इसी अपेक्षासे उपस्थित किया जाना चाहिए। 'क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है' इसका निश्चय करनेका उसको हक है। इसलिए मैं उपदेश नहीं दूंगा।

ज्ञान का कार्य दर्पणके समान है। दर्पण स्वयं स्वच्छ है। वह देखनेवालेको उसका रूप दिखायेगा। लेकिन आइना उठकर किसीकी नाक साफ नहीं करेगा या जवरदस्तीसे अथवा समझा-बुझाकर नाक साफ नहीं करायेगा। यह काम माता खुशीसे करे। आइना तो इतना ही बतायेगा कि नाक साफ है या गंदी। वह अपनी स्वच्छताके द्वारा सिर्फ दिखानेका काम करता है। अगला कार्य वह देखनेवालेको साँप देता है। वह उसकी मर्जीकी बात है, उसका हक है। अपने स्वच्छताके गुणकी वदौलत दर्पण देखनेवालेके हकमें दखल नहीं देता। ज्ञानकी प्रक्रियामें उपदेशके बराबर दूसरी गलती नहीं है। हमारे शास्त्रकार इसी सिद्धांतके अनुसार चले। इसीलिए उन्होंने शासन किया। उन्होंने समाजका शासन किया; इसलिए वे शास्त्रकार कहलाये।

परंतु उनका शासनका तरीका यह था कि वे वस्तुका स्वरूप स्पष्टरूपसे दिखाकर चुप हो जाते थे। शास्त्रकारोंकी इस रीतिके अनुसार तुम्हारे सामने विषय उपस्थित करके उचित-अनुचितके निर्णयका अधिकार तुम्हें देकर—वह अधिकार तुम्हें पहलेसे ही प्राप्त है—मैं भाषण करूंगा।

तुम कॉलेजके विद्यार्थी हो। इसलिए वर्तमान परिस्थितिकी तरफ तुम्हारा ध्यान अवश्य गया होगा। उस संबंधमें तुम्हारा श्रवण और वाचन जाग्रत होगा। जरा देखो, आजका जमाना कैसा है? सारे मानव-समाजके पेटमें ज्वरदस्त दर्द हो रहा है। पृथ्वीके पेटमें भी इसी प्रकारकी वेदना होती है और भूकंप जैसे उत्पात होते हैं। इस भयानक वेदनामेंसे कौन-कौन-से उत्पात संसारमें होनेवाले हैं, यह कोई नहीं बतला सकता। इधर कई सदियोंसे इतना उत्पाती समय हुआ ही नहीं। लोगोंका यह खयाल है कि मानव-समाजका इतिहास पांच-दस हजार वर्षोंका पुराना है। तुम इतिहासकी जो पुस्तकें पढ़ते हो, उनमें मुश्किलसे दो-तीन हजार वर्ष पहलेका इतिहास दिया हुआ होता है। उसके पहलेके करीब हजार-दो-हजार वर्षोंका हाल मोटे तौरपर अंदाजसे बतलाया जाता है। परंतु वस्तुतः मानव-समाजका इतिहास कम-से-कम दस लाख वर्षोंका है। इसलिए हमें जो इतिहास सिखाया जाता है वह तो मानवसमाजके इतने लंबे इतिहासका इधरका आखिरी सिरा है। इतने बड़े अवकाशमें कई क्रांतियां हुई होंगी, कई उदर-पीड़ाएं हुई होंगी। परंतु पिछले सारे ज्ञात इतिहासमें इतनी भयानक उदरवेदना आजतक कभी नहीं हुई थी।

आजके इस युद्धमें समूची दुनिया शामिल हुई-सी है। समूची दुनिया ! मैं लाक्षणिक या अलंकारिक अर्थमें नहीं कहता। अक्षरशः सारी दुनिया इस युद्धमें शरीक है। यह बात हमें खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आजका युद्ध सारी दुनियाका 'संकुल युद्ध' है। 'टोटल वॉर'के लिए मैंने 'संकुल युद्ध' शब्दका प्रयोग किया है। मतलब, यह ऐसा युद्ध है जिसमें समूचे राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोंके दुश्मन माने जाते हैं—यहांके पुरुषोंका वहांके पुरुषोंसे वैर है, यहांकी स्त्रियोंकी वहांकी स्त्रियोंसे अदावत है, यहांके जानवरोंकी वहांके जानवरोंसे

दुश्मनी है, यहांके पेड़ोंका वहांके पेड़ोंसे शत्रुत्व है, यहांके औजारोंका वहांके औजारोंसे, यहांके जड़ पदार्थोंका वहांके जड़ पदार्थोंसे सीधा, तिरछा, आड़ा-टेढ़ा, ऊपरसे, नीचेसे, चारों तरफसे, सारे शब्दयोगी और उभयान्वयी अव्ययोंसे व्यक्त होनेवाला, सब तरहका, वैर है। इसे और कोई विधि-निषेध लागू नहीं है—जिसकी वदीलत विजय होगी वह विधि और जिसके कारण पराजयकी संभावना हो वह निषेध। इसलिए मैं जो यह कह रहा हूं कि समूचा जगत इस युद्धमें शामिल है, उसका आप अक्षरार्थ लीजिए।

अभी उसी दिन पढ़ा कि इंग्लैंडने जो वात अपने इतिहासमें कभी नहीं की वह आज की है। वहां ऐसा कानून बना दिया गया है कि अठारह सालसे अधिक उम्रवाली जो स्त्रियां अविवाहित हों उन्हें, और विवाहित होते हुए भी जिनके संतान नहीं है उन्हें, युद्धमें शामिल होना चाहिए। यह भी हिसाब लगाया गया है कि इस तरहकी सोलह लाख औरतें मिल सकती हैं। लेकिन इतनेसे भी तसल्ली नहीं हुई है। वे कहते हैं कि सोलह और अठारहके बीचकी उम्रकी स्त्रियोंको युद्धमें शामिल होनेके लिए उत्तेजन दिया जायगा। हमारे यहां कहा करते हैं कि 'प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्।' 'पुत्र सोलह वर्षका होते ही उससे मित्रके समान वर्ताव करना चाहिए।' उसी न्यायसे सोलह वर्षकी होते ही स्त्री युद्धके काविल मानी गई।

उधर रूसने एक दूसरा ही ऐलान निकाला है। कहा जाता है कि इन पांच महीनोंकी लड़ाईके बाद, मैदानमें मारे गए, घायल हुए या कैद किये गये मिलाकर, कोई एक करोड़ सैनिक लड़ाईके लिए अयोग्य हो गए हैं। अठारह करोड़के राष्ट्रमें, किसी भी हिसाबसे कृतियों, तो लड़ाईके लायक साढ़े चार करोड़से ज्यादा आदमी होनेकी संभावना नहीं है। और उनमेंसे भी सभी लड़ाईपर नहीं, भेजे जा सकते। प्रत्यक्ष लड़ाईपर जानेवाले हरएक सिपाहीके पीछे तीन दूसरे आदमियोंकी जरूरत होती है। विजली, पानी, आदिका इंतजाम करना, रास्ते बनवाना, औजार बनवाना आदि-आदि कई काम होते हैं। मतलब यह कि प्रत्यक्ष सिपाही और उसके मददगारोंका अनुपात एक और तीन माना जाय, तो सवा करोड़से ज्यादा सैनिक सेनामें

दाखिल नहीं किये जा सकते। बहुत तो डेढ़ करोड़ समझ लीजिये। इन सवा या डेढ़ करोड़मेंसे एक करोड़ सिपाही युद्धके लिए अक्षम हो गये। इसका साफ यह मतलब है कि अब उन्हें आदमियोंकी कमी महसूस होने लगी। लेकिन इतनेसे वे हारनेवाले नहीं हैं। उन्होंने घोषित किया कि जिस पुरुष या स्त्रीके संतान न हो, उसपर कर लगाया जायगा। विवाहकी निर्धारित उम्रके बाद जिसकी शादी न हुई हो, उसपर भी कर लगाया जायगा। संतान होनेके बाद ही इससे छुटकारा मिल सकता है। याने, टैंकोंकी कमी महसूस होते ही जिस प्रकार कारखानों द्वारा उनकी उत्पत्ति बढ़ानेकी कोशिश होती है, उसी प्रकार मरनेके लिए आदमियोंकी कमी महसूस होते ही मनुष्य-निर्माणके कारखानोंको यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजनासे मरनेके लिए तुरंत आदमी मिल जायंगे, ऐसी बात नहीं है। कम-से-कम सत्रह-अठारह साल लगेंगे। लेकिन कभी-न-कभी मनुष्योंकी कमी पूरी होनी चाहिए। इसलिए यह मनुष्य-निर्माणकी योजना है। कैसी भयानक परिस्थिति है यह!

इस भयानक परिस्थितिमेंसे क्या निष्पन्न होगा? सड़ उदर-वेदनामेंसे आगे जो नव-निर्माण होगा उसीको ये लोग 'नवीन रचना' (न्यू आर्डर) कहा करते हैं। आज वे जो विध्वंसक कार्य कर रहे हैं, उसे वे तात्त्विक दृष्टिसे निराईका काम कहते हैं। जिस तरह हम अपने खेतोंमें पहले निराई करके फिर नई फसलके लिए उसे तैयार करते हैं, उसी तरहका उनका यह काम है। वे कहते हैं—उन्हें यह आशा है—कि इस युद्धके बाद मानव-समाजकी रचना और तरहकी होगी। माना कि होगी। लेकिन विद्यार्थियोंको यह सोचना चाहिए कि जो कुछ अपने आप होगा उसे हम स्वीकारना चाहते हैं या हम अपनी योजनानुसार कोई निश्चित परिणाम चाहते हैं। इसका खूब विचार कर लीजिए। इस युद्धके बाद मानव-समाजकी आज जो स्थिति है वह नहीं रहेगी; इसमें कोई शक नहीं।

जिन्होंने युद्ध शुरू किया उनके लिए उसे शुरू कर देना आसान था। परंतु ज्यों-ज्यों युद्धकी प्रगति होती जाती है, त्यों-त्यों ये लोग युद्ध नहीं करते;

वल्कियुद्ध इन्हें करता है। ये युद्धके नियामक नहीं रहते; उसके नियम्य बन जाते हैं। युद्ध उनका नियमन करता है। इन्हें युद्धके पीछे-पीछे जाना पड़ता है। कहा जाता है कि हिटलर सबसे बलवान् और योजना-कुशल है। लेकिन आज जो जागतिक युद्ध चल रहा है, वह उसकी रचनाके अनुसार नहीं कहा जा सकता। अर्थात् इस युद्धकी निष्पत्ति जो होगी सो होगी। लेकिन इतनी भयंकर क्षति और त्यागके बाद जो निष्पन्न होगा; वह प्राप्त करनेके लायक भी होगा? कोई-न-कोई नतीजा तो होगा ही।

प्रचंड भूकंपके बाद कुछ अघटित घटनाएं हो जाती हैं। इधरका समुद्र उधर हो जाता है; यहांका पर्वत उधर चला जाता है। ऐसी कुछ-न-कुछ उथल-पुथल होती है। भूकंपसे ऐसी प्राकृतिक क्रांतियां होती हैं। लेकिन वह क्रांति मनुष्यकृत या मानवनियोजित नहीं होती—चाहे उसका परिणाम मनुष्योंपर भले ही होता हो। वह स्वैर क्रांति है। आजकी लड़ाईमेंसे अगर हम अपना वांछित परिवर्तन उपस्थित कर सकें, तब तो उसे नियोजित कह सकते हैं। अन्यथा अपने-आप परिवर्तन तो यों भी होने ही वाला है। तो क्या आजकी स्थिति बदलकर उसकी जगह कुछ-न-कुछ नया स्वरूप आ जावे, इतने हीके लिए यह सारी मार-काट शुरू की गई? योजनाके अनुसार कोई निश्चित फल प्राप्त करनेके लिए ही तो इतनी भयानक लड़ाई शुरू की गई न?

लेकिन आज यह साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़े-बड़े तगड़ कहलानेवाले लोग—चर्चिल, हिटलर, स्टैलिन, रूजवेल्ट, सभी—युद्ध-परतंत्र हो गये हैं। इनके वक्षमें युद्ध नहीं है। ये उसके अधीन हैं। ज़िंघर वह ले जायगा, उधर जानेके लिए ये बाध्य हैं। मैं इतना भयानक युद्ध भी हजम करनेके लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उसके बाद मैं जैसा परिवर्तन चाहता हूं वैसा परिवर्तन हो सके तभी। वरना, 'जो होगा सो होगा', कहनेकी नीवत आयेगी। नवीन रचनाके लिए वर्तमान युद्ध बेकार है। वह इष्ट या निश्चित दिशामें प्रगति नहीं कर रहा है। इसके बारेमें तो लार्ड हैलिफेक्सने जो जवाब दिया था वही यथार्थ है। उनसे पूछा गया, 'इस युद्धका उद्देश्य क्या है?'



वेचारेके मुंहस सच बात निकल गई। उसने कहा, 'विजय ही इस लड़ाईका उद्देश्य है।' पहले तो 'हम प्रजातंत्रके लिए लड़ते हैं' इत्यादि-इत्यादि स्वरूपकी भाषा थी। लेकिन अब भेद खुल गया। दूसरा क्या उद्देश्य बताते वेचारे? विजय प्राप्त करनेके आनंदके लिए या लड़नेके मजेके लिए ही क्या कभी लड़ाईकी जाती है? लड़ाईके लिए उद्देश्योंकी जरूरत होती है। लेकिन यह लड़ाई शुरू करनेके समय उद्देश्य भले ही रहे हों, परंतु अब युद्ध-चक्र शुरू हो जानेके उपरांत उसे गति देनेवाला हाथ ही उसमें उलभ गया है। अब यंत्र उस हाथके कावूमें नहीं रहा। ऐसी लड़ाईमेंसे इष्ट निष्पत्ति, निश्चित निष्पत्ति, नियोजित निष्पत्ति होना अशक्य है।

तब हम इसमें शामिल क्यों हों? फलाना युद्धमें शामिल हो गया, दिमाका शामिल हो गया, इसलिए हमारा भी शामिल होना कहांतक उपयुक्त है? बुद्धिमान लोगोंको इसका विचार करना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तानके बुद्धिमानोंको नहीं, दुनियाभरके समझदार लोगोंको इसका विचार करना चाहिए। 'जिस युद्धसे हमारा अभीष्ट परिणाम नहीं निकल सकता, ऐसे अनाड़ी, स्वैर, जड़मूढ़, युद्धमें हम शरीक हों या न हों?' इसका उत्तर एक ही हो सकता है—'शरीक होना मुनासिब नहीं है।'

एक वार शरीक न होनेका निश्चय हो जानेके बाद दूसरा सवाल यह होता है कि हमारा तटस्थ प्रेक्षक बनकर रहना कहांतक उचित होगा? हमारे सब भाई ऐसे युद्धमें फंस गए हैं जो कि अब उनके कामूवें नहीं रहा है; उलटे, उनकी छातीपर सवार हो गया है। 'उनकी ऐसी बेवसीमें क्या हमारा युद्धमें शामिल न होना काफी होगा? क्या हमारा तटस्थ साक्षी होकर रहना उचित होगा?' —इस प्रश्नका कोई भी सयाना आदमी यही उत्तर देगा कि तटस्थ रहकर देखते रहना उचित नहीं है।

तो अब दो बातें पक्की हो गई। तुम कॉलेजके विद्यार्थी हो। आगे चलकर दुनिया तुम्हारे ही हाथोंमें आनेवाली है। तुम इस प्रश्नका निष्पक्षपात रीतिसे विचार करके निर्णय दो। देखो, यह बात तुम्हें कहांतक जंचती है। थोड़ी देरके लिए यह भूल जाइए कि यह युद्ध अत्यन्त हिंसक है। लेकिन जो

## हमारी तर्कशुद्ध भूमिका

युद्ध मनुष्य के बग्न में नहीं रहा; वरन् मनुष्य ही जिसके अधीन हो गया है; उस युद्धमें सम्मिलित होना उचित नहीं है—यह पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जो लोग इस युद्धमें शरीक हुए हैं, उनका विनाश स्पष्ट रूपसे देखते हुए भी युद्धमें शामिल न होनेवाले शेष लोगोंको तटस्थ रहकर देखते रहना शोभा नहीं देता। ये दो सिद्धांत निश्चित हुए। अब आगे क्या हो? अगर चुपचाप नहीं बैठना है तो क्या किया जाय? इसका विचार करने पर हम कांग्रेसी लोग जो कुछ कर रहे हैं, उसकी उपयुक्तता आपके ध्यानमें आयेगी। यह युद्ध आरंभ करके जगत्में विचारोंकी जो भूमिका आज उपस्थित की गई है, उसकी विरोधी दूसरी विचारसरणि और भूमिका का निर्माण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यह तीसरा सिद्धांत है।

लोग पूछते हैं, “अजी इससे क्या होगा? सभी लोग इस युद्धमें शामिल हो गये हैं। तुम्हारे मुट्ठीभर आदिमियोंके प्रतिकार करते रहनेसे क्या होने जानेवाला है?” मैं कहता हूँ, “तो फिर क्या मेरे पहले दो सिद्धांत फिजूल गये?” इससे क्या होगा, सो वादमें देखा जायगा। पहले अपना कर्तव्य निश्चित कीजिए। युद्धकी भूमिकाकी विरोधी भूमिका बनाना हमारा कर्तव्य सावित होता है न? इसका क्या कोई नतीजा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? विरुद्ध भूमिकाका क्रियात्मक विचार तो उपस्थित कीजिए। मन्तव्यों और विचारोंकी क्रियात्मक भूमिकाका निर्माण करनेसे वर्तमान युद्ध कहता कि विचारोंकी आशा मुझे नहीं है। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य वन्द हो जायगा। ऐसी कोई आशा मुझे नहीं है। और जब युद्ध कुंठित अगर विरुद्ध विचारोंकी भूमिका अपने मनमें और जनतामें दृढ़ करेंगे, तो मानसिक शक्तिका एक फ्रंट (मोर्चा) बन जायगा। और जब युद्ध कुंठित होगा या वन्द होगा, उसके उपरांत तुम्हारे विचारोंकी भूमिका जाग्रत होगी और उस समय मानव-समाजकी नवरचनाके कार्यके तुम्हारे हाथोंमें आनेकी संभावना होगी। उस दिनके लिए क्या आज ही से तैयारी नहीं करनी होगी? करनी ही चाहिए। लेकिन जब हम वह तैयारी करने लगते हैं, तो सरकार कहती है, “हम तुम्हें रोकेंगे।” लेकिन ऐसा मोर्चा बनाना

हमें अपना कर्तव्य प्रतीत होता है। इस मोर्चेकी वदौलत युद्ध-समाप्तिके अनन्तर हम संसारको निश्चित मार्गपर मोड़ सकेंगे। ये मतवाले आज युद्धमें चूर हैं। युद्ध अब उनके हाथोंमें नहीं रहा। निश्चित फल पानेकी कोई आशा नहीं रही। इसलिए जो समझदार लोग युद्धसे वाहर रहना चाहते हैं, उन्हें युद्ध प्रतिकारकी भूमिका रचनी चाहिए। कारण, युद्धके बाद इन लोगोंके शरीरोंकी तरह बुद्धि भी थक जायगी; बल्कि शरीरसे बुद्धि ज्यादा थकी हुई होगी। आप ऐसी भूमिका रचिये कि उन्हें सहज ही आपके रास्तेपर आना पड़े। इसलिए इसमें संख्याका सवाल नहीं है। जिनका दिमाग सावित है, वे मार्ग दर्शन करनेके अधिकारी हैं। नियोजित समाज-रचना करनेका कार्य उन्हींके जिम्मे आनेवाला है। इसलिए युद्ध-विरोधी विचारकी सक्रिय भूमिकाका निर्माण करना उन्हींका कर्तव्य है।

लेकिन यह कर्तव्य हमें आरामसे कौन करने देगा ? विद्यमान राज्य-कर्ता और व्यवस्थापक हमारा दंडन और दमन अवश्य करेंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो वह भी एक अन्याय ही होगा ; और अन्यायका प्रतिकार करना तो हमारा परम कर्तव्य है।

सारांश, युद्ध किन कारणोंसे शुरू हुआ इसका विचार करके उसके विरुद्ध कारणोंका निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। हमारा पहला सिद्धांत यह है कि अन्यायका प्रतिकार करना ही चाहिए। दूसरा यह कि प्रतिकारकी रीति भिन्न होगी, उनका हथियार अनोखा होगा। संसारको गांधीजीकी यह देन है। अन्यायके प्रतिकारका उनका तरीका अगर संसार-स्वीकार कर लेता, तो यूरोपमें आज जो दृश्य दिखाई देता है, वह न दिखाई देता। उस दिन रिचमंड्राप ने कहा न, कि अब यूरोपकी शांतता भंग होनेका डर ही नहीं है। क्यों ? इसलिए कि यूरोपकी सारी जनता निःशस्त्र बना दी गई है और उसके बन्दोबस्तके लिए जर्मनीके टैंक जहां-तहां गश्त दे रहे हैं। ये उन्मत्त लोग अंग्रेजोंसे ही यह गुरुमन्त्र सीखे हैं। अंग्रेजोंने हिन्दुस्तानके हथियार छीन लिये और वे सोचने लगे कि 'अब हम कुशल से हैं। इनके पास हथियार नहीं हैं और हम शस्त्रास्त्रोंसे लैस हैं। अब मनमानी हुकूमत करनेमें हर्ज

नहीं है। रिचनट्रॉप भी यही कहता है। जो उसका सूत्र है वही और सबका है। दीगर फुटकर भेद भले ही हों; लेकिन सूत्र एक ही है। शांतिके लिए लोगोंको निःशस्त्र बना देना और व्यवस्थापकोंका नखशिख सुसज्जित हो जाना—यही इंगलैण्ड, रूस, जापान, और अमेरिका इन सबकी युक्ति है।

कार्लमार्क्सने एक बड़ा भारी सिद्धांत पेश किया है। उसे जानके बाद गांधीजीके दिये हुए विचारकी महिमा आपके ध्यानमें आधगी। कार्लमार्क्सका नाम तो आप जानते ही हैं। उसकी किताबें भी आपने पढ़ी होंगी।

उसका यह सिद्धांत है कि जब कोई प्रमेय संसारमें प्रसृत होता है, तो उससे कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है। एकतन्त्र राज्य-पद्धति, पूंजीवाद आदि किसी भी पद्धतिको ले लीजिये। जबतक लाभकी मात्रा अधिक और हानिकी मात्रा कम होती है, तभीतक वह प्रमेय टिकता है। लेकिन जब फायदेकी बनिस्वत नुकसान ही ज्यादा होने लगता है, तो एक तीसरा तद्विरोध प्रमेय संसारमें प्रवृत्त होता है और उस पुराने प्रमेयपर आक्रमण करता है। इस आक्रमणसे एक तीसरा ही तत्व उदय होता है, जिसमें पहलेके दोनों तत्वोंके गुण ही शेष रह जाते हैं। उदाहरणके लिए वर्णव्यवस्थाका सिद्धांत ले लीजिये। समाजमें मनुष्योंके भिन्न-भिन्न समूहोंकी कार्य-श्रमता भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है। इन समूहोंको उनकी विशेष भूमिकाके अनुरूप काम सौंपा जाता है। इस व्यवस्थाको वर्ण-व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्थामें गुण और दोष दोनों हैं। भिन्न-भिन्न शक्तियोंका भिन्न-भिन्न संगठन करना इसका गुण है और उच्च-नीच-भाव एवं परस्पर-विरोध इसके दोष हैं। परन्तु जबतक गुणोंका अंश अधिक रहेगा, तबतक यह व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन जब उच्च-नीच-भाव और पारस्परिक हित-विरोध जैसे दोष प्रकट होकर जोर पकड़ने लगते हैं, तो उनके खिलाफ 'अभेद', 'अभेद', 'अभेद', 'साम्य', 'साम्य', 'साम्य', का एक ही तत्व वेगके साथ अग्रसर होता है। इन दिनोंका संघर्ष होगा और उस संघर्षमेंसे एक ऐसा तीसरा तत्व उदय होगा जिसमें वर्ण-व्यवस्था और अभेदवादके भी

गुण होंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह कि हम कलमें बांधते हैं। नीबूपर मोसंबीकी कलम बांधते हैं—जिससे खट-मिट्ठा संतरा पैदा होता है; जिसमें नींबू और मोसंबी दोनोंके गुण होते हैं। लेकिन यह सामाजिक क्रिया कोई योजना पूर्वक नहीं करता। वह अपने आप होती रहती है। एक तत्वके अन्दर छिपे हुए दोष प्रकट होने लगते हैं और उसीकी कोखसे तद्विरोधी दूसरा तत्व पैदा होता है। जैसा कि बुद्धने कहा है—‘तदुद्वाय तमेव खादति’ ‘उसमेंसे पैदा होकर उसीको खाता है।’ जिस प्रकार यह तीसरा तत्व अपने आप पैदा होता है, उसी प्रकार प्रतिकारका यह नया तरीका मार्क्सके सिद्धांतानुसार इतिहासमेंसे ही पैदा हुआ है। गांधी केवल निमित्तमात्र हुआ है।

आजतककी यह प्रणाली थी कि सशस्त्रोंको परास्त करके हम खुद विशेष संगठित और विशेष सुसज्जित रहें। उसमेंसे अब दूसरी यह प्रणाली उत्पन्न हुई कि सामनेवालेको पूरी तरह निःशस्त्र बनाकर हम खुद संशस्त्र रहें। अब उसीमेंसे इन शस्त्रहीन लोगोंको प्रतिकारकी यह नई युक्ति सूझी है। इस सूझका निमित्त गांधी है। वह न होता तो दूसरा कोई हुआ होता। पैंतीस-चालीस करोड़ लोग अगर हमेशाके लिए गुलाम ही रहे, तो वे मनुष्य ही नहीं होंगे। और अगर वे मनुष्य हों, तो उनके लिए स्वतन्त्र होनेका रास्ता होना ही चाहिए। वह रास्ता उन्हें सूझता है, इसीमें उनकी मानवता है। इस सिद्धांतको ‘वितर्कवाद’ कहते हैं। सामान्य तर्कसे यह विशेष और भिन्न है, इसलिए उसे ‘वितर्क’ यह पारिभाषिक संज्ञा दी गई है। सबसे पहले पूर्ववर्ती तर्कका विरोधी तर्क उत्पन्न होता है; फिर उन दोनोंका समन्वय होकर उन्नत दोनोंमेंसे तीसरा तर्क उत्पन्न होता है—यह वितर्ककी प्रक्रिया है। यह ‘वैतर्किक सरणि’ मैंने संक्षेपमें आपके सामने उपस्थित की है।

समचे राष्ट्रोंके निःशस्त्रीकरणकी प्रक्रिया मध्ययुगके लोगोंकी खोपड़ीकी उपज है। जिन लोगोंने समूचे राष्ट्रको निःशस्त्र बनाया और ऊपरसे उसकी रक्षा की जिम्मेदारीको स्वीकार किया, उन्होंने एक बड़ा ही खतरनाक प्रयोग किया है। अंग्रेजोंने हिन्दुस्तानको निःशस्त्र कर दिया है। लेकिन आज इंग्लैण्डके लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे कि हमने यह कोई अक्लका

काम नहीं किया। इसीलिए अब कहने लगे हैं कि “आओ, लड़ाईमें शामिल हो, हम तुम्हें हथियार चलाना सिखाते हैं।”

लेकिन उनका यह उत्पाती प्रयोग एक दृष्टिसे बड़ा लाभकारी साबित हुआ। क्योंकि निःशस्त्र होनेके कारण ही हम प्रतिकारके इस अनोखे शस्त्रका आविष्कार कर सके। गांधी तो केवल उसे व्यक्त करनेवाला मुख है। गांधीके रूपमें हिंदुस्तानकी सारी प्रजा बोलती है। बीस वर्षतक उन्होंने इस नये शस्त्रकी महिमा लोगोंपर प्रकटकी। तलवारकी शक्ति भी कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। तलवार भी आखिर लोहा ही तो है। वह तो खदानमें पड़ा ही है। उसे कारीगरीसे उपयोगी आकार दे दिया गया, तो भी आखिर लोहा ही है। घड़ा और मिट्टी क्या अलग-अलग है? शस्त्र जड़ ही है। शस्त्रके पीछे चेतन शक्ति है। इसलिए उसमें बल आ जाता है। अगर चेतन शक्ति न हो, तो वह तलवार या बन्दूक अपने आप नहीं चलती। तलवार या बन्दूक की शक्ति चलानेवाले पर, धारण करनेवालेपर, निर्भर करती है। पहले यह बात समझमें नहीं आती थी। परन्तु परिस्थितिकी प्रेरणासे गांधीके ध्यान में यह बात आ गई कि शस्त्रकी शक्तिका आवार चैतन्य है।

नहीं तो हथियार होते हुए भी कैसी फजीहत होती है, इसका एक किस्सा हमारे एक मित्र सुनाया करते हैं। एक सज्जनके घरमें चोर घुस गये। चोरोंको देखते ही उसके होश-हवास उड़ गये और वह चिल्लाने लगा, “अरे मेरी बम्बूक! बम्बूक! बम्बूक!!” उससे ‘बंदूक’ शब्द भी नहीं कहते वना। बंदूक उसके होती भी किस कामकी। हां, अगर चोर अपनी बंदूक लाना भूल गये हों, तो उन्हें अलवत्ते उसका उपयोग हो सकता था।

भावार्थ यह कि शस्त्र स्वतन्त्र रीतिसे काम नहीं कर सकते। अगर हम निःशस्त्र न होते तो यह पृथक्करण हमारी समझमें न आता। परिस्थिति की निरपेक्ष कल्पना सहसा सूझती भी नहीं। ऋषियोंको भी विचार और स्फूर्ति तथा प्रेरणा परिस्थितिमेंसे मिलती है। गांधीको यह जो स्फूर्ति हुई उसमें उनकी बुद्धिकी कुछ विशेषता जरूर है, परन्तु उसका वास्तविक कारण भी हिंदुस्तानकी परिस्थिति ही है।

इस शस्त्रका भला-बुरा प्रयोग हमने बीस सालतक किया और यह अनुभव हुआ कि निःशस्त्र होते हुए भी इस युक्तिकी बदौलत हम लड़ सकते हैं। लेकिन लोग पूछते हैं, "इसका क्या परिणाम निकला ?" मैं कहता हूँ "अरे परिणामवादियो, जरा सब्र तो करो। तुमने दस हजार वर्षतक हिंसाके प्रयोग देखे हैं। क्या अब भी हिंसाके प्रयोग होना बाकी हैं ? इतने वर्षोंके बाद भी फिर नित्य शस्त्र चलाने ही पड़ते हैं न ?" छुटपनमें हम रटा करते थे। 'चटनीवाला रातदिन पीसता ही रहता है'। उसी तरह यह तलवरिये रात दिन तलवार घिस-घिस घिसते आये हैं। इन लोगोंको इतना समय दिया इतना मौका दिया। हमें तो बीस ही साल हुए। हमें भी तो प्रयोग करने के लिए मौका दोगे ? यह भी तो देखो कि हमने बीस सालमें कितनी योग्यता प्राप्त की।

नागपुर जेलमें नित्य इसकी चर्चा हुआ करती थी। वहां जमा हुए सब 'सत्याग्रही' (!) ही थे 'मिथ्यावादी' (!) कोई नहीं थे लेकिन हम सोचते रहते थे कि ऐसे दिखावटी साधनोंसे जो प्रयोग किया या प्रयोगका स्वांग रचा उसका भी अगर इतना असर हो सकता है, तो असली चीज प्रवृत्त होनेपर कितना प्रचंड कार्य होगा ?

दस हजार सालतक हिंसाके प्रयोग करते रहनेके बाद भी उसकी यह दशा है और हमारी टूटी-फूटी अहिंसाका प्रयोग केवल बीस ही सालका है, तो भी हम इतना प्रतिकार कर सके। तो बतलाइये क्या हम आगेके लिए आशा नहीं कर सकते ? कम-से-कम इस शंकाकी तो गुंजाइश है कि शायद हिंसा असफल साबित हो और अहिंसाके मार्गसे ही बहुत-सा कार्य हो जाय। यह शंका भी अगर तुम्हारे दिलमें पैदा हो गई, तो मैं समझूंगा कि मेरे व्याख्यानसे बहुत बड़ा काम हो गया।

अगर यह विचार यूरोपके गले उतर जाता, तो आजकी परिस्थितिमें हिटलरको चैन नहीं पड़ता। वह देशके बाद देश फतह करता चला गया। उधर रूस जैसे प्रतापी राष्ट्र से उलझ गया। ऐसी हलातमें भी इंग्लैण्डको जर्मनीपर धावा बोल देनेकी हिम्मत नहीं हुई। बहुतोंको इस बातका आश्चर्य

हुआ। वे सोचने लगे कि जर्मनीपर हमला करनेके लिए इससे अच्छा मौका और कौन-सा हो सकता था ? लेकिन इंग्लैण्ड एक कोनेमें चोरी-चुपकेसे लीवियामें लड़ने लगा। सारांश, इंग्लैण्ड-सरीखे बलवान्, सामर्थ्यशाली और संपन्न राष्ट्रको भी प्रतिकार करना इतना मुश्किल मालूम होता है। तो दूसरे राष्ट्र क्या करें ? कर ही क्या सकते हैं ? चुपचाप बैठें और टैंकके आते ही उसके सामने सिर झुका दें। और कुछ सूझता ही नहीं।

लेकिन गांधीजीने हमें यह नया हथियार दिया है। अगर प्रतिकारका व्रत लेना है तो इस हथियारके बलपर ही लिया जा सकता है। तलवारके बलपर अगर प्रतिकारकी शपथ ली जाय, तो जबतक तलवार हाथमें है, तभीतक आप उस शपथको निवाह सकेंगे। तलवार हाथसे गिरते ही व्रत खुल जायगा, उसका पारण हो जायगा, एकादशी समाप्त होकर द्वादशी शुरू हो जायगी। अन्यायके प्रतिकारकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए अहिंसाका ही आश्रय जरूरी है। जो अहिंसक प्रतिकारका व्रत लेगा वह पुरुष या वह स्त्री जहां खड़ी हो वहीं से प्रतिकार शुरू कर सकती है।

इसलिए आप इस सारी परिस्थितिका शांतिपूर्वक विचार कीजिए। कहा जाता है कि महाराष्ट्रके लोग बुद्धिवादी और तार्किक हैं। महाराष्ट्रपर लगाया जानेवाला यह बुद्धिवादका आरोप अगर सही होता, तो मुझे आनंद हुआ होता। लेकिन मुझे दुःख है कि यह आरोप वास्तविक नहीं है। महाराष्ट्र एक तरहकी तामसी श्रद्धासे प्रेरित हुआ है। हम समझते हैं कि हमारा वह पुराना मराठी बाना और नाना फड़नवीसकी परंपरा हमारे खूनमें है। भाई मेरे अब वह नाना फड़नवीसकी पुरानी विद्या और परंपरा इस बदली हुई परिस्थिति और समयमें बिलकुल निरुपयोगी और बेकार साबित होगी। य लोग कहते हैं कि नाना बड़ा बुद्धिमान था और इसलिए उसने बड़ी सिफतसे राज्यकी रक्षा की। लेकिन नानाकी बुद्धिमानी इस बातमें थी कि वह भांप गया था कि अंग्रेजोंका आसन हिंदुस्तानमें जमनेवाला है। य लोग कहते हैं कि अहिंसक प्रक्रिया हमारे खूनमें नहीं है, हमारी विचारधारामें नहीं है। लेकिन ज्ञानदेव, तुकाराम आदि संतोंने जिस प्रक्रियाको गौरवान्वित



किया, वह हमारे रक्तमें नहीं है, यह माननेके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही हो तो समझ लीजिए कि आप हमेशाके लिए पिछड़ जायेंगे। अब फिरसे आप कभी समाजका नेतृत्व नहीं कर सकेंगे। उस पेशवाई और नाना फड़नवीसकी परंपराके भरोसे बैठोगे तो बैठे ही रहोगे; उठ नहीं सकोगे।

जिससे शस्त्रके आधारपर दुर्बल भी बलवान बन सकता है, उसे चलानेकी विद्या अगर तुम खुद सीखोगे, दूसरोंको सिखाओगे तो युद्धके बाद शरीर, बुद्धि और प्राणके थके हुए लोगोंका नेतृत्व सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा।<sup>१</sup>

सर्वोदय : जनवरी, १९४२

: १२ :

## तीन मुख्य वादोंकी समीक्षा

आज मैं जो कहना चाहता हूँ उसे कहनेके पहले थोड़ी-सी प्रस्तावना करनी होगी। एक मित्रकी चिट्ठी आई है। वह लिखते हैं, “कृपया हिंदीमें बोलें”। इसमेंसे ‘कृपया’ शब्दको मैं स्वीकार करता हूँ। याने ‘कृपया’ मराठीमें बोलनेवाला हूँ। नागपुर-जेलमें हमारी चर्चा और व्याख्यान सदैव हिंदीमें ही होते थे। वहां जो सत्याग्रही थे उनमेंसे अधिकांश हिंदी जानते थे। मराठी जाननेवाले थोड़े ही थे। इसलिए उनसे हिंदीमें ही बातें और चर्चा हुआ करती थी। इस प्रकार हिंदीके द्वारा हमें एक-दूसरोंके विचार ज्ञात हुए और सहवासमें आनंद मालूम हुआ। फलतः अब मुझे व्याख्यान देने लायक हिंदीका अभ्यास हो गया है।

लेकिन यहां मराठीमें बोलनेमें मेरी तत्त्व-दृष्टि है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी अथवा हिंदुस्तानी अथवा उर्दू अवश्य सीखनी चाहिए। सभी प्रांतोंके लोगोंको सीखनी ही चाहिए। लेकिन साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जो

---

१. वासुदेव आर्ट्स कालेज (वर्धा) के स्नेह सम्मेलनके अवसरपर (१४ दिसंबर, १९४१ को) दिया हुआ भाषण।

लोग दूसरे प्रांतोंमें आकर रहते हैं, वे भी उन प्रांतोंकी भाषाएं समझने और बोलने लायक सीखें। अन्यथा समूचे राष्ट्रकी संघि नहीं जुड़ेगी। मेल दोनों तरफसे होता है। विभिन्न प्रांतीय भाषाभाषियोंको राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए और हर एक प्रांतमें रहनेवाले अन्य प्रांतीयोंको स्वदेशी धर्मके अनुसार दयालुतासे उस प्रांतकी भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। यह तत्त्व-दृष्टि तुम्हें उपलब्ध करानेकी कृपा करके अर्थात् 'कृपया' में मराठीमें बोलनेवाला हूं।

विद्यार्थियोंके लिए हाल हीमें मेरा एक व्याख्यान हो चुका है। मैं मान लेता हूं कि आप लोगोंमेंसे अधिकतर लोगोंने वह सुना होगा। उस व्याख्यानमें मैंने एक विचार पेश किया था। वही विचार मैं सब जगह उसी भाषामें पेश किया करता हूं। कारण मेरे दिलमें वह उसी भाषामें जम गया है। वह विचार यह कि संपूर्ण स्वतंत्रता पर अगर किसीका अबाधित और निरंकुश अधिकार हो सकता है तो विद्यार्थियोंका। दूसरोंके लिए बंधन होते हैं और वे उचित भी होते हैं। परंतु विद्यार्थियोंको कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इस अधिकारका अमल अगर अवतक शुरू न किया हो, तो आज शुरू करो। विद्यार्थी एक हैसियत है। उस हैसियतको लक्ष्य करके मैं बोल रहा हूं; विद्यार्थी व्यक्तिकी दृष्टिसे नहीं। एक व्यक्तिके नाते उसे अनेक बंधन होना संभव है। लेकिन विचार या सत्यका शोध करते समय संपूर्ण और केवल विद्यार्थियोंकीही हैसियत होनी चाहिए। अमुक विद्या इसलिए ग्राह्य नहीं है कि उसे अमुक महात्मा, गुरु या संत सिखाता है। 'यह संतवाणी है, यह हमारे पंथकी वाणी है', इसलिए प्रमाण है, इस तरहका बोझ ज्ञानार्जनके विषयमें या विचार बनाने के विषय में उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी-व्यक्तिपर पुत्र, मित्र, शिष्य या दूसरी हैसियतसे अनेक बंधन लागू हो सकते हैं। पर विद्यार्थियोंके नाते ही तुम्हारा अधिकार है। यह बहुत महत्वपूर्ण, विलकुल मूलभूत, अधिकार है। संपूर्ण स्वतंत्रता इस मूलभूत अधिकारकी अगर तुम अवहेलना करोगे या अवहेलना होने दोगे, तो सच्ची विद्या प्राप्त होनेकी आशा नहीं रहेगी।

आजकल जर्मनी, रूस इत्यादि सभ्य राष्ट्रोंमें इतिहास, संस्कृति, व्यापार, भूगोल, इत्यादि सिखानेके वहाने विद्यार्थियोंका यह अमूल्य अधिकार छीन

लिया गया है। गणेशजीकी मूर्ति बनानेवाला आजका शौकीन मूर्तिकार यह भूल जाता है कि 'गणपति' नामक एक तत्त्व है और मिट्टीको मनमाना आकार दे देता है। मूर्तिकार समझते हैं कि गणपतिकी प्रतिमा बनाना हमारे हाथकी बात है। इसलिए उसे अपनी मर्जीका आकार दे देते हैं। कोई उसके हाथमें त्रिशूल और बल्लम दे देते हैं, कोई चरखा देते हैं और कोई तो उसे सिगरेटका चस्का लगा देते हैं। इस तरह बेचारे गणेशजीकी मिट्टी पलीद की जाती है। वही हाल विद्यार्थियोंका होनेवाला है। सयाने विद्यार्थी इसके लिए तैयार नहीं थे; आज भी नहीं हैं। तुम्हें ऐसी दुर्दशा सहनेके लिए हरगिज तैयार नहीं होना चाहिए। जर्मनीमें क्या होता है ? 'विद्यार्थीको कौनसी विद्या सिखाई जाय, कौन-से-ढाँचेमें ढाला जाय', यह सरकार तय करती है। विद्या और गुणोंका नियंत्रण तथा नियमन सरकार करती है। सरकारको जो विकार और विचार इष्ट जान पड़ते हैं, उन्हें भिन्न-भिन्न विद्यार्थियोंके मगजमें ठूसनेका अमोघ साधन माने शिक्षक। सरकारके इष्ट विचारोंकी दृष्टिसे शिक्षणकी योजनाएं बनती हैं। ऐसी ज्यादातियां अगर तुम सह लोगे तो तुम्हारा, हमारा और संसारका बुरा हाल होगा। पूंजीवादी राष्ट्र इस प्रकार की योजनाएं बनाया करते हैं। उनका पूरी तरह विरोध करना हमारा—विद्यार्थियोंका—फर्ज है।

यह पहली बात है। यह उस ऋषिके ध्यानमें आया। इसलिए उस वैदिक ऋषिने कहा। क्या कहा उसने ? "मेरे प्यारे शिष्यो, तुम बारह वर्षतक मेरे पास रहे, विद्या सीखे; लेकिन तुम मुझे अपना आदर्श न मानना। सत्यकोही प्रमाण मानो। मेरी कृतियों या शब्दोंको प्रमाण मत मानो। मेरे शब्द और आचरण सत्यकी कसौटीपर परखो। जो खरे उतरें उनको स्वीकार करो। जो घटिया ठहरें उन्हें छोड़ दो। सत्यकी कसौटी हरएककी बुद्धिके लिए सहजगम्य है। उसे काममें लाओ।—'यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्व योपास्यानि नो इतराणि' उस ऋषिने कहा, 'हमारे केवल अच्छे चरित्र अपनाओ, बुरोंकी छोड़ो।' क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानदाता गुरु था। उसका वतलाया तत्त्व नवीन नहीं है। लेकिन उसका अमल नहीं होता। इसलिए

अतिशय दयालु गुरु के नाते ऋषिने विद्यार्थियोंको यह संदेश दिया। उसे खूब याद रखिए। अपना विचार-स्वातंत्र्य का यह मूलभूत अधिकार अक्षुण्ण रखिए। उसे गंवाइये नहीं।

मैंने कहा कि स्वतंत्र-वृद्धि विद्यार्थीका पहला और मुख्य लक्षण है। स्वतंत्र वृद्धि माने वह वृद्धि जिसपर कोई दबाव नहीं है। वही सत्याग्रहीवृद्धि है। इस वृद्धिके द्वारा तुम संसारकी तरफ देखो। तुम्हें अनंत चमत्कार दिखाई देंगे। वृद्धिसे उन्हें समझो। इस युगमें खोखला भेजा रखनेकी गुंजाइश नहीं है। अगर तुम अपने सुनिश्चित और पक्के विचार नहीं रखोगे तो उसमें किसी दूसरेके विचार घुस जायेंगे। आजकी दुनिया कहती है, 'दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए। उसमें कुछ-न-कुछ भरना ही चाहिए।' सद्विचार भरो। और अगर सद्विचार नहीं भरना है तो आलू भरो, पत्थर भरो, जो चाहे सो भरो। इस-युगकी यह प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा सिर खाली नहीं रह सकता। खुद विचार न करोगे तो वह रेडियो रेंक-रेंककर तुम्हारी खोपड़ीमें विचार ठूसता है। समाचारपत्र विचार करनेको बाध्य करते हैं। विना विचारका दिमाग रखना संभव नहीं है। इसलिए सत्याग्रही वृद्धि रक्खो। सद्विचार करो। सद्विचारोंकी दृढ़ करना और संचित करना, यही एक रास्ता है। अगर तुम कहोगे कि मैं विचार नहीं बनाऊंगा, तो लोग तुम्हें बनायेंगे। वनो मत। दुनियाके हाथोंमें महज मिट्टी बनकर न रहो।

आजकी दुनियामें उदासीन रहना असंभव है। केवल एकांतमें अध्ययन करनेकी गुंजाइश नहीं है। समाजशास्त्रके विचार और अध्ययनके विना गति नहीं है। उसके विना किसी भी विषयका अध्ययन नहीं हो सकता। इतिहास, अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्रका अध्ययन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन गणित जैसे स्वतंत्र और तटस्थ विषयका अध्ययन भी समाजशास्त्रके विना नहीं होता। साधारण नीति, गणित, साधारण विज्ञान, भौतिकशास्त्र-- किसी भी विषयका विचार समाजशास्त्र-निरपेक्ष करना संभव नहीं है। मानो समाजशास्त्रमेंसे ही ये सारे शास्त्र निकले हों। इसलिए नित्य जागरूक रहकर विवायक विचार करना नितांत आवश्यक है।

आज संसारमें तीन बहुत बड़े विचार-प्रवाह पाये जाने हैं। पहला 'फासीवाद' और 'नासीवाद' है—दोनों वस्तुतः एक ही हैं। एक जर्मनीमें पैदा हुआ और दूसरा इटलीमें। वह किसी-न-किसी रूपमें सारे संसारमें हैं। हमारे हिन्दुस्तानमें भी हैं। दूसरा साम्यवाद है। समाजवाद इत्यादि उसके पेटमें हैं। यह वाद रूसमें प्रवृत्त हुआ और दुनिया भरमें फैला। तीसरा महात्मा गांधीका विचार है। ये तीन ही यथार्थ विचार-प्रवाह हैं। इंग्लैंड, अमेरिका आदिके विचारोंकी विचारकी दृष्टिसे कोई गिनती नहीं है। गिनती करनी हो तो ये 'फासी-नासी' के ही भाईवंद हैं। विजय किसीकी भी हो, विचारकी दृष्टिसे इनमें कोई दम नहीं है। इसलिए इनकी गिनती करनेकी जरूरत नहीं है। इनके विचार नष्ट होने वाले हैं। इनकी विजय भी हो जाय तो वह उसी तरहकी होगी, जैसे कि बुझनेके पहले एक क्षणके लिए चिरागका बड़ा होना। अंतमें इनका विचार नष्ट होनेवाला है।

इन तीनों वादों की प्रगति हमारे सामने है। उनका तुम तटस्थभावसे खूब अध्ययन करो। इनमेंसे गांधीवादका तो उदय करीब-करीब हिन्दुस्तानमें ही हुआ है। 'करीब-करीब' इसलिए कहा कि दूसरे देशोंके विचारकों ने भी इस तरहके विचार व्यक्त किये हैं। प्राचीनकालमें कुछ व्यक्तियोंने प्रयोग भी किये हैं। लेकिन इस सिद्धांत को साकार बनाकर उसे सगुण रूप देकर उसके प्रत्यक्ष प्रयोग गांधीने ही और राष्ट्रीय पैमानेपर हिन्दुस्तानमें ही किये हैं। इसलिए 'करीब-करीब' कहनेमें हर्ज नहीं है। गांधीके प्रयोग के लिए हिन्दुस्तानमें अनुकूल परिस्थिति और वातावरण था।

दूसरे दो वाद यूरोपमें पैदा हुए—साम्यवाद और नाजीवाद। ये क्यों और कैसे पैदा हुए, इसका विचार हम करना चाहिए।

मैंने अपने जीवनके विषयमें एक न्याय (नियम) बनाया है। वह आपके सामने रखता हूँ। वह न्याय है—'इंद्राय-तक्षकाय स्वाहा'। सांपोंसे तकरार हो जानेके कारण एक ब्राह्मणने सांपोंका यज्ञ किया। उसमें बहुत-से सांपोंकी

आहुतियां दीं। लेकिन तक्षक इंद्रके आसनके नीचे जा छिपा। इधर ब्राह्मणने कहा, 'तक्षकाय स्वाहा'; लेकिन तक्षकका पता नहीं। तब तो ब्राह्मणने सूक्ष्मदृष्टिसे खगोलका निरीक्षण किया। उसे पता चला कि तक्षकके इंद्राश्रित होनेके कारण आहुति व्यर्थ गई। इसलिए उसने कहा, 'इंद्राय-तक्षकाय स्वाहा'। ब्राह्मणने उदंडतासे दोनोंकी आहुतिका संकल्प पढ़ा। पृथक्करणका कष्ट नहीं किया। लेकिन इंद्र तो अमर ठहरा। इसलिए उसकी आहुति होना असंभव था। ब्राह्मणने पृथक्करणकी भ्रंशसे बचना चाहा, इसलिए इंद्रके साथ तक्षक भी अमर हो गया।

ऐसा कोई भी वाद नहीं जिसमें एक-न-एक गुण न हो। अगर हम किसी वादको सर्वथा द्रुष्ट या दोषयुक्त करार देकर उसके गुणोंका भी त्याग करें तो वह वाद अमर हो जाता है। यदि किसी वादके गुणदोषोंका पृथक्करण न किया जाय तो दोषोंसे भरा हुआ वाद भी पनपता है। इसलिए हरएक वादमें जो गुण हों, उन्हें जान लेना जरूरी है। जिसमें गुण ही न हों, ऐसा वाद ही नहीं है। इसीलिए नाजीवादको सर्वथा द्रुष्ट करार देनेसे वह जोर पकड़ता है और पनपता है। हम उसके गुणोंको नहीं देख सकते और न साम्यवादके ही सत्यका अन्वेषण होता है। किसी भी वादके सिर्फ दोष ही देखनेसे वह खंडित नहीं होता।

अगर हम हरएक वादका गुण अपना लें तो फिर उस वादमें स्थायी रहने लायक कुछ नहीं बचता। इस दृष्टिसे हम नाजीवादके गुणकी खोज करें। नाजीवाद एक प्रकारके पूर्व-अभिमानपर स्थित है। प्राचीन परंपरा और पूर्व-इतिहासके अभिमानपर अधिष्ठित है। "हम जर्मन लोग श्रेष्ठ हैं। हमारे इतिहासमें भव्यता है। इसलिए परमात्मा या कालात्माने एक बड़े महत्वका कार्य हमें सौंपा है। हम अपनी पुरानी संस्कृतिका रक्षण और पोषण करके ही उस कर्तव्यको पूरा कर सकेंगे। इसलिए इस जर्मन वंशको अक्षुण्ण रखना चाहिए। हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण हैं। इसीलिए तो यह महत्कार्य हमारे सिपुर्द किया गया है। व्यक्तिकी तरह समाज और राष्ट्रमें भी विशेष गुण पाये जाते हैं। ये हमारे विशिष्ट गुण हमारा अपनापन, हमारा निजत्व है। हमारी

संस्कृति शुद्ध है। हम शुद्धरक्तके, शुद्ध वीजके, शुद्ध विचारके जर्मन लोग ही यह कार्य पूरा करनेके योग्य हैं। शुद्ध याने पूर्व परंपरासे प्राप्त। मेंढकको मेंढकोंकी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध ह। सांपको सांपोंकी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। शेरको शेरोंकी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। उसी प्रकार हमें हमारी परंपरासे मिले हुए विशिष्ट गुण ही हमारी संस्कृति हैं। इसलिए हमें जर्मनवंशका अभिमान रखकर अपनी परंपराकी रक्षा करनी चाहिए।”

नाजीवादमें दूसरे दोष होंगे, लेकिन यह एक बड़ा आकर्षक गुण है। हाँ, आकर्षक होते हुए भी वह सर्वथा ग्राह्य नहीं है। पूर्वपरंपराका सातत्य बनाय रखना, उसका धागा टूटने न देना, संस्कृतिकी परंपरा अविच्छिन्न रखने के लिए अपने पूर्वजोंकी संस्कृतिके प्रति आदर तथा प्रेम रखना—यह उसका वास्तविक ग्रहचांश है। वंशाभिमान रक्षण करने—जैसी वस्तु नहीं है।

इसके विपरीत साम्यवादमें दूसरे ही प्रकारका गुण है। वह देखता है कि सारी दुनियाके गरीब उत्तरोत्तर अधिक गरीब होते जाते हैं और अमीर ज्यादा अमीर। गरीबोंके पेटकी खाई गहरी होते-होते प्रशांत महासागरके वरावर हो गई है और श्रीमानोंके धनकी पहाड़ी ऊँची होते-होते हिमालयके सदृश हो गई है। यह अंतर सहा न जानेके कारण साम्यवाद पैदा हुआ। वह कहता है कि बहुमतके नामपर आज जो प्रणाली जारी है, वह यथार्थ लोकसत्ता नहीं है। सिर गिननेकी लोकसत्ता सच्ची लोकसत्ता नहीं है। क्योंकि ऐसी लोकसत्तामें गरीबोंके सिर श्रीमानोंके हाथमें रहते हैं। इसलिए गरीबोंके मतदानका कोई मूल्य नहीं। जबतक श्रीमंतोंका नाश नहीं होगा, दोनोंको समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। मौजूदा मतदान-पद्धति सिर्फ आकारमें लोकसत्ताके समान है। हम आकारमें नहीं, अपितु प्रकारमें भी लोकसत्ता स्थापित करना चाहते हैं। वह पक्षपातहीन लोकसत्ता होगी। आज यदि निष्पक्ष रहना हो तो गरीबोंका पक्षपात करना ही होगा। आजतक समान-अधिकारके नामपर श्रीमानोंकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ाई गई। समत्व, न्याय और समान-अवसरका स्वांग रचा गया। समान-अवसर माने गरीबोंकी पिसाई। गामा पहलवान और लकड़ी-पहलवानकी कुश्ती तय कराकर दोनों को

समान-अवसर देनेका दम भरा जाता है। गामा पहलवानकीजीत निश्चित है। पहले गरीबोंका उद्धार कीजिए; बादमें समान-अवसर आदि सिद्धांतोंकी बात कहिए। गरीबोंके उद्धारके लिए चाहे जैसे साधनका प्रयोग करना पाप नहीं है। इस प्रकार साम्यवादमें गरीबोंके प्रति पराकाष्ठाकी आस्थाका गुण है।

इस प्रकार दो गुणोंकी वदीलत ये दो वाद संसार और हिन्दुस्तानमें फैल रहे हैं। हमारे महाराष्ट्रमें भी फैलना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्रके ही विषयमें बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्रके दोष दिखाऊँ तो वह मेरा प्रांत होनेके कारण, गलतफहमी नहीं होगी। महाराष्ट्रमें 'हमारा महाराष्ट्र धर्म' 'हमारी पेशवाई' (पेशवाशाही), हमारा 'मर्द मराठा सिपाही', 'हमारी संस्कृति', 'हमारे समर्थ (रामदास) और उनकी वजरंगवलीकी उपासना', आदि भावनाओंको जो प्रोत्साहन देता है, उसके प्रति तरुणोंमें आकर्षण पैदा होता है। इसी कारण महाराष्ट्रके तरुणको हिंदू महासभावालों के विचार पसंद आते हैं। वह उन विचारोंमें प्राचीन इतिहासके अभिमानका बहुत बड़ा गुण देखता है। दासनवमी (श्रीरामदास जयंती); हनुमान जयंती, भीष्माष्टमी, शिवाजी-उत्सव आदिसे प्रेरणा और आवेश मिलते हैं। अतः उस पक्षमें दूसरे कितने ही दोष क्यों न हों तो भी वह तरुणोंको आकर्षक प्रतीत होता है। उसमें पूर्वपरंपराके अभिमानका गुण है।

मुसलमानोंमें यही विचार मुस्लिमलीगने फैलाया—'इस्लाम कितना वैभवशाली था, हिंदुस्तानमें किसी समय उसका साम्राज्य किस प्रकार था', इत्यादि। पूर्वपरंपराके अभिमानका गुण उसमें है।

इस प्रकार हिंदूसभा और मुस्लिमलीगका कार्य नाजी-परंपराका है। वे जब आपसमें खुलकर बोलते हैं, तब कभी-कभी यह बात मान लेते हैं। आम तौरपर नहीं बोलते। लेकिन उनकी सहानुभूतिका स्थान वह है। शपथविधि, गुप्तता, आदि सारे लक्षण विद्यमान हैं। वह हरा भंडा, वह कुरानकी कसम, वह हनुमानजीकी साक्षी, वह शपथ, वह ध्वज—यह सारा देखकर एक तरहका उत्साह मालूम होने लगता है। ऐसा अनुभव होने लगता है कि ये लोग हमें विलकुल ही गलत रास्तेसे नहीं ले जा रहे हैं—पूर्वजोंके



परिचित मार्गसे ले जा रहे हैं। इस भावनाके आधारपर ये नाजी-संप्रदाय हिंदुस्तानमें बड़े हैं।

हिंदुस्तानकी गरीबी उपनिषत्के ब्रह्मके समान है, उसकी कोई उपमा या तुलना नहीं है। ब्रह्मके समान 'वह एकमेवाद्वितीय' है। इसलिए गरीबोंके लिए आस्था और अमीरोंके प्रति चिढ़ रखनेवाला साम्यवाद आर्षक मालूम होता है और फैलता है।

इस तरह दो भिन्न कारणोंसे ये दो भिन्नवाद आकर्षक हो गए हैं। पूर्व-परंपराके अभिमानकी बदौलत नाजीवाद आकर्षक हो उठा है। हिंदू और मुसलमानोंको अभिमानका स्थान दिखाकर वह हिंदुस्तानमें फैला है। दरिद्रताके कारण साम्यवाद आसानीसे गले उतरता है। मैं दोषाविष्करणके उद्देश्यसे इन वादोंकी समीक्षा नहीं करता। क्योंकि हमें केवल उनके गुण ही देखने हैं।

अब तीसरे वादकी समीक्षा करता हूँ। वह गांधीने उपस्थित किया है। हमें उसके रूपको भलीभांति समझ लेना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं—यह बेचारा गुजराती 'सामलूभाई' (ढीलाढाला, पिलपिला आदमी) ठहरा। इसका क्या 'वाद-आद' हो सकता है। ये बेचारे गुजराती डरपोक, गाय-जैसे सीधे, सांपको भी न मारनेवाले लोग हैं। इन्होंने व्यापारके सिवा और कुछ नहीं किया है। तलवार कभी उठाई नहीं है। उस परंपराका यह 'सामलू' है। उसका वाद उसी तरहके लोगोंको जंचेगा।

लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बात ऐसी नहीं है। अगर ऐसी बात होती—याने इस वादमें डरपोकपन और 'सामलूपन' होता—तो एक महाराष्ट्रीके नाते मैंने उसे कभीका फेंक दिया होता। 'सामलूपन' कड़ आ, मीठा, खट्टा, चाहे किसी भी तरहका क्यों न हो, मैं तुमसे उसकी सिफारिश नहीं करूंगा।

परंतु मैं कह चुका हूँ कि वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। तुम जांच-पड़ताल कर देख लो। अगर इस वादकी जांच तुम नहीं करोगे तो मैं कहूंगा कि तुम विद्यार्थी बूढ़ वन चले हो। दूसरा आरोप नहीं करूंगा। सिर्फ 'बूढ़' कहूंगा।

हिंदुस्तान आज डेढ़ सौ वर्षोंसे निःशस्त्र है। न शस्त्र-शक्ति है, न द्रव्य-शक्ति ही रह गई है। इस तरह यह एक केवल शक्तिहीन राष्ट्र था। इस राष्ट्रके सामने यह प्रश्न उपस्थित था कि वह कमर सीधी रखनेकी शक्ति कैसे हासिल करे। इस विषयमें विचार-मंथन शुरू हुआ। शस्त्र और द्रव्य दोनों तरहकी शक्ति गायब हो जानेके बाद भी क्या कमर सीधी रह सकती है? क्या अपनी पूर्वपरंपरापर कायम रहते हुए यह सिद्ध हो सकता है? इस तरहके विचारका मंथन शुरू हुआ। चालीस करोड़ लोगोंमें सीधे खड़े होनेकी शक्ति निर्माण करनी है।

किसीने समझा पाश्चात्योंका अनुकरण करना चाहिए, उनकी विद्या सीखनी चाहिए। किसीकी रायमें धर्म-सुधारसे ही हमारी उन्नति होगी। धर्म-सुधारकी शक्ति उत्पन्न करनेके लिए ब्राह्मणसमाज, प्रार्थनासमाज, आर्यसमाज, थिऑसाफी आदि संस्थाएँ स्थापित हुईं। ये सारे समाज ऊपरसे धार्मिक भले ही प्रतीत होते हों, उनकी जड़में दूसरी ही बात थी। 'हमारी द्रव्यशक्ति और शस्त्रशक्ति जाती रही, अब हम बुद्धिशक्तिके बल सीधे कैसे खड़े हो सकेंगे?'—यह वृत्ति उन सबके पीछे थी।

बुद्धि-शक्तिकी प्राप्तिके लिए ही शिक्षण-विषयक सुधार शुरू हुए। बुद्धि-शक्ति ही एकमात्र आशा रह गई थी। इसलिए गांधीके पूर्वकालमें धर्म-सुधारके साथ शिक्षण-सुधार जोड़ दिया गया था। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रानडे, रविवावू, अरविन्द प्रभृतिने बुद्धिके जोरपर आगे आनेका यत्न किया। जब शस्त्रकी ताकत न रही, द्रव्यकी ताकत न रही तो और क्या करते?

शिक्षण-विषयक सुधारमें अंग्रेजी विद्याका अनुसरण शुरू हुआ। तब दूसरा एक पक्ष सामने आया। वह कहने लगा, "हमें अंग्रेजीकी उपासना नहीं चाहिए। प्राचीन विद्याओंको गति देकर नवीन स्वरूप दो।" इस विचारके अनुसार गुस्कुल आदि संस्थाएँ खुलीं। उसमेंसे तीसरा आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षाका निकला। प्राचीन संस्कृत विद्या और नवीन विद्यासे लाभ उठानेका यह प्रयत्न था। ऐसा माना जाने लगा कि पुनरुज्जीवन और सुधारका शिक्षण

ही राष्ट्रीय शिक्षण है। लेकिन तीनों प्रकारोंके मूलमें विचार एक ही था। वह यह कि बुद्धिके द्वारा शक्ति निर्माण करेंगे। शक्ति निर्माणके तीन द्वार हैं—धन, बल और बुद्धि। लक्ष्मी और शक्तिके दरवाजे प्रायः बन्द हो गये। तब अंग्रेजोंसे टक्कर लेनेके लिए तीसरा विद्याका ही द्वार बाकी रह गया। इस विचारसे यह आंदोलन शुरू हुआ। कई सुधारकोंने उसमें भाग लिया।

लेकिन बुद्धिमें शक्ति कैसे आवे ? बुद्धिका क्या स्वतंत्र पोषण होता है ? क्या आचारहीन बुद्धि शक्तिशालिनी हो सकती है ? निराचार बुद्धि शक्तिशाली नहीं हो सकती। जबतक बुद्धि आचारमें परिणत करनेकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती, तबतक स्वतंत्ररूपसे बुद्धि शक्तिशाली नहीं होती। जब यह ध्यानमें आया, तब कांग्रेस स्थापित हुई। उसके पहले बुद्धिमान लोग कहने लगे कि, “आओ, हम गरीबोंकी शिकायतें दूर करनेके लिए अपनी बुद्धि काममें लायें; अर्थात् उसे सक्रिय बनायें। लेकिन शिकायतें पेश करके उनका निराकरण कराने का प्रयत्न एक मर्यादा तक ही सफल होता है। पूर्ण सफल नहीं होता। अव्यक्त शिकायतें व्यक्त हो जाती हैं। लेकिन बुद्धि जबतक क्रियात्मक नहीं होती, तबतक सफल नहीं होता। इसलिए कांग्रेस शिकायतें तो पेश करती थी; लेकिन उसकी बात हवामें उड़ जाती थी। उसका प्रयत्न सफल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था ? इसलिए कि शिकायतोंके दूर होनेकी संभावना नहीं थी। सो कैसे ?—इसलिए कि सारी शिकायतोंका मूल कारण, शिकायतोंकी शिकायत, परतंत्रता ही है।

यह बात कांग्रेसके ध्यानमें आ गई। सहज ध्यानमें आनेवाली है। मनुष्य और सब डालियां काट सकता है; लेकिन जिस शाखापर वह खड़ा हो उसे नहीं काट सकता। अंग्रेज सरकार कई सुधार कर सकती है। लेकिन उसकी सत्ता अकेली हमारी गुलामीकी डालपर खड़ी है। उस मुख्य शाखाको वह कैसे तोड़ेगी ? तुम बुद्धिवाद करके कितना ही समझाओ; जैसे उन्होंने मुझसे कहा ‘कृपया हिंदी में बोलिए’, उसी तरह तुम भी कहो, ‘कृपया इतनी शाखा तोड़िए’, तो वह कैसे सुन सकती है ? वह कृपा उसकी जान ले लेगी। सरकार फुटकर टहनियां तोड़ेगी। कहेगी “कहतमें मदद करेंगे, मराठी-हिंदीको

विश्वविद्यालयोंकी परीक्षाओंमें स्थान देंगे; लेकिन मुख्य शाखाको हाथ न लगाइए। 'स्वतंत्रताकी जय' न बोलिए; 'अंग्रेज सरकारकी जय' बोलिए।"

वात लोगोंके ध्यानमें आ गई। जिस शाखापर अंग्रेजोंकी सत्ता खड़ी है, उसे काट डालिए कहनेसे सरकार कैसे काटेगी? यह वात ध्यानमें आनेपर सवाल यह हुआ कि अब क्या करें? तब पता चला कि शक्तिसे ही राज्य मिलते हैं और युक्तिसे यत्न होता है। मतलब, शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। गुप्तरूपसे कार्य करना ही युक्ति है, ऐसा समझा जाने लगा। अब, 'अधिकारियोंको मारें, पड्यंत्र करके बम बनावे'—इस प्रकारके विचार शुरू हुए। अफसरोंके खून हुए। यह सब शुद्ध बुद्धिसे हुआ। जिन लोगोंने बमका प्रयोग किया उनका स्मरण मैं भी पवित्र मानता हूँ।

लेकिन उन्हें क्या अनुभव हुआ? बम बनानेके लिए पैसोंकी जरूरत है। शिवाजी महाराजने भी पड्यंत्र किये। उन्हें भी साधन जुटाने पड़े। उसके लिए सूरत शहर लूटना पड़ा। मराठोंने बंगालमें डाके डाले। अब ये लोग भगवद्गीताकी दुहाई देकर सद्भावनासे डाके डालने लगे। लेकिन पहलेसे ही जो पेशेवर गरीब लुटेरे थे, वे भी डाके डालने लगे। इनकी अपेक्षा वे निपुण थे। उन्होंने ज्यादा डाके डाले। लेकिन इसका लोगोंको कैसे पता चले? लोग कैसे जानें कि कौन-सा डाका किसका है? बकरा क्या जाने कि छुरी किसकी है? उसे क्या पता कि उसकी गरदन काटनेवाली छुरी उसे यज्ञके लिए मारनेवाले ब्राह्मणदेवताकी है, या मांस बेचनेवाले कसाईकी? लोग डाकोंको पहचान न सके। 'हमें बचाओ' इतना ही कहने लगे। इसलिए सरकारकी अच्छी वन आई। अराजक और डाकूमें फर्क न कर सकनेकी वजहसे बमोंका मार्ग बेकार हुआ।

वादमें महात्मा गांधी आए। उन्होंने कहा, "अराजकोंका पंथ तो ठीक है; लेकिन पद्धति सही नहीं है। मुख्य शाखा ही तोड़नी चाहिए। इसलिए उनका पंथ उचित है। लेकिन वह हिंदुस्तानमें हिंसासे ही नहीं सकता।" संसारमें कहीं नहीं हो सकता। संगठित हिंसापर रची हुई यह प्रक्रिया जब व्यापक परिणाममें आजमाई जाय, तभी सफल हो सकती है। आजकी

सरकारें अत्यन्त संगठित और व्यापकतम हिंसाकी सरकारें हैं। उतना व्यापक हिंसक संगठन प्रजा नहीं कर सकती। इसलिए उसकी हिंसा किसी कामकी नहीं सावित होती। प्रजाके हिंसक संगठनमेंसे शक्ति निर्माण नहीं होती। बंधुत हो तो राष्ट्र प्रेमकी, प्यास बुझती है। कुछ-न-कुछ करनेकी तमन्ना शांत होती है। व्यक्तिगत संतोष मिलता है। लेकिन संगठनके लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं है। राष्ट्रीय उत्थानकी दृष्टिसे कार्यक्षम नहीं है।

इसलिए गांधीने कहा, “आम जनताका खुले तौरपर संगठन करनेकी मेरी पद्धति ही परिणामकारक ठहरेगी। सरकार स्व-सत्तापर नहीं टिकती। लोगोंसे मिली हुई सत्तापर टिकी हुई होती है। उसे लोगोंके आधारकी जरूरत होती है। सरकार और लोग, इन दोनों हाथोंसे राज्यकी ताली बजती है। आप अपना हाथ हटा लीजिए, उसका हाथ अपने-आप ढीला पड़ जायगा। लोग अपनी दी हुई सत्ता हटा लें तो सरकार नहीं टिक सकती। इस प्रकारके संगठन-द्वारा ही हम प्रतिकारकी शक्ति निर्माण कर सकेंगे।”

हिंदुस्तान इतना बड़ा चालीस करोड़का राष्ट्र कैसे बना? हमारी पूर्वपरंपराके गुणकी बदौलत इतना बड़ा राष्ट्र बना। यह हलका-पतला राष्ट्र नहीं है। हमारे परमपूज्य राष्ट्र-कवि रवींद्रनाथ ठाकुरने भारतको ‘एह भारतेर महामानवेर सागरतीरे’ कहा है। सारी दुनियासे आ-आकर लोग यहां बसे हैं। सभी तो आक्रमण करके जवरदस्ती आकर नहीं बैठे हैं। हमने उन्हें जान-बूझकर आश्रय दिया। पारसियोंने आक्रमण नहीं किया था। हमने समझ-बूझकर उन्हें जगह दी। हमारे राष्ट्रकी मर्यादाकी एक पुरानी परंपरा है—हम दूसरोंको अवसर दे सकते हैं और दूसरोंपर आक्रमण नहीं करते।

इस परंपरामेंसे गांधीको यह विचार मिला। हमारे पास प्रतिकारका शस्त्र है। शस्त्र माने शासन या नियमन करनेवाला। यह अर्थ हाथपर घटित होता है। हथियार तो शस्त्र ही नहीं है। वह औजार है, जड़ वस्तु है। वह स्वतंत्र चीज नहीं है। उसकी दरकार नहीं।

हिंदुस्तानकी महान् आवश्यकता, उसके इतिहासकी एकमात्र मांग, पूरी करनेके लिए विचार उत्पन्न हुआ। इसीलिए वह फैला। संसारमें इतरत्र अहिंसाको स्थान नहीं है। हिंदुस्तानमें तरुण भी इसकी चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहारमें हिंसा बड़ी है या अहिंसा? अहिंसाके मार्गपर यह बहुत बड़ी प्रगति है। हम यह नहीं कहते कि सब-के-सब फौरन अहिंसावादी बन जाएं। सबको विचार ही करना चाहिए। आज तरुणोंने भी हिंसाका नये सिरेसे विचार शुरू किया है, यह सच्ची प्रगति है। इससे अधिक तेजीसे गांधीका विचार फैलना मुमकिन नहीं था। फैलना भी नहीं चाहिए। धीरे-धीरे, विचार करनेके वाद, सोच-समझकर ही उसको स्वीकार होना चाहिए।

यह विचार-धारा हिंदुस्तानकी पूर्वपरंपरामेंसे पैदा हुई है या नहीं? मेरा मतलब हिंदुस्तानकी मुख्य पूर्वपरंपरासे है; फुटकर प्रवाहोंसे नहीं। हिंदुस्तानमें परंपराके बहुत-से फुटकर प्रवाह हैं। मराठोंकी, राजपूतोंकी, सिक्खोंकी, ऐसी कई परंपराएं हैं। लेकिन असंख्य धर्मों और जातियोंको एकत्र रखनेवाली जो परंपरा है, वही मुख्य परंपरा है। उसीमेंसे इस विचारका निर्माण हुआ। उस परंपराका अभिमान धारण कीजिए।

इस प्रकार नाज वादका तत्त्व, अर्थात् उसका गुण, भी इस विचारसे भलीभांति मेल खाता है। जेलमें मैंने इस परंपराका विचार किया। महाराष्ट्र और हिंदुस्तानका विचार किया। ठेठ वेद-कालसे लेकर आजतक सारे भारतके इतिहासमें जिन-जिन व्यक्तियोंने क्रांति की, उनका विचार किया। शक, हूण, द्राविड़, आंध्र, मुसलमान प्रभृतिमें हुए क्रांतिकारक व्यक्तियोंका इतिहास देखा। उसमें महाराष्ट्रकी परंपरा इतनी छोटी ठहरती है, ब्राह्मणोंकी इतनी क्षुद्र ठहरती है कि उनका अलग विचार करनेकी जरूरत नहीं। हिंदुस्तानकी परंपरा एक महान् वटवृक्षकी परंपरा है। उस वटवृक्षका आश्रय करनेके बदले उसकी शाखाएं काटकर सिर फोड़ लेना उदात्त अभिमानका लक्षण नहीं है। हिंदुस्तानकी परंपरा हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिक्ख, जैन, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सबके श्रेष्ठ शास्त्रकारोंकी और

असंख्य साधुसंतोंकी परंपरा है। अगर मैं इस परंपराको छोड़ूंगा तो अपने राष्ट्रका तेजोवध करूंगा; राष्ट्रको खस्ती करूंगा, इसके विषयमें मुझे संदेह नहीं रहा।

इस अर्थमें नाजीवादका पूर्वसंस्कृतिके अभिमानका गुण भिन्न स्वरूपमें गांधीवादमें है। लेकिन उसका स्वरूप इतना भिन्न है कि उसमें नाजीवादके वंशाभिमानका दोष नहीं है। हमारी पूर्वपरंपरा व्यापक है। इसलिए उसका अभिमान भी करीब-करीब विश्वव्यापी है। उस पूर्वपरंपराका सातत्य बनाये रखनेका, उससे अनुसंधान रखनेका, गुण गांधीवादमें है। वह 'नाजीवाद'के पूर्वपरंपराके अभिमानके सदृश है। उतना ही आकर्षक भी है। लेकिन 'नाजीवाद'के वंशाभिमानकी संकुचितता उसमें नहीं है। इसलिए उसे अभिमान भी नहीं कह सकते। प्राचीन कालके सांस्कृतिक प्रयत्नोंसे अनुसंधान रखना ही उसका मुख्य लक्षण है।

कुछ साम्यवादियोंकी यह भाषा कि गरीबोंका उद्धार करना चाहिए, गलत है। 'गरीबोंका उद्धार करनेवाला, उन्हें उबारनेवाला, मैं अलग हूँ, यह भावना उसमें छिपी हुई है। 'अगर मैं उन्हें न बचाऊँ, तो उनका उत्थान नहीं हो सकता', यह मिथ्या अभिमान उसमें है। गरीबोंका उद्धार उन्हींके हाथोंमें है। गांधीने आम जनताको ऐसी शक्ति प्रदान की है। साम्यवादने रूसमें जो किया, वह यहां नहीं हो सकता। रूस सरीखी सुविधा यहां असंभव है। और न आवश्यक ही है। कारण उससे गरीबोंको शक्ति नहीं मिलेगी। गरीबोंका उद्धार गरीबोंके ही द्वारा होना चाहिए। यह साम्यवादका सार है। उसे हम अपना लेते हैं। वादाम और दूधका भी शरीरके लिए उपयोगी अंश ही हम स्वीकार करते हैं। साम्यवादके बारेमें भी सारासार विचार करना चाहिए। गरीबोंका उद्धार गरीबोंको ही करना चाहिए उसका यह सारभूत अंश हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और निःसार अंश त्याग देना चाहिए।

साम्यवादकी प्रक्रियामें हिंसाके द्वारा क्रांतिका प्रतिपादन है। यह उसका निःसार अंश है। हिंसाकी शक्ति जनताकी शक्ति नहीं हो सकती। विद्वत्ता भी आम जनताकी शक्ति नहीं है। बुद्धितो मुट्ठीभर ब्राह्मणोंकी शक्ति मानी

जाती थी। वह उन्हींके ताले-कुंजियोंमें बंद रहती थी। तलवार भी आम जनताकी शक्ति नहीं है। बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे, अशक्त, इनकी वह शक्ति नहीं है। वह तो बत्तीस इंच या चौतीस इंच छातीवाले तगड़े प्राणियोंकी शक्ति है। इतने चौड़े सीनेवाले ऊंचे-पूरे प्राणी हमेशा सज्जन ही नहीं होते। उनकी शक्ति स्थायी नहीं होती। हिंसाकी शक्तिसे जो अर्जन करोगे, उसे संभालनेके लिए निरंतर हिंसा ही करनी पड़गी। गरीबोंकी, आम जनताकी, वह शक्ति नहीं हो सकती।

जर्मनी-द्वारा रूसके आक्रमणका नैतिक समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन तात्त्विक समर्थन हो सकता है। रूसका फौजी खर्च सालाना सोलह सौ करोड़का है। मामूली, शांतिके समय इतनी प्रचंड सैनिक शक्ति बढ़ती हुई देख उसे अनिरुद्ध बढ़ने देनेके लिए जर्मनी गधा नहीं है। रूस इतनी फौज किसलिए बढ़ा रहा था? क्या सिपाहियोंको गौरीमैयाकी तरह सजाकर उनकी आरती उतारनेके लिए? साम्यवादको संसारमें हिंसासे रूढ़ करनेकी रूसने ठान ली है। इसलिए वह इतना फौजी खर्च करता है। साम्यवादी विचारोंकी परंपरा पनपने देना जर्मनोंके लिए इष्ट नहीं है। इसलिए रूसकी ताकत तोड़ देना जर्मनोंकी दृष्टिसे बुद्धियुक्त ठहरता है।

रूसकी शक्तिसे लाभ उठाना इंग्लैंडकी दृष्टिसे बुद्धिमानीका लक्षण है। इंग्लैंड कहता है, "रूसकी फौजी शक्तिके प्रयोग द्वारा आज जर्मनीका सामना कर लें। साम्यवादसे वादमें निपट लेंगे।" रूस अमेरिकासे कहता है, "भाई, हमने धर्मकी विलकुल ही मिट्टी पलीत नहीं की है। तुम हमारी मदद कर सकते हो।"

अर्थात् रूसको पाखंडियोंकी खुशामद करनी पड़ती है। यह क्या हो रहा है? यह उस राष्ट्रकी परावर्लवी दशा है। क्या इससे साम्यवाद टिकेगा? क्या वह सैनिक सत्तावादसे बच सकेगा? अगर असाम्यवादी और वैपम्यवादी राष्ट्रोंकी मददसे विजय भी होजाय, तो भी साम्यवाद नहीं रह सकता। पराजय हो तो विलकुल ही नहीं रह सकता। जो रूसमें संभव नहीं है—संसार



में कहीं संभव नहीं है—वह हिंदुस्तानमें कैसे हो जायगा ? हिंसा जनताकी शक्ति ही नहीं है। हम जनतामें तेज निर्माण करें।

हमने साम्यवादका सार—गरीबोंकी उन्नति करनेके लिए, उन्हें अपना उद्धार अपने तर्क करनेको समर्थ बनानेकी आस्था—ग्रहण किया। निःसार वस्तु त्याग दी। नाजीवादका संदेश—पूर्वपरंपरासे अनुसंधानका गुण भी ग्रहण किया। लेकिन हमारे अभिमानको 'अभिमान' शब्द ही लागू नहीं है। इतना वह व्यापक है। जो राष्ट्र एकरंगी हैं, उनका देशाभिमान संकुचित होता है। हिंदुस्तानकी परंपरा मिश्र और व्यापक है। व्यापक भारतकी, इस महामानव-समुद्रकी, मिश्र परंपराका अभिमान संकुचित हो ही नहीं सकता। वह निष्कलंक है। इस प्रकार व्यापक भारतका अभिमान और गरीब लोगोंकी शक्ति प्रकट करना—ये दो गुण दो वादोंसे लेनेवाला यह तीसरा वाद मैंने यथासंभव तटस्थतासे तुम्हें बतलाया।

'यथा संभव' कहनेका कारण एक अर्थमें मैं भी पक्षपाती हूँ। मैं उस वादको मानता हूँ। वह मेरे जीवनमें दाखिल हो गया है। फिर भी, मैं उसे जितनी तटस्थतासे रख सका, उतनी तटस्थतासे मैंने आपके सामने रक्खा है। मेरा पहला सूत्र याद रहे। मैं कहता हूँ इसलिए या गांधी कहते हैं इसलिए उसे न स्वीकारिये। व्यापक वृद्धि और तटस्थ वृत्तिसे विचार कीजिए।

यह बतला चुका हूँ कि हिंसा जनताकी शक्ति नहीं है। अब यह दिखाना बाकी है कि अहिंसा जनताकी शक्ति कैसे हो सकती है ? याने अहिंसाको सामाजिक रूप कैसे दिया जा सकता है ? एक-एक व्यक्तिकी विजयके उदाहरण हमारे यहां और संसारमें पाये जाते हैं ! एकनाथ महाराज, ईसा, सुकरात ने दृढ़ताकी सामर्थ्य प्रकट की है।

प्रयोगकी प्रक्रिया ऐसी ही होती है। विज्ञानके क्षेत्रमें भी एक-एक व्यक्ति प्रयोगशालामें प्रयोग करता है। उसके सिद्ध होनेपर उस सिद्धांतका व्यापक प्रयोग अथवा सामाजिक विनियोग होता है। भापकी शक्ति का आविष्कार व्यक्तिगत प्रयोगसे हुआ है। चायकी केटलीकी भापपरसे आविष्कार हुआ। तदुपरांत समाजमें उसका विनियोग हुआ। यदि वह शोध

व्यक्तितक ही सीमित रह जाती, तो बेकार साबित होती अहिंसामें व्यक्तिगत प्रयोग भी अकारण नहीं जाता। अहिंसाकी शक्ति व्यक्तिगत होनेपर भी कार्य करती है; उसे सामाजिक रूप दिया जाय तो बहुत बड़ा कार्य करती है।

एक शंका की जाती है : 'क्या सारा समाज एकनाथ, बुद्ध या ख्रीस्त बन सकता है? यदि बन सकता, तो तुम्हारे सामने योजनाएं ही पेश न करनी पड़तीं। हम-तुम सामान्यजन उनके प्रयोगसे लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए उनके बराबर शक्तिकी जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षणके शोधके लिए न्यूटनमें विशेष बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन उस शक्तिसे काम लेनेके लिए मिस्त्रीमें उतनी बुद्धिकी जरूरत नहीं है। हिटलर भी अपने क्षेत्रमें अद्वितीय है। वह नये-नये शस्त्रोंका शोध करता है। लेकिन उसे जिस बुद्धिकी जरूरत होती है, वह उन अस्त्र-शस्त्रोंको बरतनेवाले सिपाहीको नहीं होती।

प्रथम शोध करनेवालोंको अद्भुत और अलौकिक होना ही चाहिए। लेकिन सामाजिक प्रयोगोंके लिए हरएकमें अलौकिक शक्तिकी जरूरत नहीं है। गांधीको अलौकिक, अद्वितीय शक्तिकी आवश्यकता है। अन्यथा वे आविष्कार नहीं कर सकते। लेकिन उस शक्तिके सामाजिक प्रयोगके लिए अलौकिक सामर्थ्यकी आवश्यकता नहीं है।

गुण्य-गुणकका उदाहरण लीजिए। तकली विलकुल छोटी-सी है। उसपर चालीस ही तार कत सकते हैं। लेकिन अगर उसे चालीस करोड़ हाथ चलाने लगें, तो चालीस करोड़ गुने चालीस तार होंगे। अहिंसा भी ऐसी है। तकलीकी तरह वह सीधी-सादी, सुविधाजनक और छोटीसी है। उसे बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां सब चला सकते हैं। मिलके लिए हाँसपावरकी जरूरत होती है। तकलीके लिए नहीं। एक ईसाको जितनी शक्तिकी जरूरत होती है, उतनी सामाजिक प्रयोगके लिए नहीं होती। क्राइस्ट अहिंसाके प्रयोगकी मिल और हम चालीस करोड़ लोग अहिंसाके प्रयोग की तकलियां हैं। हम एक-एक तोला अहिंसक शक्ति प्राप्त करें, तो भी वह समाजके लिए जरूरत ईसाकी अहिंसा की अपेक्षा अधिक उपयोगी ठहरेगी। खेतमें एक ही

जगह मनों खाद डालनेसे काम नहीं चलता। अगर एक-एक इंच ही खाद सारे खेतमें बिखेर दिया जाय और वह जमीनमें गले, तो ज्यादा उपयोगी साबित होता है। हम भी अगर थोड़ी-थोड़ी अहिंसक शक्ति कमाएं, तो हिमालयसे भी वुलंद कार्य होगा, जो ईसाकी मनों अहिंसाकी अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक होगा।<sup>१</sup>

सर्वोदय : फरवरी, १९४२

: १३ :

## गो-सेवाका रहस्य

आज आपके सामने मैं जो थोड़ा-सा जिक्र करना चाहता हूं, उसकी प्रस्तावनामें कुछ कहनेकी जरूरत मानता हूं। कल हमलोगोंकी जो सभा हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग मुझे अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ जंगली जानवर हूं। इसीलिए अगर आपको कुछ असभ्यता मेरे वर्तवियों दिखाई पड़े, तो उसे बरदाश्त करना होगा, वैसे भी मेरा जन्म जंगलमें हुआ, और जिसे आधुनिक शिक्षण कहते हैं, वह मुझे मिला न मिला, इतनेमें मुझे उपनिषद् पढ़नेकी इच्छा हुई। आपमेंसे कुछ लोग जानते ही होंगे कि उपनिषद् एक जंगली साहित्य है। उसको संस्कृत भाषामें 'आरण्यक' कहते हैं। उसका हिंदीमें सीधा तर्जुमा 'जंगली साहित्य' ही होगा। उसमें ईश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए दो लक्षण बतलाये हैं—'अवाकी अनादरः'। यानी वह न बोलता है और न किसी चीजकी परवाह करता है। मेरे स्वभावमें भी यह बात आ गई। और ऐसी छोटी-मोटी कई बातें हो सकती हैं, जिनकी कि मैं परवाह करता हूं या नहीं करता, उसका भी पता मुझे नहीं रहेगा। कृपया उनको आप सह लेंगे।

---

१. वर्षाके 'जीवन समीक्षक मंडल' में (२२ दिसंबर १९४१ को) दिया गया भाषण।

दूसरी बात, जो उसीका हिस्सा है, मुझे यह कहनी थी कि मेरी मातृ-भाषा मराठी है, और मराठी भाषामें यद्यपि अद्भुत सामर्थ्य भरी हुई है, तो भी एक चीजकी कमी है। वह यह कि जिसको दरवारीपन या सभ्यता कहते हैं—जो उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी भाषामें है—वह मराठीमें मौजूद नहीं है। हम हजार कोशिश करें तो भी 'आप आइएगा, बैठिएगा' का तर्जुमा मराठीमें ठीक-ठीक कर नहीं सकते। इसलिए इस दृष्टिसे जो कुछ कमियां मुझमें रह गई हों, उन्हें आपको वर्दाश्त करना होगा।

इसके बाद प्रस्तावनामें एक बात और मुझे कहनी होगी। मुझे सूचित किया गया था कि मैं अपना व्याख्यान लिखकर दे दूं। शायद यह एक सभ्यताका ही रिवाज है। लेकिन वह मैं नहीं कर सका। क्योंकि अक्सर लोगोंको देखे बिना मुझे कुछ सूझता ही नहीं, यह तो हमेशाकी बात हुई। लेकिन इस वक्त एक खास वजह यह भी थी कि यहां पर वापूका व्याख्यान होनेवाला था। मैंने सोचा कि उनका व्याख्यान मैं सुनूंगा और उसके प्रकाशमें वोलूंगा, यानी उन बातोंको दुहराऊंगा जिनका उन्होंने विस्तार किया होगा; और उन्होंने जो बातें नहीं कही होंगी, उन्हें मैं कहूंगा। यह सोचकर मैंने अपना भाषण लिखकर नहीं भेजा और अब वह व्याख्यान जवानी ही हो रहा है। अगर इस चीजके लिए क्षमा मांगनेकी जरूरत मानी जाती हो, तो वह मैं मांग लेता हूं।

पहले तो मैं नामसे ही शुरू करूंगा। क्योंकि नामकी महिमा सभी जानते हैं। हमारे संघका नाम 'गो-सेवा संघ' है। उसको सुनते ही सहज सवाल होता है, कि "क्या आपने कभी 'गो-रक्षा' शब्द सुना है? उसे जानते हुए भी 'गो-सेवा' शब्द आपने रखा है, या यों ही वे-सोचे-समझे या अनजानमें गो-सेवा नाम रख दिया है?"—इसका जवाब देना जरूरी है।

संस्कृतमें 'गो-सेवा' शब्द हमको शायद ही मिलेगा। वहां 'गो-रक्षा' शब्दका प्रयोग है। इसलिए हम सब लोग वह शब्द जानते हैं। लेकिन जानकर भी हेतुपूर्वक, उसको छोड़ा है और 'गो-सेवा' शब्द अधिक नम्र समझकर चुन लिया है। यानी हम अपनेमें गो-रक्षा की सामर्थ्य नहीं पाते, इसलिए

गो-सेवासे संतोष मान लिया है। अर्थात् दयाभावसे, हमसे जितनी हो सकेगी, उतनी हम गायकी सेवा करेंगे और भगवान्की कृपासे जब हममें ताकत आ जायेगी, तब फिर हम गो-रक्षा करेंगे।

लेकिन, जब हम 'गो-सेवा संघ' कहते हैं, तो यह पूछा जायेगा कि "आप लोग गायकी क्या सेवा करना चाहते हैं? अगर आप गायका दूध और घी बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छे वैल पैदा करना चाहते हैं, तो उसमें कौन-सी 'गो-सेवा' है? उसमें तो आप लोग अपनी खुदकी ही सेवा करना चाहते हैं। अंग्रेज लोगोंने 'पब्लिक सर्विस' शब्द निकालाहै वैसी ही आपकी यह 'गो-सेवा हुई'—ऐसा आक्षेप हो सकता है। उसके जवाबमें कुछ कहना ठीक होगा।

हम लोग अपनी मर्यादा समझते नहीं। इसीलिए यह सवाल उठ सकता है। 'सेवा' और 'उपयोग'के बीच कोई आवश्यक विरोध नहीं है, यह समझनेकी जरूरत है। हम जिस प्राणीका उपयोग नहीं करते, उसकी सेवा करनेकी ताकत हममें नहीं होती, यह हमारी मर्यादा है। उसमें स्वार्थका कोई मुद्दा नहीं है। एक-दूसरेकी सेवा करनेका यही एक रास्ता हमारे लिए ईश्वरने खुला रक्खा है। नहीं तो, जैसा कि वापूने बताया, पिंजरापोलोंमें जो होता है, वही सारे समाजमें होता रहेगा। आज भी हम यही हाल देखते हैं। पक्षीको खिलाते हैं और आदमीको भूखा रखते हैं। इस तरह दया या सेवा तो नहीं होगी, बल्कि निर्दयता या असेवा होगी।

ईश्वरके अनंत गुण हैं, उनमेंसे हमें अनेक गुणोंका अनुकरण करना है। लेकिन ईश्वरका जो विशेष गुण है, उसका अगर हम अनुकरण करेंगे, तो वह अहंकार होगा। ईश्वरके और सब गुणोंका अनुकरण शक्य है, परंतु उसके विशेष गुणका, यानी उसके ऐश्वर्यका, अनुकरण शक्य नहीं। वह सृष्टिका पालन करता है और संहार भी करता है। इसमें हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। बहुत तो चींटियोंके लिए शककर डाल देंगे। चींटियां वहां इकट्ठी हो जायगी, और अगर संयोगसे वहां पर एकाध बेल आ जाये, तो उसके पैरके नीचे वे खतम हो जायेंगी। जब ऐसी बात होगी, तो उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगा? मैं तो कह दूंगा कि यह तो ईश्वरकी करतूत है!

यहां मुझे एक घटना याद आती है। एक थी वुड़िया। उसके एक बेटा था। बेटा उसकी मानता नहीं था। इसलिए वह बहुत दुःखी रहती थी। जब उसके पास मैं पहुंचा, तो वह कहने लगी, “मैंने इसको पाला-पोसा; लेकिन यह मेरी सुनता ही नहीं।”

मैंने उससे पूछा, “तेरे क्या यह अकेला ही लड़का है?”

उसने कहा, “हां, तीन-चार और थे, वे सब मर गये।”

तब मैंने अपने जंगली ढंगसे सीधा सवाल पूछा, “मांजी, तुमने अपने तीन-चार लड़कोंको क्यों मार डाला?”

आप समझ सकते हैं कि मेरे इस जंगली सवालसे उसके दिलपर कितनी चोट लगी होगी! थोड़ी देरके लिए वह सहम गई और वादमें कहने लगी, “मैं क्या करूं? भगवान्ने चाहा सो हुआ।” तब मैं उससे पूछता हूँ, “अगर तुम्हारे तीन लड़कोंको भगवान्ने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चींथा बेटा है, उसको पाला-पोसा किसने? पाला-पोसा तो तुमने और मार डाला भगवान्ने, यह कैसे हो सकता है? या तो दोनों जिम्मेदारियां उठाओ या दोनोंको छोड़ दो।”

जिस प्राणीका हमें उपयोग नहीं है उसकी सेवा हमसे नहीं हो सकती। गो-सेवाका रास्ता सीधा है। गायका हमें ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग तो है ही। वह करनेकी कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिक-से-अधिक जितनी हो सकती है, करेंगे; जैसे कि हम अपने बच्चोंकी सेवा करते हैं। यही उसका सीधा अर्थ होता है।

गो-सेवाका प्रथम पाठ हमें वैदिक ऋषि-मुनियोंने सिखाया और समझाया है। कुछ लोगोंका कहना है कि गो-सेवाका पाठ पढ़ाकर ऋषियोंने हमसे अनुचित पूजाके भाव पैदा किए हैं। ऐसी पशु-पूजा वैज्ञानिक नहीं है। वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। जिस तरह हम उपयोगकी दृष्टिसे विचार करते हैं, उसी तरह सीधे उपयोगकी दृष्टिसे ऋषि-मुनियोंने भी विचार किया। उसी दृष्टिसे उन्होंने बतलाया है कि हिंदुस्तानके लिए गो-सेवा मुफीद है। इसलिए वही धर्म हो सकता है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम

गायका जितना हो सकता हो उतना उपयोग करें। वेदका वचन हैं—

सहस्रधारा पयसा मही गौः।

ऐसी गाय जिससे कि हजार धाराएं रोज पैदा होती हों। आप समझ सकते हैं कि दूधकी एक धारा कितनी होती है। हिसाब करनेपर मालूम होगा कि वैदिक गायका दूध चालीस-पचास रतल होता था। इसपरसे आप समझ लेंगे कि उनकी मंशा क्या थी और गायोंसे वे क्या अपेक्षा रखते थे। आजकल गायका दूध नहीं मिलता, ऐसी शिकायतें आती हैं। वैदिक ऋषियोंने गो-सेवा की दिशा भी बतलाई है।

अक्सर सुना जाता है कि दूध तो गायोंसे ज्यों-त्यों मिल सकता है, परंतु घीके लिए तो भैंसकी ही शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि यह नहीं मानते। वे कहते हैं—

यूयं गावो मेदयथाः कृशं चित् ।

“हे गायो, जिसका शरीर (स्नेहके अभावसे) सूख गया हो, उसे तुम अपने मेदसे भर देती हो।” यहां ‘मेदयथा’ यानी ‘मेदती हो’ का इस्तेमाल किया गया है। मेद कहते हैं चरबीको, स्नेहको, जिसे हम ‘फैट’ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दुबले-पतलेको मोटा-ताजा बनाने लायक चरबी गायके दूधमें पर्याप्त मात्रामें होनी चाहिए और अगर आज गायके दूधमें घीकी मात्रा कम मालूम होती है, तो उसे बढ़ाना हमारा काम है। वह कसर गायमें नहीं, बल्कि हमारी कोशिशमें है।

उसीकी पुष्टिमें उन्होंने गायका वर्णन यों किया है—

अश्रीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।

जो शरीर अ-श्रीर है, उसे गाय श्रीर बनाती है। ‘श्रीर’ का अर्थ शोभन है और ‘अश्रीर’ का अर्थ ‘शोभाहीन’। ‘अश्रीर’ से ही ‘अश्लील’ शब्द बना है। इसपरसे आप समझ लेंगे कि हमको गो-सेवाका पहला पाठ वैदिक ऋषियोंने पढ़ाया है, उसके विकासकी दिशा भी बतला दी है और वह दिशा अनुचित

पूजाभावकी नहीं, बल्कि शुद्ध वैज्ञानिकताकी है। यानी परम उपयोगिता की है।

सेवासे मतलब उपयोगहीन सेवा नहीं है। उपयोगके साथ-साथ उपयोगी जानवरकी यथासंभव अधिक-से-अधिक सेवा करना ही उसका अर्थ है। उसका भाव यह है कि उपयोगी जानवरको हमें अधिकाधिक उपयोगी बनाना है और इसी तरह हम उसकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकते हैं, जैसाकि हम अपने बाल-बच्चोंके विषयमें करते हैं। इस तरह हमारे लिए सेवाका उपयोगके साथ नित्य संबंध है। अब मैं जरा और आगे बढ़ूंगा। जैसे हम उपयोगहीन सेवा नहीं कर सकते, वैसे ही सेवा-हीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। गो-सेवा-संघके नाममें 'सेवा' शब्दका यही अर्थ है। यानी हम वगैर सेवाके लाभ नहीं उठायेगे। यह आज भी होता है। हम ढोरोकी सेवा कुछ-न-कुछ तो करते ही हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिसे जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते। क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि हमारे पास नहीं है, विशेषज्ञोंसे इस काममें हम सहायता जरूर लेंगे। लेकिन हमें सब काम उनपर नहीं छोड़ना चाहिए हमें गायकी प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तब उसमें से गो-सेवाका थोड़ा-बहुत शास्त्र हमारे हाथ आ जायेगा।

पवनारमें हमारे आश्रमके एक भाई, नामदेवने दो-चार गायें, पाली हैं। बाजारके लिए उसे एक दिन सेलू जाना पड़ा। शामको नामदेव वापस लौटा और गाय दुहनेके लिए बैठा, तो गायने दूध नहीं दिया। उसने काफी कोशिश की। तब उसने पूछा, "आज गायको क्या हो गया है?" जवाब मिला, "कुछ तो नहीं। पता नहीं दूध क्यों नहीं देती? बछड़ा भी तो बंधा हुआ था। इसलिए वह भी दूध नहीं पी सका होगा" निदान नामदेवने पूछा, "किसीने उसे मारा-पीटा तो नहीं?" एक भाईने कहा, "हां मारा तो था।" नामदेवने कहा, "बस तो वह इसीलिए दूध नहीं देती।" फिर नामदेव गायके पास पहुंचा, उसने उसके शरीरपर हाथ फेरा, उसे पुचकारा। तब गाय कुछ देरके बाद दूध देने के लिए तैयार हो गई। यह किस्सा इसलिए कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब हम नामदेवकी तरह सेवा करेंगे, तो उसीमेंसे



गो-सेवाका रहस्य धीरे-धीरे स्पष्ट हो जायेगा और गो-सेवाका शास्त्र बनेगा।

कालिदासने, जो कि हिंदू संस्कृतिका अप्रतिम प्रतिनिधि है, हमारे सामने उस सेवाका कितना सुन्दर आदर्श पेश किया है ! महाराज दिलीप ऋषिके आश्रममें रहनेको आता है। ऋषि उसे गायकी सेवाका काम देते हैं, क्योंकि आश्रममें कोई विना सेवाके रह ही नहीं सकता। आश्रम तो सेवाकी ही भूमि है। हां, तो वह गो-सेवाका काम कितनी लगनसे करता है ? उसकी कैसी सेवा-टहल करता है ? उसके पीछे-पीछे कैसे रहता है ?—इसका चित्र रघुवंशमें एक श्लोकमें यों खींचा है—

स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां,  
निषेदुषीमासनबंधधीरः ।  
जलाभिलाषी जलमाददानां,  
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत् ॥

शरीरका छायाकी नाई राजा गायका अनुचर बन गया था। जब वह गाय खड़ी होती थी, तब वह भी खड़ा हो जाता था। जब वह चलती तो वह भी चलता, वह बैठ जाती, तब वह बैठता, वह पानी पीती, तभी वहभी पानी पीता; गायको खिलाये-पिलाये विना खुद नहीं खाता-पीता था।

गाय एक उदार प्राणी है। वह हमारी सेवा और प्रेमको पहचानती है और अधिक-से-अधिक लाभ देनेके लिए तैयार रहती है। 'सेवा' शब्दका दोहन करके मैंने यह दूध आपके सामने रख दिया है; एक तो हम विना उपयोगके किसी की सेवा नहीं कर सकते; और दूसरे सेवा किए विना यदि हम उपयोग करेंगे तो वह भी गुनाह होगा। हमें यह हरगिज नहीं करना है। ये दो बातें मैंने आपके सामने रखीं।

अब हम 'संघ' शब्दका मनन करेंगे।

क्या 'संघ' शब्दमें कोई विशेष दृष्टि नजर आती है ? चरखेके लिए संघ हरिजनोंके लिए संघ—इस तरह हमने कई संघ बनाये हैं। इसी तरह गो-सेवाके लिए भी यह संघ बना है। इसके साथ-साथ और भी एक अर्थ

इसमें लक्ष्य है। हिंदुस्तानकी भूमिकी और गायोंकी जो हालत है, उसे देखिए। संभवतः विना साभेके यह काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। शायद जगह-जगह इसे संघका स्वरूप देकर ही यह काम करना होगा। गो-सेवा-संघ' शब्दसे इस तरहका भाव दोहन करके अगर हम निकालेंगे, तो उसमें एक गुण और मिल जायेगा। गो-सेवा कार्यमें साभेदारी या सांघिक प्रयत्नकी जितनी जरूरत है, उतनी और किसी कार्यमें शायद ही हो। हिंदुस्तानकी आजकी हालतमें हरएक किसान अपने-अपने घरमें गाय पाले, शास्त्रीय दृष्टिसे उसकी हिफाजत करे, यह बात मुश्किल मालूम होती है। इसीलिए गांवोंमें सांघिक रचना करनी पड़ेगी। यह एक विशेष अर्थ 'गो-सेवा-संघ' शब्दसे निकल सकता है।

अब मैं और भी आगे बढ़ता हूं। गो-सेवा-संघ के कार्यका आरम्भ प्रतिज्ञासे होता है। अभिप्राय यह है कि अगर हम गायके ही दूध-घीका सेवन करेंगे, तो उसकी सेवा करनेकी इच्छा पैदा होगी। इसलिए आरंभमें गायके ही दूध-घीके सेवनकी प्रतिज्ञा रखी गई है। कई लोग पूछते हैं, "प्रतिज्ञाकी क्या जरूरत है? विना प्रतिज्ञाके काम नहीं हो सकेगा?" उत्तरमें मैं अपना अनुभव बता दूं। मैंने देखा है कि जिस प्रयत्नका आरंभ संकल्पसे होता है वह जैसे फलता है, वैसे केवल मंशाका प्रयत्न नहीं फलता। कोई महान् कार्य संकल्पके विना नहीं होता। अगर संकल्पसे आरंभ करते हैं, तो आधेसे अधिक कार्य वहीं हो जाता है। प्रतिज्ञा सिर्फ यही नहीं है कि घी-दूध खायेंगे या नहीं खायेंगे। गायके दूध-घीकी पैदाइश बढ़ानेकी कोशिश करेंगे, यही प्रतिज्ञाका मतलब है।

प्रतिज्ञा लेनेमें अक्सर यह आपत्ति उठाई जाती है कि हम दूसरोंके घर ऐसे नियम लेकर जायेंगे तो उनको तकलीफ होगी। इसीलिए इसका जवाब ब्रापूने अपनी अहिंसाकी भाषामें दिया है। मैं अपनी 'अनादर' की भाषामें बताना चाहता हूं। इतना तकल्लुफ हमें क्यों रखना चाहिए। सूर्यको हम उसकी किरणोंसे जानते हैं। वह जहां जाता है, अपनी किरणें साथ ले जाता है, चाहे वे किसीको ताप दें, या आह्लाद दें; वह इस बातकी परवाह नहीं

कर सकता। सूर्य अगर अपनी किरणोंको छोड़ता है, तो उसका सूर्यत्व ही जाता रहता है। वैसे ही हमें भी अपनी किरणोंको, यानी अपने उसूलोंको, अपने साथ ले जाना चाहिए। अगर मैं किसीके घरमें अपने सिद्धांतों और विचारोंको छोड़कर प्रवेश करूं तो मैं अपने मेरेपनको ही छोड़ देता हूं,—मैं 'मैं' ही नहीं रह जाता। अगर हम 'स्वत्व' छोड़कर किसीके घर जायेंगे, तो उसको आनंद होगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा जरूर लेनी चाहिए और लोगोंकी कल्पित तकलीफोंके विषयमें निर्भय रहना चाहिए।

अब एक बात और। गाय और भैंसके विषयमें बहुत कुछ कहा गया है। दोनों मनुष्यको दूध देने वाले जानवर हैं। दोनोंमें कोई मौलिक विरोध तो नहीं होना चाहिए। फिर भी, हम गायका ही दूध बरतनेकी प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसका तत्त्व हम लोगोंको जान लेना चाहिए। हिंदुस्तानका कृषि-देवता बैल है। और यह तो सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान कृषिप्रधान देश है। बैल तो हमें गायके द्वारा ही मिलता है। यही गायकी विशेषता है। उसके साथ-साथ गायकी अन्य उपयोगिता हम जितनी बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ायेंगे। लेकिन उसका मुख्य उपयोग तो बैलकी जननीके नाते ही है। विना बैलके हमारी खेती नहीं होती। इसलिए हमें गायकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी सार-संभाल करनी चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं करते, तो हिंदुस्तान की खेतीका भारी नुकसान करते हैं। जब हम इस दृष्टिसे सोचते हैं, तो भैंसका मामला सुलभ जाता है। और यह सहज ही समझमें आ जाता है कि गायको ही प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्त्तव्य क्योंकर हो जाता है।

मुझे याद आता है एक दफा मेरे एक मित्रने उनके प्रांतमें अकालके समय जानवर किस क्रमसे मरे, उसका हाल सुनाया था। उन्होंने कहा, सबसे पहले भैंसा मरता है। क्योंकि हम भैंसेकी उपेक्षा करके उसे मार डालते या मरने देते हैं। वर्षाके बाजारमें भैंसें ऐसी अवस्थामें लाई जाती हैं जब कि वे एक-दो घंटों में ही व्यानेको होती हैं। हेतु यह होता है कि लोग उसे तुरंत खरीद लें। एक वार एक आदमी ऐसी एक भैंस बाजारको ला रहा था। उसी समय मनोहर-जीने, जो कि उन दिनों येलीकेलीमें महारोगीसेवा मंडल-द्वारा महारोगियोंकी

सेवा करते थे, उसको देखा। रास्तेमें ही वह भैंस ब्यायी—पुत्र जन्म हो गया ! लेकिन उस आदमीको उस पुत्रजन्मसे बड़ी भुंभलाहट हुई ! उसने सोचा, यह पुत्र कैसा ? यह तो एक बला आ गई ! मनुष्यको तो पुत्र-जन्मसे आनन्द होता है; लेकिन भैंसको पुत्रको वह सहन नहीं करता। उसने उस पुत्रको वहीं छोड़ दिया और भैंसको लेजाकर बर्धाके बाजारमें बेच दिया और जो कुछ पैसा मिला वह लेकर अपने घर चलता बना, बेचारा भैंस-पुत्र वहीं पड़ा रहा। मनोहरजी बेचारे दयालु ठहरे। फिरमें पड़े कि अब इसका क्या किया जावे ? जिस खेतमें वह रहते थे उस खेतके मालिकके पास गये और उससे कहा, “भैया, इसको संभालोगे ?” मालिकने कहा, “यह क्या बला आ गई ? मैं उसको कैसे रखूं ? आखिर उसका उपयोग ही क्या है ? मैं उसकी परवरिश क्यों करूं ? उसको आखिर दशहरेके दिन कत्ल होनेके लिए ही बेचना होगा। इसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।”

मैंने यह एक नित्यकी घटना आपके सामने रखी। तो, सबसे पहले बेचारा भैंसा मरता है। फिर उसके बाद गाय मरती है। उसके पश्चात् भैंस मरती है और सबसे आखिरमें बैल। बैल सबसे उपयोगी है और इसीलिए उसकी हिफाजत करनेकी विशेष कोशिशकी जाती है। लोग किसी-न-किसी तरह उसको खिलाते रहते हैं और उसे जिलानेकी कोशिश करते हैं। यह तो हुई उपयोगिताकी बात। बैल इन सब जानवरोंमें सबसे ज्यादा उपयोगी तो साबित हुआ। लेकिन सवाल यह है कि गायकी सेवाके बिना अच्छे बैल कहाँसे आयेंगे ? हिंदुस्तानका आदमी बैल तो चाहता है; लेकिन गायकी सेवा करना नहीं चाहता। वह उसे धार्मिक दृष्टिसे पूजनेका स्वांग रचता है। दूधके लिए तो भैंसकी ही कद्र करता है। हिंदुस्तानके लोगोंकी यह मंशा है कि उनकी माता तो रहे भैंस और बाप हो बैल ! यह योजना तो ठीक है; लेकिन वह भगवान्को मंजर नहीं है ! इसलिए यह मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। भैंस और गाय दोनोंका पालन हिंदुस्तानके लिए आज बड़ी मुश्किल बात हो गई है।

लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि गो-सेवामें गायकी ही सेवाको

महत्त्व देना पड़ता है। वापूने कहा कि अगर हम गायको बचा लेंगे, तो भैंसका भी मामला तय हो जायगा। इसका पूर्ण दर्शन तो अभी मुझे भी नहीं हुआ है और शायद उसकी कभी जरूरत भी नहीं है।

गाय और भैंसको एक-दूसरेकी विरोधी माननेकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो गो-सेवासे आरंभ कर देना है और वही हो भी सकता है। हमें समझना चाहिए कि आज हम दरअसल भैंसकी सेवा भी नहीं करते। आज हम जो भैंसकी सेवा करते हैं, वह दरअसल न तो गो-सेवा है और न भैंसकी सेवा ही है। हम उसमें केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। हम भैंसका केवल सेवाहीन उपयोग करते हैं। जिस प्रकार उपयोग-हीन सेवा हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेवा-हीन उपयोग भी हमें नहीं करना है।

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज भैंसकी हर तरहसे उपेक्षाकी जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि हिंदुस्तानके कुछ भागोंमें भैंसका उपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणतः हिंदुस्तानकी गरम हवामें भैंसा ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता, भैंसका हम केवल लोभसे पालन कर रहे हैं। नागपुर-व्रारमें गर्मियोंमें गर्मीका मान एकसौ पंद्रह अंश तक चला जाता है। खासकर उन दिनोंमें भैंसको पानी जरूर चाहिए। मगर यहां तो पानीकी कमी है। पानीके वगैर उसको वेहद तकलीफ होती है। क्योंकि भैंस पूरी तरहजमीनका जानवर नहीं है। वह आधा जमीनका और आधा पानीका प्राणी है। गाय तो पूरी तरह थलचर है। और अक्सर देखा जाता है कि जो पानीवाला जानवर हो, उसके शरीरमें भगवान्ने चरबीकी अधिकता रखी है। क्योंकि ठंड और पानीसे बचनेके लिए उसकी उसे जरूरत होती है। मछलीके शरीरमें स्नेह भरा हुआ रहता है। पानीके बाहर निकालते ही वह सूर्यके तापसे जल जाती है। वैसी ही कुछ-कुछ हालत भैंसकी भी है। उसे धूप वरदास्त नहीं होती। इसीलिए लोग गर्मीके दिनोंमें उसीके मलमूत्रका उसकी पीठपर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंडक रहे। वे जानते हैं कि उस जानवरको उस समय कितनी तकलीफ होती है। देहातोंमें जाकर आप लोगोंसे पूछेंगे कि आपके गाँवमें कितनी भैंसें और कितने पाड़े हैं, तो वे कहेंगे कि भैंसें हैं करीब सौ-डेढ़सौ और पाड़े हैं

कुल दस, या बहुत तो बीस। अगर हम उनसे पूछेंगे कि इन स्त्री-मूर्खों या नर-मादाओंकी संख्यामें इतनी विपमता क्यों है? तो हमारे देहातोंके लोग जवाब देंगे, 'क्या करें? भगवान्की करतूत ही ऐसी है कि भैंसा ज्यादा दिन जीता ही नहीं'। आखिर यहां भी भगवान्की करतूत आ ही गई! यह हमारे बुद्धिनाशका लक्षण है। हम उसकी तकलीफका ध्यान न करते हुए भैंसका उपयोग करते हैं, कि भैंसे जिंदा ही नहीं रहते और नहीं रहेंगे। मतलब, हम भैंसकी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हम सिर्फ भैंसका उपयोग ही करते हैं। बाकी उसकी सेवा कुछ भी नहीं करते। इसलिए आपकी समझमें आगया होगा कि सेवा-संघकी स्थापना हम किसलिए करते हैं।

चंद लोग पूछते हैं, "हिंदुस्तान एक कृषि-प्रधान देश है, इसलिए खेतीके वास्तु वैल चाहिए और बैल चाहिए तो गाय भी चाहिए; इत्यादि विचार-श्रेणी तो ठीक है; मगर क्या हिंदुस्तानका यही एक अर्थशास्त्र हो सकता है? क्या दूसरा कोई अर्थशास्त्र ही नहीं हो सकता? समय आनेपर हम खेतीका काम ट्रैक्टरसे क्यों न करें?"

उसके जवाबमें मैं यह पूछता हूँ कि ट्रैक्टर चलायेंगे तो बैलका क्या होगा? जवाब मिलता है, "बैलको हिंदुस्तानके लोग खा जायें। हिंदुस्तानके लोग दूसरे कई जानवरोंका मांस बराबर खाते हैं; उसी तरह बैलका मांस भी खा सकते हैं। यह रास्ता क्यों न लिया जाये?" इस तरह जब बैलोंको खा जानेकी व्यवस्था होगी, तभी ट्रैक्टर द्वारा जमीन जोतनेकी योजना हो सकती है। कहा जाता है कि बैलोंको अगर हिंदू नहीं खायेंगे, तो गैर-हिंदू खायें। आज भी हिंदू गायको बेचते ही हैं। खुद तो कसाईसे पैसा लेते हैं और गो-हत्याका पाप उसे दे देते हैं। ऐसी सुंदर आर्थिक व्यवस्था उन्होंने अपने लिए बना ली है। वह कहता है कि अगर मैं कसाईको गाय मुफ्तमें देता, तो गो-हत्याके पापका भागी होता। लेकिन मैं तो उसे बेच देता हूँ—इसलिए पापका हिस्सेदार नहीं बनता, उस व्यवस्थाको आगे बढ़ायेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा। हम भैंससे दूध लेंगे, बैलोंको खा जायेंगे और यंत्रोंके द्वारा खेती करेंगे—इस तरह तीनोंका सवाल, हल हो जायेगा।

इसके जवाबमें मैं आप लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि वैलोंको क्यों नहीं खाना चाहिए ? पूर्वपक्षकी दलील यह है कि कुछ प्रेज्युडिस्ड लोग यानी पूर्वग्रह दूषित लोग वैलको भले ही न खायें; लेकिन वाकीके तो खायेंगे और हम यंत्रके द्वारा मजेमें खेती करेंगे। इस विषयमें हमारे विचार साफ होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तानकी आजकी जो हालत है और आगे उसकी जो हालत होनेवाली है, उसहालतमें अगर हम मांसका प्रचार करेंगे और यंत्रसे खेती करेंगे, तो हिंदुस्तान और हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। यह समझनेकी जरूरत है। हिंदुस्तानके लोग भी अगर गाय-बैल खाने लगेंगे, तो कितने प्राणियोंकी जरूरत होगी ? उतने वैलोंकी पैदाइश हम यहां नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मांस, या गोश्त खानेका ढोंग तो नहीं करना है। मांस अगर खाना है तो वह हमारे भोजनका नियमित हिस्सा होना चाहिए। तभी तो उससे अपेक्षित लाभ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लोग खा सकें इतने वैल पैदा नहीं हो सकेंगे। अगर हम इस तरह करने लगे और खेती ट्रैक्टरके द्वारा होने लगी, तो ट्रैक्टरका खर्च बढ़ेगा और गोश्त भी पूरा नहीं पड़ेगा और आखिरमें गाय और बैलका वंश ही नष्ट हो जायगा और उसके साथ मनुष्य भी।

यूरोप और अमेरिकाकी क्या स्थिति है ? दक्षिण अमेरिकाके अर्जेंटाइनके चंदरगाह व्युनाँस-आयरिसमें रोज करीब-करीब दस हजार बैल कटते हैं, और वहांसे गोश्तके पीपे दूर-दूरके देशोंको भेजे जाते हैं। अब तो यह व्यवस्था यूरोपके कामकी नहीं रही। लेकिन वैसे भी अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो आगे चलकर लोगोंको गोश्त मिलना कठिन हो जायेगा, इसलिए यूरोपके डॉक्टरोंने अब यह शोध की है और बहुत सोच-विचारकर निर्णय किया है—संभव है उसमें मतभेद होगा, क्योंकि डॉक्टरोंमें मतभेद तो हुआ ही करता है—कि गोश्तके मुकाविलेमें दूधमें गुण अधिक हैं। यह शोध हमारे आयुर्वेदिक वैद्यों और हकीमोंने, बहुत पहले किया है। मैं मानता हूँ कि आज यूरोपके लोग जिस तरह मांसाहार करते हैं, उसी तरह हिंदुस्तानके लोग भी पुराने जमानेमें मांसाहार करते थे। आखिर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि

अगर हम मांसके वजाय दूधका व्याहार करेंगे, तो हम भी जिंदा रहेंगे और जानवर भी जिंदा रहेंगे। इसलिए ट्रैक्टरका उपयोग हमारा सवाल हल नहीं कर सकता और हमें यह समझना चाहिए कि गोशतके वजाय दूधपर भरोसा रखना सब तरहसे लाजिमी होगा।

मेरी यह भविष्यवाणी है कि जैसे-जैसे जन संख्या बढ़ती जायेगी, वैसे-वैसे दुनिया भरमें गोशतकी महिमा कम होगी और दूधकी बढ़ेगी। पूछा जाता है कि 'आखिर दूध भी तो प्राणिजन्य वस्तु है?' हां है तो सही, 'फिर दूधको पवित्र क्यों माना गया?' उसका जवाब अभी मैंने जो कुछ कहा उसी में मिल सकता है। जैसाकि अभी मैंने कहा, एक समय था जब कि हिंदुस्तानमें मांसहार ही चलता था। उस वक्त उसमेंसे वचनेके लिए क्या किया जाये, यह सवाल उत्पन्न हुआ। योगियों और वैद्योंने जब लोगोंके सामने गायके दूध कि महिमा रखी, तबसे दूध ऐसी चीज हो गई जिसने लोगों की मांसहारसे छुड़ाया। इसलिए दूध पवित्र माना गया। इसके सबूत आपको वेदोंमें मिल सकते हैं। ऋग्वेदमें यह वचन

गोभिष्टरेम अमतिं दुरेवां,

यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्।

पाया जाता है। इस मंत्रका अर्थ मैंने इस तरह किया है—'भूखको तो हम अन्नके द्वारा मिटा सकते हैं। लेकिन 'दुरेवा अमति' का यानी दुर्भाग्यमें ले जानेवाली अवुद्धिका, अर्थात् गोशतकी तरफ ले जानेवाली अवुद्धिका, गायके दूधके द्वारा ही हम निवारण कर सकते हैं।' सब तरहकी अवुद्धि मिटानेके लिए और उसमेंसे जहर निकालनेके लिए गायका दूध हमारे काम आता है। इसीलिए गायका दूध पवित्र माना गया है। मतलब यह कि कुल मिलाकर यंत्रवादी जो ट्रैक्टरपर आधार रखनेकी बात कहते हैं, वह गलत है।  
सर्वोदय : मार्च, १९४२

१. गोसेवा-संघके सम्मेलनके अवसरपर (१ फरवरी, १९४२ को) अध्यक्षपदसे दिया गया भाषण।



: १४ :

## जीवित मृत्यु

कल शामको चार बजे महिलाश्रममें मेरा व्याख्यान था। उस व्याख्यानके लिए मैं वहां पहुंचा। वहनों आ बैठों। मैं अपना व्याख्यान शुरू करनेवाला था कि इतनेमें मोटर आई। संदेश मिला कि जमनालालजी बीमार हैं। मुझे बुलाया है। जमनालालजी ऐसे खास बीमार तो थे ही नहीं; सदाकी भांति वे दोपहरतक अपना काम करते रहे थे इसलिए उनकी बीमारीकी गंभीरता मैं न समझ सका। किंतु व्याख्यान छोड़कर मैं गांधी-चौक पहुंचा। गाड़ीसे उतरते ही दिलीप ऊपरसे नीचे आये। उनके चेहरेपर दुःखकी छाया थी, परंतु फिर भी मैं पूरी कल्पना नहीं कर सका। स्वास्थ्यके बारेमें पूछनेपर उन्होंने कहा—“वह तो गये।”

ऐसी अनपेक्षित दुःखदाई, चित्तको हिला देनेवाली खबर सुनकर मुझे क्या महसूस हुआ होगा यह आप समझ सकते हैं। खबर तो क्लेशदायी थी, परंतु मुझे अपने भीतर एक आनंदका आभास हुआ। मनकी उसी अवस्थामें मैं उनके कमरेमें गया। वहां जो लोग बैठे थे उन सबके चेहरेपर जब मैंने दुःखकी छाया देखी तो मैंने महसूस किया कि घटना ऐसी ही हुई है जिससे कड़ियोंको दुःख हो सकता है। फिर भी मुझे मानना चाहिए कि मेरी आनंदकी भावनामें कमी नहीं हुई व अग्निदाहपर गीता व उपनिषदों का पाठ करते समय आनंदकी उस भावनाकी सीमा नहीं रही।

मेरी यह अवस्था रातभर ऐसी ही रही। प्रातः उठनेपर जमनालालजीके चले जानेसे हम लोगोंकी जो क्षति हुई व हमपर जो जिम्मेदारी आ पड़ी उसकी भी पूरी कल्पना हुई। आगेका सब हाल आप समझ सकते हैं।

परंतु मेरी खुशीका कारण मुझे आपको जताना होगा। जेलमें मुझे मालूम हुआ था कि जमनालालजीने गो-सेवाके कामकी जिम्मेदारी ली है। मुझे संतोष हुआ था। यह कार्य जमनालालजीने उठाया, तो देशको इससे लाभ तो होगा ही, उनके चित्तको भी शांति मिलेगी, लेकिन उनके थके हुए शरीरके

लिए यह काम बहुत ज्यादा होगा, ऐसा मेरा खयाल था। जेलसे छूटनेपर उन्होंने इस नये कामके बारेमें मेरी राय पूछी। मैंने अपना संतोष व्यक्त किया। उनकी अंखोंमें आंसू चमके। तबसे आजतक इन दो महीनोंमें मैंने देखा कि वह खुश थे, उनके चित्तमें प्रसन्नता थी, इसलिए कि उन्हें एक पवित्र तथा आत्मोन्नतिमें सहायता देनेका कार्य मिला और जब वे चल बसे, तब उनकी मानसिक अवस्था जितनी अच्छी थी, उतनी उनके पिछले बीस वर्षोंमें कभी नहीं थी। पिछले बीस वर्षोंसे उन्हें सूक्ष्म आत्मनिरीक्षणकी आदत थी। परंतु मनकी जो उन्नत अवस्थावे अवतक प्राप्त कर सके थे वह इन दो-तीन महीनोंमें उन्होंने बड़ी तेजीसे हासिल कर ली थी। अबकी बार ही मैं देख सका कि जमनालालजीके दिलमें देह-भावका अवशेष भी नहीं रहा था, केवल सेवा-ही-सेवा रही। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है? अंतिम समयपर सेवा करते रहनेपर मृत्युका प्राप्त होना कितने भाग्यकी बात है! इसलिए इस दुःखदायी घटनामें भी जो सुखदायी बात छिपी हुई है, वह आपके सामने रखनेकी मेरी इच्छा हुई। हमें भी ऐसी मृत्युकी परमेश्वरसे याचना करनी चाहिए।

तुलसीदासने रामायणमें राम-वाली-संवाद दिया है। भगवान् रामका वाण लगनेपर वालीने रामको उलहना दिया। तब वे कहते हैं “ओ मेरे प्यारे बालक, मैंने तो तुझपर वाण नहीं, प्रेम बरसाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। वालीने उस समय जो जवाब दिया वह मननीय है। उसने कहा, “आज तो आपके दर्शन भी मिले और मृत्यु भी। आगे जब मृत्यु मिलेगी तब आपका दर्शन मिलेगा यह कौन बता सकता है? इसलिए मैं अभी मरना ही पसंद करता हूँ। जब आपके दर्शन हो रहे हैं तभी मृत्युका आलिगन करना मैं अपना भाग्य समझता हूँ।” इतना कहकर वाली मुक्त हो गये। उन की आत्मा राममय हो गई। चित्तका शोधन करते-करते उच्च अवस्था प्राप्त करनी चाहिए और उसी हालतमें देह छोड़नी चाहिए। मेरा विश्वास है कि जमनालालजीको भी ऐसी ही मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए यह दुःखकी बात नहीं, खुशी और ईर्ष्याकी बात है।

हम उनके अनेक गुणोंका वर्णन कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि सेवा करते समय वे अपनी सेवाका हिसाब तो रखते ही थे, परन्तु इस सेवाका मापन मुख्यतः अपने हृदयकी परीक्षा लेकर ही करते थे। उनका विश्वास था कि जिस सेवाका परिणाम चित्त-शुद्धिके रूपमें होता हो वही सेवा सच्ची है। जितनी मात्रामें यह परिणाम कम दिखाई देगा उतनी ही वह सेवा अधूरी व जिस सेवासे चित्त-शुद्धि विलकुल ही नहीं होती हो वह झूठी। वे हर प्रकारकी सेवाको चित्त-शुद्धिकी कसौटीपर कसा करते थे और चित्त-शुद्धिकी कसौटीको ही वह सेवाकी कसौटी मानते थे। मनकी ऐसी पवित्र अवस्थामें जो जीव शरीर छोड़कर चला जाता है वह जाता ही नहीं बल्कि छोटासा शरीर त्यागकर समाज रूपी व्यापक देहमें प्रवेश करता है। शरीर आत्माके विकासके लिए है; परन्तु जिनकी आत्मा महान् है उनके विकासके लिए मानव-देह छोटा-सा पड़ता है। ऐसे समय वह महान् आत्माएं कभी-कभी अपने दुर्बल शरीरको छोड़ जाती हैं व देह-रहित अवस्थामें अधिक सेवा करती हैं। जमनालालजीकी यही स्थिति है। आपके व हमारे शरीरमें उन्होंने प्रवेश किया है, ऐसा मैं तो मानता हूं। इसका असर हम सबपर होगा ही, परन्तु हमें अपने हृदयके द्वार खुले रखना चाहिए। एक छोटी-सी मिसाल उनकी पत्नीकी मैं दूं। वह एक सीधी-सादी देवी हैं, विशेष पढ़ी-लिखी भी तो नहीं हैं, परन्तु जमनालालजीकी मृत्युने उन्हें अपना जीवन सेवा-कार्यमें समर्पण करनेकी प्रेरणा दी। अपनी सारी निजी संपत्ति भी देश-कार्यके ही लिए समर्पण करनेका संकल्प उन्होंने किया। जमनालालजीकी मृत्युका यह परिणाम हुआ। सदेह आत्मा जितना असर नहीं कर पाती उतना या उससे कितना ही अधिक विदेह (यानी देह विना) आत्माने किया। यह एक ऐसी ही मिसाल है। भविष्यमें ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि महान् विभूतियां देह छोड़नेपर ही अधिक बलवान बनती हैं। संतोंके उदाहरण हमारे सम्मुख हैं ही। उनके जीवनकालमें समाजने उनका आदर करनेके वजाय छल ही किया। देह जानेके बाद देह विना रहकर ही वे लोगोंके चित्तपर अधिक प्रभावशाली परिणाम अंकित कर सके। ऐसे संतोंमें छोटा-सा

ही क्यों न हो जमनालालजीका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार अपनी सारी ताकत लगाकर जो सेवा-कार्य किया, उससे भी अधिक शक्तिसे वह कार्य आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा ईश-कृपासे हमें मिल सकती है। यह प्रेरणा ग्रहण करनेके लिए हमारे हृदय-द्वार खुले रहें, इतनी ही प्रार्थना परमात्मासे कर मैं अपनी श्रद्धांजलि समाप्त करता हूँ।<sup>१</sup>

सर्वोदय : मार्च, १९४२

: १५ :

## खादीका समग्र-दर्शन

जेलमें तटस्थ चिंतनके लिए थोड़ा-बहुत अवकाश मिल जाता है। इसलिए हमारे आंदोलनके विषयमें और हिंदुस्तान तथा संसारकी सारी परिस्थितिके विषयमें बहुत-कुछ विचार हुआ, चर्चा भी हुई। कुल मिलाकर परिस्थिति बहुत विगड़ी हुई मालूम होती थी। ऐसे समय कौन-से उपाय करने चाहिए, इसका चिंतन हम वहां करते थे। लेकिन हमारे जेलसे छूटनेके थोड़े ही दिन बाद जापान और अमेरिकाके लड़ाईमें शामिल हो जानेसे परिस्थिति और भी विगड़ गई। इसलिए जेलमें किये हुए कुछ विचार अबूरे मालूम हुए और कुछ दृढ़ हुए। इस युद्धके विरोधमें हम प्रायः तीन कारण दिया करते थे पहला कारण था युद्धकी हिंसकता, दूसरा दोनों पक्षोंकी—चाहे वह न्यूनाधिक भले ही हो—साम्राज्यवादी तृष्णा; और तीसरा यह कि हिंदुस्तानकी सम्मति नहीं ली गई। लेकिन जापान और अमेरिकाके मैदानमें कूद पड़नेके बाद तो अब करीब-करीब सारा संसार ही युद्धमें शामिल हो गया है। अब यह युद्ध मनुष्यके हाथमें नहीं रहा, वरन् मनुष्य ही युद्धके आधीन हो गया है। इसलिए यह युद्ध स्वैर या मूढ़ है। हमारे युद्धविरोधका यह और

१. श्री जमनालाल बजाजके निधनपर हुई शोक सभा में (१२ फरवरी, १९४२ को) दिया गया भाषण।

एक नया कारण है। वासुदेव कॉलेज (वर्धा) में भाषण देते हुए मैंने इसीपर जोर दिया था।

लेकिन इस प्रकार संसारके सभी बड़े राष्ट्रोंके युद्धमें शरीक हो जानेसे, हिंदुस्तानकी, जो कि पहलेसे ही एक दरिद्र और विषम परिस्थितिमें ग्रस्त देश है, हालत और भी विषम हो गई है। अंग्रेजी राजसे पहले हिंदुस्तान स्वावलंबी था। इतना ही नहीं, वह अपनी जरूरतें पूरी करके विदेशोंको भी थोड़ा-बहुत माल भेजा करता था। लेकिन आज तो पक्के मालके लिए हिंदुस्तान करीब-करीब पूरी तरह परावलंबी हो गया है। राष्ट्रीय रक्षाके साधन, युद्धविषयक सरंजाम, वगैरामें जो परावलम्बन है, उसकी बात मैं नहीं कहता। हालांकि अगर अहिंसाका रास्ता खुला न हो, तो राष्ट्रीय दृष्टिसे इस बातका विचार भी करना ही पड़ता है। लेकिन मैं तो सिर्फ जीवनोपयोगी नित्य आवश्यकताओंकी ही बात कह रहा हूं। ये चीजें आज हिंदुस्तानमें नहीं बनतीं और फिलहाल वे बाहरसे कम आ सकेंगी। लड़नेवाले राष्ट्र युद्धोपयोगी सामग्री बनानेकी ही फिक्रमें होंगे; उनके पास बाहर भेजनेके लिए बहुत कम माल रहेगा। और इसके बाद भी जो माल तैयार होगा, उसे दूसरे राष्ट्रोंतक न पहुंचने देनेकी व्यवस्था शत्रुराष्ट्र अवश्य करेंगे। अमेरिकासे माल आने लगे, तो जापान उसे डूबो देगा और जापानसे तो माल आ ही नहीं सकेगा। इस तरह अगर बाहरसे माल आना कम हो गया या बन्द हो गया, तो हिंदुस्तानका हाल बहुत ही बुरा होगा। पक्का माल यहां बनानेके विषयमें सरकार, अगर हेतुपूर्वक नहीं तो परिस्थितिके कारण उदासीन रहेगी। उसका सारा ध्यान लड़ाईपर केन्द्रित है, इसलिए उसे दूसरी गंभीर योजनाएं नहीं सूझेंगी। गंभीरतासे जो कुछ विचार होगा, वह केवल युद्धके विषयमें ही होगा। अगर सरकारकी यही वृत्ति रही कि हिंदुस्तानका जैसे-तैसे रक्षण—यानी उसे अंगरेजोंके कब्जेमें बनाये रखना—भर हमारा कर्तव्य है, तो कोई ताज्जुब नहीं।

ऐसी अवस्थामें हम कार्यकर्ताओंपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है। उस दिन दादा धर्माधिकारी मेरे पास आये थे। उनसे मैंने अपनी इस

दशाका जिन्न किया था। उसके विषयमें उन्होंने 'सर्वोदय'में एक टिप्पणी लिखी है। यों लोगोंपर यह इलजाम लगाया जाता था कि खादीकी विक्री काफी नहीं होती, उसके लिए लोगोंकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब हमपर यह इलजाम आनेवाला है कि इस लड़ाईकी परिस्थितिमें लोगोंकी मांग हम पूरी नहीं कर सकते। ऐसे संकटके समय अगर हम खादीके कामको तरक्की न दे सकें, तो खादीके भविष्यके लिए बहुत कम आशाकी गुंजाइश रहेगी।

जाजूजीने 'खादी जगत्' द्वारा हाल हीमें एक योजना पेशकी है। उसमें उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि सरकार वेकारोंको जितने उद्योग दे सकती है, उतने अवश्य दे; लेकिन सरकारकी शक्ति खतम होनेपर भी अगर भूख वाकी रह जाय, तो उतने अंशमें खादीको प्रोत्साहन देना सरकारका कर्तव्य है। किसी भी सरकारको खादीका यह कार्यक्षेत्र प्रायः मंजूर करना पड़ेगा।

लेकिन इस योजनाका स्वरूप तो ऐसा है कि मानो जहां हम प्रवेश नहीं पा सकते, वहां धीरे-से अपनी पोटली रख देते हैं। हमारे घरपर कब्जा करनेवालेसे हम कहते हैं, "भैया, मकान तेरा ही सही। लेकिन तेरा यह खयाल गलत है कि मकान विलकुल भर गया है। वह देखो, उस कोनेमें थोड़ी-सी जगह खाली है। मेरी यह पोटली वहां पड़ी रहने दो।" हमारा यह आक्रमण मनुष्यसे अपेक्षित न्यूनतम सद्गुणोंपर होता है, इसलिए उसका परिणाम अवश्य होता ही है।

परंतु इस प्रकारकी अकाल-पीड़ित खादी खादीकी वुनियाद नहीं हो सकती। आज जिस तरह खादीका उत्पादन और विक्री हो रही है, वह भी उसकी वुनियाद नहीं है। खादीकी इमारतका वह एक भाग जरूर है। खादीकी अंतिम योजनामें भी उत्पत्ति-विक्रीका स्थान रहेगा; और आजसे कहीं अधिक रहेगा। लेकिन वह खादीकी सम्पूर्ण योजनाका एक अंगमात्र है।

उसी तरह आज जगह-जगह जो वस्त्र-स्वावलंबन जारी है उससे, यानी इस गांवमें चार वस्त्र-स्वावलंबी आदमी हैं, उस तहसीलमें सौ-दो-सौ हैं, इसी प्रकार दूसरे गांवोंमें भी वस्त्र-स्वावलंबन शुरू करते रहनेसे, भी हमारा मुख्य काम नहीं होता। यह तो चौराहोंपर जगह-जगह म्युनिसिपैलिटीकी

वक्तियों लगानेके समान है। इन वक्तियोंका भी उपयोग तो है ही। उनके कारण चारों तरफका वातावरण प्रकाशित रहेगा। लेकिन चौककी वक्तियां घरके चिरागोंका काम नहीं देतीं। इसलिए यह इस तरह बिखरा हुआ वस्त्र-स्वावलंबन भी खादीका मुख्य कार्य नहीं है।

खादीकी नींव तो यह है कि किसान जैसे अपने खेतमें अनाज उपजाता है उसी तरह वह अपना कपड़ा अपने घरमें बनावे। शायद शुरूसे ही हम इस तरह काम न कर सकते। इसलिए हमने खादीका काम दूसरे ढंगसे शुरू किया। लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ। इससे खादीकी गति मिली और लोगोंको थोड़ी-बहुत खादी हम दे सके।

लेकिन अब तो लोगोंकी खादीकी मांग बढ़ेगी। आजके तरीकेसे हम उसे पूरा नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थितिमें अगर हम लाचार होकर चुपचाप बैठे रहेंगे, तो हम दोषी समझे जायेंगे। और यह दोषारोपण न्यायानुकूल ही होगा। क्योंकि खादीकी बीस सालका समय मिल चुका है। हिटलरने बीस वर्षोंमें एक गिरे हुए राष्ट्रको खड़ा कर दिया। उन्नीस सौ अठारहमें जर्मनीकी पूरी तरह हार हो गई थी और उन्नीस सौ अड़तीस में वह एक आला दर्जेका राष्ट्र बन गया। रूसने भी जो कुछ ताकत कमाई, वह इन बीस वर्षोंमें ही कमाई। इतने समयमें उसने दुनियाको मुग्ध कर देनेवाली विचार और आचारकी एक प्रणालीका निर्माण किया। ये दोनों प्रयोग हिंसामय या हिंसाश्रित हैं, इसलिए उनकी स्थिरता खतरेमें है, यह बात अलग है। कहा तो यही जायगा कि खादीकी भी इसी प्रकार बीस वर्षतक मौका दिया गया। इतने समयमें खादी अधिक प्रगति नहीं कर सकी, इसकी कई वजहें हैं। इसलिए जर्मनी या रूससे तुलना करके हमें अपने तई अपना धिक्कार करनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसे संकटके मौकेपर अगर हम लाचार बन गए, तो, जैसा कि मैं कह चुका हूं, खादीके लिए एक कोना दिखाकर उतनेसे संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन यह खादीकी मुख्य दृष्टि—जिसे अहिंसाकी योजनामें करीब-करीब केन्द्रस्थान है—छोड़ देनेके समान है। कम-से-कम हिंदुस्तानमें तो खादी और अहिंसाका गठ-बंधन अटूट समझना चाहिए।

जब लोगोंकी मांग बढ़ेगी तो हम उनसे कहेंगे, 'सूत कातो।' तब लोग कहेंगे, 'हमें पूनियां दो।' हमारे आंदोलनमें पूनियोंकी समस्या बड़ी टेढ़ी है। पूनियोंके वादकी क्रिया अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन पूनियोंका सवाल हम शास्त्रीय या लौकिक पद्धतिसे अवतक हल नहीं कर सके हैं। तब, लोगोंसे कहना होगा, 'तुम अपने लिए धुनो।' इसमें तांतका सवाल आयेगा। पक्की तांतकी व्यापक मांग एकदम पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए काम रुक जायगा। इसका ज्यों-ज्यों में विचार करता हूँ त्यों-त्यों मेरी निगाह उस 'दशयंत्र पींजन'पर ठहरती है। पांच और पांचदस अंगुलियोंसे जो काम होता है, उसे 'दशयंत्र' कहते हैं। सोम रस दस अंगुलियोंसे निचोड़ा जाता है। इसलिए वेदोंमें 'दशयंत्राः सोमाः' का उल्लेख है। उसी तरह यह तुनाईका दशयंत्रपींजन है। वह बहुत लाभदायी और सारी दिक्कतोंसे बचानेवाला सावित होगा। रवर लगानेके नये तरीकेकी खोजने इस दशयंत्र-पींजनमें क्रांति कर दी है। उसके कारण यह काम आसान हो गया है। यह बात सच है कि रवर सर्वसुलभ नहीं है। लेकिन उसका भी विचार हो सकता है। और वह भी इस कामके लिए अनिवार्य तो नहीं है। उस दिन मैं खरांगना गया था। वहां मैंने इस दशयंत्र-पींजनका प्रदर्शन किया। दर्शकोंमेंसे एकने कहा, 'जरा मैं भी देखूँ।' और देखते-देखते उसने पन्द्रह-बीस मिनिटोंमें, अगर अच्छी नहीं तो, साधारण पूनी बना ली। इसे सीखना इतना आसान है। उसकी गति भी व्यवहार-सुलभ है। इस सम्बन्धके कुछ आंकड़े वल्लभभाई (भगवानजी) ने अपने एक लेखमें दिये हैं। नागपुर जेलमें मैंने जो प्रयोग किये उनके आधारपर मैंने भी जेलसे ही एक लेख भेजा था। रामदासजी गुलाटीको जब तुनाई करके दिखाई गई, तब वह कहने लगे कि मिल की पूनीके लगभग सभी गुण इस पूनीमें हैं और वैज्ञानिक दृष्टिसे यह पूनी करीब-करीब निर्दोष है। इस दशयंत्र-पींजनका सर्वत्र प्रचार करनेके लिए ग्रामसेवा-मंडलमें और अधिक शोध और प्रयोग होने चाहिएं।

दूसरी महत्त्वकी बात यह है कि वुनकर खुद कातकर उसी सूतकी खादी वुनें। इसकी तरफ जाजूजीने सबका ध्यान दिलाया है। हिंदुस्तानमें वुनकरों-



का बहुत बड़ा वर्ग है। लड़ाईके समय उनके लिए कोई इंतजाम नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्हें भी इस खादीके काममें लगाना चाहिए। मैं कई तरहके आंकड़ोंपर-से इस परिणामपर पहुंचा हू कि आज दूसरोंका काता हुआ भला-बुरा सूत बुननेके लिए बुनकर जो मजदूरी पाता है, उससे कम मजदूरी उसे अपना सूत बुननेमें नहीं मिलेगी। अपना सूत बुनना उसके लिए अधिक आसान तो होने ही वाला है। इस विषयमें भी व्यापक प्रयोगकी आवश्यकता है।

इसीके साथ-साथ वस्त्र-स्वावलंबी लोगोंका सूत जहांका वहीं बुनवानेका प्रबंध करना होगा। इसके लिए स्वावलंबी व्यक्तियोंके सूतमें उन्नति होना जरूरी है। सूतमें उन्नतिकी बात आते ही फिर 'दशयंत्र-पींजनपर ही ध्यान जाता है। साधारण 'यंत्र-पींजन' वैसे उपयोगी भले ही मान लिया जाय, तोभी लड़ाईके जमानेकी व्यापक योजनामें वह निरुपयोगी है। मेरा यह दावा है कि उस यंत्रसे उतनी शास्त्रीय पूनी नहीं बनती, जितनी इस दशयंत्रसे बनती है।

परन्तु इसमें यह मानी हुई बात है कि यह दशयंत्र-पींजन या तुनाई कपास से ही होनी चाहिए। आज सब जगह प्रायः सारी क्रियाओंमें रुई ही काममें लाई जाती है। अब रुईकी जगह कपासका उपयोग करना चाहिए। किसानको अपने खेतमेंसे अच्छी बड़ी-बड़ी डोडीवाली कपासका संचय करना चाहिए। फिर उसे सलाई-पटरी जैसे साधनसे ओट लेना चाहिए। इसमें प्रायः एक भी विनीला नहीं विगड़ेगा। किसान छांट-छांटकर अच्छी-अच्छी डोडियां बीनेगा। इसलिए उसे अच्छा बीज मिलेगा और उसका खेत समृद्ध होगा। इस प्रकार कपाससे शुरू करनेमें अनेक लाभ हैं। रुईसे शुरू करनेमें हम उन्हें गंवा देते हैं।

खादीका अर्थ-शास्त्र सचमुच इतनी पुख्ता नींवपर खड़ा है कि उससे सस्ता और कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता। लेकिन उसकी जगह बीचकी ही किसी अलग प्रक्रियाको खादीकी प्रक्रिया मान लेना खादीको नाहक बदनाम करना है।

कार्यकर्ताओंको समग्र-दर्शनके इस विचारपर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, कहा जाता है किमिलें सस्ती पड़ती हैं। हम हिसाब करके दिखा देते हैं कि वे महंगी हैं। मिलोंमें व्यवस्थापक वर्गका जवरदस्त खर्च, यंत्र, यंत्रोंका विसना, मालका लाना-लेजाना, मालिकोंका अजस्र मुनाफा, आदि कई आपत्तियां स्पष्ट ही हैं। लेकिन फिर भी अगर मिल सस्ती मालूम होती है, तो, या तो उसमें कोई जादू होना चाहिए या फिर हमारे एतराज गलत होने चाहिए। एतराज तो गलत नहीं कहे जा सकते। तो फिर अवश्य तिलस्म है। वह जादू यह है कि मिल एक विराट् यांत्रिक रचनाकी जंजीरकी एक कड़ी है। बड़े कारखानोंमें मुख्य उद्योगके साथ-साथ उससे संबंध रखनेवाले दूसरे भी फुटकर उद्योग कराये जाते हैं। कारखाना उन उद्योगों के लिए नहीं चलता। इसलिए उन्हें गौण पैदावार कहते हैं। इन गौण उद्योगोंसे जो आमदनी होती है उससे प्रधान उद्योगको लाभ होता है और यह सब मिला वह कारखाना आर्थिक दृष्टिसे पुसाता है। मिलकी यही स्थिति है। वह एक समग्र विचार-शृंखलाकी कड़ी है।

मिलोंके साथ-साथ रेल आई। शांतिके समय माल लाना-लेजाना उनका प्रधान कार्य है। यात्रियोंको भी उनसे लाभ होता है। लोगोंको लंबे सफर करनेकी आदत हो जाती है। उनके विवाह-सम्बन्ध भी दूर-दूरके स्थानोंमें होने लगते हैं और इस तरह रेल उनके जीवनकी एक आवश्यकता हो जाती है। फिर उससे फायदा उठाकर मिलोंके विषयमें सस्तेपनका एक भ्रम पैदा किया जा सकता है।

मने रेलका उदाहरण दिया। ऐसी कई चीजें मिलकी मददके लिए उपस्थित हैं। इसलिए मिल सस्ती प्रतीत होती है। अगर सिर्फ मिलका ही विचार किया जाय, तो वह बहुत महंगी होती है। यही नियम खादीके लिए भी लागू करना चाहिए। अगर अकेली खादीका ही विचार किया जाय, तो वह महंगी मालूम होगी। लेकिन ऐसा असंबद्ध विचार नहीं किया जा सकता। किसी सुंदर आदमीके अवयव अलग-अलग काटकर अगर हम देखने लगे, तो क्या होगा? कटी हुई नाक खूबसूरत थोड़े ही लगेगी? उनमें तो आरपार छेद

दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे पृथक् किए हुए अवयव अपनेमें सुंदर न होते हुए भी, सब मिलकर शरीरको सुन्दर बनाते हैं। जब हम समग्र जीवनको दृष्टिमें रखकर खादीको उसका एक अंग मानेंगे, तब खादीजीवन मिलजीवन की अपेक्षा कहीं सस्ता सावित होगा।

खादीमें लाने-लेजानेका सवाल ही नहीं है। वह तो जहांकी वहीं होती है। घरकी घर हीमें व्यवस्थित-रूपसे रहती है। याने व्यवस्थापकोंका काम नहीं रह जाता। कपड़ेकी जरूरतसे ज्यादा कपास फिजूल वोई ही नहीं जायगी इसलिए कपासका भाव हमारे हाथोंमें रहेगा। चुनी हुई डोडियां घरपर ही ओटी जायंगी, जिससे बोनके लिए बढ़िया विनौले मिलेंगे और खेती विशेष संपन्न और प्रफुल्लित होगी। बचे हुए विनौले बेचने नहीं पड़ेंगे। वे सीधे गायको मिलेंगे और फलस्वरूप अच्छा दूध, घी और बैल मिलेंगे। वस्त्र-स्वावलंबनके लिए आवश्यक डोडियां सलाई-पटरी या उसीकी विशेषताएं रखनेवाली ओटनीपर ओट ली जायंगी। वह ताती साफ रुई आसानीसे धुनी जा सकेगी। वह दशयंत्रसे भलीभांति धुनी जायगी और सूत समान तथा मजबूत कत सकेगा। सूत अच्छा होनेके कारण वुननेमें सुगमता होगी। अच्छी वुनावटके कारण वह शरीरपर ज्यादा दिन टिकेगा और कपड़ा ज्यादा दिन चलनेके कारण उतने अंशमें कपासकी खेतीवाली जमीनकी बचत होगी। अब इस सबमें तेलकी घानी आदि ग्रामोद्योग और जोड़ दीजिये और और देखिए कि वह सस्ती पड़ती है कि महंगी। आप पायेंगे कि वह विलकुल महंगी नहीं पड़ती। जब खादीका यह 'समग्र दर्शन' आपकी आंखोंमें समा जायगा, तो खादीकार्यका आरंभ कपासकी बजाय रुईसे करनेमें कितनी भारी भूल होती है, यह भी समझमें आ जायगा। और इसके अतिरिक्त सारा खादीकार्य सांगोपांग करनेकी दृष्टि भी प्राप्त होगी।

और एक बात, जिससे समग्र दर्शन और स्पष्ट होगा। यह एक स्वतंत्र विषय भी है। पांच-छः साल पहले मैं रेलमें अपना चरखा खोलकर कातने लगा। वैसे भी मेरी आंखें कमजोर हैं, उसमें फिर गाड़ीके धक्के लगते थे, इसलिए धीरे-धीरे सम्हलकर कातनेपर भी थोड़ा-बहुत टूटता ही था।

## खादीका समग्र-दर्शन

टूटते ही मैं अपने सिद्धांतके अनुसार उसे फिर जोड़ लेता था। मेरी बगलमें एक बैठे थे। वी० एस्-सी० पास थे। बड़े ध्यानसे ये सारी बातें निहार रहे थे। थोड़ी देरके बाद बोले, “कुछ पूछना चाहता हूँ।” “पूछिए”, मैंने कहा। ह बोले, “आप टूटे हुए तारोंको जोड़नेमें इतना बक्त खोते हैं, इससे उनको से ही फेंक देना क्या आर्थिक दृष्टिसे लाभकारी नहीं होगा?” मैंने उनसे कहा, “अर्थशास्त्र दो तरहका है। एक आंशिक अथवा एकांगी और दूसरा परिपूर्ण। इनमेंसे एकांगी अर्थशास्त्रको छोड़कर परिपूर्ण अर्थशास्त्रकी कसौटीपर परखना ही उचित है।” वह बोले, “दुरुस्त है।” तब मैंने उनसे पूछा, “आप कहते हैं कि थोड़ा-सा टूटा हुआ सूत अगर अकारण जाय तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसकी क्या मर्यादा हो? कितना फीसदी आप माफ फरमायेंगे?” उन्होंने कहा, “पांच प्रतिशत तक माफ कर देनेमें हर्ज नहीं है”; तब मैंने कहा, “पांच प्रतिशत सूत, जो कि जुड़ सकता है, फेंक देनेका क्या नतीजा होता है, यह देखने लायक है। इसका यह मतलब है कि कातनेवाला इस तरह सौ एकड़ कपास खेतीमेंसे पांच कारखानोंको बेकार कर देता है। तांतके सौ कारखानोंमेंसे पांच कारखानोंको बेकार कर देता है। कातनेवालोंके लिए बनाई गई सौ इमारतोंमेंसे पांच गिरा देता है। हिसाबकी सौ वहियोंमेंसे पांच फाड़ देता है।” इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा, जिसने पांच-प्रतिशत का न्याय स्वीकार कर लिया, उसके मभी व्यवहारोंको वह ग्रास कर रहेगा। उससे होनेवाली हानि कितनी भयानक होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। भोजनके बक्त अगर कोई थालीमें बहुत-सी जूठन छोड़कर उठ जाता है, तो हम उसे मस्ताया हुआ कहते हैं। क्योंकि जूठन छोड़नेका यह मतलब है कि वह, किसानके बैलसे लेकर रसोई बनानेवाली मां तक, सबकी मेहनतपर पानी फेर देता है। इसलिए जूठन छोड़नेसे मांका ताराज होना काफी नहीं है। हल चलानेवाले बैलको चाहिए वह उसे एक लात मारे और किसानसे लेकर दूसरे सब एक-एक धील जमायें।

इसीलिए हर चीज सामग्र्यकी दृष्टिसे देखनी चाहिए। इसीलिए

भगवद्गीतामें ईश्वरके ज्ञानके पीछे “असंशयं समग्रम्” ये विशेषण लगाये गए हैं। हमारे खादीके आंदोलनमें समग्र-दर्शनकी बहुत जरूरत है। हम जब खादीको समग्र-दर्शनपूर्वक आगे बढ़ायेंगे, तभी, और केवल तभी, वह व्यापक हो सकेगी। यह हमारी कसौटीका समय है।<sup>१</sup>

ग्राम-सेवा-वृत्तसे : सर्वोदय, अप्रैल, १९४२

: १६ :

## उद्योगमें ज्ञान दृष्टि

कलके भाषणमें मैंने सर्वजनोंके लिए जो कुछ मुझे कहना था, सो कहा। आज मेरे सामने विशेषकर स्कूलके लड़के और शिक्षक हैं। उन्हींके लिए कुछ कहूंगा।

मेरी दृष्टिसे हमारे शिक्षणमें सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीजकी है तो विज्ञानकी। हिंदुस्तान कृषिप्रधान देश भले ही कहलाता हो, तो भी उसका उद्धार सिर्फ खेतीके भरोसे नहीं होगा। यूरोपीय राष्ट्र उद्योग-प्रधान कहलाते हैं। हिंदुस्तानमें खेती ही प्रधान व्यवसाय होते हुए भी यहाँ फी आदमी सवा एकड़ जमीन है। इसके विपरीत फ्रांसमें, जो एक उद्योग-प्रधान देश कहलाता है, प्रति-मनुष्य साढ़े तीन एकड़ जमीन है। इसपरसे मालूम होगा कि हिंदुस्तानकी हालत कितनी बुरी है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानमें अकेली खेती ही होती है; और कुछ नहीं होता। अमेरिका (संयुक्त राज्य) संसारका सबसे सघन देश है। उसमें खेती और उद्योग दोनों बहुत बड़े परिणाममें चलते हैं। वह युद्धके लिए रोज पचपन करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। हमारे देशकी जनसंख्या चालीस करोड़ है। इतने लोगोंको हर रोज भोजन देने के लिए, यहाँके हिसाबसे प्रति दिन पांच करोड़ रुपया खर्च लगेगा।

---

१. ग्राम-सेवा मंडलकी सर्वसाधारण सभामें (९ जनवरी १९४२ को) दिया गया भाषण।

## उद्योगमें ज्ञान दृष्टि

अमेरिका इतना बनवान देश है कि वह रोज जितना खर्च करता है, उसमें हिंदुस्तानको ग्यारह दिन भोजन दिया जा सकता है। हिंदुस्तानकी फी आदमी सालाना आमदनी खेतीसे पचास-साठ रुपये और उद्योगसे बारह रुपये है। इसलिए हिंदुस्तानको कृषिप्रधान कहना पड़ता है। अब जरा इंग्लैण्डकी तरफ नजर डालिए। वहां भी खेतीकी आमदनी, यहांकीही तरह फी आदमी पचास-साठ रुपये सालाना होती है, और उद्योगकी होती है पांच सौ बारह रुपये। इस परसे आपको पता चलेगा कि हमारा देश कहां है। यह हालत बदल देनेके लिए हमारे यहांके विद्यार्थी, शिक्षक और जनता, सभीको उद्योगमें निपुण बन जाना चाहिए। उसके लिए उन्हें विज्ञान सीखना चाहिए।

(अ) हमारा रसोईघर हमारी प्रयोगशाला होना चाहिए। वहां जो आदमी काम करता हो, उसे किस खाद्य पदार्थमें कितना उष्णांक, कितना ओज, कितना स्नेह है, आदि सारी बातोंकी जानकारी होनी चाहिए। उसमें यह हिसाब करने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि किस उन्नके मनुष्य को किस कामके लिए कैसे आहारकी जरूरत होगी।

(आ) शींचको तो सभी जानते हैं। लेकिन स्कूलवालोंका काम इतनेसे नहीं चलेगा। 'मैलेका क्या उपयोग होता है? लेकिन स्कूलवालोंका काम इतनेसे क्या असर होता है? मैला अगर खुला पड़ा रहे तो उससे क्या नुकसान है? कौनसी बीमारियां पैदा होती हैं? जमीनको अगर उसका खाद दिया जाय, तो उसकी उर्वरता कितनी बढ़ती है?'—आदि सारी बातोंका शास्त्रीय ज्ञान हमें हासिल करना चाहिए।

(इ) कोई लड़का बीमार हो जाता है। वह क्यों बीमार हुआ? बीमारी मुफ्तमें थोड़े ही आई है? तुमने उसे गिरहसे कुछ खर्च करके बुलाया है। अतिथिकी तरह उसका खयाल रखना चाहिए। वह क्यों आई, कैसे आई, आदि पूछना चाहिए। उसकी उपयुक्त पूजा और उपचार कैसे किया जाय, यह सीखना चाहिए। जब वह आ ही गई है, तब उससे सारा ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें शिक्षणकी बात है। 'वह ज्ञानदाता रोग

आया और गया; हम कोरे-के-कोरे रह गये !' यह दूसरोंके साथ भले ही होता हो; हमारे साथ हरगिज नहीं होना चाहिए ।

(ई) तुम यहां सूत कातते हो, खादी भी बना लेते हो । तुम्हें वधाई है । लेकिन खादी-क्रियाके वारेमें शास्त्रीय प्रश्नोंके जवाब यदि तुम न दे सके, तो पाठशाला और उत्पत्ति केंद्र यानी कारखानेमें फर्क ही क्या रहा ? लेकिन मैं तो अपने कारखानेसे भी इस ज्ञानकी आशा रखूंगा ।

मुझसे कहा गया है कि यहांके लड़के अंग्रेजी वगैराकी परीक्षामें पास होते हैं, दूसरे विद्यालयोंके लड़कोंसे किसी तरह कम नहीं हैं, आदि आदि । लेकिन लड़के पास होते हैं इसमें कौनसी बड़ी बात है । हमारे लड़के नालायक थोड़े ही हैं ? जरा विलायतके लड़कोंको इतिहास और भूगोल मराठीमें सिखाकर देखिए तो ? देखें कितने पास होते हैं । कई साल पहले बड़ौदेमें एक साहब आया था । उसने गीताका पूरे बीस वर्षतक अध्ययन किया था । यों उसने अच्छा भाषण दिया । परन्तु वह संस्कृतके वचनोंके उच्चारण ठीक नहीं कर सका । उसने कहा—

‘कुरु कम्मैव तस्मात् द्वम्’

(कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्)

बीस-बीस साल अध्ययन करनेपर भी उनका यह हाल है । हमारे यहां सैकड़ों आदमी उनकी भाषामें खूब बोल लेते हैं । लेकिन यह हमारी इस भूमिका ही गुण है । हजारों वर्षोंसे यहां विद्याकी उपासना होती आई है । यह कोई यहांके पाठकोंका गुण नहीं है । इसलिए हमें अंग्रेजी भाषाके ज्ञानसे संतोष नहीं मानना चाहिए । हमें आरोग्यशास्त्र, रसायनशास्त्र, पदार्थविद्या, यंत्रशास्त्र आदि शास्त्र सीखने चाहिए । शास्त्रों और विज्ञानोंकी इस तालिकाको देखकर आप घबराइये नहीं । आप उन्हें उद्योगके साथ बड़ी आसानीसे सीख सकेंगे ।

दो विद्याएं सीखना आवश्यक है : एक हमारे आसपासकी चीजोंको परखनेकी शक्ति; अर्थात् विज्ञान । और दूसरी, आत्मज्ञानपूर्वक संयम करनेकी शक्ति; अर्थात् आध्यात्म । इसके लिए बीचमें निमित्तमात्र

भापाकी जरूरत होती है। उसका उतना ही ज्ञान आवश्यक है। भापा चिट्ठीरसाका काम करती है। अगर मैं चिट्ठीमें कुछ भी न लिखूं, तो वह कोरा कागज भी चिट्ठीरसा पहुंचा देगा। भापा विद्याका वाहन है। यह भी कोई कम कीमती बात नहीं है। विज्ञान और आध्यात्म ही विद्या ह। उसीका मैं विचार करूंगा। मेरा चरखा अगर टूट गया, तो क्या मैं रोता बैठूंगा? मैं बड़ईके पास जाकर उसे सुधरवा लूंगा। उसी तरह, अगर मुझे विच्छूने काट खाया, तो मुझे रोते नहीं बैठना चाहिए। उसका उपचार करके छुट्टी पानी काहिए। इसी प्रकार आत्मा की अलिप्तताका ज्ञान होना चाहिए। उसकी मुझे आदत हो जानी चाहिए। यही मेरी शालाकी परीक्षा होगी। मैं भापाका पर्चा निकालनेकी भंभटमें नहीं पड़ूंगा। लड़कोंकी बोलचालसे ही मैं उसका भापा-ज्ञान भांप जाऊंगा।

विद्यार्थी भोजन करते हैं और दूसरे लोग भी भोजन करते हैं। लेकिन दोनोंके भोजन करनेमें फर्क है। विद्यार्थियोंका भोजन ज्ञानमय होना चाहिए। जब विद्यार्थी अनाज पीसेगा और छानेगा, तो वह देखेगा कि उसमेंसे कितना चोकर निकलता है। मान लीजिए कि सेरमें आठ तोले चोकर निकला। यानी दस-प्रतिशत चोकर निकला। यह बहुत ज्यादा हुआ। दूसरे दिन वह पड़ोसीके यहां जाकर वहांका चोकर तौलेगा। वह देखता है कि उसके आटेमेंसे ढाई तोले ही चोकर निकला है। दस-प्रतिशत चोकर निकलनेमें क्या हर्ज है? उतना चोकर अगर पेटमें जाय, तो नुकसान क्यों होगा?— आदि प्रश्न उसके मनमें उठने चाहिए और उनके उचित उत्तर भी उसे मिलने चाहिए। जब ऐसा होगा, तो, जैसा कि गीतामें कहा है, उसका हर एक काम ज्ञान-साधन होगा। अगर बुरा आया, तो वह ज्ञान दे जायगा। वह भी प्रयोग ही होगा। फिर उस तरहका बुरा नहीं आयगा। जहां हर एक काम इस तरह ज्ञान-दृष्टिसे किया जाता है, वह पाठशाला है और जहां वही ज्ञान कर्म-दृष्टिसे होता है वह कारखाना है।

इस प्रकार प्रयोगदृष्टिसे, ज्ञानदृष्टिसे प्रत्येक काम करनेमें थोड़ा खर्च तो होगा। लेकिन उससे उतनी कमाई भी होगी। स्कूलमें जो चरखा होगा



वह बढ़िया ही होगा। चाहे जैसे चरखेसे काम नहीं चलेगा। स्कूलमें काम चाहे थोड़ा कम भले ही हो, लेकिन जो कुछ काम होगा, वह आदर्श होगा। कपास तौलकर ली जायगी। उसमेंसे जितने विनौले निकलेंगे, वे भी तौल लिए जाएंगे। रोजियामेंसे जब इतने विनौले निकले, तब ढेरममेंसे इतने क्यों, इस तरहका सवाल पूछा जायगा। और उसका जवाब भी दिया जायगा। विनौला मटरके आकारका होकर भी दोनोंके वजनमें इतना फर्क क्यों? विनौलेमें तेल होता है, इसलिए वह हलका होता है। फिर यह देखा जायगा कि इसी तरहके दूसरे धान्य कौन-से हैं। इसके लिए तराजूकी जरूरत होगी। वह बाजारसे नहीं खरीदा जायगा। स्कूलमें ही बनाया जायगा। जब हम यह सब करनेका विचार करेंगे, तभीसे विज्ञान शुरू हो जायगा। हरएक काम अगर इस ढंगसे किया जाय, तो वह कितना मनोरंजक होगा? फिर उसे कौन भूलेगा? अकबर किस सन्में मरा, यह रटनेकी क्या जरूरत है? वह तो मर गया, लेकिन हमारी छातीपर क्यों सवार हुआ? मैं इतिहास रटनेको नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं तो इतिहास बनानेके लिए पैदा हुआ हूँ।

शिक्षककी दृष्टिसे हरएक चीज ज्ञान देनेवाली है। उदाहरणके लिए, मैलेकी ही बात ले लीजिए। वह बहुत बड़ा शिक्षण देता है। मैंने तो उसके वारेमें एक श्लोक ही बना डाला है : “**प्रभाते मलदर्शनम्**” (सवेरे मैलेका दर्शन करो)। सवेरे मैलेके दर्शनसे मनुष्यको अपने स्वास्थ्यकी स्थितिका पता चलता है। मैलेमें अगर मूंगफलीके टुकड़े हों, तो वे पेटपर पिछले दिन किए हुए अत्याचार तथा अपचनका ज्ञान और भान करायेंगे। उसके अनुसार हम अपने आहार-विहारमें फर्क कर लेंगे। आप चाहे कितनी ही सावधानी और सफाईसे रहिये, आखिर मैला तो गंदा ही रहेगा। सवेरे उसके अवलोकनसे देहासक्ति कम होगी और वैराग्य पैदा होगा। मां जाड़ोंमें जिस तरह वच्चोंको कपड़ेसे ढंकती है, उसका कोई भी अंग खुला नहीं रहने देती, उसी तरह हम भी बड़ी सावधानीसे सूखी मिट्टीसे अगर मैलेको ढंक दें और यथासमय उसे खेतमें फैला दें, तो वही मैला हमारी लक्ष्मीको बढ़ायेगा।

इसी तरह पाठशालामें प्रत्येक काम ज्ञानदायी और व्यवस्थित होगा। लड़का बैठेगा, तो सीधा बैठेगा। अगर मकानका मुख्य खंभा ही भुक जाय, तो क्या वह मकान खड़ा रह सकेगा ? नहीं। उसी तरह हमें भी अपने मेरु-दंडको हमेशा सीधा रखना चाहिए। पाठशालामें यदि इस प्रकारसे काम होगा, तो देखते-देखते राष्ट्रकी कायापलट हो जायगी। उसका दुःख-दैन्य गायब हो जायगा, संपन्न ज्ञानकी प्रभा फैलेगी।

स्कूलमें होनेवाला प्रत्येक काम ज्ञानका साधन बन जाना चाहिए। इसके लिए स्कूलोंको सजाना होगा। अच्छे-अच्छे साधन जुटाने होंगे। श्री रामदास स्वामीने कहा है, 'देवताका वैभव बढ़ाओ।' लोगोंको अपने घर सजानेके बदले शालाएं सजानेका शौक होना चाहिए। उन्हें शालाकी आवश्यक चीजें उपलब्ध करा देनी चाहिए। लेकिन इतना ही बस नहीं है। एकाध दानवीर मिल जाता है और कहता है, 'मैंने इस शालाको इतनी सहायता दी।' लेकिन अपने लड़कोंको किस स्कूल में भेजता है ?— सरकारी स्कूलमें। सो क्यों ? अगर आप राष्ट्रीय पाठशालाओंको दानके योग्य मानते हैं, तो उन्हें सब तरहसे संपन्न और सुशोभित करके अपने लड़कोंको वहीं क्यों नहीं भेजते ?

लड़के राष्ट्रके बन् हैं। लेकिन उनके भोजनमें न दूध है, न घी ! फी लड़केका मासिक भोजन खर्च ढाई रुपये है ! इसे क्या कहा जाय ? हम सारे राष्ट्रकी अवस्थाको भूल नहीं सकते, यह तो माना। लेकिन फिर भी जितना कम-से-कम जरूरी है, उतना तो मिलना ही चाहिए। पिछले दिनोंमें यह शिकायत थी कि जेलमें कैदियोंको उचित खुराक नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। गांधीजीकी सूचनासे बाहरके डाक्टरोंने यह तय किया कि निरामिषभोजी व्यक्तिके लिए कम-से-कम कितने दूधकी जरूरत है। उनके निर्णयके अनुसार हरएक व्यक्तिको कम-से-कम तीस तोले दूध मिलना चाहिए। और सरकार अगर कैदियोंको रखती है, तो उसे उनकी कम-से-कम आवश्यकता पूरी करनी ही चाहिए। लेकिन अगर हम अपने विद्यालयोंमें ही इस नियमपर अमल नहीं करते, तो सरकारसे आशा

करना कहांतक शोभा देगा ? लड़कोंको दूध मिलना ही चाहिए । उन्हें अच्छा अन्न मिलना ही चाहिए । वरना उनमें तेज नहीं पैदा होगा ।

मैंने कुछ बातें शिक्षकोंके लिए, कुछ छात्रोंके लिए और कुछ औरोंके लिए कही हैं । ये सब मेरे अनुभवकी बातें हैं । आशा है कि उनका उचित उपयोग होगा ।<sup>१</sup>

ग्राम-सेवा वृत्तसे : सर्वोदय, मई १९४२

: १७ :

### ग्राम-सेवाका तंत्र

मैंने आज मुख्यतः मगनवाड़ीके विद्यार्थियोंके दर्शनके लोभसे यहां आना स्वीकार किया । मैं प्रमाणपत्र देने आया ही नहीं हूं । क्योंकि प्रमाणपत्रमें मुझे श्रद्धा नहीं है । जिन विषयोंमें मुझे प्रमाणपत्र मिले, उन विषयोंका मेरा ज्ञान नहींके बराबर है और जिन विषयोंमें मैंने परीक्षा ही नहीं दी, उनका मुझे अच्छा ज्ञान है । लेकिन यहां दिये गये प्रमाणपत्र परीक्षाके नहीं हैं; इसलिए मैं आशा करता हूं कि वे निरर्थक नहीं ठहरेंगे ।

यहांसे विद्यार्थी देहात जायेंगे । उन्होंने देहातकी सेवाके लिए ही शिक्षण पाया है । इस समय देहातमें कार्य करनेकी काफी गुंजाइश है । और मैं समझता हूं कि आप सब लोग गावोंमें जाकर किसी-न-किसी उद्योगको शुरू करेंगे । लेकिन आपको वहां बहुत सावधानीसे रहना होगा । देहातियोंके जीवनका मान (दर्जा) बहुत कुछ नीचा है । लेकिन उनका सेवाका मान बहुत ऊंचा है । इसलिए आजतक केवल संतोंने ही देहातोंकी सेवा की है । दूसरोंने तो उन्हें अपने फायदेके लिए चूसा है । इसलिए वहां सेवाका प्रमाणपत्र आसानीसे नहीं मिलता । वहां हमें रातदिन अतंद्रित रहकर काम करना होगा । देहातके लोग अपढ़ हैं; इसलिए हमें यह न समझना चाहिए

१. तुमसरकी 'तिलक राष्ट्रीय शाला'के विद्यार्थियों और गांवके लरूपोंकी सभामें (१४ फरवरी, १९४२ को) किया प्रवचन ।

कि हमारी अल्पस्वल्प विद्यासे काम चल जायगा। यह सही है कि देहातियोंमें इल्म और हुनरकी कमी है। लेकिन वे अपने कामसे वाकिफ हैं। जो काम करते हैं, सो ठीक-ठीक करते हैं। उदाहरणके लिए खेतीके कामको ही ले लीजिए। उस उद्योगमें वे काफी होशियार होते हैं। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे अधकचरे ज्ञानसे काम चल जायगा। हमारे ज्ञानकी कसौटी होगी। इसलिए हमें अतन्द्रित रहना होगा। यह कहनेका रिवाज-सा पड़ गया है कि देहाती लोग आलसी होते हैं। यह आक्षेप विलकुल ही बेवुनियाद हो, सो बात नहीं। लेकिन बहुत बड़े अंशमें वह दंतकथा ही है। शहरोंकी तरह देहातोंमें भी कुछ लोग निठल्ले होते हैं। लेकिन जिस कामको वे करते हैं, उसे इतना करते हैं कि उससे अधिककी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थितिमें देहातमें अगर हमारी उद्योगशीलता अपर्याप्त साबित हुई, तो हमें परीक्षामें फेल हुए समझना चाहिए।

जब हम देहातमें जायंगे, तो हमारे सामने एक विराट जगत खुलेगा। कई स्त्री-पुरुषोंसे संपर्क होगा। हमारा ध्यान अचूक उनके गुणोंकी तरफ ही जाना चाहिए। दोषोंकी तरफ प्रवृत्ति हरगिज नहीं होनी चाहिए। मैं मनुष्यके चित्तको घरकी उपमा दिया करता हूँ। घरमें दीवारें होती हैं। और दरवाजे होते हैं। मनुष्यके गुण उसके चित्तके दरवाजे हैं और दोष दीवारें। विलकुल गरीब से गरीब के मकानमें भी एकाध दरवाजा तो होता ही है। गुणके दरवाजेमेंसे ही मनुष्यके चित्तमें प्रवेश करना चाहिए। दरवाजे मेंसे अन्दर जाना सरल है। दीवारमें से घुसनेकी कोशिश की जाय, तो सिर फूटेगा। दोषोंमेंसे जो किसीके चित्तमें प्रवेश करनेकी चेष्टा करेगा, उसकी यही हालत होगी। इसलिए गुणग्राहक वृत्ति होनी चाहिए। दर-असल हमें सभी स्त्री-पुरुषोंमें भगवान्की मूर्तियां दिखाई देनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तब हमारा कार्य सुकर होगा।

हम संसारमें ज्ञाना वादोंकी चर्चा सुनते हैं। अनेक पक्ष देखते हैं। लेकिन सेवकोंकी सभी वादों और पक्षोंसे अलग रहना चाहिए। हमारे लिए सारे संसारमें दो ही पक्ष हैं। एक सेवक और दूसरा सेव्य या स्वामी।

हम खुद सेवक हैं और दूसरे सब स्वामी । हमें स्वामीकी सेवासे ही संतोष मानना है । यही सेवकका धर्म है । सेवकको दलबंदियोंसे क्या मतलब ? देहातमें गुटबन्दियां भरपूर होती हैं । यह भी नहीं कि उनके पीछे कोई सिद्धांत होता हो । प्रायः द्वेष और स्वार्थ होता है । सेवकको इस तरहके किसी भी दलमें नहीं पड़ना चाहिए । उसे निष्पक्ष रहकर सेवा करनी चाहिए । सेवा करना ही उसका काम है । हमारी सेवासे कौन खुश होता है और कौन नाराज, इससे हमें क्या करना है ? हृदयस्थ-भगवान् प्रसन्न हों, इतना काफी है ।

उद्योग और विद्या अलग-अलग नहीं हैं । जहां इन्हें अलग कर दिया जाता है, वहां दोनों बेकार हो जाते हैं । विद्याको अगर सिर कहा जाय, तो उद्योग उसका धड़ कहलायेगा । दोनोंको अलग करना, दोनोंको मार डालना है । अर्थात् राहूके जैसी हालत हागी । लेकिन यहां तुम्हें विद्या और उद्योगका लाभ एकत्र हुआ है । तुम्हें उद्योगके साथ-साथ ही विद्या दी गई है । अतः तुम्हारी विद्या वीर्यहीन नहीं होगी । तो भी अब देहातमें जानेपर तुम्हें कई भिन्न-भिन्न काम करने पड़ेंगे । प्रबंध देखना, हिसाब लिखना, पढ़ाना, प्रसंगवश व्याख्यान देना, आदि कई बातें ग्राम सेवाके सिलसिलेमें करनी ही पड़ती हैं । लेकिन मैं कहूंगा कि इन सब कामोंको करते हुए भी तुम्हें रोज कुछ समय प्रत्यक्ष उद्योगमें विताना चाहिए । इससे तुम्हारी विद्या ताजी रहेगी, तुम्हें नये-नये शोधोंका ज्ञान रहेगा और नये शोध सूझते रहेंगे । कई बार ऐसा पाया जाता है कि अच्छे-अच्छे उद्योगमें निपुण लोग भी जब सेवा-कार्य करने लगते हैं, तो शरीरश्रम करना भल जाते हैं । कहते हैं, 'वक्त ही नहीं मिलता ।' लेकिन इससे कार्यकर्ताओंकी तथा उनके कार्यकी हानि ही हुई दिखाई देती है । उद्योगसे नित्य परिचय न रहनेके कारण ज्ञान पिछड़ जाता है । फिर पुराने ज्ञानकी पूंजीसे ही काम चलाया जाता है । यह ठीक नहीं है । इसलिए ग्राम-सेवकको प्रतिदिन कुछ समय—मेरे विचारमें, अगर संभव हो तो, आधा समय—उद्योगके लिए देना चाहिए । उसे ग्रामसेवाका अंग ही समझना चाहिए ।

आप देहातोंमें जायेंगे; लेकिन वहाँकी जमीन कड़ी होती है। यहाँ संस्थामें तुम्हारे लिए सारी सुभीतेकी चीजें मौजूद हैं। देहातोंमें सब अनुविधाएं मौजूद होंगी। फच्चर टूट गई, बढ़ईगीरी आती नहीं, बढ़ई मिलता नहीं, कोल्हू रुका पड़ा है—ऐसी अवस्थामें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वीरज रखना चाहिए। छोटी-से-छोटी बातका पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिए। वल्कि छोटी चीजोंको अधिक महत्व देना चाहिए। बड़ी बातें सहसा कोई भूलता ही नहीं; क्योंकि वे बड़ी ठहरीं। इसलिए छोटी मालूम पड़नेवाली बातोंपर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। अन्यथा उनके ज्ञानके अभावमें कहीं गाड़ी न रुक जाय। वुनाईमें खासी निपुणता प्राप्त करके एक आदमी देहातमें करघा लगाकर बैठा। लेकिन वह वुननेमें निपुण होते हुए भी करघा जमाना भली-भांति नहीं जानता था। इसलिए उसके करघेपर कपड़ा, जितना चाहिए, उतना अच्छा नहीं वुना जा सकता था। जो कोई उस करघेपर कपड़ा वुनने जाता, उसका कपड़ा विगड़ जाता। यह किस बातका नतीजा था? करघा जमाना एक तुच्छ बात है ऐसा समझकर उसपर ध्यान न देनेका?

मुझे जो कुछ कहना था, मैंने थोड़ेमें कहा है। तुम्हें आज यहाँ संस्थाकी तरफसे प्रमाणपत्र तो मिले हैं, लेकिन सच्चे प्रमाणपत्र जनतासे ही प्राप्त करने हैं। और वे तुम्हें सच्ची सेवाके गुणके लिए ही मिलेंगे।

अंतमें आशा करता हूँ कि आपलोग देहातोंमें जाकर जनताकी भली-भांति सेवा करके वास्तविक प्रमाणपत्रोंके अधिकारी बनेंगे।<sup>१</sup>

ग्राम-सेवावृत्तसे : सर्वोदय, जून १९४२

---

१. मगनवाड़ी (वर्धा) में ग्राम सेवक विद्यालयके पदवीदान समारंभके अवसर पर (२९ अप्रैल, १९४२ को) अध्यक्ष-पदसे दिया गया भाषण।

: १८ :

## कृपया तशरीफ ले जाइये

मेरा आज व्याख्यान देनेके लिए आनेका इरादा नहीं था। जो भाई पहले मुझे बुलाने आये थे, उनको लौटा भी दिया था। उन्होंने कहा कि फलाने बड़े सज्जनने आकर हमें समझाया है, तुम भी आओ। लेकिन मैंने सोचा, जब इतने सज्जन पहले ही आ चुके हैं और आ रहे हैं, तो मेरे जानेकी जरूरत नहीं। यानी जो कारण वे भाई मेरे यहां आनेके लिए बतला रहे थे, वही मेरी दृष्टिमें न आनेके लिए अच्छा कारण था। लेकिन गोपालरावने बहुत आग्रह किया; इसलिए आना पड़ा।

मेरा न आनेका दूसरा भी एक कारण था। आजकल जितने मुंह उतने विचार बोले जाते हैं। मतभेदोंका बाजार-सा लग रहा है। इस हालतमें मैंने सोचा कि जब इतने आदमी आपको अपनी-अपनी रायें सुना चुके हैं, तो मेरा अपनी राय सुनाना शायद आपकी बुद्धिको अधिक भ्रममें डाल दे। गीतामें भगवानने अर्जुनसे कहा है कि बहुत सुन-सुनकर तेरी बुद्धिमें भ्रम पड़ गई है। इस भ्रमजालमेंसे जब छूटेगा, तब कहीं तुझे सच्चा ज्ञान होगा। आपके यहां पहले अगर दस आदमी आ चुके हों, तो मैं ग्यारहवां आकर संभव है, कि आपकी बुद्धिमें अधिक भ्रम पैदा कर दूं। इससे कार्यकी हानि ही होगी। यह सोचकर मैं आना नहीं चाहता था। लेकिन आग्रहवश आना पड़ा।

जवाहरलालजी बहुतदफा मौजूदा सरकारकी कड़ी टीका किया करते हैं। वह कहते हैं कि इसका कारोबार इतना अव्यवस्थित और निकम्मा है कि उससे बढ़कर निकम्मा दूसरा हो ही नहीं सकता। इस सरकारकी अक्षमताका का पार नहीं है। उनकी टीकासे मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मेरे विचारमें यह हाल सिर्फ हिंदुस्तानकी सरकारका ही नहीं; दुनियाकी सभी सरकारोंका है। लेकिन हिंदुस्तान-सरकारकी एक खुसूसियत है; उसने यहांकी प्रजाको निःशस्त्र बना रखा है। इसलिए वह बड़ी निश्चित होकर बड़े आरामसे

राज्य करती थी। अब अचानक आफत आ गई है। उसका सामना करनेकी बुद्धि और ताकत अब हमारी सरकारमें नहीं है। लेकिन यह भारत-सरकारकी विशेषता है। परन्तु आज तो जगतके सभी राज्यतन्त्र वेकार सावित हो चुके हैं। इसका एक कारन है। उसपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे-जैसे यन्त्रोंकी क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे बुद्धिकी क्षमता घटती जाती है। इसलिए जहां देखिए, अव्यवस्थाका ही साम्राज्य फैला हुआ है।

जवसे अमेरिका जैसा बड़ा और प्रतापी राज्य युद्धमें शामिल हुआ है, तवसे युद्धका सारा कारोवार अमेरिकाकी ही सलाहसे चलता है। चौबीस हजार मील लंबी दुनियाका सारा व्यवहार अमेरिका कहता है, हम करेंगे : सामान इधरसे उधर हमारी सलाहसे जायगा, यूरोपका उद्धार हमारे जरिये होगा, हिंदुस्तानको हम बचायेंगे, जापा नका मुकाबला हम करेंगे, आस्ट्रेलियाकी मदद हम करेंगे।

अमेरिकाकी तरफसे उसके अध्यक्ष, रूजवेल्ट यह कह रहे हैं। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही अध्यक्ष चुना जाता है, ऐसी बात नहीं। पुराने जमानेमें राजाका पुत्र राजा बनता था। कभी-कभी नसीबसे वह बुद्धिमान होता था। उसी तरह आज जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वे भी नसीबसे ही बुद्धिमान होते हैं। ज्यादा संभव यही है कि उनमें अधिक बुद्धि नहीं होती। जिनमें बुद्धि कम और अहंकारकी मात्रा अधिक होती है, वे ही अक्सर चुने जाते हैं। क्योंकि ऐसे व्यवहारोंमें वे ही पड़ते हैं। बुद्धिमान तो दूर-दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे दुनियापर कम-से-कम सत्ता चलानेमें ही बुद्धिमानोंकी समझते हैं। इसलिए याने अपती इस निष्ठाके कारण ही, राजकाजमें कम दखल देते हैं। अक्सर जो लोग राष्ट्रके नेता बन जाते हैं, वे बुद्धिसे श्रेष्ठ नहीं होते। उस देशकी आम जनताकी बुद्धिसे चाहे उनकी बुद्धि कम न हो। शायद कुछ अधिक भी हो। तो भी वे बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते।

इसके अलावा, उनसे जब कोई सलाह पूछी जाती है, तो उन्हें फौरन जवाब देना पड़ता है। फौरन पूछने और फौरन जवाब देने के शीघ्र अंजार



तैयार हुए हैं। पांच दस मिनिटमें दुनियाभरके कारोवारका जवाब देना पड़ता है। यह कोई हंसीकी बात नहीं है। वेचारे क्या करें? जैसा सूझता है, जवाब देते हैं। इसलिए मैं कहता हू कि कारोवार बुद्धिसे नहीं चल रहा है। सारा नसीबका खेल है।

इसलिए जबसे अमेरिका युद्धमें शामिल हुआ, तभीसे मुझे यह विश्वास हो गया कि यह युद्ध अब मानवके हाथमें नहीं रहा, बल्कि मानव ही युद्धके हाथमें चला गया है। जावा और मलायामें इनकी बुद्धि चकरा गई। सूझबूझ धरी रह गई। तबसे सामान्य मनुष्यको भी यह शंका होने लगी है कि इतना बड़ा साम्राज्य चलानेवालोंमें बुद्धिकी इतनी पोल और व्यवस्था-शक्ति की इतनी कमी कैसे रह गई। सिंगापुर और बर्मामें इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई?

वे कह सकते हैं कि तुम लड़ाईसे दूर-दूर रहते हो, इसलिए ऐसी बातें कर सकते हो। हमें जो सूझता है वह करते हैं। तुम अगर हमारी जगह होते और इतनी बड़ी जिम्मेवारी तुमपर होती, तो हमसे भी ज्यादा गलतियां करते।

मैं कबूल करता हू कि हम काफी भूलें करते। लेकिन मैं यह पूछता हू कि यह जिम्मेवारी आपके सिर पर डाली किसने? वे जवाब देते हैं, “इतिहासने डाली है। पहले ईस्ट इण्डिया कंपनी कायम हुई, इस देशसे तिजारत शुरू हुई, क्लाइवने ब्रिटिश राज्यकी नींव डाली, वारन हेस्टिंग्सने बाकायदा राज्यकारवार जारी किया। इस तरह इतिहासने धीरे धीरे जिम्मेवारी हमें सौंपी। अब हम उसे छोड़ नहीं सकते।”

हम कहते, “अगर आप इतने दूरसे यहां आ सकते थे, तो जा भी नहीं सकते हैं क्या? क्या वापस जानेसे इतिहासके पृष्ठ आपको रोकते हैं? जैसे आनेका इतिहास बना, वैसे जानेका भी तो इतिहास बन सकता है। आनेका इतिहास भद्दा और भयानक है। वापस चले जानेका इतिहास उज्वल और खूबसूरत होगा। उसमें सुन्दरता और नीतिकता होगी। आप ऐतिहासिक जिम्मेवारीके बोझसे नाहक क्यों दबे जा रहे हैं!”

दूसरे राष्ट्र भी इसी ऐतिहासिक जिम्मेवारीके भ्रमजालमें फंसे हुए हैं। वे नहीं जानते कि इतिहास आखिर मानवकी ही करतूत है। इतिहास हमको बनाता है यह कुछ अंशोंमें सही है। लेकिन उसी तरह यह भी सही है कि हम भी इतिहासको बनाते हैं। आज तो ऐतिहासिक जिम्मेवारीका ढकोसला नाहक हमारे सामने रचा जा रहा है? रूजवेल्ट कहता है, "प्रशांत महासागर अमेरिकाकी वगलमें है। उसकी और उसमें वसे हुए टापुओंकी जिम्मेवारी हमारी है।" जापान कह सकता है कि हमारा तो टापू ही प्रशांत महासागरमें वसा हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी विशेष है। इस तरह यह जिम्मेवारियोंका व्यर्थका भगड़ा चलता है।

लेकिन मेरे विचारमें सबसे भयानक वस्तु यह है कि इस हत्याकांडमें आम जनताको निष्कारण दाखिल किया जाता है। जिस जनताको युद्धसे कोई मतलब नहीं है, उसका खून वहाया जाता है, उसके नामपर दूसरे लोगोंका खून वहाया जाता है। यह सारी व्यवस्थापकोंकी करतूत है। उसमें आम जनताका कोई लाभ नहीं है। इसलिए दुनियाभरके व्यवस्थापकोंसे हम कहते हैं कि अब आप व्यवस्था छोड़ दीजिये। तभी हम सुखी होंगे। हम अपने यहांके व्यवस्थापकोंसे प्रार्थना करें। अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, जर्मनी, अपने-अपने व्यवस्थापकोंसे विनती करें। न मालूम वहांके लोगोंको कब सूभेगी। कम-से-कम हम तो शुरू कर दें। हम उनसे कहें कि तुमने हजार सालसे व्यवस्थाके कई प्रयोग किये। हमें कोई सुख नहीं हुआ। आपकी व्यवस्थामें कई उलट-फेर हुए। एकमेंसे दूसरी व्यवस्था कायम की गई। कई क्रांतियां हुईं, लड़ाइयां हुईं। लोगोंका व्यर्थ संहार हुआ। आपने बहुत प्रयोग कर लिये, अब बस कीजिये। ज्यादा-से-ज्यादा अव्यवस्था और पीड़ा व्यवस्थापक वर्ग ने ही दी है। आपने काफी कोलाहल मचा दिया। अब मेहरबानी करके हट जाइये; तो हममें ज्यादा शक्ति आयेगी, दुःख मिट जायगा और सुख होगा।

व्यवस्थापक वर्ग कहता है, तुम्हारी व्यवस्थाके लिए हमारी जरूरत है। हम कहते हैं, हमारी कौन-सी जरूरतें तुम पूरी करते हो? हमें भूख लगती

है। परमात्माकी दी हुई जमीन में हम खेती करते हैं। व्यवस्थापक वर्ग खेती नहीं करता। खेती के द्वारा फसल पैदा करनेकी कला परमात्माकी कृपासे और दस लाख सालके अनुभवसे प्राप्त हुई है इसलिए हमारी भूख मिटानेके लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। प्यास बुझानेके लिए भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। बारिश होती है, जलाशयोंमें पानी भर जाता है। इस तरह हमें जमीनमेंसे अन्न और आस्मानसे पानी मिल जाता है। अब रही हवा। उसके लिए भी व्यवस्थाकी जरूरत नहीं। परमात्माने हर एकको एक-एक नाक दी है। दस आदमियोंको मिला कर एक नाक नहीं दी। ऐसा तो नहीं होता कि एक आदमी अपनी नाकमें हवा बटोर ले और उसे दस आदमियोंमें बांट दे। आपस-आपसके व्यवहारकी भी वही बात है। नीति-शास्त्रसे हमने विवाह करके कुटुम्ब-संस्था बनाना सीखा है। संतोंने हमें पड़ोसी से प्रेम करना सिखाया है। इस प्रकार हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। राज्यव्यवस्थापकोंकेलिए अब बचता ही क्या है ?

सिर्फ एक वस्तु बाकी रह जाती है। किसानकी जितनी फसल होगी, उतनी सारी वह कैसे खायगा। आस्मानके पक्षी और जमीनके चूहे कुछ हिस्सा बंट लेते हैं। लेकिन तो भी अन्नके ढेर लग जायंगे। किसान उनका क्या करेगा ? इसलिए किसानको बोझ कम करनेकी जरूरत है। और व्यवस्थापक-वर्ग उसकी पैदावार का कुछ हिस्सा इसीलिए ले लेता है। हम कहते हैं कि किसानके बोझकी फिर आप न किजिये। वह कम अनाज पैदा करेगा। उसे आराम मिलेगा। उसके लिए उसे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं।

इस तरह जीवनके सभी कार्य व्यवस्थापक-वर्गके बिना ही संपन्न हो जाते हैं तब व्यवस्थापक-वर्ग कहता है, कि हम आपको तालीम देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इधरका सामान उधरले जानेमें मदद करते हैं।

इन कामोंके लिए भी हमें व्यवस्थापक-वर्गकी जरूरत नहीं है। बच्चा आस्मानसे तो नहीं टपकता। वह वे-मां-बापका नहीं होता। पैदा होतेही मांके स्तनमें उसके लिए दूध पैदा होता है। इस तरह मातासे उसे रक्षण

मिलता है। माता ही उसे मातृभाषा सिखाती है। इस प्रकार उसे रक्षा और तालीम मिल जाती है। तालीमके लिए उसे तीसरेके सुपुर्द करनेका सवाल ही कहां है? हां, बच्चा अगर बिना मां-बापके पैदा होता, तो यह सवाल कठिन हो जाता। बच्चेको मां-बापसे जो शिक्षा मिलती है, उससे अच्छी शिक्षा और कहां मिल सकती है? आज तो शिक्षाके नाम पर ढोंग-ही-ढोंग चलता है। अच्छी तालीम किसे मिली, इसका उपनिषदोंमें अच्छा वर्णन दिया है—'मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान्'। 'जिसके माता, पिता और आचार्य हैं, उसने उत्तम शिक्षा पाई है'। पहली दो बातें व्यवस्थापकों द्वारा नहीं मिलतीं। समाजमें ज्ञानी या गुरुका होना भी राज्यव्यवस्था पर निर्भर नहीं है। यह कोई नहीं कह सकता कि फलाना राज्य था, इसलिए अमुक ज्ञानी पुरुष पैदा हुआ। अकबरका राज्य था इसलिए तुलसीदास पैदा हुए हों, ऐसी बात नहीं है। सच्चे ज्ञानी स्वयंभू होते हैं। वे सृष्टिसे ज्ञान लेते हैं। वे शिक्षण-संस्थाओंमें शिक्षा नहीं लेते; ईश्वरकी कृपासे ज्ञानी बनते हैं। खुद शिक्षण-शास्त्र ही कहते हैं कि सच्चे ज्ञानी शिक्षण-संस्थाओंके बाहर ही होते हैं।

तो फिर राज्यपद्धति क्या करती है? वह तालीमका एक ढांचा बना देती है। हुक्मके मुताबिक कुछ बात लड़कोंके दिमागमें ठूसनेकी प्रणाली बना देती है। 'टू ऑर्डर' यानी 'हुक्मके मुताबिक'—माल तैयार करने वाली पाठशालाएं कायम करती है। इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी आदि सभी देशों में यही होता है। इस प्रकार सरकारी तालीम लोगोंको बुद्धिसे गुलाम बनानेके लिए होती है। जर्मनीमें लोगोंको सिखाया जाता है कि हेर हिटलरको ईश्वरका अवतार मानो। हिंदुस्तानमें सिखाया जाता है कि अंग्रेजोंका यहां आना जरूरी था। वे यहां अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तम कार्य कर रहे हैं। उनके आनेसे हिंदुस्तानका फायदा हुआ है। इस प्रकार अपने शिक्षा-विभागके द्वारा सरकार तालीमके कार्यमें बिगाड़ ही पैदा करती है। जितने नये-नये शोध और प्रयोग हुए हैं, सरकारके क्षेत्रके बाहर ही हुए हैं। पैस्टोलॉजी, फ्रेगल, मांटेसरी आदिके प्रयोग सरकारी महकमेके जरिये नहीं हुए।

तब वे अन्त में कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। 'किससे रक्षा करते हैं?' 'परकीय आक्रमणसे।' लेकिन हम पर परकीयों द्वारा आक्रमण ही क्यों होता है? परकीय आक्रमणका यह भूत व्यवस्थापकोंने ही खड़ा किया है। अगर वे हट जायं, तो वह अपने-आप गायब हो जायगा। हम अपने यहांके रक्षकोंसे कहें कि आप हट जाइए। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिकाके लोग अपने-अपने रक्षकोंसे कहें कि आप जाइए, तो विदेशी आक्रमण के हाँवे-का डर नहीं रहेगा। किसी देशकी आम जनता दूसरे देशकी आम जनता पर हमला थोड़े ही करने वाली है? जापानके किसान हिंदुस्तान पर हमला करने थोड़े ही जायंगे? आज सुनते हैं कि अमेरिकाके सवा दो लाख आदमी यहां आये हैं। वे सेनामें भर्ती कर-करके यहां लाये गये हैं। क्योंकि अमेरिकाकी रक्षाके लिए हिंदुस्तान भी एक फ़ण्ट (मोर्चा) है। आज तो सारा संसार ही 'फ़ण्ट' बन रहा है। इस फ़ण्टकी भी कोई सीमा है? ज्योतिषशास्त्रके अनुसार कभी-कभी पृथ्वी भी मंगलकी कक्षामें आ जाती है। तब इन दोनों ग्रहोंके टकरा जानेका डर रहता है। इस दृष्टिसे तो सारा त्रिभुवन ही हमारा मोर्चा है। इसका क्या इलाज? एक ही इलाज है कि हर एक अपनी-अपनी जगह शांतिपूर्वक अपना काम करता रहे और किसीसे न डरे। अपनी कक्षासे बाहर जानेकी किसीको जरूरत ही नहीं है। रक्षाका यही सबसे सफल उपाय है। यह रक्षाका प्रश्न एक द्रुष्टचक्र है। यह हाँवा व्यवस्थापकोंका ही खड़ा किया हुआ है। इस वहाने वे अपने अस्तित्वको हम पर लादनेकी कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, तुमको दूसरोंके आक्रमणसे बचानेके लिए हमारी जरूरत है। हम कहते हैं व्यवस्थापकोंका होना ही आक्रमणकी जड़ है।

हमारी रक्षा करने के वहाने वे फौज रखते हैं। आक्रमण तो कभी-कभार होता है। लेकिन सेनाका उपयोग प्रायः हमको दवानेकेलिए किया जाता है। हम कहते हैं, 'आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं तभी तो हमारे व्यवस्थापक हुए!' अगर हम आपकी बात न मानें, तो हमें समझाइए। उसके लिए लश्करकी क्या जरूरत? आप हमारे मां-बाप जैसे मार्गदर्शक हैं। अपनी बात हम पर लादनेकेलिए आप लश्करकी सहायता क्यों लेते हैं? बाप अपने बच्चेको

कोई बात समझाना चाहे, तो दोनोंके बीचमें एक सिपाहीकी क्या जरूरत ?

शिक्षक अगर लड़कोंसे अधिक बुद्धिमान है, तो बुद्धिहीन लड़कोंको अपनी बात समझानेकेलिए वह क्या अपने पास एक सिपाही रखेगा ? लेकिन होता तो ऐसा ही है । वह अपने पास एक निर्जीव सिपाही, एक छड़ी, रख लेता है । बुद्धिमान शिक्षकका उसके लड़कोंसे संबंध रखनेकेलिए निर्वुद्धि और निर्जीव छड़ी का उपयोग कैसे उपयुक्त हो सकता है ? लेकिन हर एक दर्जे (क्लास) में वह बराबर चलता है । कहा जाता है कि खाने में अगर थोड़ी-सी मिर्च हो तो खाना जल्दी हजम हो जाता है । उसी तरह छड़ीके साथ शिक्षण दिया जाय तो जल्दी गले उतरता है । बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस तरहकी दलीलें देकर शिक्षणमें छड़ी का और राज्यशास्त्रमें लश्करका समर्थन किया जाता है ।

अगर व्यवस्थापक वर्ग बुद्धिमान है, तो समाजमें जो दूसरे दो-चार बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, उन्हें पहचाननेकी अवकल उसमें होगी । वह उन्हें और उनके द्वारा जनताको समझानेकी कोशिश करेगा । उनकी समझमें न आवे, तो फिर समझायगा । बार-बार समझाने पर भी समझमें न आवे, तो सब्र करेगा । सब्र भी तो कोई चीज है ? लोगोंकी समझमें जितना आये, उतनी ही व्यवस्था करेगा ।

लेकिन हमारे व्यवस्थापक तो समझाने की कोशिश नहीं करते । डंडोंसे बातें करते हैं । इसीलिए उन्हें लश्करकी जरूरत जान पड़ती है । इससे स्पष्ट है कि इन व्यवस्थापकोंकी व्यवस्था लोगोंने कबूल नहीं की है । वे उसे जबर-दस्ती लादना चाहते हैं । लेकिन वह खुलकर नहीं कर सकते । इसलिए वहाना बताते हैं कि हम उन्हें दूसरोंके आक्रमणसे बचानेकेलिए लश्कर रखते हैं ।

रक्षणका यह सही उपाय नहीं है । सही उपाय एक ही है । वह यह कि लोग बुद्धिपूर्वक एकत्र होकर शांतिपूर्वक अपना-अपना काम करें, हिल-मिलकर रहें और व्यवस्थापकोंसे कहें कि आप हट जाइए । कम-से-कम हिंदुस्तानके लिए आज ही वह समय आ गया है । हमारे व्यवस्थापकोंको अब फौरन हट जाना चाहिए । हमने भी व्यवस्थाके सिद्धांत अनुभवसे सीखे हैं । हम अपनी कर-

तूतसे उतनी व्यवस्था नहीं करेंगे, जितनी कि व्यवस्थापकोंने की है। इतना ज्ञान तो हमें है। आपकी फौज, अदालतें, टैक्स, वगैरासे हमारा काम विगड़ता है। इनके आभाव में हमारा कुछ नहीं विगड़ेगा। हमारे पास जमीन है, आस्मान है, नाक है, गला है और भगवान् हैं। हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। यह साफ शब्दोंमें कह देनेका मौका आज ही आया है। कम-से-कम हिंदुस्तानके लिए तो आ ही गया है। दुनियाके दूसरे राष्ट्रोंके लिए भी आया है। लेकिन वे जब महसूस करेंगे, तब करेंगे।

सवाल उठाया जाता है कि अगर अंग्रेज चले जायं, तो हिंदुस्तान जापानके हमलेका मुकाबिला नहीं कर सकेगा। मैं कहता हूं, कर सकेगा। लेकिन फिर जापानका हमला होगा ही क्यों। जापान तो इंग्लैंडका शिष्य बन रहा है। साम्राज्यवादका गुरु तो इंग्लैंड है। आज ब्रिटिश लोग कहते हैं कि अब हम साम्राज्यवादको नहीं मानते। श्रीमती रूजवेल्ट कहती हैं कि अब साम्राज्यवादके दिन लड़ चुके हैं। क्यों भाई, क्या इसका भी पहलेसे कोई कैलेंडर बना रखा था? क्या इंग्लैंडकी यह प्रतिज्ञा थी कि उन्नीस सौ ब्यालीसतक ही हम साम्राज्यवादी रहेंगे, बादमें साम्राज्य छोड़ देंगे? यह विचार आज ही क्यों सूझा? मलाया और सिंगापुरमें जो अनुभव हुआ उसका यह परिणाम है। मलायामें इन लोगोंने देखा कि वहां के लोग कोई मदद नहीं करते, जापानियोंसे मिल जाते हैं। इतने दूर-दूरके देश संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब ये कहने लगे हैं कि अब साम्राज्यवादके दिन बीत गये हैं।

लेकिन जापान कहता है कि यहां भी 'मुन्रो डॉक्ट्रिन' लागू करो। मुन्रो डॉक्ट्रिनके माने हैं लूटनेमें स्वदेशी धर्म। जापानके लिए वह एक अच्छा सहारा हो गया है। वह कहता है, कहां मलाया और कहां इंग्लैंड? जावा पर डच लोगोंका राज्य नहीं होना चाहिए। लूटनेके लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। यहींतक इनका स्वदेशी धर्म पहुंच पाया है।

इंग्लैंडने देख लिया कि इतने दूरके देश संभालना मुश्किल हो जाता है। मलायाके प्रकरणसे वह डर गया है। वह कहेगा, हम डरे नहीं, साव-

धान हो गये हैं। लेकिन डर और सावधानीकी सीमा-रेखा ठहराना मुश्किल है। मलायामें जो अनुभव हुआ वही ब्रह्मदेशमें हो रहा है। हिंदुस्तानमें भी वही होनेका डर है। अब उन्हें इंग्लैण्डकी रक्षाकी पड़ी है। वे समझ गये हैं कि हिंदुस्तानकी बचानेकी शक्ति उनमें नहीं है। बेचारा वेवेल तो साफ-साफ कहता है कि हिंदुस्तानका किनारा इतना बड़ा है कि उसकी रक्षा हम नहीं कर सकते। हिंदुस्तानियोंसे भी आशा नहीं कर सकते। क्योंकि उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है।

कोई साम्राज्य अनादि-अनन्त नहीं है। लेकिन साम्राज्यवादका यह स्वभाव है कि वह अपनी प्रतिमा, अपने ही आकार और शक्लकी विरोधी शक्ति, पैदा करके मरता है। एक साम्राज्यकी संतान दूसरा साम्राज्य होता है। उसके बाद तीसरा साम्राज्य आता है। इस प्रकार साम्राज्यवाद बहु-संतानशाली है। इंग्लैण्डके बाद अब जापान आना चाहता है। इन दोनोंकी मुठभेड़ में बेचारे हिंदुस्तानका खात्मा होनेका डर है।

इसलिए अब हमें अपने व्यवस्थापकोंसे ही जान छुड़ानी चाहिए। सिंगापुरमें यह सावित हो चुका है कि उनमें रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं है। इतने बड़े दिग्विजयी कहलाते थे। कहते थे, सिंगापुर ऐसा मजबूत गढ़ है कि यावच्चंद्रदिवाकरौ बना रहेगा। परीक्षित भी ऐसा जवरदस्त किला नहीं बना सका था। वह सात दिन तक किले के अन्दर ऋषिसे ज्ञान-वर्चा करता रहा। मृत्युने उसका वहां भी पिंड नहीं छोड़ा। आप भी दुनिया की रक्षाके ठेकेदार बनकर यावच्चंद्रदिवाकरौ अपना साम्राज्य कायम रखनेकी बातें करते थे। लेकिन परीक्षित की तरह आपका किला भी आठ-दस रोजमें ढह गया। आपको हटना पड़ा। अंग्रेजोंको यह अनुभव हो गया कि दस-दस हजार मीलकी दूरीसे जनताकी मददके बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अंग्रेज कहते आये हैं कि हम आखिरतक लड़ेंगे, हरगिज नहीं हटेंगे। लेकिन हांगकांग और सिंगापुरमें हटना ही पड़ा। आखिरतक लड़नेवाले थे, तो हटनेका मौका ही क्यों आया? वे कहते हैं कि हम आखिरतक लड़ेंगे। शायद उनका यह मतलब है कि हम जब पीछे हटेंगे तभी हटेंगे, उससे पहले



नहीं हटेंगे। इसके सिवा दूसरा कोई मतलब मुझे तो नहीं नजर आता।

फिर कहने लगे कि रंगूनसे हटते-हटते उस शहरमें ऐसी आग लगा दी कि चालीस मीलपरसे तमाशा देख सकते थे। रंगून किसके वापका था? इतनी संपत्ति तवाह हो गई। किसका नुकसान हुआ?

क्रिप्स साहब आये। एक योजना लेकर आये। कहने लगे इसके साथ शादी कर लो। उसे हमारे पल्ले बांधकर हमें लड़ाईमें शामिल कराना चाहते थे। उनकी यह चाल थी कि इस तरह हिंदुस्तानका अनुमोदन मिलनेसे लड़ाईको नैतिक योग्यता मिल जायगी। लेकिन असली लेने-देनेकी बात उधारीकी थी। कहने लगे, लेना-देना लड़ाईकी धूम-धाममें नहीं हो सकता। व्यापारियोंका एक नियम है—देते वक्त 'पहले लिख, पीछे दे, और लेते वक्त पहले ले, पीछे लिख।' इसी व्यापारी सूत्रसे क्रिप्स काम लेना चाहता था। लड़ाईके बाद जो कुछ देना है, दे देंगे, तबतक हम जैसे नचावें वैसे नाचो। कांग्रेसको यह मंजूर नहीं हुआ। गांधीजी फौरन ताड़ गये।

इसलिए गांधीजी अब लेने-देनेकी बात नहीं करना चाहते। वे कहते हैं भगवान् ने यह जमीन हमें दी है, मेहरवानी करके आप यहांसे हट जाइए। तब वे वही पुराना अराजकताका सवाल उठाते हैं। वे तो अव्यवस्था और अराजकताका डर दिखा-दिखाकर ही सत्ताचलाते आये हैं। इसीके भरोसे व्यवस्थापक-वर्ग जनतापर अपना सिक्का जामाता आया है। भविष्यके बड़े भयानक चित्र खींचता है। कहता है, हम चले जायंगे तो हिंदुस्तानमें बड़ा भीषण युद्ध होगा। हमें उसका कोई डर नहीं है। हिंदुस्तानियोंको सोचना चाहिए कि अराजकतासे हमारा और क्या नुकसान होनेवाला है? आजकी व्यवस्था ही पूरी-पूरी अव्यवस्था है। इसके मुकाबिलेमें अराजकता भी व्यवस्था ही होगी।

इसलिए व्यवस्थापक वर्गसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी फिर न कीजिए। अगर आप हट जायंगे, तो आप भी वचेंगे और हम भी वचेंगे। आप इसलिए वचेंगे कि हिंदुस्तानको छोड़नेसे आपकी नैतिक योग्यता बढ़ जायगी, साम्राज्यवाद नष्ट होगा और दुनियाका भला होगा। शायद यूरोपमें भी लड़ाई बंद हो जायगी। और अगर न हुई, तो आप यूरोपको सम्हालिए। दूरकी चिंता

न कीजिए। अपनी सारी शक्ति यूरोपमें केन्द्रित कीजिए। कृपा करके हमारा पिंड छोड़िए। हम अपने यहां ज्यादा-से-ज्यादा व्यवस्था करनेकी कोशिश कर लेंगे।

वापू यही कह रहे हैं। उनकी योजना आगे चलकर क्या आकार लेगी, सो तो मैं नहीं जानता। लेकिन यह महान् वस्तु है। यह सारी दुनियाके लिए लागू है। केवल उसका आरंभ हिंदुस्तानसे हो रहा है। दुनियामें व्यवस्थापकों का तांता-सा लग रहा है। वह जनताके गलेमें तांतके समान प्राण-घातक हो रहा है। सारी दुनियाके व्यवस्थापक अगर अपनी-अपनी जगहसे हट जायं, तो दुनियामें शांति होगी और मानवताका कल्याण होगा।<sup>१</sup>

सर्वोदय : जून, १९४२

: १९ :

## हमारी जीवन-दृष्टि

सत्याग्रह-आश्रम, सावरमतीके सेक्रेटरी श्रीछगनलालजी जोशीने मुझे एक पत्रमें लिखा कि 'तुम्हारे ये जो दो श्लोक<sup>१</sup> हैं वे मुझे बहुत पसंद आये और मैंने उन्हें अपनी प्रार्थनामें शामिल किया है।' वे श्लोक मराठीमें हैं क्योंकि उन्हें लिखते समय मुझे उनके प्रचारकी कल्पना नहीं थी। मैंने वे सिर्फ अपने लिए लिखे थे। इसके सिवा मुझे गुजराती या हिंदी, इतनी—कि जिसमें काव्य-रचना अथवा पद्य-रचनाको जा सके—आती ही कहां है? उन्हें

१. वर्धामें राष्ट्रीय युवक संघ, कांग्रेस सैनिक दल और प्रांतीय नगर संरक्षक दलके समक्ष (२५ मई, १९४२ को) दिया गया भाषण।

२. अहिंसा सत्य अस्त्येय ब्रह्मचर्य असंग्रह।

शरीर-श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन॥

सर्वधर्मों समानत्व स्वदेशी स्पर्शभावना।

हों एकादश सेवावीं नम्रत्वे व्रतनिश्चये॥

लिखकर बहुत दिनोंतक मैं स्वयं उनका केवल चिंतन ही करता था। फिर उन्हें मैंने दोनों समयकी प्रार्थनामें शामिल किया। तत्पश्चात् कन्याश्रमकी एक लड़कीने वे दोनों श्लोक अपनी जरूरत वतलाकर मुझसे लिये। तब वे वहां प्रार्थनामें शामिल हुए। फिर उनका सब जगह प्रचार हुआ। इस सारी प्रस्तावनाका कारण यह है कि मुझे जो कुछ कहना है उससे मैं इसका संबंध वतलाना चाहता हूँ।

ये दोनों श्लोक हमारी विचारसरणिको प्रकट करनेवाले हैं। हमारी विचारसरण यह है कि संपूर्ण जीवन उपासनामय है। यह विचार नया नहीं है, प्राचीन ग्रंथोंमें भी पाया जाता है। और मुझे तो अपने विचारोंको प्राचीनका जितना आधार मिले उतना दिखानेकी आदत होनेका कारण इसे कोई नया कहे या यह कहे कि इसे प्राचीनताका आधार नहीं है तो मैं उस कथनको विलकुल ही नहीं मान सकता। उक्त विचार मुझे पीछे ठेठ वेदोंतक दिखाई देता है। उपनिषदोंमें तो है ही, किंतु गीतामें वह विलकुल स्पष्ट ही दिखाई देता है। इसीलिए तो उसे मैंने “गीता मैया” कहा है। मनुष्यका इस दुनियामें अधिक-से-अधिक प्रेम और हृदयका नाता दिखानेवाले शब्दका मैंने गीताके लिए उपयोग किया है।

यद्यपि जीवन समूचा ही उपासनामय है यह विचार प्राचीन ग्रंथोंमें होनेपर भी मध्य युगमें इसमें फर्क पड़ गया ऐसा जान पड़ता है। कारण, मध्यकालमें यह विचारसरण हो गई थी कि कर्म बंधनकारक है, इतना ही नहीं बल्कि मारक भी है। कर्मका जितना त्याग किया जा सके उतना करो, केवल भिक्षादिक, जो विलकुल ही आवश्यक हो, उतना ही करो, इत्यादि बातें थीं। भगवान्ने गीतामें वतलाया है कि कर्मोंमें बंधन जरूर है और कर्म करने हैं तो उनमेंसे कुछ त्यागने भी पड़ेंगे। परन्तु उस मध्यकालमें उस विचारकी मर्यादा ध्यानमें नहीं रखी गई, कर्मके संबंधमें गलत कल्पना बन गई। मध्ययुगके किसी साधारण अच्छे संतकी भावनाकी जांच की जाय तो यह पाया जायगा कि वह कपड़े सीयेगा, खेती करेगा, पर उसके पीछे विचारद्वारा यह दिखाई देती है कि यह सब पेटके लिए करता हूँ, न कलं

तो दूसरों पर बोझ पड़ता है, जो पड़ना उचित नहीं है। पर यह अधिक बुरा खयाल है। वही भगवत सेवा है यह नहीं समझा जाता था। भावना सारी यह थी कि जो कुछ भजन, पूजन, जप किया जाता है वह तो हरि-सेवा है, और दिनमें किया हुआ काम केवल पेटके लिए है। नतीजा इसका यह हुआ कि दिनमें, व्यवहारमें कुछ अनुचित किया हुआ भी जायज समझा जाता है। शामको या सवेरे पूजापाठ कर लिया, तो बस काफी है। सवेरेके रामपहरमें झूठ मत बोलो, दूसरे वक्त बोलनेमें हर्ज नहीं, इत्यादि कल्पनाएं लोगोंमें रूढ़ हो गईं।

भक्ति-मार्गके भागवत, तुलसी-रामायण, तुकारामगाथा, ज्ञानेश्वरी इत्यादि ग्रंथ बहुत ऊँचे हैं। मुझपर उसका बड़ा असर पड़ता है। कभी किसी समय हृदय विलकुल खिन्न हुआ अथवा मन उत्साहरहित हो गये—मुझे ऐसी स्थिति प्रायः बहुत कम आती है—तो उस समय तुकारामका कोई अभंग, अथवा ज्ञानेश्वरीकी चार ओवियां अथवा रामायणकी चार चौपाइयां पढ़ीं कि मन प्रसन्न हो जाता है। इतना उनका मुझपर असर होता है। तथापि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उन ग्रंथोंको पचाकर हमें समाजको नया दूध तैयार करके देना चाहिए। जैसे गाय चरी, (कड़वी) खाकर दूध देती है, वैसे ही हमें गायका काम स्वीकार करके उपर्युक्त चरी—जो चरी ही की तरह पौष्टिक और मीठी है—खाकर दूध तैयार कर देना चाहिए। क्योंकि वैसा न किया जायगा तो भक्तिके साथ बहुत-सी न पचनेवाली या हमें न रुचनेवाली चीजें भी आ जायंगी, जो किसी तरह भी हमें सहेंगी नहीं। उसके लिए हमें नये ग्रंथ भी लिखने होंगे। मुझे जब ऐसा लगा तभी मैंने 'गीताई' की रचनाका प्रयत्न किया और तत्त्व-ज्ञानके विषयमें अभी कुछ लिखनेका विचार है। वह शायद पूरा हो, संभव न भी हो।

आचरणके बिना भक्ति झूठी है, वह व्यर्थ हो जाती है। आज हालत यह है कि ऊपर 'श्री हरि' लिखकर नीचे जमाखर्चकी वहीमें ५० ) देकर १०० ) के

कागज़पर सही कराने जैसे जमाखर्च करनेमें लोगोंको अटपटापन नहीं मालूम होता। अतः भक्तिके साथ आचरणकी आवश्यकता है।

आजके भक्त अथवा साधुके नियममें कल्पना यह है कि वह कम खानेवाला और काम भी कम ही करनेवाला होना चाहिए। साधुको ज्यादा काम करना ही नहीं चाहिए। कोई साधु अगर वर्तन मांजने लगा तो लोग कहते हैं कि साधुको वर्तन मांजनेसे क्या सरोकार! हमें समूचा जीवन भक्तिमय, उपासनामय करना पड़ेगा। हमारे ये व्रत मेरे मनसे आज तकके हिंदू-धर्मका दूध है। इसके आगेके सौ वर्षोंमें उलका भस्वन नहीं होगा सो नहीं है। होगा भी अथवा जैसे उन पुराने ग्रंथोंमें—विचारोंमें—गंदगी घुस गई है, वैसे ही इसमें भी घुस आई तो अगली पीढ़ी उसे निकालेगी भी। पर आज हमें उसकी फिक्र करनेकी जरूरत नहीं है। आज तो हम उन व्रतोंको भक्तिपूर्वक अमलमें लावें, समूचे जीवनको उपासनामय बनावें, जो-जो व्यवहार हम करें, फिर चाहे वह बाजारका काम हो या रसोई बनानेका अथवा चक्की पीसनेका, सबको भगवत-सेवा समझकर करें तो हमारा काम खतम हुआ। यह हमारा ध्येय होना चाहिए।

: २० :

## विविध विचार

### १—सामूहिक प्रार्थना

व्यक्ति और समूहकी उन्नतिमें कोई भेद नहीं। जब तक सामूहिक उन्नति नहीं होती, तबतक व्यक्तिगत उन्नति भी संभव नहीं। जिस प्रकार एक साफ-सुथरे घरके चारों ओर प्लेग फैल जाय, तो वह साफ-सुथरा घर भी अच्छा नहीं रह सकता उसी प्रकार वायुमण्डल दूषित होने पर कोई व्यक्ति उसे दोषसे बचा नहीं रह सकता। अतः प्रार्थना व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होनी चाहिए। हमारा वैदिक-धर्म भी सामूहिक प्रार्थनाके आधार पर अवलंबित है। गायत्री मंत्रमें प्रार्थनाकी गई है कि हम सब सवितादेवकी

प्रार्थना करते हैं; वे हमारी बुद्धिको शुद्ध करें। यह सामूहिक प्रार्थना है, न कि व्यक्तिगत; क्योंकि ऐसा नहीं है कि, मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी बुद्धि शुद्ध करें।

हमारी प्रार्थना तो सामूहिक होनी ही चाहिए और उसमें स्त्रियां और बालक-बालिकाओंको भी सम्मिलित होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि प्रार्थनामें स्त्रियां सम्मिलित नहीं होतीं। एक गांवमें मैंने देखा कि प्रार्थना में बहुत-से लोग एकत्र हुए थे; किंतु स्त्री एक भी नहीं थी। कारण पूछने पर मालूम हुआ कि केवल एक बाई है, जो प्रार्थनामें आना चाहती है, किंतु अकेली आना उसे पसंद नहीं। प्रार्थनामें स्त्रियोंको भी सम्मिलित होना चाहिए। लोग उन्हें श्रृंगारकी वस्तु समझकर छोड़ देते हैं। किंतु यह मानना भूल है। संपूर्ण गांवके, या किसी संस्थाके, या एक विचारके, या एक परिवारके सभी व्यक्तियोंको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाका स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए। सामूहिक प्रार्थनाका आयोजन हरिजन-संघ, हरिजन-छात्रावास या ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर करना चाहिए, जिससे उसमें हरिजन तथा अन्य लोग अधिक संख्यामें सम्मिलित हो सकें। प्रार्थना प्रारंभ करनेके पूर्व घंटा या शंखकी ध्वनि हो जानी चाहिए, जिसे सुनकर आसपासके लोग प्रार्थनाके लिए समय पर एकत्र हो जायें।  
हरिजन सेवकसे

## २—संतोंका वाना

जगत् ही जो ठहरा; लोग चटसे कह गुजरते हैं, कि तलवारसे तो तलवार लेकर ही लड़ा जा सकता है। उसके विना काम नहीं चलता। किंतु यह उनकी वाणी है, जिनके पास तलवार नहीं है। कितनी ही वार जो वस्तु हमारे पास नहीं होती, हम उसकी बाजार दर बढ़ा दिया करते हैं। हमारी दशा भी वैसी ही है। हमारे मनमें तलवार क्यों है? इसलिए कि वह हमारे म्यानमें नहीं है। यदि म्यानमें तलवार होती तो मनमें उसके लिए मोह क्यों होनेवाला था?

मोह न हुआ होता, और वह इसलिए, कि सच्ची बात हमारी समझमें आ गई होती। यदि हमारे तलवार-बहादुर पूर्वज हमारे मुंहसे यह सुन लेते, कि तलवारसे तलवार लेकर लड़ा जा सकता है, तो उनकी हंसी रोकें न सकती। इसलिए कि उन्हें लड़ाईका अनुभव था। उन्हें मालूम था कि लड़ा 'ऐसे' जाता है। उन्होंने हमें स्वाभाविक समझा दिया होता कि 'बाबा, तलवारसे ढाल लेकर लड़ा जाता है।' जिस समय लोग 'त' कहनेसे तलवार समझ जाते थे, उस समय लोगोंको लड़नेकी यह कला मालूम थी। अब तो हम 'त' कहनेसे 'तंडुल-मट्ठा' समझते हैं, तब हमारे गलेमें यह बात कैसे उतरे ?

हम कहते हैं, जैसेको तैसा होना चाहिए। मगर हम मतलब समझा ही कहां करते हैं ? जैसेको तैसेका अर्थ तो इतना ही है कि जितनी पैनी हमारे दुश्मनकी तलवार हो उतनी ही सख्त हमारी ढाल हो। तब तलवारसे तलवार लेकर लड़नेकी बातको, जैसेको तैसा कहें, तो यह क्या हमारी मंदबुद्धिका द्योतक नहीं है ? तलवारसे तो ढाल ही लेकर लड़ा जा सकता है, पर ढालके सहन करनेकी शक्ति तलवारकी प्रहारक शक्तिसे हार खानेवाली नहीं होनी चाहिए। शत्रुके प्रश्नोंमें यदि पांच सेर क्रोधके अंगारे भरे हों, तो हमारे पास भी पांच सेरसे कम प्रेमका पानी न होना चाहिए। शिक्षक अपने बालकोंके अज्ञानसे लड़ता है। यदि वह जैसेको तैसाका मनमाना तत्त्व-ज्ञान ग्रहण कर ले, और बच्चोंसे कहने लगे कि "तुम्हारी समझमें यह जरा-सी बात नहीं आती, तो मेरी समझमें क्यों आनी चाहिए ? और यदि तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देते, तो मैं फिर तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर क्यों दूँ ? तुम अगर अज्ञानका बोझ ढो रहे हो, तो मैं ही अकेला ज्ञानका बोझ क्यों ढोऊँ ?" तो इसका उत्तर यही है कि बच्चे अज्ञानका बोझ ढो रहे हैं इसीलिए तुम्हें ज्ञानका बोझ ढोनेकी खास आवश्यकता है। अज्ञानसे ज्ञान लेकर ही लड़ा जा सकता है। जैसेको तैसेका अर्थ यहां केवल इतना ही है, कि तोड़से जोड़ मिलनी चाहिए। हमारे सामनेके आदमीका अज्ञान जितना गहरा हो हमारा ज्ञान भी उतना ही गंभीर होना चाहिए। यही कारण है कि ज्ञानकी मापपर जीनेवाले

देशोंमें अज्ञानी-से-अज्ञानी वालकोंकी श्रेणीको पढ़ानेके लिए उच्च-से-उच्च ज्ञानवाले शिक्षक रक्खे जाते हैं। पुराण-कालके युद्धोंमें भी तो एक बात सुनी जाती है। यदि एक मेघके अस्त्र फेंकता था, तो दूसरा उसके बदले मेघके अस्त्र नहीं फेंकता था, वह तो वायुके अस्त्र फेंकता था। बादलोंकी चढ़ाईमें बादल ही भेजे कि बादलोंपर बादलका वर्ग हुआ और हुआ गहरा अंधकार। और वायु भेजी कि एक-एक करके बादल तितर-वितर। अज्ञानके मस्तकपर अज्ञानके ही कीले ठोंकनेसे फायदा ? अज्ञानको तो ज्ञानसे दूर करना चाहिए।

जिसे व्यवहारकी थोड़ी-सी भी जानकारी है, उसे इसवातके समझनेमें कुछ भी अड़चन नहीं पड़नी चाहिए। अंगारे बुझाने हों तों पानी डालना चाहिए। अंधेरा हटाना हो तो दिया जलाना चाहिए। यह वैध विरोध किसकी समझमें नहीं आता ? और यदि ये बातें समझमें आती हैं, तो संतोंकी यह वाणी क्यों समझमें नहीं आती, कि क्रोधको प्रेमसे जीतना चाहिए; बुराईको भलाईसे जीतना चाहिए; कंजूसपनेको दरियादिलीसे जीतना चाहिए; खोटेको खरेपनसे जीतना चाहिए ? ये सब भी व्यवहारकी बातें हैं। हमारी समझमें तो तब आवें, जब हम विचार करें। हम अपने ही मनमें अगर खोज करें, तो हमें सब बातोंका पता चल जाय।

ह० से०, २ जून १९३४

### ३—निष्ठाकी कमी

गांधी-युगके साहित्यकी हलचलमें अनेक गुण हैं; पर एक दोष भी है। जितने उत्साहसे, प्रेमसे, निष्ठासे मध्य युगमें संत प्रचार करते थे, मुझे बहीं दीखता, कि हम उसी निष्ठासे विचार-प्रचारका कार्य कर रहे हैं। जबर-दस्तीसे, रिश्वतसे, अहंकारसे, उत्साहके अतिरेकसे और जल्दवाजीसे मिशनरीकी तरह एकांगी, अंधवृत्तिकी तरह आप विचार-प्रचारका कार्य करें, ऐसी बात मैं नहीं कहता। वह बुरी है, परंतु निष्ठावंत संत, गांव-गांवमें जाकर हरि-नाम ध्वनिकी गूंज मचा देते थे, वह हम नहीं करते। वैसा निष्ठावंत प्रचार वर्तमान हलचलमें नहीं है। ये बातें मुझपर भी लागू होतीं।



हैं। संतोंका-सा उत्साह आज चाहिए। आजकी हलचलमें योग्यताकी कमी नहीं। उद्धारका जो कार्य संतोंने किया उसी कार्यको आगे खींचा जा रहा है। परंतु संतोंमें जो निष्ठा थी वह असीम थी—वह उनमें समाती न थी—वह फूटकर बाहर फैलती थी। उस तीव्रताकी, उस वेगकी निष्ठा आज नहीं मिलती। पानी कहीं-न-कहीं रुक गया है। बरसता है, पर वह नहीं रहा—वह फैलता नहीं, जलाशय नहीं बनाता, प्रवाहित नहीं होता, खेती हरी-भरी नहीं होती।

नारद तीनों लोकमें फिरता। वह नीचे दरजेके लोगोंमें घूमता, मध्यम श्रेणीके लोगोंके बीच जाता, उच्च श्रेणीके लोगों तक पहुंचता, यही तो लोक-समुदाय है। एक मित्रने मुझसे कहा कि आजके समाचार-पत्र नारद हुए। परंतु ये नारद, नारद न हुए के बराबर हैं। इसमें पैसे देनेकी व्याधि है, समझ लेनेकी उपाधि है। परंतु देवर्षि घर-घर अपने आप जाता, मधुर वाणीमें अपने विचार लोगोंके गले उतारता और फिर उन्हींका आभार मानता। जो विचार सुनते, उन्हींका वह उपकार मानता। नारदको मालूम होता कि उसे आज भगवद्दर्शन हुए। आज देवर्षिका वही काम ठीक-ठीक नहीं हो रहा है। हो कैसे, हमारे हृदयमें वह प्रतिबिंबित ही नहीं। खादी, अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय विचार, सबके प्रचारके लिए व्यक्ति चाहिए, किंतु इन विचारोंका तत्त्वज्ञान ही हमारे पास काफी नहीं—हमारी जानकारी भी पूरी नहीं। जानकारी न होना अज्ञान है, किंतु जानकारीकी प्राप्तिमें लापरवाह रहना दोष है। वापूने अभी एक छोटा-सा लेख लिखा था। उस लेखका आशय था कि हिटलर भी जर्मनीमें यंत्रोंके महत्त्वको कम कर रहा है और मध्य युगके समान ही वर्तमान युगमें वह घरू उद्योग-धंधोंको प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने एक भले कार्यकर्तासे पूछा “आपने वह लेख पढ़ा है?” उन्होंने उत्तर दिया, “नहीं”। कितनी ही बार ज्ञानको सम्मुख पाकर हम कह देते हैं “नया क्या होगा!” यह कल्पना ही घातक है। महाभारतके ‘वन-पर्वमें’ एक ऋषि धर्मराजके पास आये। धर्मराज वनमें दुःख भोगते थे। धर्म, दुःखकी घड़ियोंकी उस कहानीको पाते रहते, किंतु करुणामय ऋषिको

पाकर धर्मका दुःख वाणीके द्वारसे वह निकलता। वह कहते—“ऐसे दुःख किसीने न भोगे होंगे।” ऋषि कहते “राम और सीताको भी ऐसा ही वनवास भोगना पड़ा था।” धर्म कहते, “जरा वह रामकी कथा तो कहिए।” यदि इन बातोंपरसे कोई कहे कि धर्मको रामकी कथा मालूम न थी, तो उस व्यक्तिकी इसे अज्ञान-सीमा ही समझनी चाहिए! धर्मको दीखता कि ऋषिके मुखसे पुनः रामकी उज्ज्वल कथा सुननी चाहिए। पानी वही है, परंतु जो ‘गोमुख’में आया, कि अधिक पवित्र हुआ।

ह० से०, ३० मार्च १९३४

### ४—सेवकका पाथेय

वर्षका ग्राम-सेवा-मंडल, वर्षा तहसीलमें ग्राम-सेवाके कार्यका छोटे पैमाने पर एक व्यवस्थित प्रयोग कर रहा है। इस संस्थाकी ओरसे वर्षा तहसीलके १२ गांवोंमें काम हो रहा है। इस वर्षकी अपनी वार्षिक बैठकमें उसने काफी वादविवादके बाद नीचे लिखा एक प्रस्ताव स्वीकार किया—

“ग्राम-सेवा-मंडलकी ओरसे देहातमें काम करनेवाला प्रत्येक मनुष्य (१) प्रतिदिन कम-से-कम आठ घंटे शारीरिक श्रम करनेवाला और प्रतिदिन चार आनेमें अपना जीवन-निर्वाह करनेकी तैयारी रखनेवाला होना चाहिए, और (२) किसी भी परिस्थितिमें, कहींसे भी सपरिवार पूरा काम करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके आठ आना प्रतिदिनसे अधिककी अपेक्षा न रखनेवाला होना चाहिए।

“१ नवंबर, १९३५ से एक वर्षतक जो ग्राम-सेवक चर्खासंघके भावसे सूत कातकर जितनी मजदूरी कमायेगा उतनी ही अतिरिक्त मदद और लेनेका उसे अधिकार रहेगा।”

मुझसे यह कहा गया है कि इस प्रस्तावपर मैं अपना भाष्य लिखूं। प्रस्तावका स्वरूप इतना क्रांतिकारक है कि लोगोंके लिए उसके भाष्यकी अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। इसका भाष्य यदि हुआ, तो वास्तविक व्यवहार द्वारा होगा, शब्दों द्वारा नहीं। तथापि साहित्यके ऋणसे उन्मूढ होना भी आवश्यक है, अतः नीचे थोड़ेमें कुछ लिखता हूं।

प्रस्तावके पूर्वार्द्धमें शारीरिक श्रम और ऐच्छिक गरीबीका तत्त्व स्वीकारा गया है। एक-न-एक कारण खड़ा करके अवतक हम शारीरिक श्रमसे बचनेका प्रयत्न करते रहे हैं। संसारमें फैली हुई विषमता, ऊंच-नीचके विचार, गुलामी और हिंसा, ये सब विशेषकर उस आर्थिक पापके परिणाम हैं, जो शारीरिक श्रमसे बचनेके प्रयत्नमें हम अवतक करते आये हैं। बच्चे और बूढ़े शारीरिक श्रम न करें, विद्यार्थी और अध्यापक शारीरिक श्रम न करें, जो रोगी और असमर्थ हैं वे तो कदापि न करें, निरुद्योगी और उच्चाद्योगी भी न करें, संन्यासी और देशभक्त भी न करें, विचारक, प्रचारक और व्यवस्थापक भी शारीरिक श्रम न करें; तो आखिर करें कौन ! वे, जो अज्ञानी हैं और पीड़ित हैं ? प्रस्तावके पूर्वार्द्धमें इसी वस्तुका परिचय कराते हुए यह कहा गया है कि जबतक हम इस भयंकर स्थितिसे अपना पिंड न छुड़ा लेंगे, तबतक दूसरी कोई भी स्थापना, सिद्धांत, वाद, व्यवस्था, और रचनासे हमारा निस्तार न होगा। मनुके शब्दोंमें यह अर्थ-शुचित्वका एक प्रयत्न है।

प्रस्तावके उत्तरार्द्धको 'काम-शुचित्वका प्रयत्न' कहा जा सकता है। स्त्रियोंको अपनी भोग्य सामग्री समझकर एक ओर उनसे अपनी पूरी व्यक्तिगत सेवा करवाना और दूसरी ओर उन्हें अपना भार समझकर उस भारको समाज-सेवापर लादना, एक ऐसी वृत्ति है, जिसमें सेवाका केवल नाम-मात्र रह जाता है। इसके कारण स्त्रियोंकी अद्भुत शक्तको कोई अवकाश नहीं मिलता और समाज-सेवाका कार्य एकांगी और महंगा होता जाता है। यदि कुटुंब अथवा परिवारकी व्याख्यामें कुटुंबको समाज-सेवाके लिए संगठित एक सहज, स्वयंभू पूर्ण एवं सहायक मंडल मान लिया जाय, तो कुटुंब समाजके लिए भाररूप न रह जाय; उल्टे समाजका उपकारक बन जाय।

अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्व दोनों सेवा-धर्मके सच्चे साधन हैं और साध्य भी यही हैं।

जो लोग इस गरीब और पीड़ित देशकी सेवा उत्कट लगनके साथ करना चाहते हैं, वे यदि इस मर्मको समझ लें कि अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्वके

विना वास्तविक सेवा हो ही नहीं सकती, तो मुझे आशा है कि दोनों तत्त्वोंकी सिद्धिके लिए—फिर ये कितने ही कठिन क्यों न प्रतीत हों—प्रयत्न करनेमें अपनी ओरसे वात उठा न रखेंगे।

प्रस्तावका अंतिम भाग उन सेवकोंकी अतिरिक्त सहायताके लिए है, जो आमसेवाके क्षेत्रमें प्रवेश किया चाहते हैं या नये-नये प्रविष्ट हुए हैं। महाराष्ट्र-चर्खा-संघने प्रेमपूर्वक, साहसपूर्वक और संकोचपूर्वक कुछ ऐसी व्यवस्थाकी है कि जिससे कातनेवालोंकी बढ़ी हुई मजदूरीके रूपमें ९ घंटे काम करनेपर ३ आने मिलेंगे। यह मजदूरी पर्याप्त तो नहीं है। अपने पिछले ४॥ महीनोंकी कताईके लगातार अनुभव परसे मैं कह सकता हूँ कि इस बढ़ी हुई दरके अनुसार भी ९ घंटेमें ३ आने कमाना साधारणतः कठिन ही होगा। अपने इस कथनकी पुष्टिके विवरणमें मैं यहां नहीं उतरूंगा, यद्यपि विवरण मेरे पास तैयार है। किंतु इस स्थितिमें भी सेवकोंको तो उसी तरहका जीवन विताना चाहिए, जिस तरहका जीवन देशकी गरीब और अनाथ स्त्रियां आज विताना रही हैं। तथापि जबतक सेवाकार्यका रहस्य अपने-आप स्वयं स्फूर्तिसे प्रकट न होने लगे, तबतक सेवाके संशोधन और चिंतनके लिए प्राथमिक अवस्थामें सेवकको सेवा-कार्यके अतिरिक्त थोड़ी फुरसत मिलनी चाहिए। इस अतिरिक्त सहायताका यही हेतु है। आगे तो जब सेवक स्वयं चिंतनमें मग्न रहने लगेगा, तो संत तुकारामके शब्दोंमें वह भी यह गुणगुनाने लगेगा कि “चिंतनासी न लगे बेल। सर्वशलकरावें।”

ह० से०, २१ दिसम्बर १९३५

### ५—तकलीकी उपासना

स्नान और प्रार्थनाके पश्चात् तकली-उपासना। रोज आध घंटे मौन धारण करके तकली चलानी चाहिए। कल तकली कातते हुए पूछा गया कि यहां कितने लोग तकली चलाते हैं? उत्तर मिला—दो सौ। मुझे आंकड़े नहीं चाहिए थे। मैंने तो सहज ही पूछा था। यह तो गंगोत्रीका प्रवाह है। प्रारंभमें अत्यन्त छोटा दीखता है पर आगे इतना प्रचंड हो जाता है कि

माप-जोखकी सुविधा ही नहीं रह जाती। उसमें केवल डुबकी ही लगानी होती है। तकली विलकुल छोटी दीखती है, परंतु उसकी शक्ति अनंत है। वह चाहे जहां पहुंच सकती है। घरमें वह और हाथमें भी वह; माता-जैसी ही कहो न! तुम कैसे ही उसे रक्खो, वह कभी कोई शिकायत नहीं करने की? गुम हो जाय तो उसके गुमनेकी शिकायत नहीं। यदि हम उसकी परवाह करें तो उसमें इतनी शक्ति है जितनी और किसी यंत्रमें नहीं। तकली हमारी हलचलका, हमारे आंदोलनका राम नाम है। कहते हैं कि मोक्ष वेदों पर खड़ा है। तब जिनकी पहुंच वेदोंतक नहीं है वे मोक्ष तक क्यों पहुंचने लगे? उस समय संतोंने राम-नामका प्रचार किया। दो अक्षरोंका शब्द, पर उसमें कैसी शक्ति! घर-घर नामका प्रचार हुआ और भक्ति-भावकी वाढ़ आने लगी। हनुमानकी एक बात कहते हैं। वह कूदकर लंकापर चढ़ गए, पर देखा तो उतरनेके लिए जगह नहीं! रातभर हवामें भटकते रहे। सारी लंका राक्षसोंकी। वहां जगह कहां मिलनेको थी? इतनेमें भटकते-भटकते एक मकानमेंसे राम नामका स्वर सुन पड़ा। सुनते ही कितना आनंद हुआ हनुमानको। ताली बजाकर नाच उठे और पुकार उठे—‘मिल गई, मिल गई, मेरे अधिकारकी जगह।’ यही जगह मिली, इसीलिए हनुमान आगेका पराक्रम दिखा सके, नहीं तो सारी छलांगें व्यर्थ जा रही थीं।

तकली, देश-सेवाके पथिकको ऐसी ही अधिकारकी जगह है। जिस घरमें वह दीख पड़े वहां निःशंक प्रवेश कर जाओ और चना-चबेनामें साथ हो जाओ। वहां प्रवेश किया कि तुम्हें दीख पड़ेगा कि तुम चक्कर काटकर अपने ही घरमें आ गए। संख्या चाहे जितनी छोटी हो किंतु यदि उसका गुणक बड़ा हुआ तो गुणाकार बड़ा हो ही जाता है। तकली छोटी-सी है किंतु वह करोड़ोंके गुणक बननेके लिए सुलभ है। यह उसका सामर्थ्य है।

आज तो तकलीके पीछे एक मंत्रभी बन गया है। मंत्रके मानी साहित्यकों की वकभक नहीं है। मंत्रके मानी हैं तपश्चर्याके पेटमें निवास करनेवाली मूल वस्तु। तकलीके लिए अनेकोंने खूब तपश्चर्या की। बेलगांव जेलमें काका (कालेलकर) साहेबने तकलीके लिए ग्यारह उपवास किये। यरवदा जेलमें

कोमलवयके दांडेकरने वाईस उपवास किए। मेरे भाईने पेटका आपरेशन होनेपर भी पड़े-पड़े तकलीपर १६० तारोंकी एक लट्टी कातनेका नियम टूटने नहीं दिया। वापूका वायां हाथ प्रायः निरूपयोगी हो गया है तब भी तरुण विद्यार्थीको लज्जित करनेवाले उत्साहसे वे अपने वायें हाथसे यह प्रयत्न करते रहते हैं कि आधे घंटेमें तकलीकी एक अमुक गति होनी चाहिए।

मनुष्य प्राणीको अर्द्धहत्याकी आदत लग गई है। जानवरोंको मारना प्रारंभ करके हमने आधी सृष्टि मार डाली, अस्पृश्यादि जातियां निर्माण करके आधी मनुष्य जाति मार डाली, स्त्रियोंको पुरुषोंसे अलग करके कुटुंबोंको आधा निरूपयोगी कर दिया और बाएं और दाएंका भेद करके हमने अपना आधा अंग मार डाला। अर्जुनको यह बात सहन नहीं हुई थी। उसका प्रण था कि यदि मुझे दोनों हाथोंसे धनुष चलाना न आया तो मैं धनुर्धारी कैसा? गीतामें भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि “निमित्त मात्र” हो। परंतु उसके साथ ‘सव्यसाचिन्’ का विशेषण लगाया है। निमित्त मात्र हीके मानी हैं कि दोनों हाथोंसे काम करे। प्रभुके हाथका शस्त्र बन रहना साधारण बात नहीं है। जो अपनी संपूर्ण शक्तिका उपयोग करेगा वही प्रभुके हाथका शस्त्र बन सकेगा। वह मुरली, अपना अहंभाव ही भूल गई। जली, वदनके आरपार छेद हो गए, उसी दिन प्रभुका चुंबन नसीब हुआ। सौ फीसदी काम करनेका व्रत लेनेवाले ही सच्चे निरहंकारी हैं। कम काम करके प्रभुकी सहायता मांगनेवाले अब अहंकारी हैं।

ह० से०, ११ मई १९३५

### ६—तिल-गुड़ लो, मीठा वो लो

गत वर्ष ता० २५ दिसंबरको, अर्थात् महात्मा ईसाकी पुण्यतिथिको, मैं यहाँ आकर प्रस्थापित हुआ। मेरे मन इस वर्ष भरमें मैं कुछ भी नहीं कर पाया। हमने हजारों वर्षोंतक हरिजनोंपर जो जुल्म किए हैं, वे यदि तराजूके एक पलड़ेपर रक्खे जावें, और दूसरे पलड़ेपर हमारी सेवा रक्खी जाय, तो वह ‘शून्य’ के बराबर ही रहेगी।

हम स्वयं कायर, शूद्र, असमर्थ और अत्याचारी हैं। हमें तो अभी अपना कार्य प्रारंभ करना है। इसीलिए आज संक्रांतिका त्यौहार मनाया जा रहा है। “तिल-गुड़ लो और मीठा वोलो।” मीठा वोलना कम-से-कम है, जो मनुष्य कर सकता है। कुछ न दे, परंतु मीठा तो प्रत्येकको वोलना ही चाहिए। मैंने भी मीठा वोलनेके सिवा वर्षभर कुछ नहीं किया। मुझे पहलेसे, लगभग ५० वर्षसे, महात्माजीने हमें क्या सिखाया? हमें मीठा वोलना सिखाया। ‘हरिजन’ के मीठे नामका शोध लगानेसे ही, उन्होंने अपने मीठी वाणीका प्रारंभ किया। मेरी यह श्रद्धा है कि मंत्रसे सांप उतर जाता है। ‘हरिजन’ शब्दमें गुंथे हुए मंत्रने परिस्थितिमें कितना अंतर पैदा कर दिया! सब प्रांतोंसे पिछड़ा हुआ मद्रास, जहां अछूत को २८ फीट दूर खड़ा किया जाता है, और जहां उसकी छाया से भी छूत मानी जाती है, वहां भी इस महामंत्रकी मिठासका प्रभाव दीख पड़ता है।

जिस देशके पुरुष इतने पीछे हों, वहांकी स्त्रियां कितनी पिछड़ी होंगी? परंतु जब गुरुवायूरके मंदिरके द्वार अछूतोंको लिए खुले रहनेके विषयमें मत लिये गए, तब १००० स्त्रियोंने मत दिया कि वह मंदिर हरिजनोंके लिए खोल दिया जाय। यही तो मंत्रका प्रभाव है।

जब हम हृदयसे मीठा वोलना सीखने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार भी मीठा होने लगता है। इसी तरह मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मेरी सेवाका अभी श्रीगणेश भी नहीं हुआ, तो भी मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरा तुमपर प्रेम है। मैंने भेद-भाव नहीं रक्खा। मेरी मां, यद्यपि पुराने जमानेकी थीं, परंतु उन्हें अस्पृश्यता रुचती न थी। मेरा जन्म असल ब्राह्मण-परिवारमें हुआ है। आज ब्राह्मण होना पापरूप हो गया है। तो भी मुझे शर्म नहीं मालूम होती। राम तो सब ओर रम रहा है। भेद-भावका अभाव, यह मेरी कमाई नहीं है। यह तो मां ‘गीता’का प्रसाद है। आज भी मुझे, ‘काली कमली ओढ़े और लंगोटी लगाये हुए, इंटपर, महारूपमें खड़ा हुआ ‘नारायण’ दीख पड़ता है। यही क्यों, जब गांवके छोटे-छोटे हरिजन बालक, मेरी कुटियाके पास आकर ऊबम करते हैं, गड़बड़ मचाते हैं, तब मुझे ऐसा मालूम होता है,

कि स्वयं भगवान् विट्ठल आकर मेरे साथ छेड़-छाड़ कर रहा है। उन बालक-बालिकाओंमें मुझे प्रत्यक्ष नारायण दीख पड़ता है। मैं तुम्हें यह कैसे बताऊँ, कि तुम मुझे कितने प्यारे हो।

ह० से०, फरवरी १९३५

### ७—हमारी मूर्ति-पूजा

जो सब ओरसे तुच्छ माना जाता है, जिसके न स्थान होता है न सम्मान, जिसकी अवहेलना, जिसका तिरस्कार दुनिया करती है उसे भगवान् अपने हाथों लेता है। उसे वानर चाहिए, ग्वाले चाहिए, निरभिमानी मावले चाहिए। परन्तु अब आप मावले नहीं रहे। हम बड़े हैं, महाशय हैं। ईश्वरको यह नहीं चाहिए। जिन्हें गालियाँ मिल रही हैं, जो परित्यक्त हैं, ऐसे चुने हुए लोगोंको लेकर भगवान् अपना काम कर लेगा। यदि हम चाहते हों, कि प्रभुका कार्य हमारे हाथों हो, तो—

करि मस्तक टंगणा । लागे संतांचा चरणा ॥

यानी, “मस्तक नीचा करो, इतना नीचा कि वह संतोंके चरणों पर जा लगे।” यह हमें सीख लेना चाहिए। जो वर्षा हो रही है, उसे रोकने के वजाय उसका उपयोग करना चाहिए।

कई बार मेरे मनमें आया है कि मैं गांवोंमें घूमता फिरूँ। जेलसे छूटते समय भी यही विचार था। परन्तु आज तो परिस्थिति ही भिन्न है। मुझे उसका भी दुख नहीं। जो स्थिति प्राप्त होती है, उसमें मेरे आनंदका निवास होता है। मेरे पैरोंको गति कब मिलेगी, कह नहीं सकता। एक बार गति मिली कि वह ठहरेगी, ऐसा भी नहीं दीखता।

गांवोंमें हमारे व्यक्ति घूमते रहने ही चाहिए। अस्पृश्यता धार्मिक हलचल है। वह कोने-कोनेमें पहुंचनी चाहिए। गांधीजी देशभरमें घूम लिये—इतना ही काफी नहीं। हजारों उस कामको अपने कंधोंपर ले लें। व्याख्यान नहीं, आहुति दीजिए।

गांवोंकी जनता महादेव है—वह स्वयंभू महादेव है। वह गांवोंहीमें



रहेगा यदि तुम इस महादेवके पूजक हो तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। वीस-वीस गांव ले लिए और लगातार घूमने की धूम मचा दी। भक्तसे जब भगवान् लक्ष्मीनारायणके मंदिरकी एक हजार प्रदक्षिणा करनेके लिए कहा जाता है तब उसमें भक्तको कुछ अनुचित नहीं मालूम होता। तो फिर जनता रूप महादेवके पूजनमें भी भक्तका वह उत्साह क्यों न होना चाहिए? देवता की एक प्रदक्षिणा करके भक्त एक बार देवताका दर्शन करता है और फिर दूसरी बार प्रदक्षिणाके लिए चल देता है। फिर दर्शन, फिर प्रदक्षिणा; यही उसका क्रम होता है। जनसेवकोंको भी चौदह दिनोंमें चौदह गांवघूमने चाहिए। पंद्रहवें दिन प्रधान केन्द्रमें अपनी जानकारी देनी चाहिए। और फिर दक्ष होकर प्रदक्षिणापथमें लगना चाहिए। भक्त जब प्रत्येक परिक्रमा में प्रभु-मूर्ति की ओर देखता है, तब उसके हृदय पर मूर्ति खिंचती जाती है; हृदयपर जमती जाती है; उसका 'स्वरूप' ध्यानमें आता जाता है। स्वरूप ध्यानमें आते ही यह समझमें आता है, कि इस देवताकी भक्तिका पथ क्या है; पूजाकी सामग्री क्या है। उस समय यदि मैं भक्त होऊं तो देवतासे एक रूप हो जाता हूं। मेरा हृदय देवताके हृदयसे मिल जाता है। तभी देवताकी कृपा होती है; उसका अनुग्रह होता है।

लोक-सेवा हमारी मूर्ति-पूजा है। ५-२५ गावोंका संग्रह हमारा महामन्दिर है। गावोंमें क्या-क्या है, उसकी हम फेहरिस्त बना लें; मनपर भी, कागजपर भी। फेहरिस्त हम जन-सेवकोंको दे दें; वे देवताका स्वरूप समझ लें। जान लें, वह दिगंबर हो गया है, धूल लिपट रही है, सिरसे पानी बहता है, केवल वैल ही उसके पास संपत्ति रह गई है और जंगलका निवास। जनसेवक जान लें कि देवताका स्वरूप क्या है, चेहरा कैसा है, भाव कौन-से हैं, उसकी रुचि और अरुचि की वस्तुएं क्या हैं और उसका नैवेद्य क्या हो गया है और उसपर कौनसे पुष्प चढ़ते हैं। परिचय हुए बिना पूजा न बनेगी। ऐसा न करनेपर शिवपर तुलसी होगी, विष्णुपर वेल-पत्र ! देवपूजामें जल्दवाजी नहीं चलती। तुम्हें शीघ्रता हो, पर देवताको जल्दी नहीं पड़ी। वह शांतिका अवतार है। उसपर इकट्ठा घड़ा उड़ेलनेसे काम नहीं चलेगा;

उसे तो विन्दु-विन्दुकी चाह है। एकदम उड़ैलनेकी अपेक्षा वह तो सतत चारा जारी रखनेसे ही प्रसन्न होता है।  
ह० से०, ६ अप्रैल १९३४

### ८—मृत्युरूपी वरदान

सचमुच मृत्यु ईश्वरकी ही देन है। जब हमारे निकटतम नातेदार, मित्र, कोई भी हमें दुःखोंसे नहीं बचा पाते, तब वही छुटकारा देती है। मृत्युमें जो दुःख माना जाता है, वह वास्तवमें जीवनका दुःख है। रोगादिकसे होनेवाला दुःख मृत्युका नहीं जीवनके असंयमका फल है। मृत्यु तो उनसे हमें छुटकारा दिखलानेवाली है। मृत्युका उनसे संबंध नहीं है।

अतः मृत्युके सिर व्यर्थ मढ़े जानेवाले इस शारीरिक दुःखको वाद दे दिया जाय तो और दो दुःख बाकी बच जाते हैं। एक पूर्व-पापोंकी स्मृतिसे होनेवाला दूसरा निकटस्थ जनोके विछोहकी आसक्तिसे होनेवाला। पहलेके लिए मृत्यु कैसे जवाबदेह है? वह जीवनके पापोंका फल है। दूसरा मोहका है। यदि हमारा प्रेम सच्चा हो और सेवाकी तड़पन हो, तो देह त्यागनेसे हम मित्रोंसे दूर नहीं जानेके, बल्कि निकट पहुंचेंगे— ठेठ उनके भीतर प्रवेश पायेंगे। देहका परदा मौजूद रहते, किसी तरह भी हम इतने अन्दर नहीं जा सकते थे। कितनी ही गहरी सेवा हो वह ऊपरी ही होती है। देहका परदा दूर हो जानेसे अब हम दूसरेकी अंतरात्तामें घुलमिलकर उसकी सेवा कर सकते हैं। पर सेवा करनी हो तबकी यह बात है। अर्थात् इसके लिए निष्कामता चाहिए।

और एक दुःख बाकी बच जाता है। पर वह मृत्युका नहीं हमारे अज्ञानका है। मृत्युके वाद क्या होगा कौन जाने? हमारे मनकी सद्भावनाके विरुद्ध मृत्युके वाद कुछ होनेवाला नहीं है और कुवासना ही हो, तो जो कुछ बुरा होगा, यह उस कुवासनाका ही फल होगा—यदि ऐसी श्रद्धा, ईश्वरकी न्यायबुद्धिपर, हो तो वह काल्पनिक भय टल जायगा।

सारांश कुल दुःख चार हैं—

(१) शरीर-वेदनात्मक, (२) पापस्मरणात्मक, (३) सुहृन्मोहात्मक, (४) भावी चिंतात्मक, और उनके चार ही उपाय हैं क्रमानुसार—

(१) नित्यसंयम, (२) धर्माचरण, (३) निष्कामता, (४) ईश्वरमें श्रद्धा ।

मृत्युका निरन्तर स्मरण रखना, बुद्धिमें मरण-मीमांसा द्वारा निःशंकता लाना और रोज रातको सोनेसे पहले मरणाभ्यास करना, यह तिहेरी साधना करते रहना चाहिए। पहला गीताके १३ वें अध्यायमें ज्ञान-लक्षणमें वर्णित है। उसपर ज्ञानदेवकी व्याख्या सुस्पष्ट है। दूसरा दूसरे अध्यायके शुरू में ही है। तीसरा आठवें अध्यायमें है।

सर्वोदय : १९४१

### ९—नैष्ठिक ब्रह्मचर्य

मनुष्यजीवन अनुभवका शास्त्र है। उस अनुभवकी वदौलत मनुष्य-समाजका काफी विकास हुआ है। किंतु हिंदू-धर्ममें उस अनुभवका शास्त्र रचकर एक विशिष्ट साधना जारी की, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अन्य धर्मोंमें भी संयम तो है ही; पर उसे शास्त्रीय रूप देकर हिंदू-धर्मने जिस प्रकार उसके लिए शब्द बनाया वैसा शब्द अन्यत्र नहीं पाया जाता। छोटा रहते वृक्षको अच्छी-से-अच्छी खादकी जरूरत होती है। यों तो पोषण जन्म भर चाहिए, पर कम-से-कम वचपनमें तो वह सबको मिलना ही चाहिए। इस दृष्टिसे हिंदू-धर्मने ब्रह्मचर्य-आश्रमको खड़ा किया। पर आज मैं उस आश्रमके संबंधमें नहीं, ब्रह्मचर्य-वस्तुके संबंधमें कहनेवाला हूं। अपने अनुभवसे मेरा यह मत स्थिर हुआ है कि यदि आजीवन ब्रह्मचर्य रखना है तो ब्रह्मचर्यकी कल्पना अभावात्मक ( Negative ) नहीं होनी चाहिए। विषय सेवन मत करो, कहना अभावात्मक आज्ञा है; इससे काम नहीं बनता। सब इन्द्रियोंकी शक्तिको आत्मामें खर्च करो, ऐसी भावात्मक ( Positive ) आज्ञाकी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्यके संबंधमें, यह मत

करो, इतना कहकर काम नहीं बनता। यह करो, कहना चाहिए। ब्रह्म अर्थात् कोई भी बृहत् कल्पना। कोई मनुष्य अपने बच्चेकी सेवा उसे परमात्म-स्वरूप समझकर करता है, और यह इच्छा रखता है कि उसका लड़का सत्पुरुष निकले, तो वह पुत्र ही उसका ब्रह्म हो जाता है। उस बच्चेके निमित्तसे उसका ब्रह्मचर्य पालन आसान होगा। माता बच्चेके लिए रात-दिन कष्ट सहती है फिर भी अनुभव करती है कि उसने बच्चेके लिए कुछ न किया। कारण, बच्चेपर उसका जो प्रेम है उसकी तुलनामें वह जो कष्ट उठाती है वह उसे बहुत अल्प मालूम होता है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी मनुष्य का जीवन तपसे—संयमसे—ओत-प्रोत रहता है। पर उसके सामने रहने-वाली विशाल कल्पनाके हिसाबसे सारा संयम उसे अल्प ही जान पड़ता है। इंद्रिय-निग्रह में करता हूँ ऐसा कर्तारि प्रयोग न रहकर इंद्रिय-निग्रह किया जाता है। हिट्टुस्तानकी दीन जनताकी सेवाको ध्येय बनानेवालेके लिए वह सेवा उसका ब्रह्म है। उसके लिए वह जो करेगा वह ब्रह्मचर्य है। संक्षेपमें कहना हो तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालनेवालेकी आंखोंके सामने कोई विशाल कल्पना होनी चाहिए तभी ब्रह्मचर्य आसान होता है। ब्रह्मचर्यको मैं विशाल ध्येयवाद और तदर्थ संयमाचरण कहता हूँ। यह ब्रह्मचर्यके संबंधमें मैंने मुख्य वस्तु बतलाई। दूसरी एक बात कहनेको बच जाती है, वह यह कि जीवनकी छोटी-छोटी बातोंमें भी नियमनकी आवश्यकता होती है। खाना, पीना, बोलना, बैठना, सोना इत्यादि सब विषयोंमें नियमन चाहिए। मनचाही चाल चलें और इंद्रिय-निग्रह साधें यह आशा व्यर्थ है। घड़ेमें तनिकसा छेद हो तो भी वह वेकार हो जाता है। उसी प्रकार जीवनमें छिद्र नहीं होना चाहिए।

ग्राम-सेवा-वृत्त ४-८

### १०—सूत्र-मनन और पुराण-श्रवण

कागज नपा हुआ मिलता है। एक ही ओर लिखना रहता है, छपें हुए हाशियेसे बाहर जाना नहीं है। हर कागजका सिरा—तिहाईसे भी

ज्यादा—जेलकी मुहर ले लेती है। इतनी मर्यादामें रहकर पूरे समाचार लिखनेकी दो युक्तियां हैं:—(१) सूक्ष्माक्षर और (२) स्वल्पाक्षर। पहलीके लिए तेज नजर और कंजूस दिल चाहिए। यहां दोनोंका अभाव है। तब बाकी रही दूसरी युक्ति, उससे खूब काम लिया जा सकता है। स्वल्पतम कहिए कम-से-कम, अर्थात् शुन्याक्षरोंमेंसे अनन्त अर्थ दिया जा सकता है। मैं यह सदा ही करता हूं। पर बहुतोंके लक्ष्यमें यह नहीं आता। वे कहते हैं कि मैं कुछ भी लिखता-लिखाता नहीं हूं। मैं कहता हूं कि मैं अनन्त लिखता हूं, शिकायत करनेवाले लोग समझते कैसे नहीं हैं?

स्वल्पमतको जाने दीजिए। पर स्वल्पाक्षरोंमें अपार अर्थ भरनेके कुछ उदाहरण साहित्यमें हैं। इनमें भगवद्गीता सर्वपरिचित उदाहरण है। गीतामें भी वहुत विस्तार ऐसा है कि जो संक्षिप्त हो सकता है: पर गीता तो गीता ही जो ठहरी। गीतमें गानेवालेके पसंदके अलावा और ठेका वार-वार आना ही ठहरा। लेकिन योग सूत्रोंका उदाहरण इस संवंधमें आदर्श कहा जा सकता है। कुल १९५ सूत्रोंमें चित्त-वृत्ति-निरोधका संपूर्ण शास्त्र कह डाला गया है। इतने अल्पाक्षरोंमें पतंजलिने अपना सारा जीवन भर दिया। बाईससौ वर्षोंसे यह छोटा मणि-दीप अपने मूल्यके तेजमें ज्योंका-त्यों प्रदीप्त है।

इससे विपरीत, पुराणोंकी वृत्ति है। उस कहावतके अनुसार कि “खोदा पहाड़, निकली चुहिया” पुराणोंका चिन्तन विहित नहीं है, उसका श्रवण विहित है। अर्थात् सिर्फ सुनने-सुननेसे काम है। याद रखनेकी जिम्मेदारी नहीं। उलट्टे, जितना भुला सकें उतना खुशीसे और जरूर भुला दें। इतनेपर भी कुछ संस्कार मनपर रह ही जायेंगे। वहीं उसका काम है। वहुजन-समाजको, कोई कष्ट दिये बिना, संस्कार पहुंचानेके लिए पुराणोंका जन्म है। इन दिनों मैं खांडण (रूई निकियानेका एक प्रकार) करते-करते समाजवादका श्रवण करता हूं। सर्व-सामान्य समाजवादी-साहित्यकी शैली पुराणसे मिलती-जुलती है। भारवत्ता और स्वल्पसारत्व, पुनरुक्तिकी अपार शक्ति और समाज सेवाकी उतनी ही तड़फड़ाहट समाजवादी साहित्यकी

यही विशेषता है। इस संबंधमें संस्कृतके पुराण ही उसकी समता कर सकते हैं। समाजवादी साहित्यके इस गुणके कारण वृद्धिपर विना कोई जोर पड़े समाजवादका मुझे जान मिलता रहता है। और खांडण निर्वाध—वे-खटके चलता रहता है।

ग्राम सेवा-वृत्तसे

### ११—ग्राम-सेवा-शास्त्रकी एक कलम

देहातोंकी सेवाके शास्त्रका दिन-पर-दिन चिंतन कर रहा हूँ। कई बातें निश्चित हो चुकी हैं, कई अभी होनी बाकी हैं। देहातोंके सेवाके शास्त्रकी एक कलम (धारा) निश्चित है—“कम-से-कम आठ घंटे शरीर परिश्रम और वह भी आजकी परिस्थितिमें राष्ट्रीय जीवनमें पड़े हुए गड्ढेको पाटने के लिए।” और कलमें इसी तरह निश्चित हो रही हैं। एक-एकपर ही अमल करना शुरू कर देंगे, तो निर्णय हो जायगा।

शरीर-परिश्रमके फलस्वरूप जड़ता पैदा होनेका डर मुझे नहीं है। विचारोंकी भाफ जब अंदर-ही-अंदर बन्द रहती है, तो चिंतनके लिए यथेष्ट अवकाश मिलता रहनेके कारण उलटे तीव्रता बढ़ती है, ऐसा अनुभव हो रहा है। अगर योगपूर्वक काम किया जाय, तो शरीर कमजोर होनेका कोई सबब नहीं है। बल्कि बलवान् होनेके लिए यथेष्ट कारण है। आठ घंटे काम करनेपर भी चार-पांच घंटे अवांतर सेवाके लिए बाकी रहते हैं। आठ घंटेका शरीर-परिश्रम एक बड़ी भारी सेवा साबित होती है। वक्तृत्व उतना वाग्पटु नहीं है, जितना कि उदाहरण है। और अगर वक्तृत्वकी सहायताकी जरूरत ही रहती हो, तो ठीक उसी तरह रहती है जैसे कि एकके अंकको शून्यकी होती है। उतनी मदद ली जा सकती है।

हिंदुस्तानका आजका सबसे मुख्य रोग है आलस। उसे महारोग भी कह सकते हैं। इसकी रामबाण औषध है उद्योगी मनुष्यका जीता-जागता-रण और संगति। हम निरंतर उद्योग करते रहकर उसे व्यवस्थित

हिसावी वृत्तिसे सफल बनाकर, अपनी कृति और संगतिसे और साथ-साथ समझा-बुझाकर उस रोगका निवारण कर सकते हैं ।

इसलिए (१) उद्योग चाहिए, (२) वह निरंतर चाहिए, (३) वह हमारे जीवनमें घुल-मिल जाना चाहिए, (४) उसीपर हमारे जीवनका आधार होना चाहिए, (५) सारे बाहरी आधारका त्याग करना चाहिए, (६) उद्योग व्यवस्थित चाहिए और (७) उसकी सफलता सिद्ध होनी चाहिए ।

जबतक इतनी बातें नहीं होंगी, तबतक देहाती जनतामें हमारे कार्यका प्रवेश नहीं होगा, चाहे हमारे शरीरका भले ही हो ।

लोक-संग्रह या सेवाकी गलत, मोहक और त्वरित कल्पनाके चक्करमें पड़कर नाना उद्योग अथवा व्यवसाय अथवा ढोंग या रंग-ढंग खड़े करनेसे एक क्षणके लिए लोगोंकी भीड़ लगी हुई दीख पड़ेगी । लेकिन वह कार्यकारी नहीं होगी ।

ग्राम-सेवा-वृत्त : मार्च १९४१

## १२—गांवका आरोग्य

उस दिन पवनारका एक लड़का मुझे रास्तेमें मिला । बोला, “मुझे खुजली हो गई है, कोई उपाय बताइए !” मैंने उसे थोड़ेमें बतला दिया, रोज सवेरे गायका ताजा मट्ठा पीए जाओ, इससे तुम्हारा रोग जाता रहेगा । गांवके मेरे सारे अनुभवका यह निचोड़ है कि गायका ताजा मट्ठा गांवके लिए एक भारी तारक (तारनेवाला) तत्त्व है । इसके लिए मैंने एक संस्कृत सूत्र बनाया है—

तत्रं तारकम्—

गांवमें खाज-खुजली, दाद इत्यादि चर्म रोग छोटे बच्चोंसे लगाकर बूढ़ोंतक सबको दिखाई देते हैं । मुझे इसके जो जकारण जान पड़े, वे उपाय सहित बतलाता हूँ—

(१) गंदी रहन-सहन—और उसमें भी नहानेकी लापरवाही । रोज न नहानेवाले भी हैं । लेकिन जो रोज नहानेवाले हैं उनका भी नहाना

वर्तमान जीवनमें आवश्यक कर्म-योगका स्थान रखकर ही सारा अध्ययन करना चाहिए। अन्यथा भविष्य जीवनकी आशामें वर्तमान कालमें मरने जैसा प्रकार बन जाता है। शरीरकी स्थितिपर कितना विश्वास किया जाता है यह प्रत्येकके अनुभवमें आनेवाली बात है। भगवानकी हम सबपर अपार कृपा ही समझनी चाहिए कि हममें वह कुछ-न-कुछ कमी रख ही देता है। वह चाहता है कि यह कमी जानकर हम जागृत रहें।

दो विदुओंसे रेखाका निश्चय होता है। जीवनका मार्ग भी दो विन्दुओंसे ही निश्चित होता है। हम हैं कहां यह पहला विदु; हमें जाना कहां है यह दूसरा विदु। इन दोनों विदुओंका तै कर लेना जीवनकी दिशा तै कर लेना है। इस दिशापर लक्ष्य रखे विना इधर-उधर भटकते रहनेसे रास्ता तै नहीं हो पाता।

सारांश, 'अल्प मात्रा सातत्य, समाधि, परमावकाश और निश्चित दिशा' यह गंभीर अध्ययनका सूत्र है।

ग्राम सेवा वृत्त से

### १४-निसर्ग-सेवनकी दृष्टि

तुम सब आजकल निसर्गकी उपासनाका आनन्द ले रहे हो। हवाखोरीकी कल्पना निसर्गके पूरे-पूरे फायदे हासिल करने नहीं देते। इसलिए केवल उतनी ही कल्पना न रखते हुए उसके साथ-साथ दूसरी भी व्यापक कल्पना की जाय तो ऐसे स्थान हरि-दर्शन करा सकेंगे। पहाड़, नदी आदि स्थानोंमें शिमला, महाबलेश्वर इत्यादि विलास-स्थानका निर्माण करनेमें ईश्वरका अत्यंत अपमान है। हमारे पूर्वज इस प्रकार अपमान नहीं करते थे। इसलिए निसर्ग देवताकी कृपासे उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता था।

वैदिक ऋषि, उपनिषद्, गीता, योगशास्त्र, सन्तोंके अनुभव इन सबोंमें एकांत सेवन और निसर्ग परिचयके अनेक विधलाभोंका वर्णन है। . . . मनुष्य समाजके अति प्राचीन ग्रंथसे एक वचन यहां उद्धृत कर रहा हूं।



‘उपव्हरे गिरीणाम् । संगमे च नदीनाम् ।’ धिया विप्रो अजायत ॥ साय  
ऋग्वेद

इस मन्त्रका ऋषि ‘वत्स काण्व’ है । छन्द गायत्री । देवता इन्द्र याने परमात्मा । उसीको इस मन्त्रमें ‘विप्र’ याने ‘ज्ञानी’ कहा वह कहां और कैसे प्रकट हुआ (‘अजायत’—जन्म लिया, प्रकट हुआ) यह इस मन्त्रमें कहा है । ‘पर्वतोंकी कंदराओंमें और नदियोंके संगमपर ध्यान-चितनसे (‘धियां’) ज्ञानीका जन्म हुआ । ”

ज्ञानी पुरुषका जन्म किस स्थानपर हुआ और वहां क्या करनेसे हुआ ये दोनों बातें इस मन्त्रमें हैं ।

ग्राम-सेवा-वृत्त

### १५—अतिथिको देव क्यों मानें ?

जिन-जिनका हमपर उपकार है उन-उनके विषयमें देव-भावना रखकर उनकी सेवा करना और उनके ऋणसे चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, मुक्त होना हमारा धर्म है । मातृ-देव, पितृ-देव और आचार्य-देव, ये तीन देव माननेकी बाततो आसानीसे समझमें आ जाती है । इनके हमपर बड़े उपकार हैं । उसी प्रकार समाजका भी हमपर बड़ा एहसान है । हम समाजकी अनंत प्रकार की सेवा लेते ही रहते हैं । इसलिए समाजको देवता मानकर बदलेमें उसकी सेवा करना हमारा धर्म हो जाता है । हमें अपने घर आनेवाले अतिथिको समाज का एक प्रतिनिधि समझना चाहिए । अतिथिके रूपमें समाज हमसे सेवा मांग रहा है, हमारी यह भावना होनी चाहिए । समाज केवल अव्यक्त है—अतः ‘अतिथि-देव’का अर्थ है ‘समाज-देवता’ । समाज अव्यक्त है, अतिथि व्यक्त है । समाजकी अतिथि व्यक्त मूर्ति है । अतिथिकी भांति दीन, दुःखी, पीड़ित, रोगी इत्यादिकी सेवा करना भी समाज-पूजाका एक अंग है । दरिद्रनारायण भी एक महान् देवता है । उनका हमपर वह उपकार है जिसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता ।

ग्राम-सेवा-वृत्त

## १६—भगवान दीनबंधु हैं

प्रभुको चिंता सत्रकी रहती है, पर विशेष चिंता उसे दीनोंकी होती है। मूल्य लोग प्रभुके भी हैं, पर दीन प्रभुके ही हैं। औरोंका आधार भी और उल्टा है, किंतु दीनोंका तो आधार दीनदयाल ही होता है। समुद्रके बीच उल्टे-उल्टे मस्तूलसे उड़े हुए पंछीको मस्तूलके सिवा और ठिकाना कहाँ हो सकता है ? उससे हटकर वह कहाँ रह सकता है ? दीनका चित्त प्रभुसे चिंते भी तो किससे लगे ? इसलिए दीन प्रभुके कहलाते हैं, प्रभु दीनोंका कहलाता है। दीनताका यही वैभव देखकर कुंतीने उस समय जब उसे प्रभुने वर मांगनेको कहा, दीनता मांगी। कोई कह सकता है, कि प्रभु तो धातक था कटोरीमें, पर अभागिनीने मांगा दोने में ! फूटी कटोरीसे सावित दोना सी दर्जे अच्छा।

कदाचित् कोई तार्किक वीचमें ही पूछ बैठे कि, तो फूटी कटोरीकी बात क्यों ? मैं स्पष्ट कहूंगा कि नहीं, पानी पीनेकी दृष्टिसे तो सावित दोने और सावित कटोरीका मूल्य समान है, पर अन्दर पैठकर देखें तो वह धातकी कटोरी धातकी वस्तु बन जाती है। कटोरीकी छातीमें एक बड़ी धुकधुकी लगी रहती है—'मुझे कोई चुरा तो नहीं ले जायगा ? दोनेके लिए यह भय असंभव है, अतः वह निर्भय है।

फिर कटोरी और सावितका योग ही मुश्किलसे मिलता है। रामदासके शब्दोंमें, जो बड़ा सो चोर। ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं, कि आदमी बड़ा हो और उसपर प्रभु न्यीछावर हों। लगभग ऐसे उदाहरणोंका अभाव ही है, और जो कहीं और कभी दीख पड़े, तो ऐसे कि जन्मका बड़ा, किंतु बड़-प्पन खोकर-अत्यंत दीन होकर—भगवानके शरण पड़ा हुआ। उसी दिन प्रभुने उसे अपने निकट खींच लिया। राजा बल्लिने जब राजत्वका साज हटाकर मस्तक झुकाया, तब प्रभुने उसके आंगनमें खड़े रहना अंगीकार किया। गजेंद्रको जबतक अपने बलका घमंड रहा, तबतक उसने सबकुछ करके देख लिया और जब गर्व गला तब उसे दीनबन्धुकी याद आई। उसी दिनकी कथाका नाम तो 'गजेन्द्र-मोक्ष' है। और अर्जुन ? जिस दिन वह

अपनी जानकारीके ज्वारसे जीवित बाहर आया उस प्रभुने उसके सम्मुख गीता बांची। पार्थका—प्रभुसे ही मतभेद हो गया। बड़ा आदमी जो ठहरा ! प्रभुके मतसे उसके मतका सौतियाडाह क्यों न हो ? किन्तु वारह वर्षके वनवासने उसे 'महत्ता' से उतारकर 'संतता' की सेवा करनेका अवसर दिया। जब जानकारीपर अधिष्ठित मतके पांव डगमगाने लगे तो उसके निकटस्थ प्रभुके पांव पकड़े। "मैं तो इन्द्रियोंका गुलाम हूँ। और मेरा 'मत' क्या ? मेरी तो इन्द्रियां चाहे जैसा निश्चय करती हैं और मन मल्ल उसपर अपनी सही कर देता है। वहां धर्मको देख सकनेवाली दृष्टिका गुजर कहां ? प्यारे, मैं तुम्हारे द्वारका सेवक हूँ। मुझे तुम्हीं वचाओ।" तब भगवानकी वाचा फूटी—गीता कही जाने लगी। परन्तु गीता कहते-कहते भी श्रीकृष्णने एक बात तो कह ही डाली—'बड़प्पनकी बात तो खूब करते हो' गरज यह, कि बड़े लोगोंमें यदि किसीके, प्रभुके प्यारे होनेकी, बात सुनी जाती है, तो वह उसीकी, जो अपना बड़प्पन, अपनी महत्ता एक ओर रखकर छोटे-से-छोटा दीन, निराधार बन गया। तब वह प्रभुका आत्मीय कहलाया। जिसे जगतका आधार है, उसकी जगदाधारसे कैसी रिश्तेदारी ? जिसके खातेमें जगतका आधार जमा नहीं रह गया, उसीका बोझ प्रभु अपने कंधोंपर ढोते हैं।

ह० से० १९३४

